खण्ड-405, अंक-2
मंगलवार, 18 चैत्र, शक संवत् 1914
(7 अप्रैल, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
नेता विरोधी दल को अयोध्या जाने से रोके जाने पर गिरफ्तार करने विषयक सूचना पर चर्चा की मांग	1
प्रश्नोत्तर	2-127
निधन के निदेश के उपरान्त अन्य सूचनाओं को लियेजाने की सूचना ..	127-128
नियम 300, 56 आदि को स्थगित करके बजट पर अधिकाधिक चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव	128
भूतपूर्व सदस्य, डा0 रघुनाथ सिंह, श्री चारु चन्द्र ओझा, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री बृजवासी लाल, श्री महेश्वर दत्त सिंह तथा श्री महाराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार	128-140
नियम 300, 301, 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को नियमाक्रम से लिये जाने का निर्णय	140-143
नेता विरोधी दल को फैजाबाद जाते समय रामसनेहीघाट (बाराबंकी) पर गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	143-147
अयोध्या में मंदिर गिराये जाने के प्रकरण पर श्री बसंत लाल गुप्त द्वारा त्याग पत्र देने की घोषणा	147-149
अयोध्या में मंदिर गिराये जाने के प्रकरण पर श्री प्रमोद तिवारी व श्री बसंत लाल गुप्त द्वारा त्याग पत्र देने की घोषणा पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	149-151
नेता विरोधी दल को फैजाबाद जाते समय गिरफ्तार किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	151-173
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	173-174
अयोध्या में मंदिर गिराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	174-176
सदस्यों द्वारा माइक्रोफोन तोड़े जाने पर आपत्ति	176
अयोध्या प्रकरण पर मुख्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री के कथन में भिन्नता होने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	176-179
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)	179-180
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	180-182

विषय	पृष्ठ-संख्या
आलमपुर माइनर, सुल्तानपुर के निर्माण में किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	182
आगरा जनपद में भीषण विद्युत समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	183
अल्मोड़ा विकास खण्ड ताड़ी खेत में सहकारी औषधि निर्माणशाला को औषधि के क्रयादेश में नीतिगत निर्णय लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	183
जिला बस्ती की नवसृजित तहसील सोनहा भानपुर की प्रमुख सड़कों का निर्माण राज्य सेक्टर द्वारा कराय जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	184
कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी सुरक्षा व्यवस्था विषयक सूचना के सम्बन्ध में जानकारी औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	184-185
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 1989 का प्रतिवेदन संख्या ए (सिविल)	185
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 1989 का प्रतिवेदन संख्या-5 (सिविल)	185
वित्त लेखे 1988-89 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे 1988-89 उत्तर प्रदेश सरकार	186
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992	186
भूतपूर्व विधायकों की सुविधाओं से सम्बन्धित बिल को प्रस्तुत करने की मांग	186-188
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	188-201
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग (पारित)	202
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मांगों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 93 सिंचाई विभाग अधिष्ठान (पारित) ..	202-268
सदन की दर्शक दीर्घा संख्या-1 से पर्चे फेकने व नारा लगाने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा उनको कल प्रश्न काल तक के लिए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ की सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रस्ताव ..	268-271

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	271-272
जनपद उन्नाव में पुलिस पर किये जा रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति विषयक वक्तव्य को निरस्त किये जाने की सूचना	272
जनपद सुल्तानपुर के थाना पीरपुर के ग्राम डिगरपुर मजरा रतापुर में कथित रूप से अग्निकाण्ड विषयक वक्तवय का स्थगन	272
आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	272-273
सदन में कोरम के अभाव की सूचना	273
नत्थियां	274-278

विधान सभा

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी
अरविन्द कुमार, डा0	ललितपुर
अवध पाल सिंह, श्री	एटा
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ऊदल, श्री	वाराणसी
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री	गाजियाबाद
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घुरहू, श्री	बलिया
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर
धर्म पाल यादव उर्फ डी0पी0 यादव, श्री	बुलन्दशहर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्यारे लाल शंखवार, श्री	कानपुर देहात
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बाबू खां, श्री	हरदोई
बृजभान यादव, डा0	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
मदन भैया, श्री	मेरठ
मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
राधेश्याम वर्मा, श्री	बाराबंकी
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामू प्रियदर्शी	फैजाबाद
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, श्री	कानपुर देहात
शिवाकान्त ओझा, श्री	प्रतापगढ़
श्री निवास, श्री	देवरिया
श्री राम चौहान, श्री	बस्ती
सन्त श्री राम द्विवेदी, श्री	फैजाबाद
सरजीत सिंह डंग, श्री	मिर्जापुर
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फर नगर

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1992

(विधान सभा का कार्य सभा मण्डप लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुआ ।)

नेता विरोधी दल को अयोध्या जाने से रोके जाने व गिरफ्तार करने विषयक सूचना पर चर्चा की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(घोर-व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, अयोध्या जाते समय नेता विरोधी दल को जबरिया उठा लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया । मान्यवर, इस पर आप नियमों को निलम्बित करके हमारी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है नियम 300 और नियम 301 की, उन्हें बाद में सुन लूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, इसमें सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सरकार तानाशाही पर उतर आई है । नेता विरोधी दल को नहीं जाने दिया गया । विषय की गम्भीरता को देखते हुए प्रश्नकाल समाप्त होने के तत्काल बाद इसको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ले लें ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल को आप मंत्री स्तर की सब सुविधायें दे रहे हैं लेकिन मंत्री तो वहां जा सकते हैं और नेता विरोधी दल नहीं जा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह बहुत ही अहम मसला है नेता विरोधी दल को वहां ज़ाने से रोका गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल के बाद इसे ले लूंगा ।

प्रश्नोत्तर

जनता वस्त्रों का विक्रय मूल्य बढ़ाने पर आपत्ति

****1.** -श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश स्तरीय कार्यान्वयन समिति (स्लिक) ने जनता धोती व जनता साड़ी का दाम बढ़ाया है ? यदि हां, तो क्या इसी के साथ सरकारी क्षेत्र में तैयार सूत के दामों में भी वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो गरीबों के लिए उपयोगी इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का क्या औचित्य है ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)-

जी हां ।

जी हां ।

कपास के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण सूत के दाम बढ़े हैं । सूत का दाम बढ़ने के कारण जनता वस्त्र का उपभोक्ता/विक्रय मूल्य भी तद्नुसार बढ़ाना अनिवार्य हो गया था ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, सरकार ने जनता धोती और जनता साड़ी के दाम बढ़ाया जाना स्वीकार किया है और इसका कारण यह बताया गया है कि सूत के दाम बढ़े । श्रीमन्, क्या सरकार को यह जानकारी थी कि जनता धोती का प्रयोग गरीब लोग करते हैं और शुद्ध रूप से गरीब लोग करते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या जनता धोती जिस कीमत पर पहले थी उस कीमत पर बनाए रखने के लिए कोई सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मंयकर सिंह-

मान्यवर, इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संविधान में प्राविधान है । जब जनता धोती का दाम बढ़ जायगा तो बाजार में खपत कम होगी और उत्पादन घटेगा जिससे इसका असर इस कुटीर उद्योग पर पड़ेगा । इसीलिए संविधान में प्राविधान किया गया है संरक्षण देने का । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, कि मंत्री जी ने कहा है, विचार नहीं है, लेकिन मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करके इस पर छूट देने का प्राविधान करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, विषय महत्वपूर्ण है इसलिए विचार कर लिया जायगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कपास के मूल्य वृद्धि के कारण जनता धोती की मूल्य वृद्धि की गयी हैं । इस बात को देखते हुए कि सब चीजों के दाम मंहगाई के कारण बढ़े हैं तो क्या बुनकरों की बुनाई में भी वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, जो विद्वान सदस्य ने कहा है वह उचित है । एक चीज का दाम बढ़ने पर उसका असर दूसरी पर पड़ता है । उदाहरण के लिए केन्द्र सरकार ने खाद के दाम बढ़ाये तो गेहूं महंगा हो गया । इसी तरह से धागा जब महंगा हो गया तो उसके कारण जनता वस्त्रों के दाम बढ़े गये ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बुनकरों की बुनाई में भी वृद्धि की गयी है ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विशारद जी ने जो बुनकरों के बारे में प्रश्न किया है उसके बारे में बता दें ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, अनुरोध है कि प्रश्न पुनः प्रस्तुत कर दें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय मंत्री जी क्या बिना समझे ही कह दिया था कि मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी बताया कि खाद के दाम बढ़ गये, कपास का दाम बढ़ गया । इसी के साथ-साथ क्या बुनकरों की बुनाई भी बढ़ायी गयी है ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, बुनकरों को बुनाई का जो मूल्य दिया है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

यह तो मैं तय करूंगा ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर बुनकरों को उचित मूल्य दिया जाय इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा कि मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि उनके पास इसकी सूचना नहीं है ।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, बुनकरों को जो सूत दिया जाता है वह तोल कर दिया जाता है और जो चीज वह बुनते हैं वह तोल कर लिया जाता है । कहने का मतलब यह है कि जब सूत के दाम बढ़े हैं तो धोती भी महंगी हुई है तो जो तौल का मूल्य दिया जाय वह बढ़ा दिया जाय, उससे बुनकर का भला हो जायगा, उनकी आमदनी बढ़ जायगी ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह माननीय किदवई जी का सुझाव है ।

श्री मंयकर सिंह-

मान्यवर, सुझाव महत्वपुर्ण है । इस पर निश्चित रूप से गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कीमतों पर बढ़ोत्तरी हुई तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ा होगा । तो कीमतें बढ़ने के पहले जनता धोतियों का उत्पादन कितना था और कीमतें बढ़ने के बाद कितना रह गया ?

श्री अध्यक्ष-

मेरे ख्याल से आप स्वयं समझ रहे होंगे कि यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता । माननीय मंत्री जी के पास सूचना हो तो दे दें ।

श्री विजय सिंह राणा-

यह बता दें कि जनता धोतियों की कीमत बढ़ने से उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी सूचना हो तो दे दें ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रत्येक स्तर पर वस्त्रों के दाम में कितनी बढ़ोत्तरी हुई, जानना चाहें तो बता सकता हूं । यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

श्री विजय सिंह राणा-

क्या कीमतें बढ़ने से उनकी बिक्री में कोई अंतर आया है ?

श्री अध्यक्ष-

क्या इस बात को बता सकेंगे कि मूल्य बढ़ने से जनता धोती की बिक्री में कितना अंतर आया ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनता धोती गरीबों के लिए बनती है, किन्तु यह गरीबों के पास न पहुंचकर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के पास छपाई के लिए बड़े पैमाने पर जाती है, क्या माननीय मंत्री जी सदन को इससे अवगत करायेंगे ?

श्री मयंकर सिंह-

ऐसा बिल्कुल नहीं है ।

श्री पूरन प्रकाश-

यह सदन को गुमराह किया जा रहा है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मथुरा में, हाउस के और भी सदस्य बता सकते हैं, 90 परसेंट जनता धोती छापे के लिए बड़े-बड़े कारखानों में जा रही है, क्या यह माननीय मंत्री जी की जानकारी में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

आप मथुरा के बारे में अलग से लिखकर जानकारी मांग लें, अलग से मिल जायगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि दाम बढ़ने से विशेश फर्क नहीं पड़ा है, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल आय कितनी थी और कितनी बिक्री हुई और 1991-92 में या पिछले वर्ष 1992-93 में कितनी बिक्री हुई ? इससे पता चल जायगा कि प्रभाव पड़ा कि नहीं?

श्री अध्यक्ष-

चालू वर्ष के अभी मात्र 6 दिन हुए हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

वर्ष 1989-90 और उसके बाद का बता दें ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, प्रश्न जनता धोती मिलने से संबधित है । विधान सदस्य उसके बारे में कोई प्रश्न करें तो उत्तर दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

जब आपने पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया कि बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो यह अवधारणा हो जाती है कि सूचना होगी और उसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रभाव नहीं पड़ा । तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करके पता चल जायगा, अतः गत दो वर्षों की बिक्री के बारे में उत्तर दे दें कि प्रभाव पड़ा कि नहीं । पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया है तो इसका उत्तर भी दे सकते हैं ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य चाहेंगे तो जानकारी दे दूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बड़ा गम्भीर विषय है । माननीय मंत्री जी बिना जानकारी के प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं ..(व्यवधान).. अगर हरद्वार दुबे जी को जानकारी हो तो दे दें, बड़े तीस मारखा बनते हैं । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इन मंत्रियों की कोई आचार संहिता होगी, आपने मुझे इजाजत दे दी कि प्रश्न करूं और प्रश्न के लिए खड़ा हुआ तो राज्य मंत्री जी को आपकी अनुमति बिना नहीं खड़े होना चाहिए।

संस्थागत वित्त राज्यमंत्री (श्री हरद्वार दुबे)-

इंडिवीजुअल नाम लेंगे तो क्यों नहीं खड़ा होऊंगा ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक बड़ा अहम प्रश्न यहां पर उपस्थित हो गया है । हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ जी ने यह जानकारी प्राप्त करनी चाही कि क्या इससे जनता धोती की बिक्री पर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, तो माननीय मंत्री जी ने किसी आधार पर ही यह जानकारी दी होगी, माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि हां, बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा है । मान्यवर, जब यह पूछा गया कि गत वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो उसका उत्तर नहीं दे पाये । मान्यवर, या तो प्रश्न का उत्तर दिलवा दें या इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, जनता धोती में जो बिक्री हुई है, वह कितने मूल्यों की हुई है ? मैं तो नीतिगत सवाल कर रहा हूं । मान्यवर, क्या सरकार यह समझती है कि जनता धोती सस्ते मूल्यों पर बिकनी चाहिए, और यदि हां, तो सस्ते मूल्यों पर बिकवाने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, अभी वर्तमान में जनता साड़ी और जनता वस्त्र का मूल्य कम करने का सरकार का कोई विचार नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने जब पूछा कि क्या सरकार विचार करेगी, तो मैंने बताया कि यह विषय महत्वपूर्ण है, सरकार यह मानती है, इस पर विचार किया जायगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, क्या सरकार यह नीतिगत मानती है कि जनता धोती का दाम कम होना चाहिए और इस संबंध में सरकारी की योजना क्या है ? सरकार यह मानती है कि गरीबों को जो सस्ते दामों पर कपड़े मिलते हैं, उनके दाम कम होने चाहिए या नहीं ? क्या सरकार यह मानती है कि जनता धोती सस्ते दाम पर मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय दीक्षित का प्रश्न है कि जनता धोती वर्तमान मूल्यों की तुलना में और सस्ते मूल्यों पर मिलनी चाहिए ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, जब धागे का मूल्य कम हो जायगा, तो जनता धोती का मूल्य भी कम हो जायगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, हमरा नीतिगत प्रश्नहै । मान्यवर, क्या सरकार यह मानती है कि जनता धोती गरीबों को सस्ते मूल्यों पर मिलनी चाहिए । मान्यवर, पहले यही बता दें कि मानती है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया कि धागे का मूल्य कम हो जायेगा, तो जनता धोती का मूल्य भी कम हो जायगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अगर आप मानते हैं कि उत्तर आ गया, तो हमको कुछ नहीं कहना है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पूरे वाक्य को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा हेतु बंकरक्षक आदि दिये जाने की शासन की नीति

×-2-श्री भगवती सिंह विशारद, श्री सुन्दर लाल तथा श्री अवध पाल सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा (शैडो गनर आदि देने) प्रदान करने की क्या नीति है ? क्या इस नीति के अन्तर्गत भूतपूर्व विधायकों, सांसदों एवं जिला परिषद् के अध्यक्षों की सुरक्षा प्रदान करना भी सम्मिलित है?

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

शासन ने गैर सरकारी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है जो वास्तविक जीवन भय, जीवन भय का कारण, परिवार में शस्त्र लाईसेंसों की स्थिति, व्यक्तिगत क्रिया कलापों एवं अन्य विशेष परिस्थितियों के सम्बन्ध में जांच आख्या पर आधारित है । जन प्रतिनिधियों के लिए एक संवर्ग के रूप में अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं है परन्तु माननीय सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर जांच के पूर्व ही तत्काल अंगरक्षक प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

माननीय सांसदों एवं विधायकों हेतु निर्धारित व्यवस्था भूतपूर्व विधायकों एवं सांसदों एवं जिला परिषद् अध्यक्षों के प्रकरणों पर लागू नहीं है तथा इन प्रकरणों में गैर सरकारी व्यक्तियों हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत निर्णय लिया जाता है ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या माननीय गृह राज्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था सांसदों और विधायकों को दी जाती है, उसी श्रेणी में जिला परिषद् के अध्यक्षों को भी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

संसदीय भूमिका और विधायी भूमिका में अन्तर है । अन्य भूमिकायें सामान्य करना है । इसलिए यह व्यवस्था की गयी है कि बिना जांच के ही माननीय सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर अंग रक्षक प्रदान किये जाने की व्यवस्था है अन्य के लिए नहीं ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सांसदों और विधायकों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिला परिषद् के अध्यक्ष जो सांसदों और विधायकों से ज्यादा क्षेत्र में दौरा करते हैं, उनकी प्रतिद्वन्दिता अधिक रहती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंग रक्षकों की सुविधा प्रदान करेंगे?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है और जिसमें जिला परिषद् के अध्यक्षों का भी उल्लेख है, वही व्यवस्था लागू रहेगी ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, वर्तमान सरकार द्वारा जो भूतपूर्व सांसद या विधायक हैं, उनको शैडो या गनर नहीं प्रदान किये गये हैं, लेकिन क्या जो सत्तारूढ़ दल के लोग जो वर्तमान समय में न तो सांसद हैं और न विधायक हैं और न ही किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, क्या उनको शैडो और गनर दिये गये हैं, तो क्या कारण है कि सभी भूतपूर्व सांसदों और भूतपूर्व विधायकों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है । जक तक वह सांसद

रहते हैं और विधायक रहते हैं, तो उनकी दुश्मनी रहती है और जैसे ही वह नहीं रहते हैं उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है । जो लोग सांसद और विधायकों की श्रेणी में नहीं आते हैं और चूंकि वह सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, इसलिए उनको यह सुविधा. प्रदान की गयी है और विपक्ष के लोग जो भूतपूर्व सांसद और विधायक हैं उनके आवेदन करने पर भी यह सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है । अगर उनको अपनी जान का खतरा है, तो क्या उनको भी गनर या शैडो की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, पक्ष या विपक्ष का कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है । जब किसी के जीवन को वास्तविक खतरा होता है और जिला प्रशासन अपनी संस्तुति शासन को भेजता है, चाहे वह सामान्य व्यक्ति क्यों न हो, अपरिहार्य परिस्थिति को देखते हुए अंग रक्षक प्रदान किये जाते हैं ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शैडो या गनर देने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है, परन्तु मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरठ शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यह सुविधा प्रदान की गयी है और जनता दल के प्रत्याशी के बार-बार मांगने पर भी यह सुविधा नहीं प्रदान की गयी है । क्या उनको भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, इस प्रकरण के लिए सूचना की आवश्यकता होगी । यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो लोग राजनैतिक जीवन से जुड़े रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही चुनौतियों से भरा रहता है . . .

मान्यवर, राजनीति में चलता रहता है कोई है कोई नहीं है लेकिन आज जैसे मंत्रियों को अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं तो क्या मान्यवर, यह इस निवेदन पर विचार करेंगे कि जो लोग मंत्री रह चुके हैं, सदस्य विधान सभा रह चुके हैं या लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं उन्हें उनकी प्रार्थना पर तत्काल अंगरक्षक प्रदान कर दिया जाय और फिर पुलिस रिपोर्ट मंगा ली जाय यदि पुलिस रिपोर्ट में कोई आपत्तिजनक बात है तो यह वापस ले लिया जाय। लेकिन ऐसे काल में तत्काल उनके अनुरोध पर जैसे भूतपूर्व विधायक, मंत्री या संसद सदस्य के अनुरोध पर उनको तत्काल दे दिया जाय और उसके बाद अगर आपत्तिजनक कोई रिपोर्ट आ जाय तो उन्हें वापस ले लिया जाय और मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बहुत से असामाजिक

तत्व जो उनके दल के हैं उनको गनर और शैडो दिये गये हैं जैसे उन्नाव के भगेलू महराज का नाम ले रहा हूं, उनका अपराधिक इतिहास रहा है और उसको गनर और शैडो दिया गया है लेकिन सम्माजनक जीवन में जी रहे लोगों को नहीं दिया गया है तो क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में बताना चाहता हूं कि 33 एक्स-मिनिस्टर के पास शैडो या गनर उपलब्ध हैं । जिन एक्स-मिनिस्टर के बारे में यह सूचना जिला प्रशासन और अभिसूचना इकाई द्वारा प्राप्त हुई कि इनको भय राजनीतिक क्रियाकलापों की वजह से है, भय है, उनको शैडो और गनर प्रदान किये गये हैं । इस संदर्भ में मान्यवर, आवेदन पत्र मिलता है उनकी जांच और परीक्षण कराते हैं और जांच आख्या के उपरान्त शैडो प्रदान करते हैं । जो दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के तमाम अपराधिक इतिहास वाले लोगों को शैडो या गनर दिये हैं, यह मान्यवर प्रमोद तिवारी जी का आरोप सरासर निराधार है और नितान्त गलत है, भगेलू महराज को वर्तमान समय में कोई शैडो या गनर नहीं दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो शैडो और मनर दिये गये हैं यह हमारे साथ हमारी जीप में चलते हैं और हम यह देख चुके हैं कि जब हमारा कोई मर्डर करने वाला आयेगा तो वह ए0के0 47 और अच्छे वाहन लेकर आता है और वह हमारे शैडो और गनर को तुरन्त मार देता है तो हमारी सुरक्षा में बड़ी मुश्किल है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम चलें और हमारी सुरक्षा के लिए कोई दूसरा वाहन लेकर गनर चले, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ऐसा सम्भव नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अध्यक्ष जी मामला बहुत ही गम्भीर है । यह मामला भूतपूर्व विधायकों की सुरक्षा से संबंधित है । मैं आपके माध्यम से यह माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि आज जो विपक्षी दलों के लोग हैं उनके बारे में जिले से मात्र संस्तुति आ जाती है कि उनकी जीवन रक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है लेकिन उनके गनर का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिले की रिपोर्ट के बावजूद ऐसा क्यों किया जाता है ? दूसरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी जो भूतपूर्व विधायक और सांसद हैं और अध्यक्ष जिला परिषद् हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में साधारण नागरिकों की तुलना में वरीयता देंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर शैडो और गनर कोई शोभा की वस्तु नहीं है जिन्हें वास्तव में जीवन जीवन भय है और राज्य सरकार समझती है कि इनके जीवन को खतरा है तो उसकी सुरक्षा की हम पूरी व्यवस्था करते हैं ।

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, जिन विधायकों और सांसदों के पास गनर और शैडो नहीं है और वह नहीं चाहते हैं किन्तु उनके पास अपने हथियार भी नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे विधायकों को जो प्रतिबंधित हथियार हैं, उनके लाइसेंस देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, प्रतिबंधित हथियार पर केन्द्र सरकार ने रोक लगा रखी है लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हमारे यहां अनिषिद्ध बोर के लाइसेंस पर रोक लगी हुई थी उसको शिथिल किया गया है और आग्नेयास्त्र के लाइसेंस का सरलीकरण कर दिया है ।

मेजर जे0पी0 सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो शैडोज दिये गये हैं, उनके पास जो हथियार हैं, पुराने हैं । आजकल हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, जहां दुश्मनों का, आतंकवादियों का सामना करना पड़ सकता है, जो शैडोज हैं, वे ट्रेण्ड भी नहीं हैं, उनकी 6 महीने की या एक साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितने अम्यूनीशन वे फायर करते हैं, इसमें भी ट्रेण्ड नहीं है । ऐसी स्थिति में क्या शैडोज को अच्छे हथियार उपलब्ध करायेंगे और उनकी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, आतंकवादियों से शैडो, गनर या उत्तर प्रदेश की पुलिस की तुलना नहीं की जा सकती है । आतंकवादियों का काम आतंक पैदा करना होता है, सामूहिक हत्या करना होता है जिससे भय पैदा किया जा सके जबकि पुलिस को सुरक्षार्थ गोलियां चलानी पड़ती हैं, पुलिस का सीमित स्कोप है । इसीलिए उनको ऐसे हथियार देते हैं जो वास्तविक सुरक्षा कर सकें । जो फायरिंग आतंकवादियों द्वारा की जाती है, वैसा काम पुलिस नहीं कर सकती है । इसलिए वैसे हथियार उनको उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं ?

श्री लीला राम वर्मा-

जिन विधायकों ने गनर या शैडो मांगे थे और उनको मनाही की गयी या नहीं दिये गये, उनको सस्ती कीमत पर अपनी सुरक्षा हेतु असलहा प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यदि माननीय सदस्य भय का अनुभव करते हैं तो आवेदन कर दें, अंगरक्ष उपलब्ध करा दिया जायगा । सस्ती दर पर असलहे उपलब्ध कराने का अधिका उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, केन्द्र सरकार के पास है, वहीं ये आवेद पत्र भेज दें ।

श्री सतीश भाटिया-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मई 1991 के पूर्व कितने गनर और शैडो उपलब्ध कराये गये थे और उन पर क्या खर्च आया ?

जनवरी, 1991 से मार्च, 1992 तक कितने गनर और शैडो उपलब्ध कराये गये उन पर कितना खर्चा आया ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या ऐसे शैडो और गनर नियुक्त किये गये हैं जिनके खिलाफ अपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं, विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय सदस्य ने पूछा थाकि इससे पूर्ववर्ती सरकार ने कितने गनर और शैडो एप्वाइंट किये थे ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

इसकी आपको अनुमति नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

ठीक है, अनुमति नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं । जब माननीय अध्यक्ष अनुमति देंगे, तब उत्तर दूंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मान्यवर मेरे जैसे आदमी का तो यह मानना है कि इस विषय पर यह जो बार-बार चर्चा होती है, नहीं होनी चाहिए लेकिन यह सरकार निर्दयतापूर्वक सोच रही है । अभी माननीय गृह राज्य मंत्री ने माननीय प्रमोद तिवारी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि ऐसे भू0पू0 मंत्रियों, विधायकों को अंगरक्षक नहीं दिये गये हैं जिनका पिछला इतिहास ठीक नहीं रहा है । गृह राज्य मंत्री ने इस तरह से सदन की अवमानना करने की बात कही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिन भू0पू0 मंत्रियों, भू0पू0 सदस्यों को जान का खतरा है, मतभेदों को भुलाते हुए क्या इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि उनको अंगरक्षक प्रदान किये जायें । चाहे उनका पिछला इतिहास जैसा भी रहा हो । जब वह सदन में आ गये, इसके माने जनता के प्रतिनिधि चुन लिये गये । जब एक बार सदन में आ गये तो हमेशा जन प्रतिनिधि माने जायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय सदस्य ने जैसा आरोपित किया वैसा मैंने कुछ नहीं कहा । किसी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए दिया गया या नहीं दिया गया है ऐसी कोई चर्चा मैंने नहीं की । अभी भी जिला प्रशासन को यह अधिकार है यदि वे उचित समझते हैं कि किसी माननीय सदस्य को, किसी भू0पू0 माननीय सदस्य को, किसी भू0पू0 मंत्री को किसी जिला परिषद्, नगरपालिका के अध्यक्ष को तात्कालिक कोई जान का भय है या जान के भय की आशंका है तो 15 दिन तक शैडो या गनर प्रदान करने का उनको अधिकार है । ऐसी श्रेणी का कोई भी व्यक्ति उन तक पहुंचता है आग्रह करता है तो जिला प्रशासन द्वारा तत्काल उनको उस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

माननीय, भू0पू0 मंत्रियों व भू0पू0 सदस्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मौजूदा सदस्यों की बात कह रहा हूं जो हम लोगों को गनर दिये गये हैं जब जिले का एस0एस0पी0 बदलता है तो ऐसे गनर शैडो को वापस बुलाकर वहां हाजिरी देनी होती है । यह किस अधिकार के तहत है मुझे 1990 से गनर मिला हुआ है । जब जिला बुलन्दशहर में कोई नया एस0एस0पी0 आता है तो आदेश आते हैं गनर को कि हाजिरी दें फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनको कन्टीन्यू कर दें अभी कल ही हमारे यहां नये एस0एस0पी गये हैं जिला बुलन्दशहर में गनर को वापस करने के आदेश कर दिये गये हैं । यह किस अधिकार व नियम के तहत है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य की यह व्यक्तिगत समस्या है, मैं चाहूंगा माननीय गृह राज्य मंत्री जी आप माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुलाकर इनकी समस्या का समाधान करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

ठी है, मैं इसको दिखवा भी लेता हूं ।

डा0 दिनेश जौहरी-

माननीय, किन-किन भू0पू0 माननीय मुख्य मंत्रियों को क्या-क्या सुविधा प्रदान की गयी है शैडो, गनर आदि की , यह बताने का कष्ट करें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उसमें मान्यवर विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है, कुछ लोगों को केन्द्र सरकार ने जेड कैटिगरी के भीतर रखा है उन्हें जेड केटिगरी की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध है । उत्तर प्रदेश के एक भू0पू0 मुख्य मंत्री को केन्द्र के द्वारा ब्लेक कैट कमांडो दिये गये हैं वह केन्द्र सरकार की व्यवस्था है ।

डा0 दिनेश जौहरी-

प्रदेश ने क्या-क्या दिया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश के द्वारा, जो जेड कैटीगरी के लिए अनुमन्य हैं, उन्हें जेड कैटीगरी की सुविधा दी गयी है ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

वर्तमान एवं पूर्व सरकार के चार माह के कार्यकाल में प्रदेश में हुई हत्याओं का तुलनात्मक विवरण

*1.-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई सरकार के कार्यकाल में हत्याओं की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 91 व जनवरी, 92 के चार माह में प्रदेश में हुई हत्याओं व इन्हीं चार माहों में पूर्व सरकार की कार्यकाल में हुई हत्याओं का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? हत्याएं रोकने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं, हत्याओं की घटनाओं में आंशिक वृद्धि हुई ।

माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1991 व जनवरी 1992 के चार माह व वर्ष 1990 के इन्हीं माहों की हत्या संबंधी तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
1990-1991	1990-91	1990-91	1991-92
705-805	688-642	730-654	588-627

हत्याओं की रोकथाम हेतु संबंधित जनपद व परिक्षेत्रों के पुलिस अधीक्षकों व उप महानिरीक्षकों को पंजीकृत अभियोगों की त्वरित विवेचना करने व अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार करने के समुचित निर्देश दिये गये हैं ।

(श्री भगवती सिंह विशारद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री विशारद जी आप कृपया बैठ जायें, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री श्याद अली-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें, यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । श्री हृदय नारायण दीक्षित जी कृपया अपना प्रश्न करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार के चार माह के कार्यकाल में हत्याओं में वृद्धि हुई है । मान्यवर, इसमें वह माह भी शामिल हैं जिसके लिए यह कहा करते थे कि नरसंहार हुआ करता था तो उस नरसंहार को जोड़कर पुरानी और नयी सरकार की तुलना की जाये तो भी इसमें वृद्धि हुई है। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हत्याएं बढ़ रही हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रिवेन्टिव उपाय किये गये हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, पहले तो माननीय सदस्य के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा कि 1990-91 का जो अन्तर है जिसकी कार्यावधि की चर्चा पुरानी और नयी सरकार की की गयी है, उसमें हत्याओं की संख्या में 17 की वृद्धि हुई है । 2711 हत्याएं वर्ष 1990-91 में हुई थी तथा 1991-92 में 27, 28 हत्याएं हुई जोकि 17 का अन्तर है । इसमें रुद्रपुर जैसी घटनाएं भी शामिल हैं । हम लोगों ने यह अध्ययन किया है, पिछले दिनों में हत्याओं को पंजीकृत नहीं किया जाता था, हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि चाहे किसी भी प्रकार की हत्या हो उनका पंजीकरण कराया जाये । यह हमने सुनिश्चित किया है फिर भी जो 17 की वृद्धि हुई है उससे यह सरकार चिन्तित है और उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने आग्रह किया है और पुलिस अधीक्षकों व उप महानिरीक्षकों को पंजीकृत अभियोगों की त्वरित विवेचना करने व अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के समुचित निर्देश दिये गये हैं और उसे सुनिश्चित करें । हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित कराया है कि निचले स्तर पर जैसे इन्सपेक्टर लेबिल पर, थानाध्यक्ष लेबिल पर इस बात का संज्ञान करें । आम तौर पर जो हत्यायें होती हैं, वह सम्पत्ति के विवाद में और कुछ महिलाओं के प्रकरण से होती हैं । इसके लिए थानाध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि वह अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतें और घटना का आंकलन करके प्रभावी कार्यवाही करें ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हत्याओं का कारण मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हत्याओं के कारणों की जो भी सूची है, उसमें से कितनी हत्यायें राजनीतिक कारणों से हुयी हैं और कितनी हत्यायें अन्य विवादों के कारण हुयी हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, राजनीतिक कारणों से कोई भी हत्या नहीं हुयी हैं । माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने प्रश्न को अपने ढंग से प्रस्तुत करके एक आरोप लगाने की कोशिश की है ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पिछली सरकार के समय में अभियोग पंजीकृत नहीं होते थे । मान्यवर, आप विधिवेत्ता हैं । जो अभियोग पंजीकृत होते हैं, उसमें विवेचनाधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई एडीशन या आल्ट्रेशन करने का कोई अधिकार है, यदि नहीं तो मेरी सूचना को सही मानकर उसकी जांच करायेंगे और जिस विवेचनाधिकारी ने इस तरह का एडीशन/आल्ट्रेशन करने का प्रयास किया है, उसे दंडित करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, विवेचना भारतीय दंड संहिता और पुलिस रेगुलेशन प्राविधानों के तहत होती है, इसकी एक निश्चित व्यवस्था है और जिस तरह के साक्ष्य विवेचना के दौरान पाये जाते हैं, उसी के आधार पर उसमें कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है । यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष प्रकरण में कोई कठिनाई है तो हम, लिखकर देने पर जांच करा लेंगे ।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में कह रहा हूं, विवेचना के बारे में नहीं कह रहा हूं । मेरी जानकारी के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी प्रकार का एडीशन या आल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है और यदि किसी के द्वारा किया जाता है, तो यह दंडनीय अपराध है । मैं इसकी सूचना देना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्थान है, अहलौली उसकी मैं सूचना दूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप सूचना दे दीजिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, वादी द्वारा जिस प्रकार की सूचना दी जाती है, उसी प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होती है, उसमें किसी प्रकार का हेर-फेर करने का कोई कारण नहीं है । कोई विशेष प्रकरण हो, तो आप लिखकर दे दें, हम जांच करा लेगें ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पहले अपराध लिखे नहीं जाते थे, इसकी वजह से अब अपराध बढ़ गये हैं, क्योंकि अब पंजीकृत किये जाते हैं । मैं पुछना चाहता हूं कि जो अधिकारी/कर्मचारी इन अपराधों को नहीं लिखता था, उनके खिलाफ यह शासन क्या कार्यवाही करेंगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, यदि कोई लिखित प्रकरण हमारे संज्ञान में लाया जायेगा, उसकी अवश्य जांच करायेंगे ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, माननीय सदन में पिछले मंगलवार को एक प्रश्न किया गया था, उसमें यह था कि 8 जुलाई, 1991 से लेकर 30 नवम्बर, 91 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अपराधों की बढ़ोत्तरी का कारण क्या है, जवाब आया कि पहले अभियोग पंजीकृत नहीं होते थे, अब होते हैं, इसलिए मालूम होता है कि अपराध बढ़े हैं, तो मान्यवर, पहले जो अपराध लिखे नहीं जाते थे, इस मामले की जांच कराकर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, बुलन्दशहर में चुनाव के दौरान 4 हत्यायें हुयी थीं, उनको पंजीकृत नहीं किया गया था और उसी आधार पर वहां के पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित भी किया गया था, यह मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, ट्रांसफर करना तो कोई दंड नहीं है । जो आदमी अभियोगों को पंजीकृत नहीं कर रहा है, वह दंडनीय अपराध कर रहा है । आप यह कहकर अपनी बला टाल देते हैं कि पहले अभियोग पंजीकृत नहीं होते थे । मैं जानना चाहता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा कि कोई बात हो तो उसको वह उनके संज्ञान में ले आयें तो उस पर वह कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बुलन्दशहर में चार हत्यायें हुई और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी । क्या यह सही नहीं है कि उन्हें रिपोर्ट नहीं लेखाने दी गयी थी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकरण पर जांच कराई जा रही है । वह कौन से कारण थे, जिनकी वजह से इन हत्याओं का पंजीकरण नहीं हुआ ।

श्री भगवन्त प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराधों का पंजीकरण नहीं हुआ करता था, इसका आधार क्या है । दूसरा, किन-किन अपराधों का पंजीकरण नहीं हुआ ? क्या उन अपराधों का पंजीकरण पुनः कराया जायेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जिस तरह के लोगों के वहां पर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्दर जो अवधि निर्धारित है, अगर उस सीमा की अवधि के अन्दर कोई मामला आता है, तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार के संज्ञान में ऐसी तमाम लाशें लावारिस पड़ी रहती थी, जिनका पंजीकरण नहीं किया जाता था । एक प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप है । मान्यवर, मैंने जिन 4 माहों का विवरण जानना चाहा है, क्या उन चार माहों की अवधि में कितने ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आये, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, परन्तु वे हत्यायें हुई थी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंने तो उदाहरण के रूप में एक मामला रखा था ।

वर्तमान सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की जानकारी

*2-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में कितने और कौन से उद्योग लगाये गये और कौन से उद्योग बंद हो गये ? क्या बीमार उद्योगों को बचाने हेतु कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? नये लगाये गये उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है ?

श्री मयंकर सिंह-

वर्तमान सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में स्वयं कोई उद्योग नहीं लगाया गया है, इस प्रकार किसी उद्योग के बंद होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्योंकि वर्तमानसरकार द्वारा कोई नये उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं अतः किसी उद्योग का रूग्ण होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।
प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, प्रदेश में बढ़ती बेगारी और बेरोजगारी की गम्भीरता को देखते हुए मैं वर्तमान सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या निजी क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति तय की है । यदि हां, तो वह क्या है । दूसरा, उद्योग लगाने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को मार्जिन मनी दिये जाने की अधिकतम सीमा क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मानीय सदस्य के पहले भाग का आप उत्तर दे दीजिए । दूसरे भाग के लिए माननीय सदस्य अलग से प्रश्न दें क्योंकि इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि सरकार ने स्वयं कितने उद्योग लगाये हैं और दूसरा अनुपूरक प्रश्न किया है कि निजी क्षेत्र में उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए कौन सी सुविधा दे रहे हैं । तो मान्यवर, यह मूल प्रश्न में नहीं पूछा गया है ।

श्री अध्यक्ष-

तो आप कहें कि हमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मयंकर सिंह-

वही कह रहा हूं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैं जानना चाहता था कि निजी क्षेत्र में उद्योग लगाने की बहुत आवश्यकता है उसको देखते हुए मैंने प्रश्न किया था लेकिन प्रश्न का स्वरूप ही टूट-फूट गया मुझे इसका दुख है ।

श्री अध्यक्ष-

आप इसके लिए अलग से प्रश्न कर लीजिए यह प्रश्न इसकी परिधि में नहीं आता है या फिर जब श्रम विभाग की अनुदानों पर चर्चा होगी उस पर कह लीजिए ?

श्री मातवर सिंह कंडारी-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि उत्तरांचल पिछड़ा क्षेत्र है तो क्या सरकार उत्तरांचल में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगानेका प्रयास कर रही है जेसे कागज और सीमेंट उद्योग के लिए वहां पर्याप्त सामग्री, उपलब्ध है तो क्या सीमेंट और कागज उद्योग वहां लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह-

वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार उद्योग लगाने पर विचार नहीं कर रही है ।

श्री नन्द राम-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में चल रहे हैं उसमें उद्योग लगाने का निर्णय लिया है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न में नहीं आता है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप-

मैं जानना चाहता हूं देवरिया जनपद जहां औद्योगिक आस्थान प्रस्तावित है और विद्युतीकरण के अभाव में वहां उद्योगपति छोटे-छोटे उद्योग नहीं लगा रहे हैं तो ऐसे प्रस्तावित आस्थानों पर उद्योग लगाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अलग से प्रश्न करें ।

डा0 दिनेश जौहरी-

प्रदेश में बहुत सारे उद्योग लगाने की आवश्यकता है माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में कोई उद्योग लगाने का विचार नहीं है तो यह निर्णय कब लिया और क्यों किया गया ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, सरकार ने यह कहीं नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं लगेंगे । सरकार खूब उद्योग लगाना चाहती है लेकिन निजी क्षेत्र में । तो निजी क्षेत्र में जो उद्योग लगायेंगे उनको सरकार सहयोग कर ही है । सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार उद्योग लगाने पर विचार नहीं कर रही है ।

श्री भागवत पाल-

मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश में तमाम ऐसी जगहों पर सरकार द्वारा समय-समय पर काफी धन उद्योग लगाने के लिए खर्च किया गया हमारे यहां मिर्जापुर में मोहनपुर में कोयले पर आधारित उद्योग लगाने, धातु पर आधारित कारखाना लगाने के लिए लाखों रुपया पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, आने-जाने की सुविधा आदि में तथा बिजली आदि में लाखों रुपया खर्च किया जा चुका है । तो क्या सरकार कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाने जा रही है जहां पर पहले सरकारी पैसा खर्च हो चुका है वहां पर उद्योग लगाने में प्राथमिकता देंगे ।

श्री मयंकर सिंह-

उस पर विचार कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री भरत सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

पहले मैंने श्री भरत सिंह जी को अनुमति दी है ।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है । बेरोजगारी के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है । आज पूर्वांचल के लोग बेरोजगारी के कारण कलकत्ता और बम्बई की सड़कों पर दर-दर की ठोंकरे खा रहे हैं । जब से यह बी0जे0पी0 की सरकार आई है आठ-नौ महीने पश्चात् भी अभी तक पूर्वांचल में कहीं भी निजी क्षेत्र में कोई भी कल-कारखाने खोलने की बात नहीं की गई है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पूर्वांचल में निजी क्षेत्र में कोई कारखाना कहीं स्वीकृत हुआ है या खोलने का प्रस्ताव है ? मान्यवर यह बलिया जनपद भी बहुत पिछड़ा हुआ है । आज बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, इन जगहों में कहीं भी निजी क्षेत्र में छोटे-मोटे कारखाने खोलने की बात नहीं की गई है । नहीं की गई है, तो क्यों ? पूर्वांचल को यह सरकार उपेक्षित कर रही है ।

श्री अध्यक्ष-

श्री भरत सिंह जी, आपने चार जिलों में निजी क्षेत्र में कोई कारखाना खोलने के प्रयास की बात कही है । निजी क्षेत्र में किसी उद्यमी द्वारा कारखाना खोलने की बात हो तो माननीय मंत्री जी उसके बारे में बतायेंगे । मूल प्रश्न में यह बात नहीं आती ।

(घोर व्यवधान)

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जिले हैं ....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह नये सदस्य हैं, इनको मौका दे दें ।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग राज्य मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल के यह चार-पांच सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं । इन जिलों के विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए .....

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक है, यह प्रश्न आप करें ।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, इन जिलों के विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए निजी क्षेत्र में नये कारखाने खोलने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कोई बात सरकार द्वारा कही गई है या नहीं ?

श्री मयंकर सिंह -

मान्यवर, विद्वान सदस्य की जिज्ञासा और पीड़ा पूर्वांचल के विकास के लिए है, यह तो बिल्कुल सही बात है और यह सरकार भी पूर्वांचल के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है । जो भी निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना चाहेगा सरकार की पूरी शुभकामनाएं पूरा सहयोग रहेगा ।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष -

कुंवर अखिलेश जी, एक प्रश्न करने की अनुमति दूंगा ।

श्री अखिलेश -

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह उद्योग के क्षेत्र में महराजगंज क्षेत्र को उद्योग शून्य जनपद घोषित करने की कृपा करेंगे । निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन की बात क्या है,जो जनपद उद्योग शून्य हैं उन्हें उद्योग शून्य घोषित किये बगैर शासन से मिलने वाली सहायता जो कुटीर उद्योग लगाने के लिए प्राप्त होती है उन्हें प्राप्त नहीं होगा । पूर्वांचल के विकास के लिए उद्योग के विकास के संदर्भ में इनकी नीयत साफ है तो मेरी निश्चित जानकारी है कि महराजगंज जनपद उद्योग शून्य है, तो क्या महराजगंज जनपद को उद्योग शून्य जनपद घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री मयंकर सिंह -

माननीय सदस्य की भावनाओं से और जिज्ञासा से मैं पूरी तरह सहमत हूं महराजगंज को उद्योग शून्य घोषित होना चाहिए इसमें जो यह प्रयास करेंगे, उसमें हमारी सरकार और हम पूरा सहयोग करेंगे । यह केन्द्र सरकार से संबंधित है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष -

मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुला लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दस महीने हो गये सरकार बने, दस महीनों में नयी उद्योग नीति क्या सरकार ने घोषित की है ? अगर की है तो नयी उद्योग नीति क्या है ? इसमें जो पिछड़े जिले हैं चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे पहाड़ी अंचल के हों, उनको विशेष सुविधा देने के लिए किन-किन जिलों को उसमें रखा गया है । कृपया जो बिन्दु मैंने पूछे हैं उन पर मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें ।

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, सर्वसम्मानित नेता विरोधी दल का प्रस्ताव शिरोधार्य है यद्यपि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन उद्योग विभाग का बजट जब प्रस्तुत होगा तो मैं माननीय नेता विरोधी दल कें प्रश्न को शिरोधार्य करते हुए इसमें अवगत करा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री से जानना चाहता हू कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आगरा में कोई उद्योग क्यों नहीं लगाए गये हैं ? अगर आगरा में उद्योग लगाए जायेंगे तो जल्दी से जल्दी कब तक लगाए जायेंगे ? अगर नहीं लगाये जायेंगे तो क्यों नहीं लगाये जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, जो गोरखपुर का खाद कारखाना बंद है उसको चालू कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किन-किन बिन्दुओं को केन्द्र सरकार को भेजा गया है । गन्ना मिलें बन्द हो गई हैं उन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? गोरखपुर में कारखानें होने की वजह से वहां और उद्योग नहीं लागए जाते हैं, तो उन कारखानों के बंद होने के बाद क्या सरकार गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी का प्राविधान करेगी ? जो कल कारखानें बंद हैं उनके लिए किन-किन युक्तियों को केन्द्र सरकार को भेजा गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बहुत व्यापक प्रश्न किया है ।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, मेरा नीतिगत प्रश्न है कि वहां कौन-कौन से उद्योग बंद हैं और सरकार इनको चलाने के लिए क्या व्यवस्था कर ही है ? मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित हैं ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने यह नहीं कहा कि आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । मैंने कहा कि आपका प्रश्न बहुत व्यापक है ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के खाद के कारखाने को चालू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन-कौन सी संस्तुतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो वहां की तमाम जर्जर गन्ने की मिलें हैं वह बंद हो गयी हैं उनको चलाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा को देखते हुए, माननीय सदस्य की गोरखपुर के खाद कारखाने से संबंधित तमाम अन्य कुछ समस्यायें हैं । माननीय सदस्य मेरे पास आ जायेंगे उनके जो-जो सुझाव होंगे उनका आदर करते हुए उनका स्वागत करते हुए उन समस्याओं को दूर करूंगा ।

(ता0प्र0 सं03 पुकारे जाने पर)

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था मुझे प्रश्न करने की अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं नत्थी-ख के दूसरे प्रश्न के बारे में कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

एक घंटा ।2 मिनट में केवल 4 प्रश्न हुए हैं । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, बड़ा आवश्यक प्रश्न है । अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

बहुत अनुपूरक प्रश्न, आवश्यक होते हुए भी उनकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि मेरे सामने लम्बी सूची है । मैं चाहता हूं कि और प्रश्न भी आ जायं ।

श्री श्याम देव राय चोधरी-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायगा, मैंने अनुमति नहीं दी है ।

सचिवालय भत्ता की धनराशि को आयकर में सम्मिलित न करने की मांग

*3-श्री भरत सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सचिवालय के कतिपय संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या स0-वे0आ0-2।28/दस-।982-42 (एम)/80, दिनांक ।0 जून, ।982

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

द्वारा तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-7152/20-ई-1-88-5151)/88, टी0सी0 दिनांक 27-10-88 द्वारा विशेष सचिवालय भत्ता जो समय-समय पर बढ़ाया गया है, "कन्वेन्स एलाउन्स" के रूप में दिया जाता है ? यदि हां,तो क्या आयकर निर्धारण में इस विशेष भत्ते की धनराशि को सम्मिलित किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि ऐसे वाहन भत्ते आयकर अधिनियम 1961 की धारा-89 की उपधारा- (v) के अनुसार आयकर के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष 1991-92 में राज्य सचिवालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस भत्ते को कर योग्य आय में सम्मिलि न किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

प्रश्नगत विशेष भत्ता सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस शर्त के साथ अनुमन्य किया गया है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न भवनों में स्थित सचिवालय के किसी विभाग में आने-जाने के लिये कोई सवारी व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।

जी हां । इस विशेष भत्ते की धनराशि आयकर निर्धारण में सम्मिलित की जा रही है ।

प्रश्नगत विशेष भत्ते को आय की गणना में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश दिनांक 17 जनवरी, 1992 को शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिवों को भेजे गये थे । इसके उपरान्त आयकर विभाग द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गयी कि यह सचिवालय भत्ता, चाहे यह किसी भी रूप में माना गया हो, करमुक्त नहीं है । उपरोक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय प्रशासन द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 1992 को पारित किये गये आदेश दिनांक 11 फरवरी, 1992 को निरस्त कर दिये गये ।

विशेष भत्ते के कराधान से सम्बन्धित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (14) है, न कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा-89 की उप धारा (v) है प्रश्नगत विशेष भत्ते को आयकर अधिनियम, 1961 के प्राविधानों के अंतर्गत करमुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है । उनका निर्देश व निर्णय प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(मंत्री जी द्वारा प्रश्न पढ़ना आरम्भ करने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा है । इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो एलाउंस दिया जाता है उस पर आयकर नहीं लगना चाहिए । सरकार भी मान रही है कि इस पर आय कर नहीं लगना चाहिए और केन्द्र सरकार को इस बारे में लिखा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर स्पष्ट आदेश करेगी अथवा नहीं ।

न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 17 जनवरी का जो शासनादेश था वह सभी सचिवों को भेजा गया था और कहा गया था कि जो विशेष भत्ता है उसको आयकर में न जोड़ा जाय । यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था । सम्भवतः किन्हीं कारणों से आयकर आयुक्त ने इसकी नोटिस लिया और उसके सम्बन्ध 3-4-92 को शासन को अवगत कराया कि यह जो विशेष भत्ता है यह आयरक की सीमा में आता है और आयकर की गणना के लिए इसको आय में जोड़ा जायगा । इसीलिए 17 जनवरी का जो शासनादेश था वह प्रभावित नहीं हुआ । आयकर आयुक्त का पत्र दिनांक 3-4-92 को मिला तो दिनांक 4-4-92 को भारत सरकार को स्ष्टीकरण जानने के लिए शासन स्तर से लिखा गया । आयुक्त ने शासन के विपरीत निर्णय दिया इसलिए भारत सरकार को स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया है ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

डी0आर0डी0ए0 के सैदपुर इकाई गाजीपुर में सहायता की धनराशि में भारी अनियमितताओं का मामला

*1.-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में डी0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत सैदपुर इकाई, जनपद-गाजीपुर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से किये गये 57910 रुपये की अनाधिकृत आहरण के सम्बन्ध में चार अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है । यदि हां, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि यह रुपया बैंक में किसी कर्मचारी ने जमा कर दिया है तो कब और किस आधार पर ? क्या यह धनराशि उस समय जमा की गई, जबकि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, तात्कालिक उप कृषि निदेशक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी ? यदि हां, तो निलम्बित कर्मचारियों को किस सीमा तक दोषी पाया गया है ? यदि दोषी पाया गया, तो इन्हें कब तक बहाल किया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न स्थगित है ।

(मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

ग्रामीण एवं गरीब अंचलों के लोगों का शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन को रोकने की योजना की जानकारी

*1-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण एवं गरीब किसानों का ग्रामीण अंचलों से शहरों की तरफ पलायन को रोकने हेतु ग्रामीण एवं लघु उद्योग की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या होगी ? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मयंकर सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु अनेकों योजनायें चलायी जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु शासनसतत् प्रयासरत है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं विगत एक वर्ष से देहातों से कितने लोगों का शहरों की तरफ पलायन हुआ है और इस पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)-

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन एकदम असम्बद्ध मूल प्रश्न से नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर मैं जानना चाहता हूं कि रोजगार के लिए कितने लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन हुआ है और इस पलायन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री मयंकर सिंह-

मान्यवर, जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

उ0प्र0 सरकार के सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त साप्ताहिक अखबारों को विज्ञापन दिये जाने विषयक नीति

*2-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 सरकार के सूचना विभाग द्वारा विज्ञापनों के लिए मान्य साप्ताहिक अखबारों को विभिन्न विभागों द्वारा विज्ञापन जारी करने की क्या रीति है ? क्या विभाग राज्य स्तर/जिला स्तर पर अपने स्तर से अखबारों का चयन करते हुए स्वयं अपने विभाग के विज्ञापन इच्छित अखबारों को देने हेतु अधिकृत हैं ? यदि नहीं, तो जिला स्तर पर सूचना कार्यालयों द्वारा, मान्य समाचार पत्रों की सूची के अनुसार क्रम से सभी विभागों के विज्ञापन दिलाने/दिने की मान्य नीति के क्रियान्वयन में क्या अड़चन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रदेश के सूचना विभाग द्वारा विज्ञापनों के लिए मान्य साप्ताहिक समाचार पत्रों को विभिन्न विभागों के विज्ञापन सामान्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर दिये जाते है:-

-शासकीय विज्ञापन यथा सम्भव बिना एजेन्सी के माध्यम से प्रसारित किये जायें ।

-स्वीकृत समाचार पत्रों को डी0ए0वी0पी0 के विज्ञापन दरों (यदि हैं) का लाभ अनुमन्य है, अन्यथा विभागीय दर देय है ।

सप्ताहिक के प्रवेशांक के लिए अनुरोध पर एक हजार पांच सौ रुपया तक की धनराशि का विज्ञापन दिया जाता है ।

साप्ताहिक समाचार पत्रों को एक वर्ष में यथासम्भव वर्गीकृत विज्ञापनों सहित दस पृष्ठ विज्ञापन जारी किये जाने का प्रयास किया जाता है ।

केवल सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग ही इस हेतु अधिकृत है । अन्य विभागों को सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के माध्यम से विज्ञापन जारी कराने के निर्देश हैं ।

सूचना कार्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी किये जाने से प्रदेश के सभी समाचार पत्रों को विज्ञापन वितरण तथा भुगतान में समानता एवं एकरूपता न आ सकेगी ।

इससे प्रदेश के समाचार पत्रों में असन्तोष होने की सम्भावना है । जिला स्तर से विज्ञापन निर्गत होने पर राज्य स्तरीय तथा नई दिल्ली व प्रदेश से बाहर के समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन निर्गमन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । जिससे अनावश्यक रूप से अपेक्षाकृत अधिक व्यय होने की सम्भावनायें होंगी । जिला स्तर पर विज्ञापन मद का बजट आवंटित किये जाने में भी व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होगीं । इसी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय विज्ञापनों का केन्द्रीकरण किया गया था ।

(मंत्री जी के प्रश्न पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ माने लेते हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, हमारा मूल प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा विज्ञापनों के लिए मान्य साप्ताहिक अखबारों को विभिन्न विभागों द्वारा विज्ञापन

जारी करने की क्या नीति है ? इसका उत्तर देखने की कृपा करें, उत्तर दिया गया है कि सूचना विभाग कैसे विज्ञापन देता है ? इसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या विभाग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर अपने स्तर से अखबारों का चयन करते हुए स्वयं अपने विभाग के विज्ञापन इच्छित अखबारों को देने हेतु अधिकृत हैं ? इसका उत्तर आया है कि केवल सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग ही इस हेतु अधिकृत है । अन्य विभागों को सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के माध्यम से विज्ञापन जारी कराने के निर्देश हैं । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर सम्बन्धित विभाग सीधे विज्ञापन देते हैं और जिला स्तर पर सीधे विज्ञापन दिया जाता है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिला और राज्य स्तर पर सूचना विभाग के माध्यम से विज्ञापन जारी कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, शासन की नीति विज्ञापन देने के सम्बन्ध में यह है कि राष्ट्रीय बचत निदेशालय और लाटरी निदेशालय को छोड़कर अन्य चाहे राज्य स्तर के विभाग हों या जिला स्तर के, शासन की नीति है कि सभी विज्ञापन सूचना निदेशालय के माध्यम से ही दिये जायेंगे । अन्य विभाग सीधे नहीं दे सकते, ऐसा नियम है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जिन्होंने सीधे विज्ञापन जारी किये हैं, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

किसी विभाग द्वारा नियमों और नीति का उल्लंघन किया जाता है तो शासन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कार्यवाही होगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जो विज्ञापन बिना सूचना विभाग के माध्यम के सीधे जारी कर दिये जाते हैं, क्या सरकार इसकी समीक्षा करेगी कि ऐसे विज्ञापन किन-किन विभागों द्वारा दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसकी समीक्षा करवा लें ।

मैं विपक्ष के तमाम माननीय नेताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि नियम 311 की सूचना के बारे में प्रश्नकाल के पहले मैंने उल्लेख किया था कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद 311 की सूचनाओं को ले लूंगा, 300, 301 की सूचनाओं के पहले ले लूंगा । आज निधन के निदेश हैं, उसको ले लूं, उसके बाद ले लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, निधन के निदेश, 301, 300 ले लें, उसके बाद 311 ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-3, निधन के निर्देश ले रहा हूं ।

नोट:-नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक मिनट में बात समाप्त हो जायगी, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

पहले निधन के निदेश हो जाने दें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव है कि आजकल हर विभाग के बजट चल रहे हैं। एक-एक विभाग का बजट आ रहा है । यहां बहुत से नये सदस्य चुनकर आए हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याएं बजट में रखना चाहेंगे । श्रीमन् मेरा ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से पार्क हेतु प्राप्त भूमि को आवासीय कालोनी आशियाना में प्रयोग का मामला

*3-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त आवासीय कालोनी (आशियाना) के लिए भूमि पर प्राधिकरण से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप पार्कों, हरित क्षेत्रों का निर्माण एवं उन्नयन कार्यरत विल्डर "अंसल्स" द्वारा नहीं कराया जा रहा है, अपितु पार्क एरिया को भी आवासीय भूमि दरों पर बेचा जा रहा है और नक्शों में कुल भूमि के "9 प्रतिशत को पार्क हेतु" सुरक्षित बताया जा रहा है जो भौतिक परीक्षण पर मात्र लगभग 3 प्रतिशत ही आयेगा ? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे भवन निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

मैं अंसल्स द्वारा आवासीय कालोनी आशियाना के सेक्टर जे,के, के-। एम एवं एन में विकास कार्य प्रगति पर है । इन सेक्टरों का मौके पर सर्वेक्षण कराया गया, जिसके अनुसार तलपट मानचित्र में दशयि गये पार्कों का क्षेत्रफल मौके पर उपलब्ध है । सेक्टर एम-। व एन-। में विकास कार्य नहीं हुआ है तथा पूर्ण क्षेत्रफल रिक्त है । पार्क एरिया का आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रय किये जाने की सूचना प्रकाश में नहीं आई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना की मांग

*4-श्री राम लखन-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 8 अगस्त, 1991 को बुन्देल खण्ड राज्य निर्माण संघर्ष समिति की ओर से बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना की मांग को लेकर विधान भवन के समक्ष धरने का आयोजन किया गया जिसमें अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जन प्रतिनिधि एवं पत्रकार भी सम्मिलित हुए ? यदि हां, तो इस औचित्यपूर्ण मांग को न माने-जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

बुन्देलखण्ड राज्य की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 8 अगस्त, 1991 को विधान भवन के समक्ष धरना नहीं दिया गया । उक्त तिथि को बुन्देलखण्ड राज्य बनाये जाने की मांग को लेकर 15-20 लोगों द्वारा एक धरना जी0पी0ओ0 पार्क स्थित गांधी प्रतिमा के पास दिया गया था । इसमें किस वर्ग विशेष के लोग सम्मिलित थे, ज्ञात नहीं है ।

प्रदेश सरकार उत्तरांचल राज्य की स्थापना के अतिरिक्त प्रदेश के और विभाजन/पुनर्गठन के पक्ष में नहीं है ।

सीमेंट निगम को सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र में रखने, उत्पादन बढ़ाने और सुधार लाने की नीति की जानकारी

*5-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट निगम के कारखाना को सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र में रखने का सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है ? इन कारखानों में उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनायी है ? क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को प्रबन्धकीय व्यवस्था में सुधार लाकर सीमेंट के मूल्य को कम किया जावेगा, जिससे निजी क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा असामान्य रूप से बढ़ाये गये सीमेंट के मूल्यों को प्रतिस्पर्धा के कारण कम किये जाने तथा एकाधिकार समाप्त होने के अवसर उत्पन्न हो सकें ?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 11-10-91 से सीमेंट निगम के 49 प्रतिशत अंशकों को अधिग्रहण करके निगम को पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में ले लिया गया है । यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

निगम द्वारा संचालित सीमेंट कारखानों में उत्पादन बढ़ाने व इनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु योजना बनाने के लिए निगम को निर्देश दे दिये गये हैं । इस योजना के लागू होने के उपरान्त सीमेंट उत्पादन में वृद्धि एवं उत्पादन लागत में कमी अपेक्षित है ।

अग्निशमन विभाग के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का वेतनमान पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टर के बराबर किये जाने की मांग

*6-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्नि शमन विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों का वेतनमान पुलिस विभाग के समकक्ष पदों के बराबर है तथा मात्र अग्निशमन द्वितीय के अधिकारियों का वेतनमान ही पुलिस विभाग के समकक्ष सबको इन्सपेक्टर के वेतन से कम है ? इसका कारण क्या है ? यह अन्तर कब तक दूर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

अग्निशमन विभाग के सभी स्तर के अधिकारियों का वेतनमान पुलिस विभाग के समकक्ष पदों के बराबर नहीं है । कुछ समकक्ष पदों के वेतनमानों में भिन्नता है । अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों का वेतनमान पुलिस विभाग के समकक्ष पद सब इन्सपेक्टर के वेतनमान से कम है । वेतन समता समिति 1989 की संस्तुतियों के आधार पर दोनों पदों के लिए रु0 1400-2300 का वेतनमान स्वीकृत किया गया था । बाद में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टर का वेतनमान पुनरीक्षित करके रु0 1640-2900 कर दिया गया । अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का वेतनमान पुलिस विभाग के सब-इंस्पेक्टर के समान पुनरीक्षित किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर, बूड़ागांव, मिर्जामुराद, रोहनियां आदि थानों में अग्नेयास्त्र लाइसेंसों हेतु लम्बित प्रार्थना पत्रों का विवरण

*7-श्री ऊदल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, बूड़ागांव, मिर्जामुराद, रोहनियां तथा वाराणसी जिले के अन्य थानों के द्वारा बन्दूक राइफल रिवाइल्वर के लाइसेंस की कितनी दरख्वास्तें, सन् 88 से लेकर अक्टूबर, 91 तक लम्बित पड़ी हैं? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उनमें पचासों प्रार्थना पत्र ऐसे हैं जिनके घरों पर डकैतियां पड़ी हैं ? उनको अब तक लाइसेंस न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और जरूरतमंदों को असलहों का लाइसेंस देगी और लाइसेंस देने के नियमों को उदार बनायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित अवधि में थाना फूलपुर में 8, थाना बूड़ागांव में 10, थाना मिर्जामुराद में 8, थाना रोहनियां में 8, तथा अन्य थानों में 281 (कुल 315) शस्त्र लाइसेंसों की दरख्वास्तें जांच हेतु लम्बित हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार डकैती प्रकरण के अन्तर्गत थाना फूलपुर में 5, थाना बूड़ागांव में 2, थाना मिर्जामुराद में 2, थाना रोहनियां में 3 तथा वाराणसी जिले के अन्य थानों से संबंधित 35 (कुल 47) आवेदन पत्रों की जांच पुलिस द्वारा कराई जा रही है । पुलिस की आख्या प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

शासन द्वारा लाइसेंस नीति को उदार बनाने का निर्णय लिया गया है । इस निर्णय के अनुसार नागरिकों को आत्मरक्षार्थ एक शस्त्र का लाइसेंस स्वीकृत करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों को प्रदान कर दिया गया है ।

बेरली में हवाई पट्टी बनाये जाने की मांग

*8-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली में हवाई पट्टी बनाये जाने की संस्तुति केन्द्रीय सरकार से की है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

बरेली में भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा विद्यमान है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना की अनुमति से नागर विमानन सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है ।

परमाई लाल जनता विद्यालय, शुक्लापुर, जनपद हरदोई द्वारा 2/3 अक्टूबर, 1991 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में जानकारी

*9-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि परमाई लाल जनता विद्यालय, शुक्लापुर बदौली, जनपद हरदोई में दिनांक 2/3-10-91 की रात्रि में कतिपय अपराधी तत्वों द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को मारने के उद्देश्य से खिड़की दरवाजे तोड़ डाले जिसकी एफ0आई0आर0 थाना बेनीगंज में दिनांक 3-10-91 से प्रधानाचार्य द्वारा लिखाई गयी ? यदि हां, तो उपर्युक्त धरना से सम्बन्धित अब तक कितने लोगों को किस-किस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । दिनांक 3-10-91 को प्रधानाचार्य, परमाई लाल जनता जूनियर हाई स्कूल, शुक्लापुर बदौली, हरदोई की लिखित सूचना के आधार पर अहस्तक्षेपीय चिक संख्या 165 धारा 427 पंजीकृत किया गया । जांच से मामला अहस्तक्षेपीय अपराध होने के कारण उसकी विवेचना नहीं की गयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की सुरक्षा में अधिक पुलिस कर्मी लगाये जाने की शिकायत

*10-श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की व्यक्तिगत सुरक्षा में 65 पुलिस कर्मी नियुक्त हैं जिनका कार्य केवल उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा करना है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

इलाहाबाद जनपद के द्वाबा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थल कौशाम्बी, पभोसा तथा कड़ा को पर्यटन स्थल बनाये जाने की मांग

*।।-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के द्वाबा क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक स्थल कौशाम्बी, पभोसा तथा कड़ा को पर्यटन केन्द्र बनाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों द्वारा उक्त स्थलों के विकास हेतु कोई कार्यक्रम विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)-

पर्यटन विभाग के अधीन इलाहाबाद जनपद के द्वावा क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक स्थल कौशाम्बी, पभौसा तथा कड़ा को पर्यटन केनद्र बमाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है बल्कि उक्त स्थलों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (।990-95) में कौशाम्बी में एक 20 शैयायुक्त यात्री निवास का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है जिस पर धन की उपलब्धता होने की दशा में यथा समय विचार किया जायेगा ?

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री चन्द्रपाल,आई0ए0एस0 के यहां सतर्कता विभाग द्वारा डाले गये छापे का विवरण

*।2-श्री श्रीराम चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र पाल, आई0ए0एस0 के घर पर किसी प्रकार छापा डाला गया था ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयी हे ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री चन्द्रपाल, आई0ए0एस0 के विरुद्ध दो आरोपों के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच की गई थी जिसके अंतर्गत ।9-।।-88 को उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास की तलाशी ली गई थी । सतर्कता विभाग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसके अनुसार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

सूचना निदेशालय में सम्पूर्ण स्टाफ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटा की जानकारी

*।3-श्री भगवन्त प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में अलग-अलग कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अलग-अल कुल कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या ।8 प्रतिशत

एवं 2 प्रतिशत के आधार पर आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में क्रमशः 651, 328 तथा 217 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ।

प्रथम श्रेणी में शून्य, द्वितीय श्रेणी में 3, तृतीय श्रेणी में 44 तथा चतुर्थ श्रेणी में 50 अनुसूचित जाति के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ।

अनुसूचित जाति

प्रथम श्रेणी में एकल पद तथा ऐसे पद हैं जिनका समूहीकरण नियमानुसार नहीं किया जा सकता है । अतः आरक्षण नहीं बनता है । अतएव इस श्रेणी में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

द्वितीय श्रेणी में 51 अधिकारी कार्यरत हैं । इनमें से एकल पद तथा ऐसे पद जिनका समूहीकरण नहीं किया जा सकता है, की संख्या-31 है । शेष 20 पदों में से 4 पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारी होने चाहिए इस समय 3 पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारी कार्यरत हैं । इस प्रकार 15 प्रतिशत कोटा पूर्ण है । कोटा पूरा करने हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है । रिक्त आरक्षित पदों पर भर्ती हो जाने पर कोटा स्वतः पूर्ण हो जायेगा ।

तृतीय श्रेणी में 328 कर्मचारी कार्यरत हैं इनमें से एकल पद तथा ऐसे पद जिनका सामूहीकरण नहीं किया जा सकता, की संख्या-78 है । शेष 250 पदों में से 45 पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी होने चाहिए । इस समय 44 पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं । इस प्रकार 17.6 प्रतिशत कोटा पूर्ण है। 0.4 प्रतिशत कोटा पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

चतुर्थ श्रेणी में कोटा पूर्ण है ।

अनुसूचित जनजाति

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में कोटा नहीं बनता है ।

तृतीय श्रेणी में अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण कोटा पूरा नहीं है ।

चतुर्थ श्रेणी में एक कर्मचारी कार्यरत है, जनजाति के कोटे को अनुसूचित जाति से पूरा किया गया है ।

द्वितीय श्रेणी के पदों के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ।

तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जाति के कर्मचारी द्वारा पद रिक्त कर दिये जाने के कारण ।

लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर, इस हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है ।

तृतीय श्रेणी में 0.4 प्रतिशत कोटा पूर्ति हेतु नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ।

वन विभाग, मिर्जापुर के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से पत्थरों की चोर-बाजारी

*114-श्री भागवत पाल-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर में वन विभाग से मिलकर हजारों ट्रक पत्थर प्रतिदिन अवैध खनन करके निकाला एवं बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार पत्थर खनन हेतु लीज एवं पट्टे की नीति को उदार बनाते हुए मजदूरों एवं गरीबों को पट्टे देने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या विधान मण्डल के आगामी सत्र में मजदूरों के हित में पाषाण-नीति सम्बन्धी कानून बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने एवं शासन को अधिकतम राजस्व प्राप्त होने के उद्देश्य से उपखनिज क्षेत्रों को सार्वजनिक नीलामी या निविदा द्वारा खनन व्यवस्था स्वीकृत करने की नीति है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर पंचायत चुनाव न होने वाले जिलों का विवरण एवं चुनाव कराने की मांग

*115-श्री मारकण्डेय सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने जनपद हैं जहां पर जिला परिषद् अध्यक्ष का चुना नहीं हुआ है ? क्या सरकार के पास निकट भविष्य में कोई प्रस्ताव उन जनपदों में जिला परिषद् अध्यक्ष का चुनाव कराने का विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक चुनाव कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)-

प्रदेश के 15 जनपदों में जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है ।

प्रश्नगत जनपदों के जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर चुनाव कराये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

चुनाव यथा समय करा दिये जायेंगे ।

जनपद बांदा के थाना राजापुर के ग्राम सरधुवा के निवासी करण सिंह के लड़के श्री धीरेन्द्र सिंह की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही

*16-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में थाना राजापुर के अंतर्गत ग्राम सरधुवा के श्री करण सिंह का शिकायती पत्र दिनांक 16-6-90, जोकि उनके लड़के श्री धीरेन्द्र सिंह को पुलिस एवं पी0ए0सी0 द्वारा घर से दिनांक 10-1-90 को समय 6.30 ले जाकर कुछ दूरी पर मार दिये जाने की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अथवा न्यायिक जांच आयोग से कराने के बारे में है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि मृतक धीरेन्द्र सिंह की विधवा श्रीमती इन्द्रकला ने दिनांक 10-1-90 को एक तहरीरी रिपोर्ट तत्कालीन कोतवाल, कर्वी को दिया है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा न्यायिक अधिकारी से जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

श्री करन सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 16-6-90 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कर्वी द्वारा कराई गई । जांच में आरोप असत्य पाये गये।

प्रश्नगत मामले में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 4/90 धारा 147/148/149/307/398/भा0 दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ था । मृतक धीरेन्द्र सिंह की विधवा श्रीमती इनद्रकला द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र भी विवेचक को इस निर्देश के साथ भेज दिया गया था कि वे प्रार्थना-पत्र में अंकित बिन्दुओं पर सूक्ष्मता से छानबीन करें । विवेचनोपरान्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो न्यायालय में विचाराधीन है । अन्य किसी कार्यवाही की आवश्कयता नहीं समझी गई ।

चम्बा नगर, जनपद टिहरी में पेयजल संकट को दूर करने की मांग

*17-श्री लाखी राम जोशी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि चम्बा नगर, जनपद टिहरी में पेयजल की भारी कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ? क्या चम्बा नगर के लिए पेयजल योजना निर्माण की त्वरित कार्यवाही शासन की ओर से होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)-

चम्बा नगर जनपद टिहरी को वर्तमान में रानी चौरी पम्पिंग पेयजल योजना से पानी दिया जाता रहा है । इस योजना में विद्युत की अनियमित आपूर्ति, निजी जल संयोजनों में वृद्धि होने तथा चम्बा नगर की जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि होने से नगर में पानी का अभाव रहता है । त्वरित कार्यवाही के रूप में स्टोरेज क्षमता बढ़ाने हेतु चम्बा नगर में जल निगम द्वारा 500 कि0ली0 क्षमता के जलाशय का निर्माण कार्य किया जा रहा है । उक्त के अतिरिक्त चम्बा मंसूरी फल पट्टी पेयजल योजना का पुनर्गठन विश्वबैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जिला पिथौरागढ़ में जल निगम द्वारा चलाई जा रही पेयजल योजनाओं का विवरण

*।8-श्री लीलाराम शर्मा-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जल निगम द्वारा कुल कितनी पेयजल योजनाएं कुल कितनी लागत में बनाई गईं तथा उनके रख-रखाव में आज तक जल निगम तथा जल संस्थान ने कुल कितने रुपये व्यय किए तथा उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं बंद पड़ी हैं तथा कितनी आंशिक रूप से चालू हैं एवं कितनी सही रूप में चालू हालत में हैं ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा-

जिला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जल निगम द्वारा ।28। योजनाएं कुल 4।87.75 लाख रुपये लागत की बनायी गयीं । इसके रख-रखाव पर 7।7.90 लाख रुपया व्यय किया गया ।

कुल ।28। योजनाओं में से ।08 पूर्ण रूप से, 265 आंशिक रूप से बंद हैं तथा 908 चालू हालत में हैं ।

जनपद वाराणसी (नगर) के काशी विद्यापीठ ब्लाक में स्थित इण्डस्ट्रियल स्टेट के गन्दे पानी के निकासी का मामला

*।9-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत स्थित इण्डस्ट्रियल स्टेट के गन्दे पानी की निकासी हेतु बने नाले की सफाई के लिए धन का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो नाली की सफाई क्यों नहीं हो रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत स्थित औद्योगिक आस्थान की नालियों की सफाई का कार्य कराया गया है ।

बांदा जनपद (शहर) के मोहल्ला खाईंपार में नजूल की भूमि पर कब्जा का मामला

*20-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर में मोहल्ला खाईंपार में नजूल भूमि पर जो मकान बनवाए गए हैं, उनके विनियमितीकरण करने हेतु क्या शासन द्वारा आदेश दिए गए थे? यदि हां, तो यह आदेश कब दिए गए थे ? क्या दिए गए आदेशों के अनुसार विनियमितीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? यदि विनियमितीकरण किया जायेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 31 जनवरी, 1987 को शासन द्वारा विनियमितीकरण पर विचार हेतु कतिपय सूचनायें/प्रस्ताव तथा अनधिकृत कब्जेदारों से दण्डनीय दर पर नजराना व किराया देने हेतु सहमति प्राप्त कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे ।

जी नहीं, क्योंकि शासन के उक्त आदेश के अनुसार जिन 215 मामलों में विनियमितीकरण किया जाना था उनके प्रसंग में नगरपालिका ने नियमानुसार सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी की परन्तु किसी ने भी विनियमितीकरण हेतु निर्धारित दर पर नजराना व किराया देने में सहमति नहीं दी है ।

सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित नजराना व किराया देने हेतु सहमति देने पर ही विनियमितीकरण की कार्यवाही सम्भव हो पायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी में सीवर लाइन न बिछाये जाने तथा एस0एल0-2 के आवासों को कुर्सी रोड से मिलाने के सम्बन्ध में

-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी में सीवर लाइन का कार्य विगत 8 वर्षों से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस कार्य को जनहित में इसी वर्ष पूरा करा कर कुर्सी रोड टेड़ी पुलिया से सेक्टर क्यू के 4 लाइन के मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस योजना के एल0एस0-2 के आवासों के लिए टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड पर अतिक्रमण से बंद मार्ग को खोलकर कालोनी से मिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या दूषित तकनीकी ज्ञान के कारण अध्यासियों को हुई क्षति पूर्ति करते हुए संबंधित दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सेक्टर सी में सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । जहां तक सेक्टर क्यू में चार लाइन के मार्ग के निर्माण का संबंध है, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित 30 मीटर लम्बाई में छोड़कर शेष कार्य पूर्ण

माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होते ही कुर्सी रोड से मिला दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रती राम निवासी ग्राम श्रीनगर पचोखरा, थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को दी गई सूचना एवं पुलिस चौकी में की गयी एफ0आई0आर0 के बारे में जानकारी

2-श्री चन्द्र भान मौर्य-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तोता राम पुत्र श्री रतीराम, निवासी ग्राम-श्रीनगर पचोखरा, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद ने अपनी चोरी में गयी बन्दूक के सुराग संबंधी सूचना के बारे में एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद को देकर अपने बंदूक की चोरी के सम्बन्ध में दिनांक 23-3-90 को एक एफ0आई0आर0 पुलिस चौकी पचोखरा, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो अब तक बन्दूक बरामद न हो पाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

इस सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा अ0सं0-741/90 धारा 457/380 भा0द0वि0 की विवेचना प्रारम्भ में उप निरीक्षक, श्री पी0एम0 चौधरी द्वारा प्रारम्भ की गई । इनका स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप यह विवेचना उपनिरीक्षक श्री अमर नाथ द्वारा सम्पादित की गई । हर सम्भव प्रयास करने के पश्चात् भी चोरी का पता न लग सका । अतः विवेचना में अंतिम रिपोर्ट संख्या-19 दिनांक 15-2-91 को समाप्त की गई ।

3-श्री विजय सिंह राणा-

(5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

4-श्री विजय सिंह राणा-

(दिनांक 1-4-92 को अता0 प्र0 सं0 191 द्वारा उत्तरित)

श्री अम्बरीश सिंह पुत्र श्री राम नारायन सिंह राज होटल, देवरिया की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही

5-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-12-91 को कोतवाली देवरिया की पुलिस ने श्री अम्बरीश सिंह पुत्र श्री राम नारायन सिंह, राज होटल, देवरिया को अकारण गिरफ्तार किया ? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिसजनों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या कथित अभियुक्त श्री अम्बरीश सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 18-12-91 पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर को दिया है ? यदि हां, तो उस पर कौनसी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । उक्त शिकायती पत्र पर क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा जांच कराई जा रही है ।

6-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-12-91 को कोतवाली देवरिया की पुलिस ने श्री अम्बरीश सिंह पुत्र श्री राम नारायन सिंह को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जबकि अभियुक्त के पास गाड़ी का कागज व चालक लाइसेंस मौजूद था ? यदि हां, तो गिरफ्तारी का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

श्री अम्बरीश सिंह को मोटर सायकिल के कागजात व लाइसेंस मांगने पर न दिखाने तथा निर्धारित संख्या से अधिक सवारी मोटर सायकिल पर बैठाने के आरोप में मोटर वेहिकल्स अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कानपुर रोड योजना सेक्टर बी के प्रस्तावित व्यवसायिक केन्द्र निर्माण योजना की बाधाओं को दूर किये जाने की मांग

8-श्री माधव-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1991 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ कानपुर रोड योजना सेक्टर बी के व्यवसायिक केन्द्र के सामने स्थित पुराने मकान के अवशेषों/पुरानी दुकानों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2472/77 विचाराधीन है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये हैं एवं उक्त भूमि का कब्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव याचिका में निर्णय होने तथा कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् ही पुराने मकान के अवशेषों को हटवाने का प्रश्न उठेगा ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी (परिकल्प-भवन के सामने) की अनाधिकृत भूमि के भू-स्वामियों को उनके मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही

9-श्री माधव-

।।वीं विधान सभा के प्रथम ।99। के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-2। के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या तेरह खसरा नम्बरों की भूमि पर किए गए अनधिकृत निर्माण को हटवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्नगत खसरा संख्याओं की भूमि का कब्जा अभी तक विशेष अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा सेक्टर बी स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय की बाउन्ड्री से मिलाकर ग्राम बरगवा तक के लिए प्रस्तावित मार्ग को पूरा करने की मांग

10-श्री माधव-

।।वीं विधान सभा के प्रथम सत्र ।99। के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्यायालय में वाद किस व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है और वाद में शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

माननीय उच्च न्यायालय में श्री पी0के0 धवन व अन्य द्वारा रिट याचिका संख्या 2472/77 दायर की गयी है, जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

।।-श्री तेजभान सिंह-

(7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बांदा में भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग

।2-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए ।04 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य इस

भूमि पर प्रारम्भ करने के लिए आउट प्लान तथा आगणन तैयार किया जायेगा ? क्या निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

केवल 99.76 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

जी हां ।

निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिनके निस्तारण के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

बरेली व पीलीभीत के तत्कालीन सूचना अधिकारी के विरुद्ध जांच की मांग

13-श्री प्रमोद कुमार-

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली व पीलीभीत के तत्कालीन सूचना अधिकारी श्री कुलवन्त सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग के आरोप हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में की गयी शिकायतों/आरोपों की जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद पीलीभीत व बरेली के तत्कालीन जिला सूचना अधिकारी श्री कुलवन्त सिंह के विरुद्ध समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुईं ।

जनपद पीलीभीत के सेवाकाल में प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी । आरोप निराधार पाये गये ।

जनपद बरेली से प्राप्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, बरेली से करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जनपद में वर्ष 1991 के वर्तमान सरकार के चार माह के सितम्बर से दिसम्बर तक हुए जघन्य अपराधों का विवरण

14-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले में वर्ष 1991 के माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर के चार माह में जघन्य अपराधों (एस0आर0केसेज) की तादाद बहुत बढ़ी है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त चार माह की अवधि में हुए जघन्य अपराधों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि अपराधों की बेतहाशा वृद्धि में बांगरमऊ की स्थानीय पुलिस की ढिलाई, पुलिस द्वारा उपेक्षा किस सीमा तक उत्तरदायी है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । केवल आंशिक वृद्धि हुई है । जघन्य अपराधों की कुल संख्या सितम्बर-दिसम्बर की वर्ष 1990 में 103 व वर्ष 1989 में 118 थी जबकि वर्ष 1991 में यह संख्या 137 रही ।

उक्त चार माह की अवधि में हुए जघन्य अपराधों का विवरण निम्न है:-

क्रमांक	अपराध/भा0दं0वि0	दिनांक 1-9-91 से 31-12-91 तक
1	डकैती	24
2	हत्या	55
3	लूट	8
4	रोड होल्डप	6
5	चोरी तार	9
6	नकबजनी	8
7	चोरी ट्रान्सफारमर	3
8	दहेज हत्या	8
9	304 भा0दं0वि	11
10	363/366 भा0दं0वि0	1
11	306/342/201 भा0दं0वि0	1
12	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति निवारण अधिनियम ।	1
	कुल योग	137

बांगरमऊ में अपराधों में हुई आंशिक वृद्धि को रोकने के लिए पुलिस ने हर सम्भव प्रयास किया । पुलिस की कोई ढिलाई नहीं पायी गयी ।

जनपद उन्नाव के थाना अजगैन में श्री लल्लू राम के थानाध्यक्ष बनने के बाद हुए कतिपय अपराधों का विवरण

15-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित थाना अजगैन में श्री लल्लू राम जी के थानाध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद से दिसम्बर, 1991 तक रोड होल्डप, हत्या, डकैती, लूट आदि अपराध बढ़े हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त थानाध्यक्ष के कार्यकाल में हुए जघन्य अपराधों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

कुछ में कमी आई है और कुछ में वृद्धि हुई है ।

उक्त थानाध्यक्ष के कार्यकाल में हुए जघन्य अपराधों का विवरण इस प्रकार है: -

क्रं0सं0	अपराध/भा0दं0वि0	अपराधों की संख्या
1	रोड होल्डप	1
2	हत्या	3
3	डकैती	1
4	लूट	5
5	नकबजनी	2
6	दहेज हत्या	1
7	गैंगेस्टर	1
	योग	14

जनपद बांदा के कमासिन थानान्तर्गत श्री शिव सागर व श्री राम भरोसा द्वारा अपनी भूमिधारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के प्रयास को रोकने हेतु माननीय मुख्य मंत्री गृह सचिव आदि को प्रेषित शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही

16-श्री राम प्रसाद सिंह -

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना कमासिन अंतर्गत गांव हरसिनपुर के शिव सागर व राम भरोसा ने दिनांक 26-10-91 को पुलिस अधीक्षक बांदा को सम्बोधित तथा मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन, आई0जी0 पुलिस इलाहाबाद, डी0जी0पी0, उ0प्र0, लखनऊ, जिला अधिकारी बांदा व अपर जिला अधिकारी कर्वी, क्षेत्राधिकारी नवेऊ, थाना अध्यक्ष कमासिन को पृष्ठांकित अपनी भूमिधारी भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जे के प्रयास को रोकने हेतु कार्यवाही व जान माल की रक्षा सम्बन्धी पत्र दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त दिनांक के बाद शिकायतकर्तागण एवं उनके परिवार को विरोधी पक्ष द्वारा मारा पीटा गया जिसकी रपट एवं चोटों का डाक्टरी मुआइना कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इस घटना की अन्देशा के आधार पर कार्यवाही किये जाने पर रुकावट के लिए प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन प्रकरणों की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की जांच थानाध्यक्ष, कमासिन से कराई गई तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि एक दीवाल के निर्माण के मामले को लेकर शिकायतकर्ता श्री शिव सागर व राम भरोसा तथा ग्राम हरीसनपुर के श्री भगवान दीन पुत्र जगन्नाथ आदि के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था । इसी विवाद को लेकर दिनांक 14-11-91 को शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी भगवानदीन पुत्र जगन्नाथ, निवासी हरीसनपुर के मध्य मारपीट हुई थी जिसमें वादी राम भरोसा केवट निवासी हरीसनपुर द्वारा प्रतिवादी भगवानदीन पुत्र जगन्नाथ, केवट टुइंया पुत्र भगवानदीन, रामपाल, राम रतन पुत्र जगन्नाथ निवासी हरीसनपुर थाना कमासिन के विरुद्ध एन0सी0आर0 नं0 177/91 धारा 323/504 भा0 दं0वि0 थाना कमासिन में पंजीकृत कराया गया था । वादी राम भरोसा द्वारा चोटों का डाक्टरी मुआइना नहीं कराया गया था । इस घटना के सम्बन्ध में प्रतिवादी भगवानदीन द्वारा भी शिकायतकर्ता श्री राम भरोसा, श्याम मोहन आदि निवसी हरीसनपुर के विरुद्ध एन0सी0आर0 नं0 179/91 धारा 323/504 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराई गई थी । उक्त प्रार्थना-पत्र एवं दोनों एन0सी0आर0 की जांच थानाध्यक्ष कमासिन द्वारा कराये जाने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गई, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रतिवादी भगवानदीन पुत्र जगन्नाथ, केवट निवासी हरीसनपुर, थाना कमासिन द्वारा डाक्टरी मुआइना एवं एक्सरे कराये जाने पर दिनांक 17-12-91 को उक्त एन0सी0आर अपराध संख्या 210/91 धारा 325/323/504 भा0दं0वि0 में परिवर्तित करके विवेचनोपरांत शिकायतकर्ता राम भरोसा व श्याम मोहन आदि निवासी हरीसनपुर के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 3/92 दिनांक 10-1-92 प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

17-श्री राम औतार शाक्य-

(6ठें सोमवार में अता0 प्र0सं0 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री राम नरेश त्रिपाठी को शिकायत के बाद भी पुनः प्रभारी महाप्रबन्धक नियुक्त किये जाने की शिकायत

18-श्री राम लखन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री राम नरेश त्रिपाठी, प्रभारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, फैजाबाद को तत्कालीन जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा गम्भीर आरोपों/शिकायतों के तहत जनवरी, 91 में पद से हटाकर उनके स्थान पर श्री सुब्बा राव की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री सुब्बा राव द्वारा अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य सम्पादित किया गया ?यदि हां, तो श्री राम नरेश की पुनः प्रभारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र फैजाबाद में तैनाती किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-10-91 अक्टूबर, 199। के दूसरे सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो श्री त्रिपाठी को न हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । श्री सुब्बा राव दिनांक 25-5-88 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के विरुद्ध मामला माननीय लोक सेवा अधिकरणों में ले गये थे और माननीय अधिकरण के आदेशों द्वारा जनवरी, 1991 में पुनर्स्थापित किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुब्बा राव की अधिवर्षता आयु पर सेवा-निवृत्त होने से रिक्त हुए पद पर, श्रेणी-। के अधिकारियों की कमी होने के कारण अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत वरिष्ठतम् प्रबन्धक श्री राम नरेश त्रिपाठी को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रभारी महाप्रबन्धक बनाया गया ।

हां । आरोपित बिन्दुओं पर जांच करायी जा रही है । दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पी0पी0एम0 तथा सी0ए0डी सेल में सम्बद्ध वाहनों का विवरण

19-श्री भारत सिंह रावत-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पी0पी0एम0 तथा सी0ए0डी0 सेल में कितने वाहन स्वीकृत/उपलब्ध हैं ? क्या यह सही है कि वे वाहन अन्य जिलों की डी0आर0डी0ए0 से मंगाये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि राजकीय वाहन सम्बद्ध होने पर भी सेल के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानीय यात्रा भत्ता दिया गया है ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का माहवार ब्योरा तथा इसका औचित्य क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

पी0पी0एम0 (डी0पी0ए0पी0) सेल	सी0ए0डी0सेल
डी0पी0ए0पी0 सेल हेतु एक वाहन स्वीकृत है तथा एक वाहन उपलब्ध है ।	सी0ए0डी0 सेल हेतु केवल एक वाहन स्वीकृत है ।
एक वाहन डी0आर0डी0ए0 मिर्जापुर से मंगाया गया है । सेल के लिए क्रय वाहन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु डी0आर0-डी0ए0 बहराइच को आवंटित है । डी0पी0ए0पी0 कार्यों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु वाहन मिर्जापुर से मंगाया गया है ।	जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां । पिछले तीन वर्षों का माहवार ब्योरा तथा इसका औचित्य संलग्न है ।

जी हां, पिछले तीन वर्षों का माहवार ब्यौरा तथा इसका औचित्य संलग्न है ।

वेतनमान 230 से 385 में कार्यरत क्लर्क कम लेखाकारों को अधिक सेवा अवधि हो जाने के बाद वेतनामन 200 से 300 में पदावन्नति किये जाने एवं सेलेक्शन ग्रेड आदि न मिलने की शिकायत

20-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतनमान 230 से 385 में कार्यरत क्लर्क कम लेखाकार जिनकी सेवायें 15 से 18 वर्ष की थी, उन्हें रु0 200 से 300 के वेतनक्रम में अधिक उम्र हो जाने की दशा में पदावन्नति कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी बातयेंगे कि उपरोक्त लिपिक एवं लेखाकारों को समयमान वेतन, सेलेक्शन ग्रेड अब तक स्वीकृत क्यों नहीं किया गया ? उक्त उपलब्धियों से इन्हें वंचित रखने का क्या कारण रहा है ? क्या उपरोक्त कर्मचारियों से कनिष्ठतम लिपिकों के समयमान वेतनमान व सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो वेतन असमानता का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त दोहरी नीति को समाप्त करते हुए समान काम का समान वेतन व उपलब्धियां देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

जी नहीं । युवा कल्याण एवं प्रादेशित विकास दल विभाग में क्लर्क कम लेखाकार का कोई पद नहीं था ।

श्री राजकुमार सोनकर द्वारा 3 जनवरी, 1992 को कोतवाली पुरवा जिला उन्नाव में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट का विवरण

21-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कोतवाली पुरवा में 3 जनवरी, 92 को अनुसूचित जाति उत्पीड़न व जान से मार देने की धमकी देने का मुकदमा राजकुमार सोनकर ने दर्ज कराया था ? यदि हां, तो अभियुक्तों पर प्रश्नगत प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ उन्नाव द्वारा की गयी । अभियुक्त श्यामू के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया शेष अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ ।

श्री डी0के0 आनन्द, अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ समाजवादी जनता पार्टी द्वारा थाना गोसाईंगंज जिला लखनऊ में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट की जानकारी

22-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले के थाना गोसाईंगंज में अपराध संख्या 145/91 हत्या व बलवे के मुकदमें की सी0आई0डी0 जांच करवाने तथा पुलिस द्वारा आम जनता के समक्ष कुछ लोगों के पैर तोड़ने के प्रकरण पर मुकदमा कायम कराने विषयक कोई ज्ञापन उ0प्र0 समाजवादी जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डी0के0 आनन्द व अन्य ने माह जनवरी, 91 में एस0डी0एम0 मोहनलालगंज के माध्यम से उन्हें प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

ज्ञापन में अंकित आरोपों की जांच कराई गई जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

लखनऊ शहर के निवासियों द्वारा दिनांक 11-7-91 को मुख्य मंत्री के आवास पर धरना देकर कृष्णा नगर थाना के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिये गये ज्ञापन का विवरण

23-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आवास पर लखनऊ शहर के निवासियों ने दिनांक 11-7-91 को धरना देकर थाना कृष्णा नगर की पुलिस द्वारा जमील नामक व्यक्ति को मार देने के विरुद्ध दोषी पुलिसजनों पर कार्यवाही कराने हेतु कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो पुलिसजनों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस मामले में जिलाधिकारी लखनऊ को दिनांक 30-6-91 को प्रमुख सचिव गृह को दिनांक 17-9-91 को व उप पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 21-9-91 को भी प्रार्थना पत्र दिए गये थे ? यदि हां, तो पुलिसजनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच से कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतः पुलिसजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी0 अलीगंज, लखनऊ के मार्गों पर सीवर, पानी तथा प्रकाश व्यवस्था में किये गये व्यय तथा डबल स्टोरी के भवनों को आवंटियों द्वारा कब्जा

24-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी अलीगंज लखनऊ के मार्गों/सीवर लाइन/पानी एवं बिजली आदि की व्यवस्था हेतु वर्ष 1987 से

वर्ष 1991 तक कौन-कौन सी योजनायें बनायी गयी हैं ? इन पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ? क्या अनुसूचित जाति आदि के लिए बनायी गयी डबल स्टोरी के समस्त आवासों का कब्जा आवंटियों को वर्ष 84 से 91 तक दिया गया ? कौन-कौन से आवास आवंटित नहीं किए गए ? क्या सरकार विभागीय अधिकारियों को दूषित प्रणाली के कारण हो रहे डबल स्टोरी के अनाधिकृत कब्जों/पानी सप्लाई/सीवर लाइन विद्युत आदि पर हो रहे लाखों रुपये की हानि की जिम्मेदारी निर्धारित कर वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-सी अलीगंज लखनऊ के मार्गों एवं सीवर लाइन पानी आदि की व्यवस्था हेतु एक प्रोजेक्ट बना था जिस पर वर्ष 1984 से 30-6-90 तक कुल 113.52 लाख रुपया व्यय हुआ है । इसके पश्चात् कोई बनाई नई योजना नहीं गयी है । विद्युत व्यवस्था पर वर्ष 1987 से अब तक रुपया 14.84 लाख व्यय किया गया ।

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-सी में बने डबल स्टोरी के 1008 भवनों में से सभी भवनों का आवंटन किया जा चुका है जिसमें से 717 भवनों का कब्जा पत्र जारी किया जा चुका है । इनमें से 533 आवंटियों द्वारा कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है । शेष भवनों में से 27 भवनों पर न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

जब मूल आवंटी आवंटित भवन का कब्जा प्राप्त करने आते हैं तो उन्हें प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिया जाता है । विद्युत कनेक्शन/पानी कनेक्शन आवंटी द्वारा सम्बन्धित विभाग से स्वयं प्राप्त किया जाता है । जिससे प्राधिकरण को हानि नहीं हो रही है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम पंचायत अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक, पचपेड़वा द्वारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का घपला एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

25-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अक्टूबर, 1991 से 30 नवम्बर, 91 के बीच में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सभा हरखड़ी के प्रधान का जाली हस्ताक्षर बनाकर ग्राम पंचायत अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक, पचपेड़वा ने जवाहर रोजगार योजना की धनराशि निकाल ली है, जिसका अपराध थाना पचपेड़वा, जनपद गोण्डा में पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो गिरफ्तारी अब तक किन-किन लोगों की की गयी और विवेचना में दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? इस प्रकरण पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री कल्याण सिंह -

प्रश्नगत मामले में थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0 122/91 धारा 419/420 भा0 दं0वि0 बनाम श्री दया राम श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी पचपेड़वा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । एक मात्र अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके जमानत करा ली गयी है ।

सम्प्रति विवेचना प्रचलित है विवेचनोपरान्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्राप्त कांस्टेबिल श्री पीताम्बर दत्त द्विवेदी को पुलिस पदक हेतु लाभ के एरियर का भुगतान

26-श्री भारत सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्राप्त कान्सटेबिल नं0 77 सी0पी0 श्री पीताम्बर दत्त द्विवेदी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुलिस पदक पर लभ्य पेंशनरी लाभ दिये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी एक निश्चित अवधि के भीतर श्री द्विवेदी को लभ्य देयों का बकाया सहित भुगतान सुनिश्चित करा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर स्थित विन्दल एग्रो केमि0 लि0 निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा व क्षतिपूर्ति दिये जाने का मामला

27-श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

क्या शासन को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर स्थित पिपरौल में विन्दल एग्रो केमि0 लि0 खाद्य का कारखाना निर्माणाधीन है ? क्या उक्त फैक्ट्री के जनरल मैनेजर पूर्व डी0आई0जी0 पुलिस हैं ? क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय लोगों को तथा जिनलोगों की जमीनें उक्त फैक्ट्री में अधिग्रहीत की गयी हैं, को उनके परिवार के लोगों को नौकरियों में रखा ज़ायेगा ? ऐसा न करने पर जिले के शिक्षित बेरोजगारों ने जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर दिनांक 13-1-92 को धरना दिया? क्या यह सही है कि धरने और मीटिंग को ध्वस्त करने के लिए जी0एम0 फैक्ट्री के इशारे पर जिला प्रशासन ने निहत्थे बेरोजगार छात्रों पर पुलिस लाठी चार्ज करवाया जिससे कुछ लोगों को भारी चोटें आयीं ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

जी हां ।

फैक्ट्री के मैनेजर व अन्य अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों की जमीनें निर्माणाधीन फैक्ट्री द्वारा अधिग्रहीत की गयी हैं, उनके परिवार के लोगों को फैक्ट्री में नौकरी दी जायेगी ।

जी हां ।

उक्त धरने में कुछ छात्रों व ग्रामीणों द्वारा फैक्ट्री के सामने शाहजहांपुर-जलालाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम कर दिया गया था । इस ट्रैफिक के गतिरोध को समाप्त करने, जनजीवन को सामान्य गति प्रदान करने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से भीड़ को हटाया गया था, किन्तु यह सही नहीं है कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और लोगों को भारी चोटें आयीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली शहर को काष्ट नगरी घोषित करने की मांग

28-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या सरकार बरेली में प्रसिद्ध लकड़ी फर्नीचर उद्योग को विकसित करने एवं उसमें लगे कारीगरों को शोषण से बचाने के लिए बरेली को काष्ठ नगरी घोषित करके इसके वर्षों पुराने काष्ठ उद्योग के हित में निर्णय लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

बरेली को काष्ठ नगरी घोषित करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का प्रश्न नहीं है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्ष 1985 से 91 तक जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा गैसड़ी के ग्राम पंचायत अधिकारी के हुए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कतिपय विवरण

29-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से 1991 तक जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा/गैंसड़ी में किस-किस ग्राम पंचायत अधिकारियों का स्थानान्तरण जिला पंचायत राज अधिकारी गोण्डा स्तर से तथा निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश स्तर से किया गया ? इसमें किन-किन ग्राम पंचायत अधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन किया ? क्या सरकार स्थगित निरस्त आदेशों को निरस्त करके स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

वर्ष 1985 से 1991 के मध्य जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा/गैंसड़ी में सर्वश्री जलालुद्दीन खां, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड गैंसड़ी, सुरेन्द्र नाथ मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी,विकास खण्ड गैंसड़ी, राम किशुन, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड पचपेड़वा, वीरेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड गैंसड़ी, रवि शंकर प्रसाद मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड पंचपेड़वा, राम शिरोमणि तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड गैंसड़ी तथा

जगदीश प्रसाद गुप्त, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड पचपेड़वा के स्थानान्तरण जिला पंचायत राज अधिकारी गोण्डा द्वारा किये गये हैं ।

सर्वश्री जलालुद्दीन खां, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड गैसड़ी तथा श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड गैंसड़ी ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ से स्थगन आदेश प्राप्त किया है । सर्वश्री रवि शंकर प्रसाद मिश्र, राम किशुन, वीरेन्द्र प्रसाद तिवारी तथा राम शिरोमणि तिवारी ने स्थानान्तरण आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक के लिये स्थगित कर दिये गये हैं श्री जगदीश प्रसाद गुप्त ग्राम पंचायत अधिकारी ने स्थानान्तरण आदेश का पालन किया ।

जी हां । सर्वश्री जलालुद्दीन खां, तथा सुरेन्द्र नाथ मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेशों का पालन माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश वापस होने के उपरान्त ही संभव है । शेष सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् स्वमेव लागू होंगे ।

30-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा में कौन-कौन ग्राम पंचायत अधिकारी है जिनका स्थानान्तरण बार-बार किया गया और स्थगित किया गया ? क्या सरकार भविष्य में 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा में 5 से 10 वर्ष की अवधि के बीच के तीन ग्राम पंचायत अधिकारी सर्वश्री दया राम श्रीवास्तव, इनायतुल्ला, जयलाल शर्मा कार्यरत है, किन्तु इनका न तो स्थानान्तरण किया गया और न ही रोका गया है ।

वर्ष 1992-93 की स्थानान्तरण नीति निर्धारित हो जाने के उपरान्त कार्य हित को दृष्टिगत करते हुए इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा ।

प्रदेश में ड्रग लाइसेंस धारकों को फिनायल निर्माताओं के रेट कन्ट्रैक्ट से वंचित रखने पर आपत्ति

31-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के 20 फर्मों के बजाय मात्र 4 फर्मों को फिनायल का रेट कन्ट्रैक्ट किस प्राविधान के अन्तर्गत दिया गया है जबकि फिनायल निर्माण एवं विक्रय के लिए ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना ही पर्याप्त है ?

प्रदेश के अन्य ड्रग लाइसेंसधारक फिनायल निर्माताओं को रेट कन्ट्रैक्ट से वंचित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह -

फिनायल निर्माण के लिए ड्रग लाइसेंस लेना ही पर्याप्त है किन्तु स्टोर पर्चेज प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति वस्तु का आई0एस0आई0 चिन्हित और सही गुणवत्ता वाली होना भी आवश्यक है ।

फिनायल की आपूर्ति के लिए आई0एस0आई0 चिन्हित उत्पाद के लिए निविदायें आमंत्रित की गई थीं । केवल पांच इकाइयों ने आई0एस0आई0 चिन्हित उत्पाद के लिए मांग-पत्र दिये थे । उनको दर अनुबंध हेतु विज्ञापित कर दिया गया । जिन इकाइयों के पास आई0एस0आई0 लाइसेंस नहीं है उन्होंने इस निविदा में भाग नहीं लिया । अतः उनके पक्ष में दर अनुबन्ध जारी नहीं किया गया ।

बरेली नगर के गांधी चौराहे के पास नजूल भूमि पर बने बिजिनेस काम्प्लेक्स के निर्माण की इजाजत देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

32- श्री प्रनोद कुमार -

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली नगर में मुख्य गांधी चौराहे के निकट नजूल भूमि पर एक बिजनेस काम्पलेक्स गगनदीप बनाया गया है जिसमें पार्किंग आदि की कोई सुविधा भी नहीं दी गयी है और इसे गिरवाने हेतु जिलाधिकारी, बरेली ने कार्यवाही आरम्भ भी की है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त इतना बड़ा बिजनेस काम्प्लेक्स नजूल भूमि पर बी0डी0ए0 के मानकों के विपरीत बनने की कैसे इजाजत दी गयी ? इसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी थे ? उनके विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं, बल्कि प्रश्नगत स्थल पर एक बहुमंजलीय भवन रतनदीप काम्प्लेक्स निर्मित हुआ है जिसमें पार्किंग हेतु सामने की ओर एवं पीछे की ओर कुछ खुला स्थान छोड़ा गया है ।

जिलाधिकारी, बरेली द्वारा इसे गिरवाने हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है अपितु दिनांक 3-12-1991 को उन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण को कहा है कि यदि निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं है तथा कामर्शियल उपयोग का नक्शा स्वीकृत नहीं है, तो निर्माण कार्य बंद करा दिया जाये । बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने के कारण पट्टेदार के विरुद्ध एक वाद स्थापित किया गया है । उक्त प्रकरण में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयुक्त, बरेली मण्डल को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

मेरठ कालेज, मेरठ के प्रधानाचार्य, ड0 वी0बी0 चौहान द्वारा की गई नामजद रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

33-श्री विजय पाल सिंह तोमर-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 23-9-91 को मेरठ कालेज, मेरठ के प्राचार्य, डा0 वी0बी0 चौहान का उनके शिक्षक साथियों सहित उनके कार्यालय में प्रातः ।। बजे से सांय 7 बजे तक प्रवेश के नाम पर घेराव किया गया था कुछ तथाकथित गुण्डों एवं अपराधिक तत्वों ने तोड़फोड़ करके विद्युत सप्लाई नष्ट की ? यदि हां, तो क्या पुलिस के मूक दर्शक बने रहने एवं उन गुण्डातत्वों का प्रदेश से कोई वास्ता होने की डा0 चौहान द्वारा उन लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो उक्त आपराधिक लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार विषयगत प्रकरण में प्राचार्य, मेरठ कालेज, मेरठ द्वारा थाना लालकुर्ती, जनपद मेरठ पर घटना की सूचना सर्वश्री वजीर सिंह, ओम प्रकाश शर्मा व 250 छात्र अन्य, नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अंकित कराई गयी । इस सूचना के आधार पर मुक0 अप0-276/91 अन्तर्गत धारा 147/427/506 भा0 दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

विवेचनोपरान्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट संख्या-198, दिनांक 28-11-91 को समाप्त कर न्यायालय प्रेषित किया गया । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद उन्नाव में ।।वीं विधान सभा के चुनाव में हुए व्यय के सम्बन्ध में जांच की मांग विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

34-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत आम चुनावों में उन्नाव जिले में पुलिस व्यवस्था के लिए आवंटित धन का सदुपयोग न होने विषयक प्रश्नकर्ता के गृह सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्रांक-59/91 दिनांक 10-7-91 की जांच किसने की है ? जांच में दोषी कौन पाया गया है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-59/91 दिनांक 10-7-91 शासन को प्राप्त हुआ था जिसे जांच हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन को भेजा गया था । प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन में प्रचलित [illegible]

जनपद उन्नाव के पुलिस लाइन में पेयजल की व्यवस्था हेतु आवंटित धन के सदुपयोग विषयक शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही

35-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुलिस लाइन में पेयजल की व्यवस्था हेतु उपलब्ध धन का सदुपयोग हो चुका है ? यदि नहीं हुआ, तो क्या मंत्री जी इसी अनियमितता की शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता के गृह सचिव को प्रेषित पत्रांक-61/91 दिनांक 10-7-91 पर की गई कार्यवाही के जांच निष्कर्ष बतायेंगे ? अब तक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

संदर्भगत विषय पर प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र संख्या-61/91 दिनांक 10-7-91 में उल्लिखित आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन को शासन द्वारा आदेश दिये गये हैं । अभी जांच प्रचलित है ।

जनपद बांदा में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

36-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत कलेक्टर के कितने पद रिक्त हैं और कब से ? क्या इन रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बांदा में डिप्टी कलेक्टर के दो पद अप्रैल, 1991 से रिक्त हैं । रिक्त पदों की पूर्ति तुरन्त किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बरेली के सुर्मा उद्योग को विकसित करने एवं करीगरों को शोषण से बचाने की योजना की जानकारी

37-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या सरकार बरेली के प्रसिद्ध सुर्मा उद्योग को विकसित करने एवं इसमें लगे कारीगरों को शोषण से बचाने के लिए कोई योजना बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । बरेली के प्रसिद्ध सुर्मा उद्योग के कारीगरों के शोषण के सम्बन्ध में कोई भी तथ्य शासन के संज्ञान में नहीं है । वर्तमान सुविधाओं का लाभ सुर्मा उद्योग द्वारा भी उठाया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली मण्डल में खेल को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना की जानकारी

38-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या खेल मंत्री बरेली मण्डल में खेलों के लगातार गिरते स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई योजना बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

यह कथन सत्य नहीं है कि बरेली मण्डल में खेलों का स्तर गिर रहा है । खेलों के स्तर के उन्नयन हेतु प्रदेश/मण्डल/जिला स्तर पर अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इनमें बरेली मण्डल भी शामिल हैं ।

जनपद बरेली के प्रसिद्ध जैन मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग

39-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली जनपद के प्रसिद्ध जैन मन्दिर, राम नगर की महत्ता और हजारों श्रद्धालुओं के वर्ष भर आने को देखते हुए वहां पर्यटन केन्द्र बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

पर्यटन केन्द्र बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड का परियोजना कार्यालय, अकबरपुर फैजाबाद से हटाये जाने का औचित्य

40-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड का परियोजना कार्यालय अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में है ? यदि नहीं, तो क्या उसे वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ऐसा किया गया है ? क्या उक्त निगम की अन्य परियोजनाओं को भी उसी प्रकार बंद कर दिया गया है ? उक्त परियोजना कार्यालय हटाने से बुनकरों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है उसको दूर करने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

अकबरपुर (फैजाबाद) कार्यालय बाराबंकी से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

अकबरपुर में बुनकरों की संख्या कम होने के कारण प्रशासनिक व्यय कम करने हेतु ऐसा किया गया है ।

निगम की किसी परियोजना को बंद नहीं किया गया है ।

बुनकरों को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वहां पर निगम का उत्पादन केन्द्र अभी भी मौजूद है तथा समस्त गतिविधियां यथावत चल रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना कुठौन्द, जिला जालौन की पुलिस द्वारा अक्टूबर, 1991 में फर्जी डाकू को फर्जी मुठभेड़ में मारने की शिकायत

41-श्री श्रीराम-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में 1 जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक पुलिस एवं डकैतों के मध्य मुठभेड़ हुई है ? यदि हां, तो कितनी बार और कहां-कहां ? क्या उक्त अवधि में हुई मुठभेड़ों में कुछ डकैत पुलिस द्वारा मारे गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा उनके नाम व पता क्या हैं? उक्त मृतक डकैतों के विरुद्ध किस-किस थाने पर क्या-क्या अभियोग पंजीकृत थे ? क्या यह सत्य है कि माह अक्टूबर, 1991 में थाना कुठौन्द की पुलिस ने ग्राम पारैन के जंगल में एक डकैत को मारा था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि कथित मृतक डकैत एक सीधा-साधा नागरिक व इटावा जनपद का निवासी था ? क्या वह अपनी रिश्तेदारी ग्राम कोटा, मुस्तकिल, थाना कुठौन्द में आया था, जहां से दिन में पुलिस ने उसे पकड़ कर उक्त ग्राम के पास जंगल में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या की थी ? यदि हां, तो क्या इस मामले की सी0आई0डी0 द्वारा जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर में नवाबगंज थानान्तर्गत श्रीमती अन्जू मोदी की 3/4 फरवरी को हुई रहस्यमय ढंग से मृत्यु की जांच की मांग

42-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेन्द्र मोदी की पत्नी श्रीमती अन्जू मोदी की हत्या 3/4 फरवरी, 1991 की रात में उक्त पुलिस कप्तान, श्री महेन्द्र मोदी के घर पर कानपुर में हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज, जनपद कानपुर में मुकदमा अपराध संख्या 33/91 मृतिका के भाई जय नन्दन लाल की सूचना के आधार पर दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो अभियुक्त महेन्द्र मोदी के खिलाफ अब तक क्या किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त मामला सी0बी0, सी0आई0डी0 को जांच हेतु दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सी0आई0डी0 ने जांच रिपोर्ट दे दी है ? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

श्रीमती अंजू मोदी पत्नी श्री महेन्द्र मोदी, आई0पी0एस0 की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में दिनांक 3/4 फरवरी, 1991 की रात में हुई थी । इस घटना के

सम्बन्ध में अपराध संख्या 33/91, थाना नवाबगंज, जनपद कानपुर नगर में मृतका के भाई श्री जय नन्दन लाल की सूचना पर दर्ज किया गया । इस प्रकरण की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई जिसकी जांच रिपोर्ट शासन में प्राप्त हो गई है । शासन द्वारा विचारोपरान्त अपराध अनुसंधान विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह विधिक प्रक्रियानुसार श्री मोदी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें संबंधित अधिकारी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध भारी दण्ड के लिए विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश में आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से मिलने वाले अर्ध सैनिक बलों का विवरण

43-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 में आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कितने अर्ध सैनिक बल की मांग की है और उसमें से 15-1-92 तक केन्द्र सरकार ने कितना अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराया है ? क्या राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यह बल जो केन्द्र सरकार ने उपलब्ध कराया है, पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त सूचनानुसार उत्तर प्रदेश में आतंकवाद से निपटने हेतु अर्द्ध सैनिक बल की कुल 80 कम्पनियों की मांग की गई थी जिसमें से 15-1-92 तक केन्द्र सरकार से 53 कम्पनियां अर्द्ध सैनिक बल की उपलब्ध करायी गयी हैं । इस 53 कम्पनियों में से 10 कम्पनी अर्द्ध सैनिक बल की पंजाब में सम्पन्न हुए चुनाव के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने वापस बुला लिया था । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में आतंकवाद की समस्या से निपटने हेतु 37 कम्पनी केन्द्रीय बल की अतिरिक्त आवश्यकता है । यदि 10 कम्पनी केन्द्रीय बल जो केन्द्र सरकार को वापस की है, वह लौटा दी जाती है, तो अतिरिक्त मांग 27 कम्पनी, अर्द्धसैनिक बल की होगी केन्द्रीय बल उपलब्धकराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाता रहा है ।

आठवीं योजना में नये थानों एवं पुलिस चौकियों के निर्माण हेतु योजना आयोग को प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की जानकारी

44-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नवीन पुलिस स्टेशनों एवं पुलिस चौकियों के निर्माण हेतु योजना आयोग को प्रस्ताव दिया गया है ? यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

चूंकि पुलिस विभाग के भवन निर्माण कार्यों को वर्ष 1990-91 से आयोजनागत पक्ष से निकाल दिया गया है अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नवीन पुलिस थाना/चौकियों के निर्माण को कोई प्रस्ताव राज्य योजना आयोग को नहीं भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जाहिद हुसैन पुत्र श्री रजा हुसैन, निवासी ग्राम मलइया, थाना सण्डीला, जिला हरदोई के दीवाल को गिराये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र एवं कृत कार्यवाही

45-श्री केशव सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री जाहिद हुसैन पुत्र श्री रजा हुसैन, निवासी ग्राम मलइया, थाना सण्डीला, जिला हरदोई का कोई प्रार्थना-पत्र जो कि उसी गांव के निवासी श्री सलाउद्दीन, शिव बालक आदि द्वारा जबरिया उसकी दीवाल गिराने के सम्बन्ध में है, माह नवम्बर, । दिसम्बर, 1991 में जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उसमें बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण-

जी हां ।

आवेदक द्वारा स्थानीय पुलिस तथा नायब तहसीलदार श्री ए0के0 अवस्थी के विरुद्ध आरोप लगाया कि विपक्षी सलाउद्दीन ने सांठ-गांठ कर दिनांक 17-11-91 को लगभग 1.30 बजे दिन सलाउद्दीन आदि 14 व्यक्ति उक्त गोड़ा की दीवाल गिराने लगे उस समय श्री अवस्थी नायब तहसीलदार तथा उसके सहयोगी श्री पांडे दरोगा जी भी उपस्थित थे । दीवाल की ईंटो के साथ प्रार्थी जाहिद हुसैन का घरेलू सामान एक दरवाजा, किवाड़, हलमाची, चारा की मशीन एक पंलग, तख्त गद्दा व रजाई भी प्रतिपक्षी उठा ले गये । प्रार्थी थाना सण्डीला पर रिपोर्ट लिखाने गया था परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गई । उपरोक्त आरोपों की जांच करायी गई दिनांक 17-11-91 को घटित घटना के सम्बन्ध में तहसील सण्डीला के नायब तहसीलदार श्री अवस्थी ने बताया कि गाटा नं0 621 जो अभिलेखों के अनुसार आबादी हेतु सुरक्षित भूमि है और जिसका आवंटन एस0डी0एम0, सण्डीला के अनुमोदन के पश्चात् विभिन्न आवंटियों को किया गया, पर आवेदक अवैध रूप से काबिज हैं अभिलेखों के अनुसार आवेदक का इस भूमि पर कोई हक नहीं है । चकबंदी के पूर्व उक्त भूखण्ड आवेदक का था किन्तु चकबंदी के दौरान वह भूखण्ड आबादी

आबादी हेतु सुरक्षित किया गया और उसके बदले उसे अन्य भूमि दे दी गयी जिस पर आवेदक का ही कब्जा है । चकबंदी की इस कार्यवाही पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं थी अतः वह अनुमोदित हो गई और उसका पट्टा विभिन्न आवंटियों को कर दिया गया । इसी दौरान आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया जिसके संबंध में तहसीलदार सण्डीला तथा परगनाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की गयी ।

आवेदक द्वारा जो सम्पत्ति उठाकर ले जाने की बात कही है वह निराधार है जो भी सामान बरामद हुआ वह सभी ग्रामवासियों की मौजूदगी में ग्राम प्रधान श्री सलाउद्दीन के सुपुर्द कर दिया गया क्योंकि आवेदक व उनके परिवार का कोई सदस्य उस समय वहां उपस्थिति नहीं था। इसमें लगभग 3000 ईंटा पुराना, एक टूटा छप्पर तथा एक लकड़ी का दरवाजा प्रापत हुआ ।

उक्त घटना के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार श्री अवस्थी ने स्थानीय पुलिस के पैमाइश के दौरान शान्ति व्यवस्था कायम बनाये रखने हेतु पुलिस बल मांगा था और उनकी मांग पर पुलिस बल दे दिया गया था ।

चूंकि नायब तहसीलदार द्वारा द्वारा एस0डी0एम0 के आदेश के अनुपालन में अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की गयी थी, इस प्रकरण के सम्बन्ध में मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थी थाना सण्डीला पर नहीं आया था ।

46-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया)

जनपद बांदा के थाना चिल्ला के ग्राम भवानीपुर में दिनांक 31-12-91 को श्री शिरोमणि वर्मा के यहां पड़ी डकैती एवं डकैतों द्वारा उनके दो पुत्रों के अपहरण एवं तथा उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करना

47-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना चिल्ला के अतंर्गत ग्राम भवानीपुर में 31-12-91 समय करीब 18.30 बजे सात-सात सशस्त्र अज्ञात बदमाशों द्वारा शिरोमणि वर्मा के पुत्र मनोज कुमार व भान्जा भगवानदीन को अपहृत कर लिया गया था तथा डकैती डालकर बाद में फिरौती के चक्कर में एक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी ? क्या थाना चिल्ला में मु0अ0सं0 109/91 धारा-395/397, 365 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो अब तक कितने बदमाशों को पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या घटना से संबंधित परिवार की सुरक्षा हेतु गारद लगायी गयी है ? यदि हां, तो कब से कब तक के लिए ? क्या मृतक के परिवार वालों व घायल के परिवार वालों को सुरक्षा हेतु लाइसेंस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस को ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि जारी किये जायेंगे, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह -

प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 31-12-91 को 7 सशस्त्र बदमाशों द्वारा ग्राम भवानीपुर, थाना चिल्ला में श्री शिरोमणि वर्मा पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद वर्मा के घर पर डकैती डालकर उसके पुत्र श्री मनोज कुमार व भान्जे श्री भगवानदीन का अपहरण कर लिया गया एवं उसी राम श्री मनोज कुमार की हत्या करके भगवानदीन को घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में थाना चिल्ला पर मु0अ0सं0 109/91 धारा 395/397/365/302/307 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया ।

विवेचना से सात अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । 3 अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया जिन्हें जेल भेजा गया । 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है । इन दोनों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है । दिनांक 31-12-91 की घटना के बाद से लगभग एक माह तक वादी के घर पर उसकी तथा उसके परिवार की सुरक्षा हेतु दो सशस्त्र पुलिस कर्मी लगाये गये थे तथा समय-समय पर थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा गश्त के दौरान उनसे पूछ-तांछ की जाती रहती है । वर्तमान समय में भी वादी की सुरक्षा स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है । मृतक के परिवारजनों सर्वश्री शिरोमणि वर्मा व शिव लाल को लाइसेंस दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी की भारत यात्रा पर व्यवस्था हेतु प्रदेश सरकार द्वारा व्यय किये गये धन का विवरण

43-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा की जा रही भारत यात्रा पर प्रदेश सरकार का बैरीकेटिंग (बल्लियां लगाने) तथा पुलिस बन्दोबस्त पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री कल्याण सिंह -

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार डा0 मुरली मनोहर जोशी की भारत यात्रा पर 16 जनपदों में बैरीकेटिंग पर रु0 20,57,380.76 पैसे तथा पुलिस व्यवस्था आदि पर रु0 5,43,526.94 पैसे कुल रु0 26,00,907.70 पैसे व्यय किया गया।

उन्नाव जनपद के पुरवा थाने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गिरफ्तारी

49-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपिया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा थाने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धाराओं का मुकदमा माह जनवरी, 92 के प्रथम सप्ताह में कायम हुआ ? यदि हां, तो क्या

अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्ति राजकुमार सोनकर ने उप पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र में यह शिकायत की गई थी कि एक अभियुक्त ने घटना के फौरन बाद इन्सपेक्टर के समक्ष अपराध स्वीकार किया था ? यदि हां, तो क्या शिकायत में यह भी कहा गया था कि अभियुक्त ने इन्सपेक्टर के समक्ष अपराध उत्प्रेरक का भी नाम बताया था ? यदि हां, तो क्या सरकार अपराध स्वीकार के बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार न करने और पुलिस अधीक्षक उन्नाव को उक्त गम्भीर प्रकरण की विवेचना करने में असमर्थता व्यक्त करने पर स्थानीय पुलिस पर उक्त अधिनियम की धारा-4, के अन्तर्गत कार्यवाही कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।
जी हां ।
जी हां ।
जी हां ।

यह सही नहीं है कि अभियुक्त ने घटना के फौरन बाद इंसपेक्टर के समक्ष अपराध स्वीकार किया था तथा इंसपेक्टर के समक्ष अपराध के उत्प्रेरक का नाम बताया था । घटना के अभियुक्त श्यामू उर्फ कमलेश को विवेचक ना0पु0 श्री मुलायम सिंह द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । उक्त प्रकरण गम्भीर होने के कारण पुलिस अधीक्षक ने विवेचना विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ उन्नाव द्वारा कराई जिसमें अभियुक्त श्यामू उर्फ कमलेश के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया तथा शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप अप्रमाणित रहे । चूंकि स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना करने में कोई असमर्थता व्यक्त नहीं की गई इसलिए किसी के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं बनता है ।

जनपद उन्नाव थाना मौरावां के ग्राम देवमई में अपराधी को गिरफ्तार करने गयी पुलिस पर अपराधी द्वारा हमला और आगजनी

50-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के थाना-मौरावां के ग्राम-देवमई में एक अपराधी को गिरफ्तार करने गयी पुरवा पुलिस पर दिसम्बर, 91 या जनवरी, 92 के प्रथम सप्ताह में अपराधी व अपराधी के परिवार वालों ने धावा बोलते हुए अपना घर फूंक दिया था ? क्या पुलिस के एक सिपाही ने निकटतम थाने में भागकर हादसे की सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वायरलेस के माध्यम से क्षेत्राधिकारी-पुरवा सहित भारी पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति

पर नियंत्रण किया था ? यदि हां, तो पुलिस बल पर धावा बोलने स्वयं अपना घर फूंक देने और पूरे गांव में उत्तेजना फैला देने के गम्भीर प्रकरण पर क्या कोई मुकदमा कायम हुआ है ? यदि हां, तो उसकी संगत धारायें क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं, पुलिस/अपराधी व उसके परिवार वालों ने धावा नहीं बोला । अभियुक्त राम लाल पुत्र बुद्धा के घर के छप्पर में दिनांक 4-1-92 को पुलिस की मौजूदगी में आग जरूर लगी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मौरावां जनपद उन्नाव पर मु0अ0सं0 3/92 धारा 436 भा0दं0वि0 विरुद्ध श्री पाल पुत्र मैकू पंजीकृत कराया गया है ।

जी नहीं, बल्कि ड्राइवर श्री सियाराम सैनी, निवासी बहगवां द्वारा इस हादसे की सूचना थाने में दी गयी ।

जी नहीं, बल्कि सूचना पर प्रभारी निरीक्षक, पुरवा मय फोर्स के साथ पहुंचे थे ।

जी नहीं, क्योंकि कुर्की सहज ढंग से सम्पन्न हुई थी । पुलिस पर कोई धावा नहीं बोला गया और न ही गांव में किसी प्रकार की उत्तेजना फैलायी गयी थी । इसलिए किसी के विरुद्ध मुकदमा कायम नहीं किया गया ।

जिला प्रशासन फर्रुखाबाद द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा अपने कब्जे में रखने का मामला

5। -श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के जिला प्रशासन ने 1990 व 1991 में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिता से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा कब्जे में लेकर जमा कर रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक पुरातत्व विभाग द्वारा इस बात की जांच कराई ? यदि हां, तो उक्त प्रतिमा कितनी पुरानी है और उसकी कीमत क्या है ? क्या सरकार उक्त प्रतिमा को संकिता पर्यटन केन्द्र में ही बौद्ध स्तूप पर स्थापित कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकारी अभिलेखों में प्रतिमा के स्वरूप को अंकित कर दिया गया है ? क्या उस प्रतिमा की मिल्कियत अथवा निस्तारण के विषय में कोई विवाद भी लम्बित है ? यदि हां, तो सरकार बुद्ध बिहार निर्माण समिति संकिता, फर्रुखाबाद, बौद्ध विकास परिषद् संकिता शाक्य उत्थान समिति, फर्रुखाबाद, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, शाखा उत्तर प्रदेश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

52-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री डी0 कुमार अध्यक्ष, हिन्दू सुरक्षा समिति, रामपुर द्वारा मुख्य मंत्री, गृह सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक को बलात्कार के सम्बन्ध में भेजे गये शिकायत पर कार्यवाही

53-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सम्बोधित तथा प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक आदि को भी श्री डी0 कुमार अध्यक्ष हिन्दू सुरक्षा समिति जिला रामपुर द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1991 को भेजा हुआ तार मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो तार में शिकायतकर्ता श्री डी0 कुमार द्वारा भेजे गये संदेश का विवरण क्या है ? इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

तार में कहा गया था कि जिला रामपुर के थाना शहजादनगर के अन्तर्गत आने वाले गांव भमरोला में स्थित शिव मन्दिर पर सोमवार दिनांक 19 अगस्त, 1991 को प्रसिद्ध मेला था । इस शिव मन्दिर पर पूजा अर्चना करने जा रही हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की 13 से अधिक नाबालिग हिन्दू लड़कियों को दिन-दहाड़े ग्राम भमरौला के पास पहाड़ी नहर पर जबरन कुख्यात गुण्डा एवं माफिया गिरोह का सरगना वावर नि0 वगी, थामगंज, जिला रामपुर तथा इसके साथी मंजूर, गुड्डू वगैरह 25-30 सशस्त्र मुस्लिम साथियों ने जबरन पकड़कर सामूहिक बलात्कार एवं कुकर्म किया और चार हिन्दू लड़कियों को जबरन यह गुण्डे उठाकर ले गये जिनको तीन दिन बाद अधमरा कर छोड़ा गया और एक नाबालिग लड़की बलात्कार बर्दास्त न करने के कारण मर गई । रामपुर जिले में भय तथा आतंक छाया है । जिला-रामपुर में हिन्दूओं की रक्षा की मांग की गयी । शिव मन्दिर में पूजा-अर्चना के लिए मौजूद उत्तर प्रदेश शासन के राज्यमंत्री तथा पुलिस एवं प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल फरियाद करने पर भी पीड़ित लड़कियों तथा लोगों को बचाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये गये और ना ही अपराधियों को ही पकड़ा गया । यहां तक की पुलिस ने थाने में रपट भी दर्ज नहीं की । समस्त प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच कराई जाए एवं अपराधियों को पकड़ा जाये ।

जांच से महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने अथवा बलात्कार से किसी महिला या लड़की की मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई है ।

शिव सेना के श्री नरपति सिंह राजपूत प्रादेशिक संगठन मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री को भेजा गया तार एवं कृत कार्यवाही

54-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें सम्बोधित तथा गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी श्री नरपति सिंह राजपूत प्रादेशीय संगठन मंत्री शिव सेना द्वारा दिनांक 18-9-91 को काशीपुर से भेजा गया तार मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं, बल्कि श्री नरपति सिंह राजपूत का सेविंगग्राम एक्सप्रेस दिनांक 18-9-91 प्राप्त हुआ था ।

उक्त सेविंगग्राम एक्सप्रेस में पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच कराई गई । जांचोपरान्त आरोपों को निराधार पाया गया अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद के 100 मीटर के अन्दर गैर हिन्दू व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होने के बाद भी खाद्य मंत्री के प्रवेश का औचित्य

55-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर के 100 मीटर के अन्दर किसी गैर हिन्दू का प्रवेश वर्जित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री के साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री एजाज रिजवी शपथ ग्रहण समारोह के बाद उस परिसर में गये थे ? यदि हां, तो सरकार इस आदेश के अवहेलना करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

56-श्री फरीद महफूज किदवई-

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

57-श्री गंगा बख्श सिंह-

(7 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद उन्नाव के अनुसूचित जातियों पर सबसे अधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के इतिहास के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

58-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जातियों पर जिला उन्नाव के सबसे बड़े अपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति द्वारा अत्याचार किए जाने के मामले पर विवेचना विषयक प्रश्नकर्ता के प्रमुख सचिव, गृह को प्रेषित पत्र दिनांक 9-1-92, पत्रांक-27/92 पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? उक्त पत्र की जांच किसने की ? क्या सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्यचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा के अधीन मुकदमा कायम करवाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

पत्र जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को भेजा गया है ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा की जा रही है ।

जी हां । मु0अ0सं0 1/92 धारा 504/506 व धारा 3 (1) (10) अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में विवेचनोपरान्त श्यामू उर्फ कमलेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

59-श्री किशन गोपाल-

(7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही का विवरण

60-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कराया गया पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1991 संलग्नकों सहित मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी नें इस पत्र को कार्यवाही के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को भेजा है ? यदि हां, तो इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अपनी हत्या के अंदेशा में मुख्य मंत्री गृह सचिव आदि को भेजा गया पत्र पर कृत कार्यवाही

61-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की हत्या किये जाने की साजिशों के बारे में प्रेषित कराया गया प्रश्नकर्ता का पंजीकृत पत्र संख्या-0980 दिनांक 12-12-91 जिसकी प्रतियां पंजीकृत डाक द्वारा ही गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजी गयी हैं, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के पत्र का विवरण क्या है तथा शासन द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि जनपद फैजाबाद के सर्वश्री अरविन्द सिंह, पप्पू सिंह, शत्येन्द्र सिंह, फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी,

इलाहाबाद के पेशेवर गुण्डा द्वारा उनकी हत्या कराना चाहते हैं और उन्होंने माननीय विधायक के प्रतिद्वन्दियों को अपने साथ में मिलाकर उनके घरों को अड्डा बना रखा है । साथ ही उन्होंने माननीय विधायक की हत्या के लिए धन भी एकत्र करना शुरू कर दिया है ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, द्वारा कराई गई । जांच से उनके हत्या के लिए चन्दा एकत्रित करके हत्या करवाने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिला । माननीय विधायक को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा दिया गया है ।

जानमाल की सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में शासन की नीति की जानकारी

62-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जान व माल की रक्षा के लिए समूचे प्रदेश में शस्त्रों के अनुज्ञा पत्र देने की क्या नीति है ? क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई रोक लगी है ? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान सरकार ने कोई शासनादेश जारी किया है ? यदि नहीं, तो मैनपुरी जनपद में आम नागरिकों को उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु लाइसेंस निर्गत न किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 16-12-85 से आग्नेयास्त्र के नये लाइसेंसों की स्वीकृति पर प्रतिबंध है । उक्त प्रतिबंध से वर्तमान समय में आठ श्रेणी के आवेदकों को मुक्त रखा गया है ।

जी नहीं ।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणियों के आवेदकों को जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा लाइसेंस स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

मिर्जापुर एवं सोनभद्र की अलग-अलग जिला परिषदों का गठन एवं जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा सोनभद्र में वाहन शुल्क लिये जाने का औचित्य

63-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में अलग-अलग जिला परिषदों का गठन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा बैरियर लगाकर जनपद सोनभद्र में वाहनों से शुल्क लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त शुल्क किस मद में जमा किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64-श्री राम प्रसाद सिंह-

(5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

65-श्री राम आसरे वर्मा-

(माननीय उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया)

जनपद मऊ थाना चिरैयाकोट के थानाध्यक्ष द्वारा घटना को एक माह पूर्व लिखे जाने की शिकायत

66-श्री अंगद यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत थाना चिरैयाकोट में मुकदमा अपराध सं0-251/91 धारा-379 आई0पी0सी0, दिनांक 27-12-91 की कापी जिसमें थानाध्यक्ष चिरैयाकोट द्वारा एफ0आई0आर0 घटना से क्या एक माह पूर्व ही दर्ज कर ली गयी है ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

वादी श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय की मौखिक सूचना पर सूचना का दिनांक 27-12-91 के स्थान पर 27-11-91 अंकित हो गया था जिसे न्यायालय की प्रति एवं कार्यालय प्रति में ठीक कर लिया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यालय प्रति में वादी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, थानाध्यक्ष व लेखक के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 27-12-91 ही लिखी गयी है और घटना की तिथि भी 27-12-91 ही लिखी गयी अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद उन्नाव के गंगाघाट व कोतवाली पुरवा की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ने के विरोध में सांसदों द्वारा धरना और रोष प्रकट करना

67-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना गंगाघाट व कोतवाली पुरवा में निर्दोष लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर गंगाघाट थाने के परिसर में माह जनवरी, 91 के प्रथम सप्ताह में माननीय सांसद श्री देवी बख्श सिंह ने व कोतवाली पुरवा में माननीय सांसद श्री छोटे लाल ने माह जनवरी, 92 के दूसरे सप्ताह में उल्लेखनीय रोष व्यक्त करते हुए धरना देकर सरकारी नीतियों पर

नाराजगी जाहिर की थी ? क्या सरकार बताएगी कि थाना गंगाघाट व कोतवाली पुरवा में प्रश्नगत व्यक्ति किन-किन आरोपों में पकड़े गये थे, ? क्या सरकार दोनों व्यक्तियों के अपराधिक इतिहास सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । दिनांक 9-1-92 को अभियुक्त अजय सिंह को थानाध्यक्ष गंगाघाट द्वारा गिरफ्तार किया गया था । इस गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सांसद के पी0आर0ओ0 द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर को उसी दिन फोन पर अवगत कराया गया कि अजय सिंह नाम के व्यक्ति को फर्जी बंद किया गया है तथा सांसद भी थाने पर मौजूद है । क्षेत्राधिकारी ने गंगाघाट पर जाकर माननीय सांसद एवं उनके साथियों तथा थानाध्यक्ष तथा हकर्मियों से बातचीत की । मौके पर अभियुक्त बीमार पाया गया जिससे उसकी जमानत थाने से करा दी गयी ।

दिनांक 11-1-92 को अभियुक्त श्री श्यामू उर्फ कमलेश को गिरफ्तार किया गया और दिनांक 12-1-92 को जेल भेजा गया । इस पर माननीय सांसद द्वारा रोष व्यक्त नहीं किया गया ।

अभियुक्त अजय सिंह को 25 आर्म्स ऐक्ट में पकड़ा गया जिस पर मु0अ0सं0 12/92 पंजीकृत कर विवेचना अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ के विचाराधीन है । अभियुक्त श्यामू को मु0अ0सं0 1/92 धारा 504/506 भा0दं0वि0 व 3 (1) (10) (अत्याचार निवारण) अधिनियम में वांछित था ।

जी हां । दोनों का अपराधिक इतिहास संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पुष्ठ संख्या 74 पर)

जनपद शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर में जय श्री साड़ी इम्पोरियम की दुकान में चोरी के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

68-श्री सुन्दर लाल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना-मीरानपुर में जय श्री साड़ी इम्पोरियम की दुकान में रुपया 65,000 की चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाना-कटरा में 218/87 धारा-457-380 भा0दं0सं0 पंजीकृत है । इसकी विवेचना स्थानीय पुलिस तथा एस0आई0एस0एजेंसी तथा बरेली जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई इसके पश्चात् उच्च स्तर की सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा भी जांच की जा रही है ? इस चोरी में थाना-कटरा की पुलिस द्वारा कितने मुल्जिम पकड़े गये तथा कब ? शासन द्वारा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में मिलने वाली सब्सिडी औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में दिये जाने की मांग

69-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंजीकृत स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए सब्सिडी का लाभ केवल इण्डस्ट्रियल एरिया में ही दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस नीति को परिवर्तित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जो कि इण्डस्ट्रियल एरिया नहीं है, में स्थापित पंजीकृत लघु उद्योगों को सब्सिडी का लाभ दिये जाने की कोई प्रस्ताव वर्ष 1991 में शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के थाना कोतवाली से सम्बद्ध पी0आर0डी0 जवानों को दिनांक 20-8-89 से वेतन भत्ता न मिलने की शिकायत

70-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में नागरिक पुलिस की सहायतार्थ कानून व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में दिनांक 20-8-89 से थाना कोतवाली फैजाबाद से सम्बद्ध होकर सेवा करने वाले पी0आर0डी0 जवानों का पैसा आज तक भुगतान क्यों नहीं कराया गया है ? क्या प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली, फैजाबाद द्वारा पी0आर0डी0 अधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित करायी आख्या में आमद नं0 30, दिनांक 20-8-89 से क्रमशः आमद जी0डी0 संख्या-32, 23, 39, 8, 35 के अनुसार पी0आर0डी0 जवानों के प्रति माह के कार्य दिवसों में कार्य करने का ब्यौरा भेजे जाने के बाद भी इन जवानों का भत्ता न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जनपद फैजाबाद में नागरिक पुलिस के सहायतार्थ कानून व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में दिनांक 20-8-89 से थाना कोतवाली, फैजाबाद में सम्बद्ध होकर सेवा करने वाले पी0आर0डी0 जवानों का पैसा, जो नियमानुसार था, भुगतान कर दिया गया है ।

प्रभारी निरीक्षक, नगर कोतवाली फैजाबाद द्वारा जिला युवा कल्याण, प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, फैजाबाद को भेजी गयी आमद संख्या-30 दिनांक 20-8-89 से क्रमशः आमद जी0डी0 संख्या-32,23,39, 8, 35 द्वारा पी0आर0डी0 जवानों के प्रति माह कार्य दिवसों में कार्य करने के भेजे गये ब्यौरे में ऐसे व्यक्तियों का नाम सम्मिलित पाया गया, जो पी0आर0डी0 के जवान ही नहीं थे, ऐसे डयूटी सत्यापन

को तत्कालीन कार्यवाहक जिला युवा कल्याण, प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (श्री चन्द्र भाल मिश्रा) द्वारा नगर कोतवाली, फैजाबाद में सही-सही सत्यापन किया गया । नियमानुसार ड्यूटी सत्यापन के अभाव में भुगतान के प्रति किसी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मस्टररोल के सही सत्यापन के अभाव में भुगतान नहीं हो सकता ।

जनपद फैजाबाद में सरकार द्वारा जिला युवा कल्याण अधिकारी को महिला मंगल दल को दिये जाने हेतु दिये गये धनराशि एवं व्यय का विवरण

7।-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या युवा कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष ।99।-92 में जनपद फैजाबाद में प्रति विकास खण्ड में महिला मंगल दलों को दिये जाने हेतु सिलाई मशीनें तथा पुरस्कार राशि क्रमशः एक हजार, पांच सौ, व तीन सौ रुपये सरकार द्वारा वितरित की गयी है ? यदि हां, तो यह राशि और सिलाई मशीनें या सिलाई मशीनें क्रय करने की राशि, जिला युवा कल्याण अधिकारी को कब उपलब्ध करायी गयी ? उक्त युवा कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद के विकास खण्डवार किन-किन महिला मंगल दलों के किस प्रतिनिधि को सिलाई मशीन और नगद राशि कब उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

वित्तीय वर्ष ।99।-92 में महिला मंगल दलों को सिलाई मशीनें तथा नगद पुरस्कार हेतु कोई धनराशि जनपद फैजाबाद को नहीं दी गयी है ।

जनपद बांदा के थाना कर्वी के ग्राम भीषमपुर पहरा निवासी श्री देवी दयाल के पुलिस उत्पीड़न सम्बन्धी पत्र एवं कृत कार्यवाही

72-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की जनपद बांदा अन्तर्गत थाना कर्वी के ग्राम भीषमपुर पहरा के श्री देवी दयाल का पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने सम्बन्धी पत्र प्रश्नकर्ता के संग्लन पत्र सहित मुख्य मंत्री को दिनांक ।2-9-9। को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पुलिस महानिदेशक ने इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । इनकी जांच क्षेत्राधिकारी से करायी गयी, जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, थाना रैपुरा अन्तर्गत ग्राम मगरहाई के श्री मिठाई लाल एवं प्रश्न कर्ता का क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

73-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा तहसील कर्वी थाना रैपुरा अन्तर्गत गांव मगरहाई के श्री मिठाई लाल का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ उनके पुत्र कंचन सिंह को क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी द्वारा दिनांक जून, 16-17 सन् 1991 को पकड़कर गायब करने सम्बन्धी दिनांक 3-9-91 को रिहाई/अपहृत को छुड़ाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं जो कि पुलिस अधीक्षक, बांदा को उपयुक्त कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या संलग्न शिकायती पत्रों में अपर मुख्य दण्डाधिकारी कर्वी का आदेश मुकदमा कायम करके विवेचना करने सम्बन्धी भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अपर मुख्य दण्डाधिकारी, कर्वी के आदेशानुसार थाना कर्वी में मुकदमा रजिस्ट्रीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब और किन धाराओं में ? उक्त मुकदमें की विवेचना किसके द्वारा की जा रही है ? क्या इस प्रकरण में आरोप तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कर्वी के ऊपर है ? यदि हां, तो क्या जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराई जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के थाना पहाड़ीगंज में बढ़ते अपराधों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को भेजा गया पत्र

74-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा तहसील कर्वी अन्तर्गत थाना पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ती हुई अपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 2-12-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जांच कराई गई । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये कि शिकायती पत्र में अंकित सभी घटनाओं के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हैं और यह आरोप असत्य पाया गया कि थाना क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है । शिकायतकर्ता के पत्र में लगाए गए अन्य आरोप भी जांच में प्रमाणित नहीं पाये गये ।

जनपद शाहजहांपुर के जमौर गांव में विड़ला द्वारा लगायी जा रही फैक्ट्री हेतु किसानों की भूमि का संशोधित मुआवजा दिये जाने की मांग

75-श्री राम मूर्ति सिंह-

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जमौर ग्राम में उद्योगपति बिड़ला द्वारा लगाई जा रही फैक्ट्री हेतु किसानों की 150 एकड़ भूमि, मात्र 9 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देकर जबरन ली जा रही है, जबकि जमीन का वास्तविक मूल्य 45 हजार रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम जमौर में उद्योगपति बिड़ला द्वारा कोई फैक्ट्री नहीं लगायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग के कुछ उपनिदेशकों की पदोन्नति समाप्त किये जाने विषयक सचिव, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

76-श्री राम ललित चौधरी-

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सचिव, पंचायत राज उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, नई दिल्ली के दो शिकायती पत्र दिनांक 16-12-91 एवं दिनांक 20-12-91 जो श्री सुघन चन्द्र चन्दोला, उपनिदेशक, पंचायत एवं अन्य मण्डलीय उप निदेशक पंचायत (निदेशालय) के अवैधानिक पदोन्नति के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पर कार्यवाही कब तक सम्पन्न करा दी जायेगी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जी हां । श्री सुघन चन्द्र चन्दोला एवं अन्य 5 जिला पंचायत राज अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति उप निदेशक (पंचायत)/मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) के पदों पर वर्ष 1987 में तत्कालीन शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यहित में की गयी थी तथा तब से यह पदोन्नतियां निरन्तर चली आ रही हैं । कार्यहित में इन पदोन्नतियों को समाप्त किया जाना संभव नहीं है ।

ग्राम मकन्दरपुर थाना कलान जनपद शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान राम सिंह द्वारा सुरेश के घर आग लगाने की शिकायत

77-श्री राम मूर्ति सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मकन्दरपुर थाना कलान जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 23/24 जून, 1991 को ग्राम प्रधान राम सिंह आदि ने श्री सुरेश के घर में तेल छिड़क कर आग लगा दी और उसे जलाकर मार डाला ? यदि

हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह -

दिनांक 24 जून, 1991 को श्री सुरेश को जलाकर मार डालने के सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री महेश द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर भा0दं0वि0 की धारा-147/148/436/302 के अन्तर्गत थाना कलान, जनपद शाहजहांपुर पर अभियुक्त जगदीश, श्याम सिंह, राम सिंह, वीरेन्द्र सिंह, भुकड़ व जयवीर सिंह के विरुद्ध मु0अ0सं0 81/91 पंजीकृत किया गया ।

इस अभियोग के नामांकित अभियुक्त जयवीर सिंह को दिनांक 26-6-91 एवं भुकड़ को दिनांक 28-6-91 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा शेष अभियुक्त जगदीश, श्याम सिंह, वीरेन्द्र व सुरेन्द्र सिंह दिनांक 6-8-91 को हाजिर अदालत हुए । विचारोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-8 दिनांक 13-8-91 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी व मिर्जापुर में खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाले राजस्व का विवरण

78-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी तहसील चकिया में वन विभाग से सुरक्षित पहाड़ियों पर 1985 से बीस हजार व्यक्तियों द्वारा चयन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो रा-मेटीरियल पर बिक्री कर के रूप में सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद मिर्जापुर जो इससे कम क्षेत्रफल में खनन कार्य होता है उसके राजस्व बनारस जिले में हो रहे खनन कार्य से राजस्व की वसूली अधिक होती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस पर कोई नया राजस्व वसूली का नियम लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में खनन क्षेत्रफल बनारस जिले से अधिक होने के कारण वहां से राजस्व की वसूली अधिक होती है ।

जी नहीं ।

उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 में निहित प्राविधान यथेष्ट हैं ।

79-श्री यदुनाथ सिंह -

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

बुन्देलखण्ड के बांदा क्षेत्रों में हैवी रिंगबोर योजना की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

80-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में शासन द्वारा हैवी रिगबोर योजना अन्तर्गत अनुदान धनराशि वर्ष 1983 की लागत के अनुसार अनुमन्य है इस दौरान कीमतों एवं लागत में भारी परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो बढ़ी हुई लागत को देखते हुए एवं बुन्देलखण्ड के बांदा जेसे क्षेत्रों में पथरीली एवं जलस्तर की गहराई को देखते हुए हैवी रिगबोर में अनुदान की धनराशि बढ़ाकर साठ हजार रुपया दिये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जाएगा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन स्थल माटोला रोहला, जनपद बरेली के अतिथि गृहों में कमरा बढ़ाने की मांग

81-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या पर्यटन मंत्री बरेली नगर की आवश्यकता को देखते हुए बरेली नगर में स्थित पर्यटन स्थल माटोला रोहला के कमरों की संख्या और अधिक बढ़ाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

जी नहीं ।

पर्यटन होटल रोहिला मोटल की आक्यूपेंसी पर्याप्त न होने के कारण विचार नहीं किया गया है ।

जिला मऊ में भीटी पुलिस चौकी के कान्सटेबिल श्री राम सहाय यादव के स्थानान्तरण की मांग

82-श्री राम लखन वर्मा-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सहाय यादव, कान्सटेबिल, चौकी-भीटी, कोतवाली मऊ, जनपद मऊ कितने वर्षों से उक्त जनपद में कार्यरत हैं, इनका कितनी बार स्थानान्तरण किया गया ? क्या यह सही है कि कई बार इनके द्वारा स्थानान्तरण रुकवाया गया है ? यदि हां, तो कितनी बार ? क्या इन्हें तत्काल उक्त जनपद अथवा सिविल पुलिस से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

कान्सटेबिल राम सहाय यादव जनपद मऊ में दिनांक 19-11-88 से नियुक्त थे । वर्ष 1990 में पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर के आदेश दिनांक 3-5-90 द्वारा उनका स्थानान्तरण जनपद मऊ से जनपद जौनपुर किया गया था

परन्तु उक्त कान्सटेबिल द्वारा अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उनका स्थानान्तरण पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर के आदेश दिनांक 21-5-90 द्वारा निरस्त कर दिया गया था । पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन के आदेश दिनांक 3-7-91 द्वारा पुनः इनका स्थानान्तरण जनपद मऊ से जनपद वाराणसी किया गया । कान्सटेबिल राम सहाय द्वारा अपनी पत्नी की बीमारी दर्शाते हुए उक्त स्थानान्तरण एक वर्ष स्थगित करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया परन्तु पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन द्वारा इनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया एवं तद्नुसार कान्सटेबिल राम सहाय को जनपद वाराणसी स्थानान्तरण पर जाने हेतु दिनांक 1-12-91 को जनपद मऊ से कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

83-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया)

जनपद इटावा के थाना दिबियापुर के ग्राम ककराही बाजार में जमीन का मामला

84-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के थाना दिबियापुर अन्तर्गत ग्राम ककराही बाजार में श्री समसुद्दीन पुत्र श्री अमीर बक्स ने श्री कैलाश नाथ तिवारी से 20 वर्ष पूर्व, 1200 गज जमीन 30 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर ली थी, जिसका किराया वर्तमान में 100 रुपये प्रतिमाह है ? यदि हां, तो क्या भूमि पर आरा मशीन, चक्की, स्पेलर, रुई मशीन आदि लगायी गई थी ? क्या जमीन मालिक ने उक्त जमीन को बेंचकर खरीददार को कब्जा दिलाने की नियत से जबरदस्ती उक्त कारखाने की दिनांक 27-12-91 को खुदाई शुरू करा दी है ? यदि हां, तो क्या डीजल इंजन, रुई, मशीन तथा कटे हुए पेड़ की लकड़ी आदि उठा ले जाने की शिकायत थाना तथा एस0एस0पी, इटावा को उक्त तिथि को दे दी गयी? यदि हां, तो क्या एस0एस0पी0, इटावा ने थाना इंचार्ज को आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता की बात सही होने पर इनकी पूरी मदद की जाय, क्या थानेदार ने मुल्जिमों के विरुद्ध धारा-448, 332, 147, 148, 506 के अन्तर्गत कार्यवाही की है ? उक्त सामान तथा अधिग्रहीत भूमि किरायेदार को कब वापस दिलाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि जमीन मालिक मकान बनवाने के उद्देश्य से नींव खुदवाकर भरवा रहे थे, इस पर श्री शमसुद्दीन को यह आशंका हुई कि उन्हें प्रतिपक्षी द्वारा बेदखल कर दिया जायेगा । अतः उन्होंने प्रार्थना पत्र दे दिये ।

जी हां । मामले की जांच कराई गई । जांच में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया । कथित वस्तुएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

बिन्दल एग्रो केमिकल, लिमिटेड, शाहजहांपुर के गार्ड द्वारा लखपत नामक हरिजन, की हत्या की शिकायत एवं घायलों की उक्त फैक्ट्री में नौकरी के सम्बन्ध में

85-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिसम्बर, 1991 को जनपद शाहजहांपुर स्थित पिपरौल में बिन्दल एग्रो केमि0 लिमिटेड की खाद फैक्ट्री में कार्यरत गार्ड ने श्री लखपत नामक हरिजन को गोली मारकर घायल कर दिया था ? क्या उक्त फैक्ट्री के जनरल मैनेजर पूर्व डी0आई0जी0 पुलिस हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर घायल के परिवार से बयान हल्फी लिखवा ली है ? यदि हां, तो फैक्ट्री गार्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त गार्ड के विरुद्ध धारा-307 का अभियोग दर्ज कराकर जेल भिजवायेंगे और घायल परिवार के आश्रित को उक्त फैक्ट्री में नियुक्त करा कर उसे मुआवजा दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिन्दल एग्रो केमिकल, लिमिटेड, शाहजहांपुर द्वारा किसानों की ली गई भूमि का मुआवजा तथा नौकरी दिये जाने की मांग

86-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर स्थित पिपरौल बिन्दल एग्रो के लि0 के खाद कारखाने में अधिग्रहीत की गयी भूमि कितने कृषकों की है ? क्या उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा तथा उनके घर के लोगों को मिल में नौकरियां दे दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक मुआवजा तथा उनके परिवार के लोगों को नौकरियां दिला दी जायेंगी ?

श्री कल्याण सिंह-

बिन्दल एग्रो केमिकल्स लिमिटेड के खाद कारखाने के लिए अधिग्रहीत भूमि 999 कृषकों की है । 896 कृषकों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है । शेष 103 कृषकों को भुगतान उनको सूचना दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित न होने तथा कतिपय मामलों में भुगतान विवादित होने के कारण नहीं दिया जा सका है । इकाई अभी निर्माणाधीन अवस्था में है अतः नौकरी दिलाने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

87-श्री अंगद सिंह यादव-

(विस्तीर्णता एवं अस्पष्ट होने के कारण निरस्त)

थाना रैपुरा, जिला बांदा के ग्राम उन्नाय वनी के निवासी श्री रमाशंकर के उत्पीड़न के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

88-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना रैपुरा के अन्तर्गत ग्राम उन्नाय वनी के श्री रमाशंकर का कुछ व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न के

संबंध में शिकायती पत्र दिनांक 3-2-90 प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ तत्कालीन मुख्य मंत्री उ0प्र0 को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या संयुक्त सचिव, गृह के अ0शा0 पत्र संख्या-111 ख0 वि0/छ-4-1990 उ0प्र0 शासन गृह पुलिस अनुभाग-4, दिनांक 30-8-1990 के द्वारा प्रश्नगत मामले में पुलिस महानिरीक्षक, झांसी, परिक्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए जाने की सूचना दी गई है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । इसकी जांच क्षेत्राधिकारी से कराई गई से जांच प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये ।

प्रदेश स्तर पर प्रत्येक थाने में अनुसूचित जाति, जन जाति उत्पीड़न अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग

89-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति उत्पीड़न अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत हरिजन उत्पीड़न का जो कानून बनाया गया है क्या उक्त अधिनियम की प्रतिलिपियां प्रदेश के सभी पुलिस थानों में उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि हां, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने दोषी लोगों के विरुद्ध प्रदेश के प्रत्येक थानों में मुकदमें दर्ज हैं ? क्या प्रत्येक थाना अनुसार उक्त प्रकार के दर्ज मुकदमों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आबिद अली पुत्र कादर शाह निवासी मोहल्ला सरायखान, तहसील मीरगंज, जिला बरेली की मृत्यु की जांच हेतु जिला प्रशासन एवं शासन को भेजे गये प्रार्थना-पत्र

90-श्री राम लखन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली, तहसील मीरगंज के मोहल्ला सरायखान निवासी श्री बू अलीशाह पुत्र स्व0 कादरशाह के पुत्र श्री आबिद अली जो कि हिन्दू डिग्री कालेज का छात्र था की मृत्यु की जांच कराये जाने हेतु अक्टूबर, 90 में जिला प्रशासन व उ0प्र0 शासन को कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? क्या इस प्रकरण में कोई मुकदमा भी थाना मीरगंज में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो मृत्यु की जांच किस स्तर पर करायी गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच में कौन दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की

जांच सी0आई0डी0 द्वारा करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्या उक्त गम्भीर प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा करायी जायेगी ? क्या श्री बू अली शाह को कोई मुआवजा आदि दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद बरेली, तहसील मीरगंज के मोहल्ला सरायखान निवासी कस्बा मीरगंज के श्री बू अली शाह पुत्र स्व0 कादर शाह के पुत्र श्री आबिल अली की मृत्यु से सम्बन्धित एक प्रार्थना-पत्र श्री बू अली शाह द्वारा माह अक्टूबर, 1990 में थानाध्यक्ष मीरगंज को भेजा गया जिसकी प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन बरेली को दी गयी । मामले की जांच क्षेत्राधिकारी स्तर से जनपद बरेली में और सहायक पुलिस अधीक्षक स्तर से जनपद मुरादाबाद में करायी गयी । मृतक आबिद अली की मृत्यु अकस्मात समुद्र में डूब जाने से होना पाया गया । इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज, बरेली पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया क्योंकि घटना सी-बीच थाना जनपद पुरी, उड़ीसा से सम्बन्धित थी । टीम मैनेजर श्री लेखराज द्वारा सी-बीच थाना जनपद पुरी में इस मामले की रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी । जांच से कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया और न ही किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने कोई आवश्यकता नहीं पायी गयी । श्री बू अली शाह का उनके पौत्र स्व0 आबिद अली शाह की मृत्यु पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में मुआवजा देने की शासन की नीति नहीं है ?

उत्तर प्रदेश सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के विनियमितीकरण की मांग

91. -श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण वर्ष 1990 में किया गया है ? यदि हां, तो कितने विनियमितीकरण के पात्र अवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है और क्यों ? क्या विनियमितीकरण के पात्र अवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बिलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

संगत नियमावली के अनुसार विनियमितीकरण हेतु तत्समय पात्र सभी अवर वर्ग सहायकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है । लगभग 60 ऐसे अवर वर्ग सहायकों, जो प्रत्यक्षतः पात्र नहीं हैं, को कार्मिक तथा न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार कनिष्ठ को दिये गये लाभ के आधार पर विनियमित किये जाने की कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जा रही है तथा उपयुक्त कर्मियों के तद्विषयक आदेश शीघ्र निर्गत हो जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के थाना मूसाझाग के गांव सकतपुर में तीन लोगों की हत्या का मामला

92-श्री हरदेव सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के थाना मूसाझाग में स्थित सकतपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या दिनांक 6-11-1991 को कर दी गई थी, उसमें स्थानीय पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक परिवार की विधवा श्रीमती चमेली देवी की क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव जनपद में कोतवाली पुरवा क्षेत्र के सबसे बड़े अपराधी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने वाले जनप्रतिनिधि पर मुकदमा कायम करने की मांग

93-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की कोतवाली पुरवा के क्षेत्र में सबसे बड़े हत्या, लूट, रोड होल्ड अप जघनय अपराधों वाले आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति व उसका गिरोह सरकार के संज्ञान में है ? क्या यह सच है कि भारी आपराधिक इतिहास के इस व्यक्ति को स्थानीय पुलिस ने दिनांक 11-1-92 को गिरफ्तार किया था, तो क्या यह भी सच है कि इस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु पुलिस पर जबरदस्ती दबाव डालने की कोई घटना पुलिस अभिलेख में किन्हीं जन प्रतिनिधि के सम्बन्ध में दर्ज है ? क्या सरकार ने उक्त जनप्रतिनिधि के कथन पर कोई मुकदमा दायर किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । यदि इससे अभिप्राय कुख्यात अपराधी श्यामू उर्फ कमलेश निवासी बसनोहा से है ।

जी हां, पुलिस ने दिनांक 11-1-92 को श्यामू उर्फ कमलेश को गिरफ्तार किया । यह सच नहीं है कि उक्त अपराधी को छुड़ाने हेतु पुलिस पर दबाव डालने की कोई घटना पुलिस अभिलेख में किसी जनप्रतिनिधि के सम्बन्ध में दर्ज है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 12 जनवरी, 1991 को उन्नाव जिले के मगरवारा दूरदर्शन केन्द्र पर घेराव एवं तोड़-फोड़ करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

94-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 12 जनवरी, 1991 को उन्नाव जिले के मगरवारा दूरदर्शन केन्द्र पर घेराव व तोड़फोड़ स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में की

गई ? क्या सरकार बतायेगी कि सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़फोड़ करने वालों पर कोई मुकदमा कायम हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि पुलिस मूकदर्शक रही ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण तोडफोड़ होती रही ?

श्री कल्याण सिंह-

यह घटना दिनांक 12-1-91 की नहीं बल्कि 12 जनवरी, 92 की है । उस समय एक कान्सटेबिल डियूटी पर तैनात था ।

जी हां ।

मु0अ0सं0 73/92 धारा 147/427 भा0दं0वि0 विरुद्ध राजकुमार पाण्डेय तथा अन्य कायम किया गया ।

जी नहीं, क्योंकि उस समय ड्यूटी पर मात्र एक सशस्त्र सिपाही ही था और भीड़ अधिक थी । अतः वह प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सका । यह घटना पूर्णतया अप्रत्याशित थी और घटित होने में चंद समय ही लगा । घटना के समय लापरवाही के लिए दोषी गार्द कमाण्डर को मुअत्तल किया गया तथा अब वहां अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त कर दिया गया है ।

जनपद जौनपुर ग्राम सखेला में श्री हरी राम सोनकर की पांच दुकानों को ग्रामोदय इण्टर कालेज, गौराबादशाहपुर के प्रधानाचार्य द्वारा गिराने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

95-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के थाना गौराबादशाहपुर के अन्तर्गत ग्राम सखेला में श्री हरी राम सोनकर की रोड साइड में निर्मित पांच दुकानों को ग्रामोदय इण्टर कालेज गौराबादशाहपुर के प्रधानाचार्य ने अपने कई सहयोगियों तथा कालेज के छात्रों को लेकर गिरा दिया है जिसकी रिपोर्ट माह सितम्बर, 1991 में सम्बन्धित थाने में दर्ज हुई ? यदि हां, उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नगत आशय की रिपोर्ट श्री राम लाल सोनकर द्वारा 28 अगस्त, 1991 को दर्ज करायी गई ।

मामले में धारा 147/323/504/506/427/379 भा0दं0वि0/7 पी0सी0आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत प्रधानाचार्य एवं 8 अन्यों के विरुद्ध अपराध संख्या 96/91 पंजीकृत हुआ । विवेचना प्रचलित है ।

जनपद सीतापुर में तैनात थानाध्यक्ष हेम नारायण सिंह की हत्या के फलस्वरूप उनके परिवार को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने की मांग

96-श्री लालजी वर्मा-

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तैनात थानाध्यक्ष हेम नारायण सिंह की हत्या दिनांक 2 जुलाई, 1991 को कुछ बदमाशों ने कर दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि शासन के एक वरिष्ठ मंत्री ने घोषणा की थी कि इनके आश्रित परिवार को एक लाख रुपया तथा विभाग में योग्यतानुसार नौकरी में नियुकत किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या शासन ने उनके आश्रित परिवार को एक लाख रुपया तथा विभाग में नौकरी में नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

श्री हेम नारायण की हत्या की घटना की सूचना पर दिनांक 2-7-91 को ही थाना तालगांव, सीतापुर पर मु0अ0सं0 81/91 अन्तर्गत धारा 302/303 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्तगण जिला अमृतसर पंजाब के प्रकाश में आये । इनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें पंजाब भी भेजी गईं । उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये जाने के पश्चात् भी गिरफ्तारी के न होने पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 द0प्र0सं0 के आदेश न्यायालय से प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान में इस अभियोग की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा, सीतापुर द्वारा की जा रही है ।

गृह विभाग एवं मुख्य मंत्री कार्यालय को ऐसी घोषणा की जानकारी नहीं है ।

जहां तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से स्व0 श्री हेम नारायण सिंह की विधवा श्रीमती शान्ती देवी को दिनांक 23-10-91 को रु0 25, 000 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है ।

आश्रित परिवार को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में स्व0 श्री हेम नारायण सिंह की विधवा ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री अतुल कुमार सिंह, बी0ए0 प्रथम वर्ष में शिक्षारत हैं, वे उसे बी0ए0 की शिक्षा पूर्ण कराकर ही सेवायोजित कराना चाहती हैं

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम गुरगवां, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर के श्री दराफ अली की श्री ओमपाल सिंह व राजपाल सिंह द्वारा हत्या किये जाने का मामला

97-श्री राम मूर्ति सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुरगवां, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में श्री दराफ अली का कत्ल दिनांक 18-7-91 को इसी गांव

के निवासी श्री ओमपाल सिंह व राजपाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक से कर दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 18-7-91 को श्री दराफ अली की हत्या ओमपाल सिंह व राजपाल सिंह द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में श्री फिदा हुसैन की सूचना पर भा0दं0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत थाना जलालाबाद पर मु0अ0सं0-265/91 पंजीकृत किया गया। मामला विवेचनाधीन है ।

उन्नाव जनपद के गंगाघाट थाने द्वारा गिरफ्तार बदमाश को छुड़ाने हेतु कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा थाने पर धरने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

98-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना गंगाघाट में एक जनप्रतिनिधि द्वारा एक गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाने हेतु माह जनवरी, 1992 के प्रथम सप्ताह में कोई धरना दिया गया था और क्षेत्राधिकारी, उन्नाव न जाकर जनप्रतिनिधि की मांग को स्वीकार करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसी प्रकार एक अन्य प्रतिनिधि ने दिनांक 11-1-92 को एक अभियुक्त को छुड़ाने के लिए पुरवा कोतवाली में वैसा ही आचरण किया था ? क्या पुरवा कोतवाली में गिरफ्तार व्यक्ति का आपराधिक इतिहास सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या उक्त दोनों प्रकरणों सहित एक अन्य प्रकरण में भी पुलिस पर अन्यथा दबाव डालने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-1-92 पत्रांक 49/92 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो पत्र के जांचकर्ता को क्या निष्कर्ष मिले ? क्या तीनों प्रकरणों पर भा0द0वि0 का कोई मुकदमा बना हे ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं, अपितु दिनांक 9-1-92 को श्री देवी बख्श सिंह, सांसद के पी0आर0ओ0 द्वारा क्षेत्राधिकारी, नगर को टेलीफोन पर अवगत कराया गया कि थाना गंगाघाट पर अजय सिंह नाम के अभियुक्त को गलत तरीके से धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के मुकदमें में बंद कर दिया गया है और इसी मामले में सांसद थाने पर मौजूद हैं इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी, नगर तत्काल थाने पर गये और स्थिति से अवगत होते हुए कुछ लोगों से पूछतांछ की । पूछतांछ से मामला संदेहास्पद लगा । इसके साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त बीमार भी है । इस पर क्षेत्राधिकारी ने थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए अभियुक्त अजय कुमार को थाने से जमानत पर छोड़वा दिया तथा मामले में निष्पक्ष विवेचना की संस्तुति की जिसके आधार पर इस मामले में पंजीकृत अ0सं0 12/92 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट की विवेचना एस0आई0एस0 के सुपुर्द -की गई ।

जी नहीं, अपितु दिनांक 11-1-92 को थाना पुरवा में अभियुक्त श्यामू उर्फ कमलेश पुत्र चन्द्र दत्त तिवारी निवासी ग्राम बसनोहा थाना पुरवा को मु0अ0सं0 1/92 धारा 504/506 भा0दं0वि0 3 (1) (x) अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था एवं इस मामले में आरोप पत्र दिनांक 23-1-92 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

श्यामू उर्फ कमलेश का आपराधिक इतिहास संलग्न है ।

जी नहीं, अपितु इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-40/92 दिनांक 13-1-92 प्राप्त हुआ जिसमें तीन आरोप अंकित थे । उक्त तीनों आरोपों में से दो आरोपों का उल्लेख विवरण सहित ऊपर किया जा चुका है । तीसरा आरोप थाना मौरावां के ग्राम देवमयी में गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस पार्टी पर जय श्री राम के नारों के साथ हमला हुआ, घर फूंके गये, पुलिस दहशत में होगी, तो अपराध बढ़ेंगे, अंकित था । तीसरे आरोप की जांच के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जब उप निरीक्षक थाना पुरवा के मु0अ0सं0 137/91 धारा 307 भा0दं0वि0 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी व धारा 83 जा0फौ0 के अन्तर्गत कुर्की करने हेतु दिनांक 4-1-92 को 3 कान्सटेबिल व एक होमगार्ड के साथ ग्राम देवमयी गये थे जहां पर उनके द्वारा अभियुक्त पुत्ती लाल, राम पाल, बच्चू की कुर्की की गई तथा एक अभियुक्त राम लाल को थाना मौरावां लाकर दाखिल किया गया । इस बीच जब उप निरीक्षक अभियुक्त राम लाल के मकान पर पहुंचे तो किसी व्यक्ति ने उसके मकान के छप्पर में आग लगा दी जिससे छप्पर व मकान जल गया । इस सम्बन्ध में राम लाल ने थाना मौरावां, जनपद उन्नाव में श्री पाल के विरुद्ध मु0अ0सं0 3/92 धारा 436 पंजीकृत कराया । यह कहना असत्य है कि स्थानीय पुलिस दहशत में है ।

जी हां, तीनों प्रकरणों पर पंजीकृत अपराधों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 275 पर)

थाना कैन्ट, जिला वाराणसी में पान्डेयपुर के श्री चम्मन लाल चौकाघाट, वाराणसी तथा उसके साथी की हत्या तथा जुलाई से दिसम्बर, 1991 के मध्य हुए अपराधों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

99-श्री ऊदल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 91 को स्थान पान्डेयपुर, थाना कैंट, जिला वाराणसी में चम्मन लाल चौकाघाट, वाराणंसी तथा उनके साथ एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार ने वाराणसी शहर में होने वाले अपराधों को रोकने तथा अमन कायम करने हेतु कौन-कौन कारगर कदम उठाये हैं ? क्या सरकार जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक उक्त जिले के प्रत्येक शहर के थानों में हुई हत्यायें, लूट, इनकाउन्टर की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

मामले में धारा 307/302/404 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अपराध संख्या ।/92 पंजीकृत किया गया । विवेचना में 5 अभियुक्तों-विनोद कुमार सिंह उर्फ बबलू, सतीश पाण्डेय उर्फ शुक्ल, महेन्द्र पाण्डेय, रामा पाण्डेय एवं रमाकान्त मिश्र के नाम प्रकाश में आये । इनमें से सतीश पाण्डेय बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया । विनोद कुमार सिंह एवं महेन्द्र पाण्डेय ने गिरफ्तारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले रखा है । जिसे निरस्त कराने हेतु प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया है । रामा पाण्डेय ने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया है । विवेचना तत्परता से की जा रही है ।

अपराधों की रोकथाम के लिए पिकेट एवं गश्त ड्यूटी बढ़ायी गई हैं तथा अपराधियों के विरुद्ध समय-समय पर निरोधात्मक कार्यवाही की गई है ।

वांछित सूचना निम्नवत् है:-

क्र0सं0	नाम थाना	अपराधों की संख्या		
		हत्या	लूट	इन्काउन्टर
।	कोतवाली	5	-	-
2	आमदपुर	।	।	-
3	रामनगर	।	-	-
4	दशाश्वमेघ	3	3	-
5	चौक	-	-	-
6	लकसा	।	-	-
7	चेतगंज	3	5	-
8	सिगरा	-	-	।
9	जैतपुरा	2	3	-
10	भेलूपुर	5	3	-
11	लंका	3	।	-
12	मण्डयाडीह	।	2	-
13	कैण्ट	5	3	-
14	शिवपुर	2	-	-
15	सारनाथ	-	।	-

मृतक स्व0 श्री उमा शंकर राय, भूमि संरक्षण निरीक्षक, शारदा सहायक परियोजना, जनपद बरेली के देयों के भुगतान में शिकायत तथा तत्काल भुगतान की मांग

100-श्री लालजी वर्मा-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री उमा शंकर राय मृतक, भूमि संरक्षण निरीक्षक, शारदा सहायक परियोजना (वर्तमान स्थित बरेली प्रथम जनपद बरेली) के देयकों यथा-सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा धनराशि, पेंशन पुनरीक्षण, उपादेय पुनरीक्षण आदि का भुगतान मृत्यु के पांच वर्ष बाद भी मृतक आश्रित विधवा को क्यों नहीं कराया गया ? क्या विलम्ब की समयावधि के लिए ब्याज देय होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

स्वर्गीय श्री राय के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि का 90% अर्थात् रु0 23,237.00 का भुगतान मृतक के आश्रित को दिनांक 31-3-89 को कर दिया गया है । शेष 10% धनराशि के भुगतान हेतु जी0पी0एफ0 पासबुक एवं आगणन शीट प्रशासक शारदा सहायक समादेश के कार्यालय पत्रांक-114 दिनांक 23-6-89 द्वारा महालेखाकार, द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है । कार्यवाही महालेखकार स्तर से अपेक्षित है । जी0पी0एफ0 से सम्बद्ध बीमा योजना की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । पुराने वेतनमान में पेंशन महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है जिसका भुगतान उनकी पत्नी को किया जा चुका है । नये वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षित करने के बारे में प्रस्ताव भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली-3 के पत्रांक 1965 दिनांक 4-2-92 द्वारा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को पत्र भेजा गया है । कार्यवाही महालेखाकार स्तर से अपेक्षित है । मृतक के आश्रित को भुगतान की कार्यवाही की गयी है । इसलिए ब्याज दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

101-श्री राम लखन वर्मा-

(7वें सोमवार में अता0 प्र0सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर में ग्राम मोहर जाने वाली सड़क के मोड़ पर लूट, हत्या का 1 जनवरी, 92 की घटना पर हुई कार्यवाही की जानकारी

102-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में दिनांक 1-1-92 को समय 4.00 बजे शाम सुमेरपुर थाना के अन्तर्गत ग्राम मोहर को जाने वाले अतरैया मोड़ पर बदलू व शिवकरन एवं सन्तराम पुत्र राम लाल को लूट कर सन्तराम को गोली मार दी गयी थीं ? यदि हां, तो इसमें अब तक कितने बदमाश

पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त घटना से संबंधित मु0अ0 संख्या-9/92 धारा-394 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत कामता प्रसाद पुत्र भगवान निवासी मोहर, थाना सुमेरपुर ने थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था ? यदि हां, तो अब तक सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गयी ? क्या घायल एवं वादी सहित सुरक्षा हेतु उन्हें लाइसेंस दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं, बल्कि दिनांक 1-1-92 को ग्राम मोहन निवासी गण श्री कामता प्रसाद व बदलू को शाम 4.00 बजे अतरैया मोड़ पर सुमेरपुर थानान्तर्गत बदमाश द्वारा लूटा गया । भागते हुए बदमाशों के फायर करने से बदमाशों का पीछा करते समय श्री सन्तराम घायल हो गये थे ।

दो बदमाश लल्लन शुक्ला पुत्र श्री राम चरन निवासी परेहटा, थाना सिसोलर हमीरपुर व भानु प्रताप पुत्र श्री बुद्धू निवरीस इमलिया, कस्बा व थाना सुमेरपुर, हमीरपुर पकड़े गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । घटना से संबंधित मु0अ0सं0 2/92 धारा 394 भा0दं0वि0 श्री कामता प्रसाद द्वारा पंजीकृत कराया गया ।

थाना स्तर से गश्त पार्टियां सुरक्षा हेतु भेजी जाती हैं ।

घायल एवं वादी द्वारा सुरक्षा हेतु लाइसेंस की मांग नहीं की गयी ।

103-श्री बलराम यादव-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद आजमगढ़ की पुलिस लाइन में पीने का पानी, विद्युत एवं प्रसाधन की व्यवस्था की मांग

104-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की पुलिस लाइन आरक्षी निवास में पीने के पानी/विद्युत/शौचालय/स्थानागार की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इसकी पूर्ण व्यवस्था की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में नियुक्त होने वाले सहायक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा न होने की शिकायत

105-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत दीवानी कचेहरी/कलेक्ट्री कचेहरी में सहायक अभियोजन अधिकारी शासन द्वारा नियुक्त हैं ? यदि हां, तो उसमें अनु0जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक यह आरक्षण कोटा पूरा किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना विभाग में वर्ष 1987 व 1991 में हुए चतुर्थ श्रेणी के साक्षात्कार की सूची में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की मांग

106-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में दिनांक 17-6-87 एवं दिनांक 10-5-91 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के लिए जो साक्षात्कार लिया गया था, क्या उसकी कोई सूची बनी है ? यदि हां, तो क्या उक्त सूची में अनु0जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बनाई गई सूची की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

जी हां, अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया लेकिन अनुसूचित जन जाति का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 276 पर)

डाला सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बकाये वेतन का भुगतान

107-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारियों/अधिकारीयों का सन् 1991 का वेतन, जो फैक्ट्री बंद होने के दौरान बाकी है उसको उन्हें कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अधिकारी/कर्मचारी अपने पदों पर पुनः कब से कार्य कर रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

डाला सीमेंट फैक्ट्री के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने दिनांक 15-10-91 के पूर्व जिस अवधि में कार्य नहीं किया था उन्हें उस अवधि का कोई वेतन न दिये जाने की नीति सीमेंट निगम द्वारा अपनायी गयी है । डाला सीमेंट फैक्ट्री के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 15-10-91 से अपने पदों पर पुनः कार्य पर वापस आ गये हैं ।

स्पिनिंग मिल, बाराबंकी में मिल की स्थापना से आज तक बराबर कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

108-श्री छोटे लाल यादव-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे स्पिनिंग मिल, बाराबंकी में कितने ऐसे अधिकारी हैं जो मिल की स्थापना से लेकर अब तक वहीं पर कार्यरत हैं और ऐसा क्यों ? शासन की नीति के मुताविक एक अधिकारी एक स्थान पर कितने वर्षों तक कार्यरत रह सकता है ?

श्री कल्याण सिंह-

कोई नहीं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई सामान्य नीति निर्धारित नहीं की गयी है ।

जूनियर हाई स्कूल, गौरी कला, थाना जसपुरा, जिला बांदा के प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट दर्ज न किये जाने तथा दोषी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

109-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी श्री छोटे लाल यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, गौरी कला, थाना जसपुरा, जनपद बांदा के प्रधानाध्यापक श्री राम पाल सिंह की अपने ऊपर घटित घटना दिनांक 27-11-91 की रपट थाना जसपुरा में अंकित न किये जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक, बांदा को दिनांक 29-11-91 को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो बांदा थाने में रिपोर्ट किस तारीख में दर्ज की गई और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या थानाध्यक्ष के विरुद्ध समय पर रिपोर्ट न लिखे जाने के लिए भी कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

वादी श्री रामपाल सिंह की तहरीरी सूचना दिनांक 13-12-91 के आधार पर उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मु0अ0सं0 148/91 धारा 353/504 भा0दं0वि0 का अभियोग थाने में पंजीकृत हुआ।

विवेचना से अपराध धारा 353 भा0दं0वि0 का न होकर मात्र धारा 504 भा0दं0वि0 का ही पाया गया । अतः विवेचना से प्रतिवादी श्री महेश कुमार शिवहरे पर धारा 504 भा0दं0वि0 का अपराध प्रमाणित हुआ, जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या-1/92 दिनांक 3-1-92 को प्रेषित किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

नहीं ।

वादी श्री रामपाल सिंह ने घटना की सूचना थाने आकर नहीं दी बल्कि उच्चधिकारियों के यहां जाकर प्रार्थना पत्र देता रहा, उसके प्रार्थना पत्रों की जांच अवधि के दौरान उसने दिनांक 13-12-91 को थाना जसपुरा आकर दिनांक 22-11-91 की घटना के सम्बन्ध में तहरीर रिपोर्ट दी जिसके आधार पर उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके कार्यवाही की गई । थानाध्यक्ष के स्तर से रिपोर्ट लिखे जाने में कोई विलम्ब नहीं किया गया । अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री शम्सुद्दीन पुत्र श्री अमीरबक्श निवासी ककराही बाजार, थाना दिवियापुर, जनपद इटावा के कारखाने के उजाड़े जाने की शिकायत

110-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि श्री छोटे लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शमशुद्दीन पुत्र श्री अमीरबक्श निवासी ककराही बाजार, थाना दिवियापुर, जनपद इटावा ने एस0एस0पी0, इटावा का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27-12-91 में व उनका तथा जिलाधिकारी, इटावा को दिनांक 29-12-91 को तार, प्रेषित कर मांग की है कि उसके कारखाने को उजाड़ने से रोका जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

मामले की जांच थानाध्यक्ष, दिवियापुर से करायी गई । जांच में किसी अपराध का होना नहीं पाया गया । कारखाने का सभी सामान सुरक्षित है ।

111-श्री विजय सिंह राणा-

(दिनांक 10-3-92 को अता0 प्र0 सं0 137 द्वारा उत्तरित)

पांच साल की सेवा पूरी करने वाले पी0सी0एस0 अधिकारियों की चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच

112-श्री विजय सिंह राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0सी0एस0 संवर्ग के कितने ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने 31-3-85 को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है? उक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारियों ने अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण शासन को प्रस्तुत किया है ?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 31-3-85 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पी0सी0एस0 अधिकारियों की कुल संख्या 503 है । इनमें से कुल 262 अधिकारियों ने अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण शासन को प्रस्तुत किया है ।

113-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण हटाया गया)

जनपद बांदा के कर्वी पुलिस द्वारा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को चित्रकूट में मारे पीटे जाने विषयक, कार्य अधीक्षक, वि0नि0इ0, लोक निर्माण विभाग कर्वी का पत्र एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

114-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत कार्य अधीक्षक, वि0नि0इ0, लोक निर्माण विभाग, कर्वी ने पत्रांक 151/कैम्प/कोर्ट केस, दिनांक 26-12-91 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को सम्बोधित एवं पुलिस अधीक्षक, बांदा पृष्ठांकित पत्र लिखकर सूचित किया है कि दिनांक 2-11-91 को उनकी यांत्रिक कार्यशाला, कर्वी में दीपावली में चित्रकूट के मेला देख-रेख हेतु रात्रि डयूटी में कार्यरत कर्मचारियों को कर्वी पुलिस द्वारा पकड़कर मारपीट कर जुआं खेलने के कथित आरोप में बंद करने के लिए पुलिस कर्मियों के कार्यों की दो राजपतित्र अधिकारियों द्वारा जांच में पुलिस कर्मियों को दोषी ठहरा कर कार्यवाही के लिए लिखा है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कथित आपराधिक मामले की विवेचना की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? क्या आरोप पत्र अदालत में दाखिल हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या राजपत्रित अधिकारियों की जांच को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतावेंगे कि आरोप-पत्र अदालत में दाखिल की हालत में मुकदमा वापस लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कर्वी द्वारा करायी गई जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए पकड़े जाने पर गिरफ्तार किया जाना पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस अभियोग की विवेचना उ0नि0, (ना0पु0), श्री राजेन्द्र सिंह, थाना कर्वी द्वारा की गई ।

जी हां । जहां तक राजपत्रित अधिकारियों की जांच का प्रश्न है के संबंध में कार्य अधीक्षक, विभागीय निर्माण इकाई, कर्वी ने प्रभारी निरीक्षक थाना कर्वी को

अवगत अवश्य कराया है किन्तु न तो उस जांच की रिपोर्ट दी है न ही पुलिस कर्मियों से इस सम्बन्ध में जांच ही की है उनकी जांच एक पक्षीय थी अतः उस पर कोई कार्याही नहीं की गयी ।

इस प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है । अभियोग न्यायालय से वापस लिये जाने का मामला विचाराधीन है ।

13 जनवरी, 1992 को भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या यात्रा के दौरान सुल्तानपुर-फैजाबाद रोड पर किसी बच्चे के कुचलकर मरने पर क्षतिपूर्ति की मांग

115-श्री राम लखन वर्मा-

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 13 जनवरी, 1992 को भाजपा की अयोध्या यात्रा के दौरान, सुल्तानपुर-फैजाबाद मार्ग पर उनके काफिले से कुचल कर किसी बालक की मौत हो गयी थी ? यदि हां, तो उसका नाम व पता क्या है ? क्या उसके परिवार को सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के थानों में तैनात रसोइयों का वेतन चतुर्थ श्रेणी के बराबर किये जाने तथा उसमें अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किया जाना

116-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक थानों में जो खाना बनाने वाले रसोइयां/पानी भरने वाले नियुकत हैं उनका वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसमें अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक यह आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त सूचनानुसार शासन के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अंशकालिक 733 कुक एवं 733 कहार नियत वेतन क्रमशः 650 रुपये एवं 450 रुपये पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी द्वारा नियुक्ति होकर थानों पर केस के स्टाफ हेतु कार्यरत हैं । इन अंशकालिक कुक एवं कहारों को रेगुलर वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

अनुसूचित जाति/जन जाति के आरक्षण कोटे के सम्बन्ध में जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

शस्त्रों के लाइसेंसों के नवीनीकरण की नीति की जानकारी

।।7-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण की सामानय प्रक्रिया क्या है ? क्या नवीनीकरण के अनुरोध पत्रों की नवीनीकरण शुल्क सहित प्राप्ति के बाद संबंधित अनुज्ञापी के आचरण की पुलिस सत्यापन आख्या प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया शस्त्र अधिनियम व तत्संबंधित नियमों/शासनादेशों में है ? यदि हां, तो अनुज्ञापी के नवीनीकरण के कितने दिन/माह के भीतर पुलिस से ऐसी आख्या प्राप्त हो जानी चाहिए ? क्या पुलिस आख्या में विलम्ब के लिए अनुज्ञापी दोषी होता है ? क्या सरकार नवीनीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण और जिला मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए इस कार्य को परगनाधिकारियों को सौंपने पर विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 15 के अनुसार धारा 13 एवं 14 में नवीनीकरण की प्रक्रिया निर्धारित है । तद्नुसार नवीनीकरण के मामलों का निस्तारण किया जाता है ।

जी हां ।

आयुध अधिनियम में पुलिस आख्या प्राप्त करने हेतु समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

आयुध अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी नियमावली केन्द्रीय अधिनियम हैं, जिनमें संशोधन करने के लिए राज्य सरकार सक्षम नहीं है ।

उन्नाव जिले की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

।।8-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रश्नकर्ता का सात प्रमुख बिन्दुओं वाला पत्र दिनांक 29-6-91 पत्रांक-24/91 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच किसने की ? जांच निष्कर्ष क्या है ? दोषी कौन पाया गया है ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न में संदर्भित विषय पर शासन को भेजा गया पत्र संख्या-24/91 दिनांक 29-6-91 शासन को प्राप्त हुआ था । पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन को आदेश दिए गये हैं । जांच अभी प्रचलित है ।

उन्नाव जिले में व्याप्त अपराधों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

।।9-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में व्याप्त तमाम अपराधों में लिप्त होने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा गृह सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 2-7-91

पत्रांक 30/9। की जांच किसने की ? क्या किसने की ? क्या आरोपित व्यक्ति की जांच शासनादेशों के अनुरूप आरोपित व्यक्ति से उच्च अधिकारी द्वारा की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 2-7-9। में उल्लिखित आरोपों की जांच के लिए शासन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन को आदेश दिये गये थे । जांच अभी प्रचलित है ।

।30-श्री विजय सिंह राणा-

(दिनांक 24-3-92 को ता0 प्र0 सं0 ।8 द्वारा उत्तरित)

।2।-विजय सिंह राणा-

(दिनांक 3।-3-92 को तारांकित प्र0सं0 ।5 द्वारा उत्तरित)

विधायक निवास-2 के व्यवस्था अधिकारी के विरुद्ध विधायकों की शिकायत

।22-श्री राम कृष्ण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास-2 के व्यवस्था अधिकारी के विरुद्ध माह दिसम्बर, ।99। से दिनांक 20-।-92 तक कितने विधायकों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों में क्या-क्या आरोप हैं ? उन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

व्यवस्था अधिकारी, विधायक निवा-2 (पुराना) के विरुद्ध दिसम्बर, ।99। से दिनांक 20-।-92 तक 6 विधायकों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ।

शिकायती पत्रों में मुख्यतया अकर्मण्यता, जातिवाद एवं दुराचरण सम्बन्धी आरोप लगाए गये थे ।

शिकायती पत्रों की जांच करायी गयी । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता ।

।23-श्री तेज भान सिंह-

(6ठे गुरुवार में अता0 प्र0सं0 ।86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोण्डा के मनकापुर कोतवाली के अन्तर्गत मंगलभवन चौराहे पर दिनांक 9-।-92 को चली गोली से घायलों की संख्या

।24-श्री छेदी लाल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर कोतवाली के अन्तर्गत मंगल भवन चौराहे पर दिनांक 9-।-92 रात्रि ।। बजे गोली चली है ? यदि हां, तो कितने लोग घायल हुए हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । घटना में दो व्यक्तियों को चोटें आयीं ।

जनपद गोण्डा में अक्टूबर, ।99। से ।5 जनवरी, ।992 के बीच हुए विभिन्न अपराधों की संख्या

।25-श्री छेदी लाल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में अक्टूबर, 9। से

लेकर 15 जनवरी, 1992 तक रोड, होल्ड अप, हत्या डकैती, राहजनी, वाहन चोरी, बलात्कार, हत्या के प्रयास की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद गोण्डा में अक्टूबर, 91 से लेकर 15 जनवरी, 1992 की अवधि में एक रोड होल्ड अप, 33 हत्या, 4 डकैती, 4 राहजनी, 7 वाहन चोरी, 7 बलात्कार, 32 हत्या के प्रयास की घटनाएं घटित हुईं ।

फैजाबाद जनपद की कैन्ट थाने में पुलिस की पिटाई से तारा चन्द्र निषाद की मृत्यु के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

126-श्री राम लखन वर्मा-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के कैन्ट थाने में पुलिस की पिटाई से ताराचंद्र निषाद की हुई मौत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रेषित अर्ध शा0-प0सं0-94 ए0क्यू0/91 गो0 7 गोपन अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 31-8-91 के क्रम में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

इस अभियोग की विवेचना विशेष जांच शाखा, फैजाबाद द्वारा कराई गई । विवेचना, गवाहों के बयान आदि से ताराचन्द्र निषाद की मृत्यु बीमारी ही होना पाया गया । तदोपरान्त मामले में अंतिम रिपोर्ट दिनां क28-9-91 को प्रेषित की गयी जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 23-11-91 को स्वीकृत कर लिया गया । प्रश्नगत प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जांच भी करायी गयी । इसमें ताराचंद्र निषाद की मृत्यु थाना कैण्ट जनपद फैजाबाद में पुलिस हिरासत में होना नहीं पाया गया है ।

ग्राम सभा बसहिया ब्लाक बसखारी, जनपद फैजाबाद के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना में अनियमितता की जांच

127-श्री राम लखन वर्मा-

क्या पंचायती राज व ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बसहिया, ब्लाक बसखारी, जनपद फैजाबाद के ग्राम प्रधान के विरुद्ध भूमि आवंटन व जवाहर रोजगार योजना में हुए घपलों की जांच 89-90 व 90-91 में परगनाधिकारी टांडा द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य सामने आये और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण की स्कीम संख्या 40 ब्लाक डी के भूखण्डों पर अवैध कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की जानकारी

128-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण की स्कीम नं0 40 के अंतर्गत पनकी गंगागंज में ब्लाक नं0 "डी" में भूखण्ड संख्या 427 से 440 तक का आवंटन किया जा चुका है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों के पक्ष में आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक आवंटन किया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण की स्कीम नं0 40 के अन्तर्गत ब्लाक "डी" में किन-किन भूखण्डों पर अवैध कब्जे हैं ? उन कब्जों के हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ? उक्त कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

केवल भूखण्ड संख्या 428-ए श्री राम चरन मिश्रा तथा भूखण्ड संख्या 429 श्री राम किशोर तिवारी के नाम आवंटित किया गया है । शेष भूखण्ड अवैध कब्जे तथा आबादी से प्रभावित होने के कारण आवंटित नहीं किये जा सके हैं ।

निम्नलिखित भूखण्डों पर अवैध कब्जे हैं:-

8,9 13 से 15, 22, 28 से 39, 40 से 49, 88,287, 363, 379 से 381, 211, 2/1, 2/22 से 2/26, 2/15 से 2/16, 75 से 77, 171, 103, 82, 79, 101, 51, 52, 137, से 139, 133, 148, 149, 156 से 162, 147,313, 318, 320, 321, 427 ए तथा 428 से 440 ।

अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर नियमानुसार की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर भूखण्डों का निस्तारण संभव हो सकेगा ।

आवास विकास परिषद् खण्ड सीतापुर के ब्लाक सी0 के भवनों के सम्बन्ध में कतिपय विवरण

129-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् खण्ड सीतापुर द्वारा ब्लाक "सी" का निर्माण पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ब्लाक के भवनों का मूल्यांकन कर दिया गया है ? यदि हां, तो अलग-अलग श्रेणियों के कितने भवन हैं तथा उनका कितना मूल्य है ? उनका आवंटन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । परिषद् संचालित पंचवटी योजना सीतापुर के ब्लाक "सी" के अन्तर्गत 47 अल्प आय वर्ग व 149 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था । 47 अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

तथा दुर्बल आय वर्ग के 66 भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 83 भवनों को प्लिंथ स्तर पर निर्मित कर यथास्थिति आवंटित किये जाने का परिषद् ने निर्णय लिया है, किन्तु भूमि प्रतिकर में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी के कारण मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है । मूल्य के पुनर्निधारित हो जाने के पश्चात् इनका आवंटन सम्भव हो सकेगा ।

जनपद फर्रुखाबाद में सँकिसा नाम ऐतिहासिक बौद्धिक तीर्थ स्थान पर अवरोध पैदा करने की शिकायत

।30-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में सँकिसा नामक स्थान एक ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल है ? यदि हां, तो कितना क्षेत्रफल पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है और सरकार ने उसको सुरक्षित रखने की क्या व्यवस्था की है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बौद्ध स्तूप जहां पर भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां गाड़ी गई थीं, वहीं पर दूसरे धर्मावलंबियों द्वारा अतिक्रमण करके, लोहे का गेट लगाकर व अन्य धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तिया रखकर बौद्ध तीर्थ यात्रियों एवं बौद्ध भिक्षुओं का प्रवेश रोक दिया गया है ? क्या यह भी सच है कि वहां पर बलात् विद्यालय चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने अवैधानिक कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां पर बौद्ध भिक्षुओं एवं विदेशी बौद्ध तीर्थ यात्रियों पर हमले किए गए जिसकी शिकायत जिला प्रशासन फर्रुखाबाद को ।987, ।988, ।990 एवं वर्ष ।99। में की गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल एसोसियेशन आफ फिशरमैन (राष्ट्रीय निषाद संघ) शाखा उत्तर प्रदेश के कार्यालय दारुलशफा में खोले जाने का औचित्य

।3।-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का नेशनल एसोसियेशन आफ फिशरमैन (राष्ट्रीय निषाद संघ) शाखा उत्तर प्रदेश के कार्यालय हेतु कक्ष दारुलशफा, लखनऊ में आवंटन विषयक पत्र दिनांक 3-।2-9। उन्हें वित्त मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कक्ष आवंटित कर दिया जायेगा ? कितनी ऐसी संस्थाएं है जिनके नाम पर विधायक निवासों में कक्ष आवंटित हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्राप्त पत्र पर विचार किया गया । नियमानुसार आवंटन सम्भव नहीं है ।

विगत वर्षों के दौरान नियमों को शिथिल करके विभिन्न प्रकार की ।7 संस्थाओं को विधायक निवासों में कक्ष आवंटित किये गये हैं ।

।32-श्री श्रीराम (जालौन)-

(6 ठें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 ।25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रधान ग्राम सभा, ओदार ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी, को निलम्बित किये जाने एवं आरोपों की जांच

133-श्री ऊदल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा, ओदार ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के प्रधान राम नारायण यादव को हाकिम परगना उत्तरी चाराणसी ने निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो आरोप क्या था ? क्या आरोपों की जांच किसी अधिकारी या ग्राम्य विकास विभाग के किसी अभियन्ता से करायी गयी ? यदि हां, तो जांच अब तक क्यों नहीं करायी गयी ? यदि जांच करायी गयी, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जी हां ।

जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 89-90 में प्राप्त धनराशि में से 12, 966-00 का दुरुपयोग किये जाने का आरोप है ।

जी हां । आरोपों की जांच सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, वाराणसी से करायी गयी ।

जांचोपरान्त प्रधान श्री राम नारायण यादव द्वारा जवाहर रोजगार योजना वर्ष 89-90 में प्राप्त धनराशि में से 12, 966-00 का दुरुपयोग किया जाना पाया गया ।

134-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(5 वें सोमवार में अता0 प्र0सं0 211 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम सभा अरेला विकास खण्ड एत्मादपुर जिला आगरा के कतिपय लोगों द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

135-श्री चन्द्रभान मौर्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अरेला विकास खण्ड एत्मादपुर, जिला आगरा के श्री सियाराम पुत्र श्री होती लाल, श्री पीताम्बर पुत्र श्री सुमेर सिंह, श्री खेम चन्द्र पुत्र श्री अंतराम श्री सूबेदार पुत्र श्री सुमेर सिंह व श्रीमती कमलेश पत्नी श्री हाकिम सिंह ने अपने विभिन्न तारीखों में दिये गये प्रार्थना-पत्रों के अलावा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-12-91 को मय शपथ पत्रों के जिलाधिकारी आगरा को दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधान, ग्राम सभा द्वारा किये जा रहे शोषण तथा उत्पीड़न का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के विरुद्ध अब तक कोई भी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जी हां ।

शिकायत की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा एवं सहायक अभियंता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से करायी गयी थी। जांचोपरान्त एक 50 वर्षीय विधवा को आवास दिलाए जाने का प्रलोभन देकर नसबंदी कराये जाने पर भी आवास उपलब्ध न कराए जाने का मामला दृष्टिगोचर होने पर उसे एक आवास उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दे दी गई है । शिकायती पत्र में उल्लिखित अन्य आरोप निराधार पाये गये हैं । अतः शेष का प्रश्न नहीं है ।

ग्राम प्रधान असलहाबाद विकास खण्ड, छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध 5 लाख रुपये के घोटाले की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

136-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जनपद में ब्लाक छिबरामऊ गांव सभा असलहाबाद के प्रधान के विरुद्ध सन् 1991 में 5 लाख रुपये का घोंटाला करने एवं अन्य अनियमितायें करने के शिकायती प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी, छिबरामऊ व जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद एवं खण्ड विकास अधिकारी, छिबरामऊ को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

जी हां । श्री तेज सिंह, प्रधान गांव सभा असलहाबाद को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने व आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में परगनाधिकारी, छिबरामऊ के आदेश दिनांक 7-2-92 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया । चूंकि प्रधान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिये बिना निलम्बन का एक पक्षीय निर्णय ले लिया गया था इस कारण प्रधान के व्यक्तिगत अनुरोध पर परगनाधिकारी, छिबरामऊ ने प्रधान को सफाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु उनके विरुद्ध चल रही जांच को यथावत चलते रहने के आदेश के साथ निलम्बन आदेश दिनांक 20-2-1992 को वापिस ले लिया ।

राज्यमंत्रियों को सरकारी वाहनों में सायरन लगाने का औचित्य

137-श्री मो0 आजम खां-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य मंत्री को अपनी मोटर पर सायरन लगाने का नियमानुसार अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो कौन-कौन से मंत्री ऐसे हैं जो इसका प्रयोग अपनी सरकारी कार पर करते हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

मोटर वाहन अधिनियम 1988 में मोटर गाड़ियों में सायरन लगाये जाने सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा माननीय मंत्रिगण को उपलब्ध करायी गयी स्टाफ कारों में सायरन नहीं लगाया गया है ।

जनपद आगरा में थाना जगदीशपुरा के अन्तर्गत गढ़ी भदोरिया के माधव कुंज में तीन पार्कों के लिए छोड़ी गयी भूमि की अवैध बिक्री

138-श्री किशन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा में थाना जगदीशपुरा के अन्तर्गत गढ़ी भदोरिया से लगा माधव कुंज में पार्क के लिए 3 पार्क स्थान छोड़े गये थे ? यदि हां, तो क्या उनमें से एक पार्क को अवैध रूप से बेच दिया गया है तथा उस पर मकान भी बना लिया गया है ? यदि हां, तो क्या शेष 2 जमीनों को घेर कर बेचने की योजना बन चुकी है ? यदि हां, तो कब वे भी बेचे जायेंगे अथवा मकान बनाये जावेंगे ? क्या इस आरक्षित स्थानों को अवैध खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की कोई शासन की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

दो पार्क स्थलों की भूमि वर्तमान समय में खाली है । पार्क स्थलों की भूमि का विक्रय किए जाने और भवन बनाये जाने की योजना प्रकाश में नहीं आयी ।

प्रश्नगत भूमि समाजवादी सहकारी आवास समिति की भूमि है जिसका कोई मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है । अवैध खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध आवास विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती, परन्तु अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

139-श्री बलराम यादव-

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता एस0सी0 गुप्त के विरुद्ध जांच की जानकारी एवं प्रमुख अभियन्ता बनाये जाने का औचित्य

140-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता श्री एस0सी0 गुप्ता के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच के दौरान उनका स्थानान्तरण मेरठ से लखनऊ किस आधार पर हुआ ? क्या मुख्य अभियन्ता श्री गुप्त जांच में निर्दोष पाये गये हैं? यदि नहीं, तो उनकी प्रोन्नति किस आधार पर कर दी गयी है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

श्री एस0सी0 गुप्ता का स्थानान्तरण मेरठ से नहीं अपितु, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से लखनऊ विकास प्राधिकरण में किया गया है ।

जांच की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है । श्री गुप्त को तदर्थ रूप से सृजित प्रमुख अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया गया था, परन्तु यह पद समाप्त हो जाने के कारण अब वह पुनः मुख्य अभियन्ता के पद पर नियुक्त हैं ।

नगर कोतवाली जिला बरेली में दर्ज अपराध संख्या 841/90 के अन्तर्गत धारा 302 के मुकदमें में कार्यवाही की जानकारी

141-श्री छेदी लाल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 841/90 नगर कोतवाली बरेली जिला बरेली के अन्तर्गत धारा 302 ता0 हि0 का मुकदमा चीफ सब रजिस्ट्रार व अन्य लोगों के विरुद्ध कायम हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें में संबंधित मुल्जिमान के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

उक्त मुकदमें में नामित अभियुक्त फकीर प्रसाद (निलम्बित) चीफ सब रजिस्ट्रार बरेली व मोहम्मद जफर अली को दिनांक 2-8-90 को गिरफ्तार किया गया । विवेचना के दौरान कुलविन्दर सिंह, राजपाल एवं जोगराज उर्फ पहलवान भी प्रकाश में आये । नामित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 14-10-91 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया तदोपरान्त उक्त अभियोग की विवेचना अपराध, अपराध अनुसंधान विभाग को स्थानान्तरित कर दी गयी ।

चीफ सब रजिस्ट्रार बरेली के विरुद्ध चल रही सर्तकता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही की मांग

142-श्री छेदी लाल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ0 संख्या 841/90 थाना कोतवाली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 302 ता0हि0 के उक्त मुकदमें में चीफ सब रजिस्ट्रार जो मुल्जिम हैं के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच अर्द्ध सा0 पत्र सं0 390/डी 3-3फ (9) 1988 विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि डाइरेक्टर विजीलेन्स ने अपने जांच में करोडो रुपयों की सम्पत्ति उक्त चीफ रजिस्ट्रार व उनकी तीन पत्नियों के नाम से पायी गयी है ? यदि हां, तो शासन उस नाजायज सम्पत्ति की जब्ती के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री कल्याण सिंह-

अपराध संख्या-841/90 धारा 302 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली बरेली के अभियुक्त फकीर प्रसाद चीफ सब रजिस्ट्रार बरेली के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान

बरेली परिक्षेत्र, बरेली द्वारा खुली जांच/अन्वेषण किया गया । जांच से श्री फकीर प्रसाद तथा उनकी पत्नी श्रीमती कुसुमलता देवी उर्फ नौमादेवी के नाम रु0 863,312 की अवैध सम्पत्ति होना पायी गयी । श्री फकीर प्रसाद की तीन पत्नियां नहीं हैं बल्कि एक ही पत्नी है जिसके दो नाम हैं । सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट निर्णय हेतु शासन के विचाराधीन है ।

वर्तमान थानाध्यक्ष हरैया जनपद गोण्डा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की पूर्व शिकायतों की जानकारी

143-श्री छेदी लाल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष, हरैया, थाना, जनपद गोण्डा जब थानाध्यक्ष जरवल रोड, बहराइच जनपद में दो-तीन वर्ष पहले तैनात थे तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण के तहत फैजाबाद द्वारा कतिपय भ्रष्टाचार एवं अन्य मामलों की जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा वर्तमान थानाध्यक्ष, हरैया जनपद गोण्डा का नाम अंकित नहीं किया गया है, फिर भी भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अभिलेखों के अनुसार थानाध्यक्ष, हरैया तत्कालीन थानाध्यक्ष जरवल रोड, बहराइच श्री अभिमन्यु सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच/विवेचना की गयी है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच में उप निरीक्षक अभिमन्यु सिंह व कान्सटेबिल लल्लू सिंह के विरुद्ध मु0अपराध संख्या-53/89 की विवेचना पूर्ण करके विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है । जिसकी स्वीकृति के उपरान्त विभागीय कार्यवाही का औचित्य बनता है ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच के दौरान एक अन्य प्रकरण में उप निरीक्षक, अभिमन्यु सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उनकी चरित्र पंजिका में एक परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

गाजियाबाद, विकास प्राधिकरण में नियुक्त ओ0एस0डी की योग्यता पूरी न होने की शिकायत

144-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ओ0एस0डी0 पद पर माह नवम्बर, 1991 में नायब तहसीलदार रैंक के श्री मिश्रा की नियुक्ति कर दी गई है ? क्या यह सत्य है कि इस पद पर पी0सी0एस0 पद के नीचे के अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकती है परन्तु श्री मिश्रा की नियुक्ति इस पद पर अर्ह न होने के बावजूद भी किस कारण से की गयी ? इस नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ओ0एस0डी0 के पद पर डिप्टी कलेक्टर श्री गणेश दत्त मिश्र को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था जो दिनांक 31-1-92 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

जनपद बांदा में पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा शस्त्र विक्रेता की चाबी लिये जाने की शिकायत तथा चाबी व सामान की वापसी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

145-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में मे0 अजहर हसन एण्ड सन्स शस्त्र विक्रेता बांदा की दुकान की चाबी पुलिस इन्सपेक्टर अपने साथ किस नियम के अन्तर्गत ले गये ? क्या पुलिस इन्सपेक्टर चाबी नियमानुसार ले जा सकते हैं और दिनांक 14-4-90 से आज तक शस्त्र दुकान की चाबी अपने पास रख सकते हैं ? क्या यह सही है कि जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने एक योजना के तहत उक्त फर्म का लाइसेंस के रिन्यूवल 1990 को अस्वीकार कर दिया जिस पर आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को अपने आदेश दिनांक 29-5-90, 5-5-90, 5-6-90 से स्थगित कर दिया ? यदि हां, तो क्या सी0जे0एम0, बांदा के आदेश दिनांक 30-4-90 कि 2 दिन में सामान व चाबी आदि अनीस अहमद को वापस कर दिया ? क्या उपरोक्त आदेश के पश्चात् भी आज तक जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त फर्म को नहीं खोला और न सामान लौटाया लगभग 20 महीने से बंद रहने के कारण लाखों रुपये की क्षति फर्म को उठानी पड़ रही है और सरकार को हजारों रुपये के बिक्रीकर का नुकसान भी हो रहा है ? सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को जो न्यायालय के आदेशों का पालन आज तक नहीं किया, के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेसर्स अजहर हसन एण्ड संस बांदा के ट्रांसपोर्ट में रखे कारतूसों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पालन न करने की शिकायत

146-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में मे0 अजहर हसन एण्ड संस, बांदा के 20, 000 कारतूस ट्रांसपोर्ट में लगभग 8-10 महीने से पड़े है जिसकी सूचना अनेकों बार फर्म द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी जा चुकी है ? माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत आज तक जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने

कारतूसों को सेफ कस्टडी में क्यों नहीं रखवाया ? क्या कारतूसों की इतनी बड़ी मात्रा का ट्रांसपोर्ट में बांदा जैसे जिले सुरक्षित रह सकते हैं ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेसर्स अजहर हसन एण्ड संस शस्त्र व्यापारी जिला फतेहपुर के व्यावसायिक लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा निरस्त किये जाने की शिकायत

147-श्री अभिमन्यु सिंह -

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में मे0 अजहर हसन एण्ड संस शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस को तथाकथित आरोप लगाकर जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने निरस्त कर दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13-5-87 को स्थगित कर दिया था ? यदि हां, तो पुनः वही आरोप लगाकर परगना मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने दिनांक 9-7-91 को फर्म के पार्टनरों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 क्यों दर्ज करा दी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि मे0 अजहर हसन एण्ड संस, लाला बाजार, फतेहपुर को जारी किया गया शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस नं0 1-एल0/1970-एफ0एच0आर0 व लाइसेंस नं0 1-एल 1971-एफ0एच0आर0 के प्रपत्र 11, 12 में लाइसेंसी का सही नाम क्या दर्ज है ?क्या इसका सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा वर्ष 90-91 में कराया गया है ? यदि सत्यापन नहीं कराया गया, तो किस आधार पर लाइसेंसी को फर्जी मानते हुए लाइसेंस को निरस्त करने व लाइसेंसी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह -

लाइसेंसों की स्वीकृति /निरस्तीकरण आदि की कार्यवाही आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जाती है । उक्त प्राविधानों के विपरीत तथ्य पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा प्रपत्र-13 के व्यवसायिक लाइसेंस का नवीनीकरण अस्वीकृत कर दिया गया जिसका क्रियान्वयन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-5-87 द्वारा स्थगित कर दिया गया न कि लाइसेंसी के विरुद्ध बनने वाले अन्य कृत्यों के बारे में अतः प्रथम दृष्टया दण्डनीय अपराध पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 420/467 एवं 471 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/30 के अन्तर्गत दिनांक 9-7-91 को लाइसेंसी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी ।

उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रपत्र-11 में लाइसेंस संख्या-1एल/1970-एफ0एच0आर0 एवं प्रपत्र-12 में लाइसेंस संख्या-1एल/1971-एफ0एच0आर0 में मेसर्स अजहर हसन एण्ड संस के नाम न स्वीकृत होकर श्री अनीस अहमद पुत्र श्री अजहर हसन के नाम स्वीकृत है ।

जी नहीं ।

श्री अनीस अहमद को स्वीकृत प्रपत्र-11 एवं 12 में हुए फेर बदल की जानकारी प्राप्त होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है जहां तक एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का प्रश्न है तो लाइसेंसी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर एफ0आई0आर0 अंकित करायी गयी है । लाइसेंस के निरस्तीकरण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजेन्द्र पाण्डेय प्रधान सम्पादक साप्ताहिक बुन्देलखण्ड गूंज द्वारा क्षेत्राधिकारी कर्वी जनपद बांदा के कार्य-कलापों के विरुद्ध मुख्य मंत्री एवं अन्य अधिकारियों को भेजे गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

148-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र पाण्डे, प्रधान सम्पादक साप्ताहिक "बुन्देलखण्ड गूंज" ने दिनांक 5-9-91 को मुख्य मंत्री उ0प्र0 डी0जी0पी0, लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, बांदा को पृष्ठांकित तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कर्वी के कृत्यों व मुकदमों की जांच तथा मुकदमें के वापसी तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों से जांच के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण की जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जांच से यह तथ्य सामने आए कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध थाना कर्वी में मु0अ0सं0 316/91 धारा 392 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 334/91 धारा 147/148/149/323/504/506 भा0दं0वि0 दर्ज है जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गए जो न्यायालय में विचाराधीन है । शिकायतकर्ता स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का है व अपराधियों से सांठ-गांठ रखता है । पत्रकारिता की आड़ में आम जनता से अवैध पैसा लेने की शिकायत है । इसके द्वारा किये गये अपराधों पर पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर पुलिस के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर प्रार्थना-पत्र देने एवं समाचार पत्र में झूठे समाचार प्रकाशित करने का आदी है ।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप जांच से असत्य पाए गए।

बांदा नगर के बलखण्डी नाका में ऐतिहासिक मजार व शरीफ सालार जंग के निकट बने संडास को हटाये जाने की मांग

149-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि बांदा नगर में बलखण्डी नाका में ऐतिहासिक मजारे व शरीफ सालार जंग की जमीन पर मजार के बिल्कुल नजदीक

(वक्फ 027) श्रीमती कालिन्दी गुप्ता ने एक संडास का टैंक बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या बांदा विकास प्राधिकरण को शिकायत करने के बावजूद भी आज तक विकास प्राधिकरण ने इस अवैधै फ्लश के संडास टैंक को नहीं हटाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या वक्फ की भूमि पर अवैध कब्जे को शीघ्र हटाया जायेगा ? क्या दोषी विकास प्राधिकरण बांदा के अधिकारी/कर्मचारी को चेतावनी दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । श्रीमती कालिन्दी गुप्ता ने अपनी निजी भूमि के सन्निकट स्थित मजार शरीफ सालार जंग की जमीन पर अनधिकृत रूप से एक संडास का टैंक बनवा लिया था जिससे बांदा विकास प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अवैध कब्जे को हटा दिया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, कानपुर द्वारा वर्ष 1991 में सिल्क सहकारी समितियों से सिल्क खरीदने का आदेश

150-श्री ऊदल-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश (कानपुर) द्वारा सिल्क बुनकर सोसाइटियों द्वारा तैयार सिल्क, कतान तथा साड़ियां वगैरह खरीदताहै और उन्हें सप्लाई का आदेश देता है ? यदि हां, तो वाराणसी में किन-किन सिल्क सहकारी समितियों को जून, 91 से लेकर 31 दिसम्बर,91 तक सप्लाई का आदेश दिया है ।

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

मेसर्स आदर्श सिल्क बुनकर सहकारी समिति लि0, रामनगर, वाराणसी एवं मेसर्स हैण्डलूम बुनकर को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, रामनगर, वाराणसी को आपूर्ति आदेश दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, कानपुर के पिछले चार वर्षों से किये गये करोड़ों रुपये के घोटाले एवं अनियमितता का मामला एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

151-श्री ऊदल-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश (कानपुर) में बहुत बड़ी अनियमितता पिछले तीन चार वर्षों से है और करोड़ों रुपये का गबन एवं घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि वर्ष 91 में इसकी जांच करायी गयी थी और मैनेजिंग डाइरेक्टर को हटाया गया था ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन पकड़ा गया और घोटाला कितना हुआ था ? क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

शासन को हथकरघा निगम में हुई अनियमितताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर जांच कराई गयी थी । पूरा प्रकरण शासन के विचाराधीन है जनवरी, 1991 से श्री ए0के0 गुप्ता प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम, कानपुर के पद पर नियुक्त थे तथा उनके विदेश प्रशिक्षण पर चले जाने फलस्वरूप श्री पी0डी0 सुधाकर को माह सितम्बर, 1991 में उक्त पद पर नियुक्त किया गया है ।

वर्ष 1989-90 से 31 दिसम्बर, 1991 तक वाराणसी के बुनकरों हेतु भेजे गये रेशम में अनियमितता की जांच की मांग

152-श्री ऊदल-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सन् 89-90 व 90-91 तथा अप्रैल, 91 से 31 दिसम्बर, 91 तक कितने रेशम की सप्लाई वाराणसी में बुनकरों के लिए की गयी है ? क्या यह सही है कि रेशम जो भेजा गया वह बुनकरों को ठीक से नहीं मिल पाया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और रजिस्टर्ड बुनकरों को रेशम की सप्लाई सुनिश्चित करेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

वाराणसी के बुनकरों को आवंटित किये गये सिल्क यार्न की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1989-90	1638.782 किग्रा0	रु0 18,57,638-21
1990-91	3662.362 किग्रा0	रु0 39,50,884-90
1991-91	3772.23 किग्रा0 (दिसम्बर, 1991 तक)	रु0 30,62,526-00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम द्वारा रजिस्टर्ड बुनकरों को ही उपलब्धता के आधार पर रेशम की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है ।

153-श्री ऊदल-

(दिनांक 31-3-92 को अता0 प्र0सं0 36,37 तथा 38 द्वारा उत्तरित)

लघु औद्योगिक स्थान महमूदाबाद जनपद सीतापुर द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

154-श्री नरेश सिंह-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु औद्योगिक स्थान महमूदाबाद में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा (जो दो वर्ष अधिग्रहीत की गयी थी) किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में एक काश्तकार की जमीन अधिग्रहीत की गयी थी जिसका कुल मुआवजा रु0 1,59,179-85 पैसे दिया जाना है, जिसमें से रु0 1,02,402-10 पैसे का भुगतान का किया जा चुका है तथा रु0 56,777-75 पैसे के भुगतान हेतु काश्तकार को भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 16-4-92 को बुलाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्योध्या में नजूल की भूमि एवं उस पर बने दुकानों के निर्माण में शासन एवं जिला प्रशासन, फैजाबाद की नीति में भेदभाव

155-श्री तेजभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं0 271/9-आवास-4-91-341/एन/90, दिनांक 22 अप्रैल, 1991 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अयोध्या, फैजाबाद द्वारा नजूल भूमि सं0 742 मी0 पर बनायी गयी दुकानों को शासन के अग्रिम आदेश तक एलाट न करने का तथा अन्य नजूल भूमि को बगैर शासन की स्वीकृति लिये प्राधिकरण को या किसी अन्य को न देने का निर्देश किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसी प्लाट पर प्राधिकरण अयोध्या द्वारा बिना कब्जा हस्तान्तरित कराये ही पक्के घाट पर दुकानें बना दी गयी हैं ? यदि हां, तो कैसे ? क्या यह अवैध निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ? क्या उसके विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

पूरे प्रकरण पर विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया गया है ।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अयोध्या, फैजाबाद में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या

156-श्री तेजभान सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अयोध्या, फैजाबाद में कितने अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान समय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? कितने ऐसे कर्मचारी/अधिकारी शासन के पत्रांक 4259/11-5-91-129ई/91 दिनांक 6 सितम्बर, 1991 के बावजूद भी मूल विभाग में वापस नहीं किये गये हैं ?

क्या यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ? क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

अयोध्या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में दो अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । शासनादेश संख्या 4259/11-5-91-129ई/91, दिनांक 6-9-91 के संदर्भ में एक अधिकारी को वापस किया जाना था । शासनादेश का अनुपालन करने हेतु प्राधिकरण को आदेश पुनः दे दिये गये हैं ।

157 - श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि -

(7 वें सोमवार में अता0 प्र0सं0 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

भूतपूर्व राज्य मंत्री स्व0 शारदा प्रसाद रावत द्वारा हत्या पूर्व मांगे गये सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था तथा हत्या में शामिल अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग

158 - श्री किशोरी लाल यादव -

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा कि करेंगे भू0पू0 राज्य मंत्री स्वर्गीय शारदा प्रसाद रावत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से अपनी हत्या के पूर्व सुरक्षा हेतु गार्ड की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें गार्ड दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक कितने लोगों की इस संबंध में गिरफ्तारी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

प्राप्त सूचनानुसार भूतपूर्व राज्यमंत्री स्व0 श्री शारदा प्रसाद रावत ने अपनी हत्या के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-8-1991 दिया था जिसमें अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करने का निवेदन किया था ।

जी नहीं ।

प्रार्थना-पत्र की जांच के उपरान्त जीवन भय की पुष्टि नहीं हुयी । तीन अभियुक्त श्री विजय पटेहरा, गतवारु तथा जहूर गिरफ्तार किये गये तथा ओम प्रकाश, बसंत, गजेन्द्र लाल ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । एक अभियुक्त गजराज के विरुद्ध धारा 82/83 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी और वह अभी फरार है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना सन्दनी जनपद सीतापुर के ग्राम कुरसी, कुचिलाई, राम शाला व ततरोई में पुलिस चौकी खोलने की मांग

159-श्री राम कृष्ण-

क्या गृह मत्री बताने की कुपा करेंगे कि थाना सन्दनी, सीतापुर के अन्तर्गत ग्राम कुरसी व कुचलाई तथा राम शाला व ततरोई में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में हरदोई जनपद का बार्डर होने से असामाजिक तत्वों का आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो कब तक वहां चौकियां स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद सीतापुर के थाना-सन्दनी के अन्तर्गत ग्राम कुरसी व कुचलाई में पुलिस चौकी स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । ग्राम रामशाला व ततरोई में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

चौकियां स्थापित करने का औचित्य पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उन्नाव जनपद के पुरवा पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं व भारतीय दंड विधान की धाराओं के अन्तर्गत कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने का मामला

160-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा पुलिस की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं व भारतीय दंड विधान की धाराओं के एक मुकदमें की विवेचना में असमर्थता व्यक्त करने विषयक पत्र, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को माह जनवरी, 92 में मिला था ? यदि हां, तो विवेचना में कठिनाईयां क्या थीं ? क्या यह सत्य है कि पुरवा पुलिस ने असमर्थता व्यक्त करते हुए जांच एस0आई0एस0 से कराने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मुकदमें की विवेचना संबंधित विवेचक द्वारा पूरी कर लेने और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने के परिणाम विवेचक पर क्या पड़े हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं, बल्कि मुकदमा स्थानीय राजनीति से ओत-प्रोत होने के कारण तथा निष्पक्ष विवेचना के कारण विवेचना विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा कराये जाने का अनुरोध पुरवा पुलिस द्वारा किया गया था ।

मुकदमा स्थानीय राजनीति से ओत-प्रोत था ।

पुलिस ने असमर्थता नहीं व्यक्त की थी बल्कि मुकदमा राजनीति से ओत-प्रोत होने के कारण जांच एस0आई0एस0 से कराने का अनुरोध किया था ।

विवेचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

उन्नाव जनपद के पुरवा थाने में राजकुमार पुत्र श्री हनोमान द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा के अधीन कायम मामले की जांच का निष्कर्ष

161-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में पुरवा थाने में अनुसूचित जाति के श्री राजकुमार पुत्र श्री हनोमान द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन माह जनवरी, 92 के प्रथम सप्ताह में कायम करवाये गये मुकदमें की विवेचना संबंधित विवेचक ने किस तिथि को पूरी की ? क्या यह सत्य है कि विवेचना पूरी होने के बाद मुकदमा एस0आई0एस0 को स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त एस0आई0एस0 ने विवेचना में क्या निष्कर्ष पाये हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

विवेचना पूर्ण नहीं हुई ।

जी नहीं, विवेचना पूर्ण होने से पूर्व ही मुकदमा एस0आई0एस0 को स्थानान्तरित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एस0आई0एस0 की विवेचना में अभियुक्त श्यामू उर्फ कमलेश के विरुद्ध अपराध सही पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 23-1-92 न्यायालय प्रेषित किया गया शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

थांना मौरावां जिला उन्नाव में श्री इशरत अली आदि द्वारा कायम कराये गये अपहरण के मामले में गिरफ्तार किये गये अपराधियों का विवरण

162-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना मौरावां जिला उन्नाव में श्री इशरत अली आदि द्वारा कायम कराये गये अपहरण के मुकदमें में, कितनी गिरफ्तारियां, अपहरण में इस्तेमाल जीप सहित माह दिसम्बर, 91 में की गयी थीं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त गिरफ्तारियां किस स्थल पर, किसके घर से हुई थी ? क्या यह सत्य है कि विवेचक द्वारा विवेचना पूरी कर लिये जाने के बावजूद प्रकरण एस0आई0एस0 को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

अपहरण में इस्तेमाल जीप सहित तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारियां माह दिसम्बर, 91 में न होकर माह नवम्बर, 91 में की गयी थीं ।

उक्त गिरफ्तारियां रास्ते में हुई थीं ।

जी नहीं, विवेचना पूर्ण होने से पूर्व ही प्रकरण एस0आई0एस0 को भेजा गया है ।

उन्नाव जिले के पुरवा थाने में श्री किशन लाल खटिक आदि अनुसूचित जाति के लोगों को दिसम्बर, 1991 में गिरफ्तार किये जाने के संबंध में

163-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा थाने में श्री किशन लाल खटिक आदि अनुसूचित जाति के लोगों को 21 दिसम्बर, 1991 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ? क्या इस गिरफ्तारी/निरुद्धि की शिकायत पुरवा कस्बें के वायस चेयरमैन के नेतृत्व में गये एक शिष्ट मण्डल ने क्षेत्राधिकारी पुरवा से 23 दिसम्बर, 91 की थी ? यदि हां, तो क्या 24-12-91 को इसी उत्पीड़न व निरुद्धि की शिकायत डी0आई0जी0 रेंज, लखनऊ से तार द्वारा भी की गयी थी ? यदि हां, तो 21 दिसम्बर से 25 दिसम्बर, 91 तक बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये ही अनुसूचित जाति के इन लोगों को बंद रखने के विरुद्ध क्या भारतीय दण्ड विधान की धारा 342 का कोई मुकदमा स्थानीय पुलिस पर कायम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण-

जी नहीं बल्कि दिनांक 24-12-91 को गिरफ्तार किया गया था ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

चूंकि अभियुक्त दिनांक 24-12-91 को गिरफ्तार किये गये थे तथा दिनांक 25-12-91 को जेल भेजा गया । अभियुक्तों को 24 घंटे के अन्दर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । इसलिए स्थानीय पुलिस पर धारा 342 भा0दं0वि0 का मुकदमा पंजीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला उन्नाव के पुरवा थाना की पुलिस द्वारा मौरावां थाने के ग्राम देवमई में गिरफ्तारी/कुर्की के दौरान अपराधियों द्वारा अपने घर में आग लगा लेने की घटना

164-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की थाना पुरवा की पुलिस ने थाना मौरावां के ग्राम देवमई में माह जनवरी, 92 में एक गिरफ्तारी/कुर्की के दौरान अभियुक्तों द्वारा अपने घर में आग लगाने की कोई शिकायत मौरावां थाने की जी0डी0 में दर्ज कराई है ? यदि हां, तो क्या थाने की जी0डी0 में इस गिरफ्तारी के पूर्व पुलिस को चेतावनी देने का मामला भी दर्ज कराया ग्या है ? यदि हां, तो क्या पुलिस को उसके मूल कर्तव्य के सम्बन्ध में चेतावनी देकर ड्यूटी से च्युत करने का कोई मुकदमा संबंधित लोगों पर कायम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्तारी/कुर्की के समय आग लगाकर पुलिस के काम में बाधा डालने का भी कोई मुकदमा क्या कायम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इसी प्रकरण पर एस0पी0, उन्नाव, सी0ओ0 पुरवा को वायरलेस से सूचना दी गयी थी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । कुर्की करने गये ना0पु0 श्री मुलायम सिंह ने वापसी में थाना मौरावां आकर रपट संख्या-26 दिनांक 4-1-92 में यह अंकित किया कि मुल्जिम पक्ष ने स्वयं की कुर्की न होने देने के इरादे से आग लगाने का कार्य पूर्व नियोजित ढंग से किया ।

जी हां ।

जी नहीं

चेतावनी दिये जाने से पुलिस के मूल कर्तव्य पर कोई व्यवधान नहीं हुआ था पुलिस द्वारा कुर्की सहज ढंग से की गयी इसलिए कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

165-श्री राम मूर्ति सिंह-

(माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

166-श्री ओम प्रकाश (फतेहपुर)-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

मेसर्स अजहर हसन एण्ड संस शस्त्र विक्रेता की दुकान पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा सील किये जाने की शिकायत

167-श्री ओम प्रकाश (फतेहपुर)-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में मे0 अजहर हसन एण्ड संस शस्त्र विक्रेता की दुकान पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सील की गयी ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत पुलिस इन्सपेक्टर ने उक्त दुकान सील की ? क्या पुलिस इन्सपेक्टर, द्वारा सील का नमूना कागज में लेकर उस पर लाइसेंसी के हस्ताक्षर लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शस्त्र की दुकान की चाबी, पुलिस इन्सपेक्टर को अपने साथ ले जाने के अधिकार प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो शासन इस सम्बन्ध में उक्त पुलिस इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा ? क्या यह भी सत्य है कि पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा नई स्कूटर को भी दुकान के अन्दर लगभग 20 महीने से बंद करके रखा गया है ? यदि हां, तो किस अपराध में वह प्रयुक्त थी ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस उप-निरीक्षक श्री मलखान सिंह थाना मवाना जिला मेरठ, की हत्या होने के फलस्वरूप उनके परिवार को आर्थिक सहायता एवं उन्हें राजकीय सम्मान दिये जाने की मांग

168-डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री नन्द राम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री मलखान सिंह उप निरीक्षक पुलिस थाना मवाना जिला मेरठ कुछ असमाजिक तत्वों का मुकाबला करते हुए दिनांक 24-6-91 को ग्राम विलौही में शहीद हुए थे ? यदि हां, तो शासन की ओर से अभी तक उन्हें कोई पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र व उनके परिवार को क्षति पूर्ति एवं उनके पुत्र के पिता के स्थान पर नियुक्ति मृतक की पत्नी को अन्य आवश्यक सुविधा आदि प्रदान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मुख्य मंत्री जी मृतक बहादुर एवं कर्तव्य परायण पुलिस कर्मी के परिवार को उपरोक्त सभी सहायता प्रदान करने की कृपा करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर के उप-निरीक्षक श्री मलखान सिंह की दिनांक 24-6-91 को ड्यूटी के अन्तर्गत पुलिस थाना मवाना, जिला मेरठ के ग्राम निलोहा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी ।

क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है किन्तु उनके आश्रित परिवार को सहायता के रूप में निम्नलिखित मदों के सामने अंकित धनराशि का भुगतान किया जा चुका है:-

1-मृत्यु के दिनांक तक का वेतन	रु0 2560-50
2-अवकाश नगदीकरण	रु0 12965-30
3-पुलिस बेवा फण्ड	रु0 2500-00
4-बीमाधन	रु033,516-00
5-अनुग्रह धनराशि	रु0 60,000-00
6-जी0पी0एफ0	रु0 52,283-00
7-असाधारण पेंशन	रु0 3020-00
8-असाधारण उपादान	रु0 24,160-00

प्रतिमाह दिनांक 25-6-91 से देय है ।

स्व0 मलखान सिंह के पुत्र श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह ने उपनिरीक्षक के पद पर ही नियुक्ति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है । उपनिरीक्षक का आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने पर उन्हें नियमानुसार नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

स्व0 उपनिरीक्षक श्री मलखान सिंह को पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

उनकी विधवा को नियमानुसार अनुमन्य समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है ।

जिला वाराणसी के थाना फूलपुर एवं बड़ागांव में थानाध्यक्ष की नियुक्ति तथा पूर्ववर्ती थानाध्यक्ष बड़ागांव के विरुद्ध जांच की मांग

169-श्री ऊदल-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना फूलपुर एवं थाना बड़ागांव जिला वाराणसी में करीब एक माह से थानाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी है ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार तुरन्त थानाध्यक्षों की नियुक्ति का आदेश करेगी ? क्या सरकार पूर्व थानाध्यक्ष थाना बड़ागांव वाराणसी जिनको लाइन हाजिर किया गया है उनके कार्य कलापों की जांच करायेगी ? क्या यह सही है कि एस0एस0पी0 वाराणसी अपनी चेंकिग में थाना बड़ागांव से भी कागजात उठा ले गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त सूचनानुसार जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर एवं थाना बड़ागांव में थानाध्यक्षों की नियुक्ति दिनांक 17-12-91 से 19-1-92 तक नहीं की जा सकी थी किन्तु उक्त थानों के वरिष्ठतम उप-निरीक्षकों को थाने का प्रभार दिये जाने का आदेश दिया गया था । अन्य जनपदों से कुछ उप निरीक्षक, जनपद वाराणसी में स्थानान्तरण पर आगमन किये थे, जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों से उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में उपयुक्तता की जानकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र का अनुमोदन तथा इसके अतिरिक्त उपयुक्त उप निरीक्षक की ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रक्रियायें, जो पूर्ण करने में उक्त समय लगा। थानाध्यक्षों की नियुक्ति दिनांक 20-1-92 को की जा चुकी है ।

थानाध्यक्ष बड़ागांव के कार्यकलापों के सम्बन्ध में जांच कराई गयी है ।

एस0एस0पी0 वाराणसी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यह सत्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा में 1991 के सामान्य चुनाव में ड्यूटी पर लगे अध्यापकों के देयों का भुगतान करने की मांग

170-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा में वर्ष 1991 में संसद (लोक सभा) एवं विधान सभा के चुनाव में ड्यूटीरत अध्यापकों को निर्वाचन ड्यूटी से संबंधित महंगाई भत्ता आदि अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक उक्त महंगाई भत्ता उन्हें अदा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

संसद (लोक सभा) एवं विधान सभा के चुनाव में ड्यूटीरत अध्यापकों को निर्वाचन ड्यूटी के सम्बन्ध में कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है अपितु यात्रा भत्ता दिया जाता है । जिला निर्वाचन अधिकारी, बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार

जनपद बांदा में वर्ष 1991 के चुनाव में ड्यूटीरत अध्यापकों के यात्रा भत्ता बिल पारित कर उप विद्यालय, निरीक्षक व शिक्षा अधिकारी को भुगतान हेतु भेज दिये गये हैं ।

171-श्री शिव दर्शन-

(5 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

थाना असोहा (उन्नाव) व थाना मोहनलालगंज, लखनऊ की सीमा पर पुलिस चौकी खोले जाने की मांग

172-श्री हृदय नारायण दीक्षिति-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना असोहा व लखनऊ जिले के थाना-मोहनलालगंज की सीमायें असोहा थाने के ग्राम जबरेला में सई नदी के तट पर मिलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसी स्थल पर पुलिस चौकी खुलवाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस अधीक्षक उन्नाव के पत्र सं0 ब-32/87 दिनांक 21-6-89 जो कि इलाहाबाद पुलिस मुख्यालय भेजा गया था, तथा जो इलाहाबाद पुलिस मुख्यालय से शासन को पत्रांक 3क-199/87 दिनांक 9-8-89 द्वारा भेजा गया है पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जनपद उन्नाव थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम जबरैला में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने से सम्बन्धि प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त औचत्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा के मौजा फूलपुर को अलग ग्राम सभा बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

173-श्री बलराम यादव-

क्या पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के तहसील टाण्डा के मौजा फूलपुर को अलग ग्राम सभा बनाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव, विधायक, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 3-10-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मौजा को अलग ग्राम सभा का दर्जा दिये जाने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त मौजा को ग्राम सभा का दर्जा दे दिया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

श्री बलराम यादव, विधायक, आजमगढ़ का पत्र मौजा फूलपुर को अलग गांव सभा बनाने के सम्बन्ध में नहीं अपितु ग्राम सभा फूलपुर से मौजा पुराविश्राम को अलग ग्राम सभा बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ।

चूंकि पुरा विश्रामपुर की जनसंख्या, एक ग्राम सभा बनाये जाने की मानक संख्या से कम है । अतः पुरा विश्रामपुर को अलग ग्राम सभा बनाया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

थाना कैन्ट, जिला बरेली के अन्तर्गत ग्राम चौबारी के कुछ लोगों के विरुद्ध लगी अपराधिक धाराओं का विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

174-श्री राम पाल सिंह सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली थाना कैन्ट के अन्तर्गत ग्राम चौबारी के कल्लु, राजु, सुरेन्द्र तथा बब्बू के विरुद्ध जनवरी, 1986 से अब तक कितने मामले किन-किन अपराधों के दर्ज हैं ? उक्त मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय पुलिस के पास ऐसी कोई सूचना है जिसमें उक्त व्यक्ति दिल्ली पुलिस द्वारा भी वांछित हैं ? यदि हां, तो क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्पसंख्यक वर्ग के पुलिस अधीक्षकों तथा उप महानिरीक्षकों की संख्या

175-श्री इजहार आलम खां-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के कितने अधिकारी पुलिस अधीक्षक के रूप में किन-किन जिलों में कार्यभार संभाले हुए हैं ? उप महानिरीक्षकों के पदों पर भी कौन-कौन अधिकारी इस समुदाय के नियुक्त हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

इस समय विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 4 अधिकारी ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पद का कार्यभार सम्भाले हुए हैं । इसमें 3 सिक्ख तथा एक मुस्लिम अधिकारी हैं जिनके नाम तथा नियुक्ति स्थान निम्नलिखित है:-

1-श्री हरभजन सिंह, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी ।

2-श्री गुरु दर्शन सिंह, पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।

3-श्री सुखदेव सिंह, पुलिस अधीक्षक, ललितपुर ।

4-श्री एस0 जावीद अहमद, पुलिस अधीक्षक, बलिया ।

पुलिस परिक्षेत्रों में पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अल्पसंख्यक समुदाय के कोई अधिकारी नियुक्त नहीं हैं ।

176-श्री अंगद सिंह यादव-

(7वें सोमवार में अता0 प्र0 संख्या-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम चौबारी, जिला बरेली के लोगों का नाम जनपद के विभिन्न थाने में हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्जगी तथा उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की मांग

177-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौबारी, जिला बरेली के कौन-कौन व्यक्ति बरेली के किस-किस थानों में हिस्ट्रीशीटर हैं ? क्या मंत्री जी इनकी सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बरेली के थाना कैण्ट के अभिलेखों के अनुसार ग्राम चौबारी के कुल 11 हिस्ट्रीशीटर हैं, जिनमें से 7 प्रचलित तथा 4 बन्दशुदा हैं । इन सभी का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्य 278 पर)

थानाध्यक्ष बरेली जंक्शन के विरुद्ध ओम निवास तथा बाबू आदि बन्डरों से रिश्वत लेने के मामले में दर्ज मुकदमा एवं कृत कार्यवाही

178-श्री राम पाल सिंह सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्ताना उर्फ ओम निवास तथा बाबू रामक बन्डरों से अलग-अलग रिश्वतखोरी के अलग-अलग मामलों में वर्ष 1991 में थानाध्यक्ष, बरेली जंक्शन के विरुद्ध धारा 342/323 भा0 दं0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी जांच सी0ओ0 ने की ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन तथ्य प्रकाश में आए ? जांच के अनुरूप तथ्यों पर मुकदमा कायम न किए जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि धारा 7 भ्रष्टाचार, अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज न किए जाने का क्या कारण है ? उक्त मामले में थानाध्यक्ष को गिरफ्तार न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । जांच से तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री चरन सिंह द्वारा शिकायतकर्ताओं को अवैधानिक को अवैधानिक रूप से हवालात में बंद रखने एवं उनकी पिटाई करके छोड़ देने की बात प्रथम दृष्टया सही पाई गयी ।

जांच के आधार पर दिनांक 8-12-91 को मुकदमा अपराध संख्या 316/91 धारा 342/323 भा0दं0वि0 तथा मुकदमा अपराध संख्या-317/19 धारा 342/323 भा0दं0वि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये हैं ।

जांच से धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम का मामला नहीं पाया गया जिसके कारण धारा-7 भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया । उक्त मामले में गिरफ्तारी से पूर्व ही अभियुक्त थानाध्यक्ष, श्री चरन सिंह ने अपनी जमानत करा ली थी । इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा सका ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर में नेहरू इनक्लेव योजना के रूपायन ब्लाक में बने भवन तथा डिवीजन-2 में भवनों के गिरने की शिकायत तथा उसकी जांच की मांग

179-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर स्थित नेहरू इनक्लेब योजना के रूपायन ब्लाक में बनने वाले भवन की बालकनी निर्माण के ही समय से गिरने लगी तथा डिवीजन-2 में भी घटिया निर्माण कार्यों के कारण भवनों के प्लास्टर उखड़ने लगे हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दीवालों पर क्रैक, निशान आने, बीम चिट्कने आदि की शिकायतें वहां के भवनों में पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गोमती नगर के "नेहरू इनक्लेव योजना" "विराम खण्ड योजना" आदि के निर्माण कार्यों की जांच, तकनीकी जांच प्रकोष्ठ से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । केवल स्टेयर केस के लोडिंग के छज्जे में कुछ स्थान पर क्रेक हो गये थे जिन्हें ठेकेदार के खर्चे पर ही बनवाया जा चुका है ।

जी नहीं ।

योजनाओं के निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच यथावश्यकता करायी जाती है ।

थाना मौरावां, जनपद उन्नाव की पुलिस द्वारा विनोद यादव के साथ अमानवीय व्यवहार के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन को भेजे गये पत्र पर की गई कार्यवाही

180-श्री हृदय नारायण दीक्षिति-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना मौरावां के श्री विनोद यादव की अमानवीय ढंग से पुलिस द्वारा मारने-पीटने, अवैधानिक रूप से निरुद्ध रखने और बाद में छोड़े जाने विषयक पीड़ित श्री विनोद यादव के पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन को प्रश्नकर्ता के कबरिंग सहित स्वयं उनसे मिलकर उन्हें दिए गए पत्र दिनांक 21-1-92 पत्रांक 60/92 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? पत्र पर जांच किसने की तथा जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

क्षेत्राधिकारी पुरवा द्वारा जांच की जा रही है ।

जांच के पूरा होने पर ही उसके निष्कर्षों का पता चल सकेगा ।

सचिवालय कालोनी, महानगर एवं बादशाह नगर में तीसरी मंजिल की छतों को तोड़ कर चौथी मंजिल बनाये जाने की शिकायत

181-श्री यदुनाथ सिंह तथा राम सरन-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय कालोनी महानगर एवं बादशाह नगर कालोनी, लखनऊ में भवनों की ऊपरी मंजिल की छतों को तोड़कर पुनः

निर्माण कराने के लिए राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा शासनादेश 2168 (1)/32-4-90-16/89, दिनांक 18-12-90 जारी हुआ है ? यदि हां तो उक्त भवनों का कब निर्माण करवाया गया था और निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कितनी लाइफ आंकी थी ? भवन की गुणवत्ता में किन कमियों के कारण पुनः निर्माण कराया जा रहा है ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हो रही शासकीय हानि की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

सचिवालय कालोनी, महानगर के आवासों का निर्माण वर्ष 1957-58 में तथा बादशाह नगर कालोनी के आवासों का निर्माण वर्श 1966-68 में किया गया था । भवनों की विभिनन मदों की आयु पृथक-पृथक होती है । कुछ भवनों की आर0बी0 छतों के खराब होने के कारण छतों का पुनः निर्माण कराया जा रहा है ।

तकनीकी कारणों से आर0बी0 छतों का बदलाव आवश्यक हुआ है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बरेली जनपद के रामगंगा घाट, भगवानपुर ठाकुरान में रामजानकी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा को हटाने की मांग

182-श्री प्रमोद कुमार श्री राम सेवक सिंह तथा श्री लाखन सिंह-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद राम गंगा घाट, भगवानपुर ठाकुरान में स्थित रामजानकी मंदिर की कई एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और बलपूर्वक खेती करा रहे हैं व सब्जी व फल लगाने वालों से चौथ वसूल करते हैं और मंदिर के बाबा राम रतन दास को हटा देना चाहते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर मंदिर को भूमि वापस कराने की कृपा करेगी जिससे क्षेत्रीय जनता की भावनाओं का आदर भी हो और भू-माफिया का आतंक उस क्षेत्र से समाप्त किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली जनपद के भगवानपुर स्थित रामजानकी मन्दिर के पास भूमि पर श्री श्यामा प्रसाद पुत्र श्री भगवन्ती प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम अंखा, जनपद बरेली का कब्जा है एवं श्री मिश्र द्वारा इस जमीन को बोया जोता जाता है । उपरोक्त मन्दिर के पास की जमीन आदि व सम्पत्ति के सम्बन्ध में वाद सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन हैं । इस सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय होने तक किसी कार्यवाही का किया जाना सम्भव नहीं है । सब्जी व फल लगाने वालों से चौथ वसूल किये जाने की कोई शिकायत समबन्धित थाने में प्राप्त नहीं हुई है । महन्त राम रतन दास उक्त रामजानकी मन्दिर में ही रहते हैं एवं उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा कड़ी दृष्टि रखी जा रही है ।

183-श्री विजय सिंह राणा-

(6ठे मंगलवार के लिए स्थगित)

184-श्री राम सरन-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

वाराणसी महापालिका पर विश्व बैंक की बकाया धनराशि का विवरण

185-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महापालिका पर विश्व बैंक का कुल कितना ऋण है ? इस ऋण का कितना प्रतिशत उत्पादक योजनाओं पर खर्च होता है ? सरकार इन ऋणों की अदायगी के लिए कौन कदम उठा रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

वाराणसी महापालिका को विश्व बैंक की उत्तर प्रदेश नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 तक रु0 221.79 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है ।

विभिन्न कार्यान्शों हेतु प्राप्त ऋण राशि से नगर विकास से संबंधित कार्य किये जाते हैं जिनका उत्पादकता से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

महापालिका द्वारा इन ऋणों की अदायगी की जा रही है । इसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ है ।

बांदा जनपद में बनाये जाने वाले 8 चेकडैमों की संख्या

186-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कुल कितने चेकडैम हैं ? कौन-कौन से चेकडैम किस-किस विभाग द्वारा कब-कब व कितनी-कितनी लागत के बनवाये गये थे ? क्या अब भी कुछ चेकडैम बनवाये जा रहे हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि निर्मित हो चुके चेकडैमों की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या उसमें प्रयोग की गई सामग्री ठीक थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

111 (एक सौ ग्यारह) चेकडैम हैं ।

सूची माननीय राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई विभाग,बांदा में कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण

187-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में बांदा में कुल कितने कर्मचारियों की जगहें रिक्त हैं और 1987 से अब तक किस नियम के तहत जनपद से बाहर के लोगों को नियुक्ति पत्र देकर कार्यभार दिया गया है ? क्या उनके नाम पते सहित सूची उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

ग्यारह जगहें रिक्त हैं ।

जनपद के बाहर के लोगों को नियुक्त न करने का कोई नियम नहीं है । सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है ।

(1) श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव आशु लिपिक, मकान नं0 124/2 सागरगेट शहर झांसी ।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ती देवी, चौकीदार पता, ग्राम-कामतावन पो0-मितनपक पटना (बिहार) ।

सी0ओ0 (पुलिस), कर्वी, जनपद बांदा द्वारा श्री राज बहादुर सिंह के विरुद्ध कायम किये गये गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री एवं अन्य को प्रेषित पत्र एवं कृत कार्यवाही

188-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील/थाना कर्वी के श्री राजबहादुर सिंह के शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित दिनांक 3-12-90 व 8-12-90 एवं 7-2-91 को मुख्य मंत्री उ0प्र0, डी0जी0पी0, लखनऊ, आई0जी0 इलाहाबाद, डी0आई0जी0 झांसी, जिला अधिकारी बांदा व पुलिस अधीक्षक बांदा को अलग-अलग प्राप्त हुए हैं?यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों पर अलग-अलग किसने, क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि इन शिकायती पत्रों में संबंधित सी0ओ0 कर्वी, द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट में चालान की धमकी का जिक्र था ? यदि हां, तो क्या संबंधित सी0ओ0 कर्वी द्वारा गैंगेस्टर की कार्यवाही श्री सिंह के विरुद्ध की गई है ? यदि हां, तो कब तथा इसका क्या औचित्य है ? क्या गैंगेस्टर के मुकदमें कायम किये जाने की जांच होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पीलीभीत के महेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को भेजे गये अग्रेन सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्रके संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी

189-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के महेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत, महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 को दिनांक 29 अथवा 30 अगस्त, 1991 को अपने भाई अग्रेन सिंह सिकस, जो कि जनपद नैनीताल में मझोला पुलिस चौकी में कार्यरत सिपाही है, के अवकाश लेकर घर आते वक्त दिनांक 29-8-91 को रेलवे पुलिस, पीलीभीत द्वारा पकड़ना, मारपीट करना, लूटपाट और टी0टी0 से मिलकर बगैर टिकट चालान कराने के बावत उनके टेलीग्राम में विस्तृत शिकायत दी है ? यदि हां, तो क्या उसमें प्राथमिक जांच के बाद थाना जी0आर0पी0, पीलीभीत में मु0अ0संख्या 85/91 धारा 395/39, ता0 हिन्द कायम कर जांच सुनगढ़ी में विवेचना हेतु भेजी गयी है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को सम्बोधित श्री महेन्द्र सिंह का टेलीग्राम दिनांक 30-8-91 प्राप्त हुआ है । पुलिस महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 को सम्बोधित कोई टेलीग्राम नहीं प्राप्त हुआ है ।

उक्त टेलीग्राम में उल्लिखित आरोपों की प्राथमिक जांच श्री चन्द्रपाल सिंह भदौरिया, क्षेत्राधिकारी, जी0आर0पी0, लखनऊ ने की । क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या दिनांक 11-9-91 में यह उल्लेख किया गया कि श्री अग्रेन सिंह द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 8-9-91 को जी0आर0पी0 पीलीभीत पर अ0सं0-85/91 धारा 395/397 भा0 दं0वि0 कायम किया गया । चूंकि अपराध का घटना स्थल थाना सुनगढ़ी, पीलीभीत के अधिक्षेत्र का था अतएव अभियोग की अग्रिम विवेचना हेतु दिनांक 8-9-91 को जनपद पीलीभीत स्थानान्तरित कर दी गई ।

प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टि में तथ्यों को सत्य पाए जाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया । उप निरीक्षक श्री समुन्दर लाल चौधरी विवेचना को प्रभावित न कर सके इसलिए दिनांक 14-10-91 को उनका स्थानान्तरण जी0आर0पी0, पीलीभीत से जी0आर0पी0 प्रतापगढ़ कर दिया गया है । कान्स0 आर0के0 वर्मा को थाना जी0आर0पी0, पीलीभीत से जी0आर0पी0 लाइंस, लखनऊ में दिनांक 16-10-91 को लाइन हाजिर किया गया एवं कानि0 देवानन्द पाण्डेय को थाना जी0आर0पी0, पीलीभीत से जी0आर0पी0, इलाहाबाद अनुभाग हेतु दिनांक 6-9-91 को स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर के ग्राम सभा ससपना के ग्राम प्रधान के विरुद्ध पूर्व विधायक, श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा जिलाधिकारी को भेजा गया शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

190-श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री बच्चा पाठक-

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा जिला अधिकारी फैजाबाद को आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ इस आशय की शिकायत की गई थी कि विकास खण्ड अकबरपुर के प्रधान द्वारा गत पंचायत चुनाव में जो पंच जीते थे, में से कुछ को छोड़कर कुछ हारे पंचों को फर्जी तरीके से निर्वाचित मानकर अपने ग्राम पंचायत की बैठकों में सम्मिलित कर अब तक सभी प्रस्ताव पारित किये हैं, जोकि अनियमित हैं ? क्या इसकी जांच खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर, परगना अधिकारी, अकबरपुर द्वारा वर्ष 1990-91 में की गई है ? यदि हां, तो मूल शिकायत व संलग्न प्रमाण तथा खण्ड विकास अधिकारी व परगनाधिकारी द्वारा अब तक की गयी जांच रिपोर्ट तथा कार्यवाही को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि आरोपों के आधार पर क्या तथ्य पाये गये तथा इस जालसाजी में क्या कोई अधिकारी भी दोषी है ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य-

इस विषय में विकास खण्ड अकबरपुर के ग्राम सभा ससपना के प्रधान के विरुद्ध वहां के गांव-वासियों का शिकायती-पत्र दिनांक 2-4-90 एवं श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 26-11-90, 17-9-91 तथा 23-1-91 प्राप्त हुए है । परगनाधिकारी, अकबरपुर तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), अकबरपुर द्वारा मामले में जांच कराई गयी ।

जांच के उपरान्त प्रधान, गांव सभा, ससपना को ही दोषी पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है ।

अंगरक्षक, शैडो एवं गनर प्रदान किये गये भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों के विधायकों की संख्या

191-श्री बाबूराम यादव-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कितने माननीय विधायकों को गनर एवं शैडो दोनों प्रदान किये गये हैं ? क्या अन्य दलों के विधायकों को भी गनर एवं शैडो दोनों दिए गये हैं ? यदि हां, तो कितने माननीय सदस्यों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? भारतीय जनता पार्टी के कितने माननीय विधायकों को जिला स्तर से दो-दो अंगरक्षक दिये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

प्राप्त सूचनानुसार भा0ज0पा0 के 30 विधायकों को गनर व शैडो दोनों दिये गये हैं ।

जी हां ।

।। (ग्यारह) माननीय सदस्यों को ।

जिला स्तर से किसी भा0ज0पा0 के विधायक को दो-दो अंगरक्षक नहीं दिये गये हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, बांदा को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया पत्र दिनांक 16-12-91 पर कार्यवाही

192-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, बांदा को पत्रांक ग-503497/42, दिनांक 16-12-91 प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा विकास खण्ड जसपुरा, बांदा में चैकडैम बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को सूचना

193-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 ने पत्रांक-म-57/ल0सिं0/कार्य/शि/91, दिनांक 2 अगस्त, 1991 विकास खण्ड जसपुरा, जनपद बांदा में चेकडैम के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता को पत्र देकर सूचित किया था कि जिलाधिकारी को डी0पी0 ए0पी0 योजना के अन्तर्गत अतिशीघ्र चेकडैम निर्माण करने संबंधी कार्यवाही करके शीघ्र कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

विकास खण्ड, जसपुरा में चेकडैम के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया गया जिसमें ग्राम सिकहुला में स्थल उपर्युकत पाया गया जिसे डी0पी0ए0पी0 योजना अन्तर्गत वर्ष 92-93 में निर्मित किये जाने हेतु जिला स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया है । शेष अन्य स्थानों पर साइट अनुपयुक्त पाये जाने के कारण चेकडैम का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है ।

आगरा के विकास खण्ड खन्दौली व एत्मादपुर में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की शिकायत

194-श्री चन्द्रभान मौर्य-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड, खन्दौली व ऐत्मादपुर, जनपद आगरा में कितने किसानों को निःशुल्क बोरिंग योजना में लाभान्वित किया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस योजना में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विकास खण्ड में इन योजनाओं में अनियमितताओं की जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

विकास खण्ड, न्दौली व ऐत्मादपुर, जनपद आगरा में क्रमशः 100 व 200 किसानों को निःशुल्क बोरिंग योजना में लाभान्वित किया गया है । ग्राम सुरहरा, विकास खण्ड ऐत्मादपुर में निःशुल्क बोरिंग योजना के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुयी हैं जिसकी जांच कराई गई । संबंधित ठेकेदार को जांच के आधार पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है तथा आगे कार्य कराने का अनुबन्ध भी निरस्त कर दिया गया है । सम्बन्धित अवर अभियन्ता को कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि वह सभी सम्पन्न बोरिंगों का सत्यापन कर लें । भविष्य. में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उनको दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली के बंगल में खाली पड़ी जमीन की सुरक्षा की मांग

195-श्री प्रमोद कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित सी0एम0ओ0 निवास के अहाते में बहुत बड़ी भूमि है जिस पर भू-माफिया की नजर टिकी हुई है और किसी भी सूरत से उसे हथियाना चाहते हैं ? यदि हां, तो इस भूमि को भू-माफिया से बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट)

निधन के निर्देश के पश्चात् अन्य सूचनाओं को लिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मैं विपक्ष के तमाम माननीय नेताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि नियम 311 की सूचना के बारे में प्रश्न काल के पहले मैंने उल्लेख किया था कि प्रश्नकाल

समाप्त होने के बाद 3।। की सूचनाओं को ले लूंगा, 300, 30। की सूचनाओं के पहले ले लूंगा । आज निधन के निदेश हैं, उसको पहले ले लूं, उसके बाद ले लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, निधन के निदेश के बाद 30।, 300 ले लें, उसके बाद अन्य सूचनाओं को 3।। में ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-3, निधन के निर्देश ले रहा हूं ।

नियम 300, 56 आदि को स्थगित करके बजट पर अधिकाधिक चर्चा कराये जाने का प्रस्ताव

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक मिनट में बात समाप्त हो जायेगी, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

पहले निधन के निदेश हो जाने दें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मेरा यह प्रस्ताव है कि आजकल हर विभाग के बजट चल रहे हैं । एक-एक विभाग का बजट आ रहा है । यहां बहुत से नये सदस्य चुनकर आए हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याएं बजट में रखना चाहेंगे । श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि जब नियम 56, 3।। आदि लेंगे तो एक-एक माननीय सदस्य बोलेंगे और नये माननीय सदस्य अपनी बातें नहीं रख पायेंगे । पिछले दो दिन 300, 56 और 3।। के प्रस्ताव नहीं लिये गये । मैं प्रस्ताव करूंगा कि नियमों को स्थगित करके कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि बजट पर चर्चा हो सके । यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाण्डेय जी, यह ऐसी सूचना नहीं थी कि निधन के निदेश नहीं हो सकते । आपने अपनी बात कह दी, उस पर विचार कर लूंगा ।

भूतपूर्व सदस्य डा0 रघुनाथ सिंह, श्री चारु चन्द्र ओझा, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री बृज-वासी लाल, श्री महेश्वर दत्त सिंह तथा श्री महाराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन् मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए बहुत दुख है कि इस सम्मानित सदन के कुछ भूतपूर्व सम्मानित सदस्य हमारे बची में नहीं रह गये हैं । उनमें से माननीय डा0 रघुनाथ सिंह जी, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका निधन 16 अप्रैल, 1991 को हो गया है । वह 1962 से इस माननीय सदन के सदस्य रहे । देश की आजादी में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । बहुत विद्वान थे । शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी सेवाएं स्मरणीय रहेंगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य माननीय चारु चन्द्र ओझा जी भी हमारे बीच में नहीं रहे । उनका जन्म । मई, 1940 में ग्राम सिंगाली, जनपद पिथौरागढ़ में हुआ था । उनका निधन 21 मई, 1991 को हो गया । वह 1980 में इस सम्मानित सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे । वह बहुत उच्च कोटि के वकील थी । वह जिला परिषद् के अध्यक्ष थे । वह पर्वतीय विकास बोर्ड के उप सभापति भी रहे । वह पर्वतीय अंचलों के लोगों की समस्याओं को लेकर सदैव प्रश्न उठाते रहे ।

भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीकृष्ण गोयल आज हमारे बीच में नहीं रहे । उनका जन्म 8 फरवरी, 1927 को हुआ था । उनका निधन 11 मार्च, 1992 को हो गया। वह वर्ष 1957 और 1980 में इस सम्मानित सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उसके पश्चात् 1968 से 1974 और 1971 से 1980 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे । वह मंत्री भी रहे । अनेक पदों पर उन्होंने रहकर इस प्रदेश की सेवा की । उनकी प्रशासनिक क्षमता भी बहुत उच्च कोटि की थी । उनके उठ जाने से आज सामाजिक क्षेत्र को बहुत ही क्षति हुई है ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य, माननीय स्वर्गीय बृजवासी लाल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे । उनका जन्म फैजाबाद जिले में सदर तहसील के हरीपुर जलालाबाद नामक ग्राम में 8 दिसम्बर, 1904 को हुआ था । उनका निधन 19 मार्च, 1992 को हो गया । श्रीमन्, 1952 और 1957 में वह इस सम्मानित सदन के सदस्य निर्वाचित हुए । उसके पश्चात् वर्ष 1962 से 1967 तक फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का लोक सभा में भी प्रतिनिधित्व किया । वह उच्च कोटि के वकील भी रहे । वह समाजसेवी भी थे । वह देशकी आजादी की लड़ाई में अग्रणीय थे । उनके उठ जाने से जो रिक्तता हुई है, उसकी पूर्ति हो पाना सहज नहीं है ।

भूतपूर्व सदस्य माननीय स्वर्गीय महेश्वर दत्त सिंह का जन्म बलरामपुर, जनपद गोण्डा में 9 जुलाई 1920 को हुआ था । उनका निधन 24 मार्च, 1992 को हो गया। वह 1969 के सामान्य निर्वाचन में बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र, जनपद गोण्डा से इस सम्मानित सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वह समाज-सेवी थे । वह सहकारिता आन्दोलन में बहुत रुचि रखते थे । उन्होंने सहकारिता आंदोलन के माध्यम से ग्रामीण जनता के किसानों की बहुत सेवा की थी ।

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री महराज जी आज हमारे बीच में नहीं रहे । उनका जन्म मार्च, 1908 में हुआ था । उनका निधन 29 मार्च, 1992 को हो गया । वह वर्ष 1952 में इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वर्ष 1962 से 1967 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे तथा वर्ष 1967 से 1977 तक लोक सभा के भी सदस्य रहे । वह अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध थे । उनका योगदान देश की लड़ाई में सराहनीय रहेगा ।

श्रीमन्, मैं इस सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार, परिवारों को इस गहरे दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें । श्रीमन्, आपसे भी प्रार्थना है कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से सभी शोक-संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनाएं पहंचाने की कृपा करें ।

* श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, लगातार इस माननीय सदन के पुराने सदस्यों से हम वंचित होते जा रहे हैं । मान्यवर, उन्हीं में से एक डा0 रघुनाथ सिंह जी हैं । उनका निधन 16 अप्रैल, 1991 को हो गया । उनका जन्म वाराणसी में हुआ था । डा0 रघुनाथ सिंह जी सन् 1962 में सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र कटेहर, जिला वाराणसी से सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में चुनकर आये थे । डा0 रघुनाथ सिंह ने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भाग लिया और इस कारण उन्होंने समय-समय पर जेल यात्रायें भी कीं । डा0 राम मनोहर लोहिया के निर्देशन में उन्होंने विभिन्न सुधार आन्दोलनों में भाग लिया । वे वर्ष 1951-52 में चिन्तामणि मुखर्जी एंग्लो बंगाली इण्टर कालेज, वाराणसी में हिन्दी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए । सन् 1972 में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सराहनीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से ताम्रपत्र प्रदान किया गया । डा0 सिंह के निधन से वाराणसी ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी खो दिया है ।

मान्यवर, श्री चारु चन्द्र ओझा का निधन दिनांक 21-5-1991 को हो गया, वे लगभग 51 वर्ष के थे । उनका जन्म 1 मई, 1950 में ग्राम सिंगाली, जनपद पिथौरागढ़ में हुआ था । उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी0एस सी0 और एल एल0बी0 की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री ओझा वर्ष 1980 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ से कांग्रेस (आई) के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने वर्ष 1963 में वकालत करना प्रारम्भ किया और वर्ष 1974 से 1977 तक वे जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे । वे विभिन्न पदों पर सेवा की और राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्होंने 10 दिन के लिए बंदी रह चुके थे । श्री ओझा के निधन से जनपद पिथौरागढ़ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

मान्यवर, श्री श्रीकृष्ण गोयल का निधन 11 मार्च, 1992 को प्रातः नई दिल्ली में हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया । वे लगभग 65 वर्ष के थे । उनका जन्म 8 फरवरी, 1927 को राजस्थान में हुआ था । उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा उझयानी से तथा उच्च शिक्षा मुरादाबाद और लखनऊ से प्राप्त की । वह 1957 में सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस के टिकट पर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और सन् 1980 में पुनः निर्वाचित हुए । वह 1968 से 1974 तक तथा 1971 से 1980 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे । उन्होंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । वह श्री नारायण दत्त तिवारी जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे और विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में नगर विकास मंत्री भी रहे । श्री गोयल के निधन से जनपद बदायूं ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है ।

मान्यवर, श्री बृजवासी लाल का निधन 19 मार्च, 1992 को हो गया वे लगभग 88 वर्ष के थे । उनका जन्म फैजाबाद जिले में सदर तहसील के हरीपुर जलालाबाद नामक ग्राम में 1904 में हुआ था । उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की थी । श्री बृजवासी लाल सन् 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मिल्कीपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वे 1957 में पुनः निर्वाचित हुए । उन्होंने 1962 से 1967 तक फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का लोक सभा में भी प्रतिनिधित्व किया है । उन्होंने शिक्षा प्रापत करने के उपरान्त बीकापुर तहसील में वकालत करना शुरू किया और स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया । वह दो बार जेल गये । 1967 के बाद उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया । 15 अगस्त, 1972 को प्रान्तीय शासन की ओर से ताम्रपत्र प्रदान किया गया। उनके निधन से जनपद फैजाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

मान्यवर, श्री महेश्वर दत्त सिंह का निधन 24 मार्च, 1992 को हो गया । उनका जन्म बलरामपुर, जनपद गोण्डा में 9 जुलाई, 1920 को हुआ था । सर्वप्रथम वर्ष 1969 में सामान्य निर्वाचन में इस विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए । मान्यवर, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपनी जिन्दगी की शुरूआत की, 4 बार जेल में रहे, वह ग्राम सभा के उप प्रधान थे, कार्यकारी प्रधान भी रहे । मान्यवर, श्री महाराज सिंह के निधन से फिरोजाबाद ने एक कुशल राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी खो दिया । मान्यवर, मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से शोक संतप्त परिवारों को हमारी शोक संवेदनाएं भेजने की कृपा करें ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह प्रकृति का नियम है और यह अवाध गति से चलता रहता है परन्तु इस वर्ष काल के उन हाथों ने राजनीतिक क्षेत्र के हमारे साथियों को हमसे छीन लिया है जिन्होंने इस सदन की सेवा की है । मान्यवर, इसी कड़ी में श्री रघुनाथ सिंह जो वाराणसी के निवासी थे और स्वतंत्रता सेनानी के साथ-साथ समाजसेवी भी थे, उन्होंने विभिन्न सुधार आन्दोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था इसके साथ ही साथ पर्वतीय विकास से जुड़े चारु चन्द्र ओझा जी का निधन हो गया, वह जीवन पर भर पर्वतीय विकास के लिए संघर्ष करते हरे । उनका बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व था । जिला परिषद् और सहकारी बैंक की सेवाओं के लिए वे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अविस्मरणीय रहेंगे । शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है । उनके निधन से पिथौरागढ़ जनपद ने ही नहीं सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र ने एक कुशल राजनतिज्ञ और समाजसेवी व्यक्ति को खो दिया है ।

मान्यवर, श्री श्रीकृष्ण गोयल जी का स्मरण आते ही एक ऐसे व्यक्ति का स्मरण आता है जिन्होंने इस सदन में बैठकर साथ में काम किया है । वे 1980 में निर्वाचित होकर आये और विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमण्डल में नगर विकास मंत्री बनाये गये । उन्होंने बहुत ही प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया । जहां तक मैं समझता हूं कि जिला परिषद् अध्यक्ष के रूप में उनकी सेवाएं बदायूं जनपद के लिए सदैव समर्पित रहीं । उनके निधन से सिर्फ बदायूं ही नहीं रुहेलखण्ड और उत्तर प्रदेश ने भी एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ समर्पित और समाजसेवी खो दिया है ।

मान्यवर, बृजवासी लाल जी के निधन से फैजाबाद जनपद एक ऐसे समाजसेवी से महरूम हो गया जिसकी सेवाएं फैजाबाद के लिए समर्पित रहीं । वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और उन्हें प्रान्तीय शासन की ओर से अमूल्य देश सेवाओं के लिए ताम्रपत्र भी भेंट किया गया था ।

मान्यवर, महेश्वर दत्त सिंह जी का निधन गोण्डा जनपद में हुआ वह बहुत ही लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह था कि जब वह 1977 में, चुनाव नहीं लड़े तो उन्हीं के आशीर्वाद से उनके पुत्र मंगल देव सन् 1977 में, 1980 और 1985 में इस सम्मानित सदन के सदस्य चुने गये । सहकारिता आन्दोलन से उनका बड़ा लगाव था । वह बहुत ही समाज सेवी कार्यकर्ता थे उनके निधन से जनपद गोण्डा ने एक कुशल राजनतिज्ञ तथा समाज सेवी खो दिया है ।

श्री महाराज सिंह जी का सम्पूर्ण जीवन गरीबों की सेवा में बीता । वे सम्पादक भी थे और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया । उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है । उनके निधन से हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी खो दिया है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इन सभी साथियों को जो हमारे साथ किसी न किसी रूप में विधान सभा की सेवा की है उनके परिवारजनों तक मेरी और मेरे दल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भावनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आज डा0 रघुनाथ सिंह, श्री चारु चन्द्र ओझा, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री बृजवासी लाल, श्री महेश्वर दत्त सिंह तथा श्री महाराज सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में जो शोक संवेदनाएं माननीय नेता सदन, माननीय नेता महेन्द्र सिंह भाटी तथा प्रमोद तिवारी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उन भावनाओं से अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, वैसे तो यह संसार आने-जाने का एक रास्ता है लेकिन फिर भी देश प्रेम, राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों और आदर्शों तथा समाज सेवा से जुड़े हुए लोग जब हमारे बीच से तिरोहित होकर जाते हैं, तो वेदना होती है । आज जब राष्ट्रभक्त, देश प्रेम और समाज सुधार से जुड़े हुए लोगों की पल-पल पर आवश्यकता है उनका जितना भी सानिध्य हो उतना ही लाभदायी और उपयोगी होगा, ऐसे समय जब ऐसे लोग जाते हैं तो बड़ा दुःख होता है । यह देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने बलिदान दिया, अपने खून से आजादी दिलायी, वे सारी की सारी विभूतियां एक-एक करके तिरोहित होती जा रही हैं । जब हम लोग यह आशा करते थे कि वे लोग हमारे बीच रहकर नयी पीढ़ी को राष्ट्रीयता सिखायेंगे, ऐसे समय उनकी हमारे बीच से उठ जाना कष्ट और वेदना का कारण है। ये सभी साथी जिनका जिक्र किया गया है, आज हमारे बीच नहीं रहे । इनका सबका जीवन समाजसेवा, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत था ।

डा0 रघु नाथ ओझा जी बहुत बड़े वकील समाजसेवी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बद्ध रहे ।

श्री चारु चन्द्र ओझा जी बहुत बड़े वकील, समाजसेवी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बद्ध रहे ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल जी दो बार मंत्री रहे । एक तो श्री नारायण दत्त तिवारी जी के मंत्रिमण्डल में और दूसरे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मंत्रिमण्डल में । हमारे बीच में रहकर उन्होंने हमें उच्च आदर्शों और ऊंचे चरित्र से परिचित कराया। जिला सहकारी बैंक और जिला उपभोक्ता संघ में रहकर उनका बहुआयामी व्यक्तित्व बन गया था । वे अनेक प्रजातांत्रिक संस्थाओं में रहकर आये थे ।

इसी प्रकार अन्य सदस्य हैं । श्री बृजवासी लाल जी फैजाबाद के थे । यह पार्लियामेंट का चुनाव भी जीते और प्रदेश विधान सभा का भी । 16 अगस्त, 1972 को इन्हें ताम्रपत्र से विभूषित किया गया ।

श्री महेश्वर दत्त सिंह, बलरामपुर, गोण्डा में पैदा हुए थे । अपनी योग्यता और कर्मठता के बल पर वह विधान सभा में आये ।

श्री महाराज सिंह, फिरोजाबाद के रहने वाले थे । उनका निधन दिनांक 29-3-92 को हो गया ।

मैं और मेरा दल आपसे प्रार्थना करता है कि हमारी संवेदनायें इनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, 6 माननीय भूतपूर्व सदस्य आज हमारे बीच नहीं रहे । इस सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय नेता, सदन, माननीय नेता, विरोधी दल की अनुपस्थित में श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी, श्री प्रमोद तिवारी जी और श्री राणा साहब ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे भूतपूर्व सदस्य जिनके अन्तिम सम्मान में आज हम खड़े हैं, उनके निधन के बाद, उसकी सूचना विलम्ब से आने की ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए । डा0 रघुनाथ सिंह और श्री चारु चन्द्र ओझा जी की सूचना हमारे पास है । मई, 91 और अप्रैल, 91 में इनका देहावसान हुआ और इनको अन्तिम सम्मान देने का अवसर आज मिला है । निश्चित रूप से यह प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है और इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । कोई ऐसा उपाय भी किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो । श्रीमन्,रघुनाथ सिंह जी वाराणसी जनपद के प्रखर समाजवादी नेताओं में से थे । डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में उन्होंने विभिन्न सुधार आंदोलनों में भाग लिया । स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुमूल्य योगदान रहा । उनके निधन से निश्चय ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में क्षति हुई है इसकी पूर्ति असम्भव है । श्रीमन्, इसी प्रकार चारु चन्द्र ओझा जी पर्वतीय क्षेत्र के बड़े समाज सुधारकों में से थे । जिला परिषद् के अध्यक्ष और तमाम सामाजिक संस्थाओं में रहकर उन्होंने इस समाज और इस प्रदेश की सेवा की । उनके निर्धन से पुरे प्रदेश को और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र की बहुत क्षति हुई है, उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है । श्रीमन्, इसी क्रम में श्री श्रीकृष्ण गोयल, जिनको हम में से तमाम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनके निधन से इस प्रदेश ने एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान राजनीतिज्ञ खो दिया है जिसकी पूर्ति भविष्य में मैं समझता हूं कि सम्भव नहीं है ।

श्री बृजवासी लाल जी का निधन 19 मार्च, 1992 को हो गया वे 88 वर्ष के थे । मान्यवर, उन्होंने फैजाबाद जनपद की बीकापुर तहसील में वकालत करना प्रारम्भ किया । उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया । श्रीमन्, उनके निधन से फैजाबाद जनपद की ही नहीं पूरे प्रदेश की एक तरह से क्षति हुई है । इसी प्रकार श्रीमन्, श्री महेश्वर दत्त सिंह जी जनपद गोण्डा की प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से थे उनके निधन से भी हमने एक महान समाजसेवी को खो दिया है । श्रीमन्, महाराज सिंह जी इस विधान सभा के सदस्य होने के साथ-साथ लोक सभा के भी सदस्य रहे । फिरोजाबाद जनपद के वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । मान्यवर, इन 6 भूतपूर्व माननीय सदस्यों में से 4 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान देकर इस देश की गुलामी की बेड़िया काटी हैं । ऐसी महान विभूतियों के निधन से निश्चित रूप से हम सब लोगों को दुख है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें इनके शोक संतप्त परिवारजन तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षक नहीं किया ।

*श्री सुखदेव सिंह -

मान्यवर, हमारे सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री रघुनाथ सिंह, श्री चारु चन्द्र ओझा जी, श्री श्रीकृष्ण गोयल जी, श्री बृजवासी लाल जी, श्री महेश्वर दत्त सिंह जी, श्री महाराज सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे । मान्यवर, यह प्रकृति का नियम है और एक न एक दिन हर किसी को जाना है । सत्य की परिधि में आता है यह, सत्य यह है कि सबको जाना है । जो भूतपूर्व माननीय सदस्य हमारे बीच से चले गये, यत्य की परिधि में प्रकृति के नियमों के बीच वे हमारे बीच से चले गये। इनके निधन के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस आई, माननीय नेता सजपा ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन भूतपूर्व माननीय संदस्यों ने सदन में रहकर सदन के बाहर रहकर, जिला स्तर पर सामाज़िक और विधिक रूपों में जो समाज और देश की सेवा की, तमाम संघर्ष, मैं उनकी सेवाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए और पुनः शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, कहना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक दलों के सदस्य सामाजिक राजनीतिक कामों से प्रदेश के लिए लड़ते रहते हैं, कभी-कभी हमारे लोग जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, वह कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे समाज के जो गूंगे, बहरे और अपंग लोग होते हैं, उन्हें उठाने का काम हमारे राजनीतिक लोग करते हैं तो इस तरह से जो उनके लिए आवाज उठाते हैं उनके निधन से, मैं इस कड़ी में कहना चाहता हूं कि जो ऐसे सदस्य हैं, उनके परिवार को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ आपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए, आपके माध्यम से यह प्रार्थना करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राम प्रसाद सिंह -

मान्यवर, आज हमारे सम्मानित भूतपूर्व सदस्य डा0 रघुनाथ सिंह, श्री चारु चन्द्र ओझा, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री बृजवासी लाल, महेश्वर दत्त सिंह व श्री महाराज सिंह हमारे बीच में नहीं रहे और इस सम्बन्ध में हमारे माननीय नेता सदन और विभिन्न राजनैतिक दलों के द्वारा जो शोकोद्गार व्यक्त किये गये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । हमारे सभी भूतपूर्व सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा की है । वे न केवल विधान मण्डल, विधान परिषद् के सदस्य तथा मंत्री भी रहे बल्कि जिला परिषद् तथा कोआपरेटिव के हर सेक्टर में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं इसका हमें बहुत दुःख है । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके लिए शोक संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री दीनानाथ सिंह यादव-

मान्यवर, इस सदन के छः भूतपूर्व माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं । इनके निधन के बारे में जो शोकोद्गार तमाम नेतागणों ने व्यक्त किए हैं उ[illegible] अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, वैसे तो प्रकृति का सामान्य नियम है और आना-जाना लगा रहता है, इस पर कोई बन्धन नहीं है, कोई रोक नहीं है । मगर कभी-कभी ऐसे लोग, ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच से उठ जाती हैं तो ऐसे अवसरों पर बड़ा कष्ट होता है । इस सूची में अधिकांश माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना लम्बा जीवन काटा है, जेलों की यातनाएं सही हैं । माननीय डा0 रघुनाथ सिंह उन्हीं में से एक हैं, जिसके सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला । मैं जब बनारस में पड़ता था तो डा0 साहब के बारे में आमतौर से लोग यह कहा करते थे कि बहुत ही सीधा सादा इनका जीवन है । शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों, समाजवादी आंदोलनों में इन्होंने जो हिस्सा लिया हमारे प्रदेश की जनता की जो सेवा की है, उसे भूलाया नहीं जा सकता है । इसी तरह से हमारे अन्य माननीय सदस्यगण ने अपने जनपद में प्रदेश की जनता की सेवा की और इस विधान सभा की सेवा की है उसे भुलाया नहीं जा सकता । मैं माननीय सदस्यों के निधन पर अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री राम स्वरूप वर्मा-

मान्यवर, डा0 रघुनाथ सिंह, श्री चारु चन्द्र ओझा, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री बृजवासी लाल, श्री महेश्वर दत्त सिंह, श्री महाराज सिंह कृषकायी हो गये अब उनकी यश रूपी काया ही हमारे बीच है । हम सब दुखी हैं, उनके निधन के सम्बन्ध में जो नेता सदन और अन्य माननीय नेताओं ने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनायें प्रकट करता हूं । मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी और हमारे दल की ओर से संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दें ।

श्री पवन कुमार पान्डेय-

श्रीमन् नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस, नेता समाजवादी, नेता जनता दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो शोक सम्वेदनायें प्रकट की है, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन् आज एक साथ 6 महान विभूतियों को इस विधान सभा में श्रद्धांजलि दी जा रही है और शोक संवेदनायें व्यक्त की जा रही हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् प्रदेश ने एक साथ इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, समाजसेवियों को खो दिया है, यह क्षति अपूर्णनीय है । श्रीमन् इसी क्रम में मेरे ही जिले के स्वर्गीय श्री बृजवासी लाल जी दो बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे, वह एक बार लोक सभा के सदस्य भी रहे, ऐसे समाज सेवी के बारे में केवल जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चर्चायें हैं, आज ऐसे महान समाजसेवी को हमारे जिले फैजाबाद ने खो दिया है, मै अपनी तरह से और अपने दल की तरफ से इन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें, शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जायें ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि कोई भी सदस्य अगर किसी महान भूतपूर्व स्वर्गीय सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहें तो उनको भी मौका दिया जाता है, यह सामान्य परम्परा रही है, लेकिन किन्हीं लोगों को दिया जाता है ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार 6 भूतपूर्व महान विभूतियों के निधन पर प्रकट किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री चारु चन्द्र ओझा जी विधान सभा के सदस्य रहे, विधान परिषद् में भी रहे, मंत्रिमण्डल में भी रहे । वह एक स्वाधीनता संग्रामी परिवार के व्यक्ति रहे हैं, उनकी सेवायें पिथौरागढ़ जनपद ही क्या पूरे रुहेलखण्ड में रही हैं, वह निष्ठावान, दृढ़संकल्प के व्यक्ति रहे हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें तथा ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे ।

*श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

श्रीमन्, जिन सदस्यों का स्वर्गवास हुआ है, जिनके संदर्भ में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दल से सम्बद्ध नेतागणों ने अपने विचार रखे हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । विशेष रूप से डा0 रघुनाथ सिंह जी, जो कालान्तर में विधायक थे, उनका विधान सभा क्षेत्र वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र का आधा भाग था, मैं अपनी निजी भावनाओं के कारण श्रद्धांजलि के दो शब्द कहना चाह रहा हूं, जिसकी मुझे आपने अनुमति दी । श्री सिंह चिंतामणि मुखर्जी एंग्लो बंगाली इन्टर कालेज, वाराणसी में मेरे अध्यापक भी रहे, वह एक आदर्श शिक्षक थे । विशेषकर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में वह पहले डाक्टरेट शिक्षक थे, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में पी0एच0डी0 की ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्रधानाचार्य के रूप में उस सभ्य, प्रतिष्ठ स्कूल के एक आदर्श प्रधानाचार्य के रूप में उनके जीवन को लोग स्मरण करते हैं । अंजगरा गांव के एक अत्यन्त पिछड़े परिवार में उन्होंने जन्म लिया और समाजवादी आन्दोलन में अपनी भूमिका उन्होंने अदा की । इसके माध्यम से उन्होंने जनसेवा में योगदान दिया । कालान्तर में 1974 में उन्होंने भारतीय जनसंघ के माध्यम से समाज की सेवा में अपना योगदान दिया और जीवन के अन्तिम काल में राष्ट्रवादी विचाराधारा के माध्यम से अपने लेखों द्वारा समाज की निरन्तर सेवा की । ऐसे व्यक्तित्व, डा0 रघुनाथ सिंह जी प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, शेष भूतपूर्व विधायक जो आज हमारे बीच नहीं हैं, श्री चारु चन्द्र ओझा, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री बृजवासी लाल, श्री महेश्वर दत्त सिंह और श्री महाराज सिंह इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे संवेदना के भाव पहुंचाने का आग्रह आपसे करता हूं ।

*श्री अवनीश कुमार सिंह -

मान्यवर, 6 भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों का निधन हुआ है । उनके प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेतागण ने जो संवेदना के भाव प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री श्रीकृष्ण गोयल, बदायूं जनपद के एक पुराने नेताओं में से थे । जनपद बदायूं और इस प्रदेश की उन्होंने जो सेवा की है, वह अपूर्णीय है तथा उन्होंने जो योगदान किया है, वह भुलाया नहीं जा सकता है । मेरा उनसे बड़ा निकट का सम्बन्ध था । हम लोगों के विरोधी दल में रहने के बावजूद भी अधिकार्शतः कांग्रेस में ही रहे, उनके प्रति हमारा बहुत अधिक प्रेम रहा । मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे शोक संवेदना के ये भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष -

इस सदन के 6 भूतपूर्व सदस्यों का विभिन्न तिथियों को निधन हो गया । माननीय श्री (डा0) रघुनाथ सिंह, श्री चारु चन्द्र ओझा, माननीय श्री श्रीकृष्ण गोयल, माननीय श्री बृजवासी लाल, माननीय श्री महेश्वर दत्त सिंह व माननीय महराज सिंह जी के निधन से इस प्रदेश की जनता को सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी क्षति हुई है, जिसका पूरा होना कठिन है । डा0 रघुनाथ सिंह 1962 में सर्वप्रथम इस विधान सभा में चुनकर आये थे । सोशलिस्ट पार्टी से चुनकर वह आये थे । डा0 लोहिया के प्रबल अनुयायियों में से वह थे । स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में भी उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से बढ़-चढ़कर काम किया ।अनेक बार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में व राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में वह जेल भी गये । काशी के इण्टरमीडिएट कालेज में उन्होंने प्रधानाचार्य के पद से अवकाश ग्रहण किया । स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में उन्होंने जो योगदान दिया, उस योगदान की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

स्मृति में उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया गया । डा0 रघुनाथ सिंह जी के निधन से बनारस ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है और साथ ही वहां के राजनैतिक क्षेत्र एक अपूर्णीय क्षति हुई है । श्री चारु चन्द्र ओझा जी पर्वतीय क्षेत्र से थे । 1 मई, 1940 में इनका जन्म हुआ था । 21 मई, 1991 को 51 वर्ष कीआयु में उनका निधन हो गया । 1980 में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनकर इस विधान सभा में आये थे । वह एक वकील थे और इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छी ख्याति अर्जित की इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंक, भारत सेवक समाज, जिला कांग्रेस कमेटी आदि संगठनों के विभिन्न पदों पर वे आसीन रहे । उनके निधन से सामाजिक कार्यों में पर्वतीय क्षेत्र में भारी हानि हुई है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय था । उनका निधन 11 मार्च, 1992 को 65 वर्ष में हो गया । उनका जन्म 8 फरवरी, 1927 को राजस्थान में हुआ लेकिन उनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा । वह 1957 और 1980 में इस विधान सभा के सदस्य थे । इसके अतिरिक्त वह विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। जब वे विधान परिषद् के सदस्य थे तब भी मेरा उनसे परिचय रहा । उन्होंने विभिन्न संगठनों, विभिन्न पदों पर रहकर प्रदेश की सेवा की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जनता की सेवा की । श्री नारायण दत्त तिवारी के मंत्रिमण्डल में वे राज्य मंत्री थे तथा माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमण्डल में वह नगर विकास मंत्री के रूप में जो योगदान दिया वह हमें हमेशा स्मरण रहेगा । उनके निधन से न केवल बदायूं जनपद ने बल्कि पूरे प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा समाज सेवी खो दिया है ।

श्री बृजवासी लाल का निधन 19 मार्च, 1992 को 88 वर्ष की अवस्था में हुआ । वे फैजाबाद में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तियों में से थे । श्री बृजवासी लाल सर्वप्रथम 1952 के सामान्य निर्वाचन में चुनकर आये और 1957 में पुनः निर्वाचित हुए । 1962 से 1967 तक फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए सदस्य चुने गये । पेशे से वह वकील थे उन्होंने 1967 के बाद सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया था और सामाजिक सेवा करते रहे । उन्हें 15 अगस्त, 1972 को देश सेवा में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप ताम्रपत्र दिया गया । उनके निधन से फैजाबाद जनपद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है ।

श्री महेश्वर दत्त सिंह का जन्म 9 जुलाई, 1920 को हुआ । उनका निधन 24 मार्च, 1992 को हो गया । वे सर्वप्रथम बलरामपुर जनपद गोण्डा से 1969 में सामान्य निर्वाचन में चुनकर आये थे । उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा एवं राजनीति में अर्पित रहा । वे कई वर्षों तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तथा जिला कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे । वे बहुत ही मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे उनकी मृतत्यु से गोण्डा ने एक समाज सेवी खो दिया है ।

श्री महाराज सिंह का जन्म 1908 में हुआ और 29 मार्च, 1992 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया । वे 1952 के सामान्य निर्वाचन में इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए और 1952 से 1967 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे । 1967 से 1977 तक वे लोक सभा के सदस्य के रूप में चुने गये । स्व0 महाराज सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा । वे जिला परिषद् के सदस्य भी रहे और 5 वर्ष तक जिला सहकारी विकास संघ के अवैतनिक मंत्री रहे । श्री सिंह पत्रकार भी थे और "विद्रोही" पत्रिका का संपादन किया । उनके निधन से फिरोजाबाद की अपूरणीय हानि हुई है ।

मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं और सदस्यों ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपकी भावनायें उनके शोक संतप्त परिवारों तक भेजवा दूंगा । हम उनकी शान्ति के लिए दो मिनट मौन धारण करें ।

(सभी सदस्यों ने दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

नियम 300, 301, 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने का प्रयास

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तीन तारीख को नेता विरोधी दल ....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पहले नियम-300, 301 को सूचनाएं ले लें । पांच-पांच मिनट की है ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तीन तारीख की घटना है जब नेता...

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना प्राप्त हो गई है । मैं क्रम के अनुसार ले लूंगा ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है । तीन तारीख को नेता विरोधी दल फैजाबाद में बम विस्फोट से जो मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसके साथ ही मान्यवर, अयोध्या में मंदिरों के टूटने ...

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, इसके बाद मैं आपकी सूचना सुन लूंगा । आप लोगों में आपस में मतभेद है । तिवारी जी कह रहे हैं क्रमानुसार 300, 301 को सुनने के बाद 311 लें और आप पहले 311 को लेने के लिए कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने कहा कि पहले 300, 301 की सूचनाएं ले लें उसके बाद 311 में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इसे ले लें ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, पहले कौन सी सूचना ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आपने जो क्रम बनाया है, उसके अनुसार ले लीजिए ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लोकतंत्र का सजग प्रहरी विपक्ष होता है और विपक्ष के नेताओं को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जायगा तो इससे महत्वपूर्ण सूचना और क्या हो सकती है ?

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दे दें कि पहले आप क्या ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मैं सामन्जस्य करने का प्रयास कर रहा हूं । नियम-301 की सूचनाएं पहले ले लेता हूं ।

(व्यवधान के मध्य श्री लालजी वर्मा अपनी बात कहते रहे)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि हम लोगों की बातें रिकार्ड हो सकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 की सूचनाएं ले लेता हूं । इतनी देर में तो समाप्त भी हो जातीं ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है, लोकतंत्र के प्रहरी...

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आप पहले कौन सा विषय ले रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर नियम-300, नियम-311 और नियम 56 बजट में न लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका सुझाव कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रख दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

मेरी नियम-311 की सूचना है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते हैं नियम 301 न लूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना सर्वोच्च प्राथमिकता पर ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, हमारी सूचना पहले है, जिस घटना के संबंध में हमने सूचना दी है वह एक दिन पहले की घटना है ।

श्री अध्यक्ष-

आप आपस में तय कर लें ।

(घोर व्यवधान)

विपक्ष इस पर भी तैयार नहीं है कि नेता विरोधी दल की सूचना को पहले लें तो इस तरह से तो विपक्ष की एकता पर मुझे संदेह लगता है । आप आपस में तय कर लें ।

(व्यवधान)

अगर मेरी व्यवस्था की बात होगी तो मैं नेता विरोधी दल की सूचना को प्राथमिकता दूंगा ।

(व्यवधान)

माननीय नेतागण आपस में तय करके परामर्श कर लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

जनता दल (अ) का विधान मंडल के दोनों सदनों से जुड़ा प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप 12-13 मिनट विश्राम कर लें, मैं 1.30 तक सदन को स्थगित करता हूं ।

(1 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही । बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । । बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया, कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन । बजकर 45 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । तदुपरान्त । बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापत्तिव में पुनः आरम्भ हुई)

नेता विरोधी दल को फैजाबाद जाते समय गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होने पर)

(1 बजकर 45 मिनट)

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 की सूचना मैं पहले ले रहा हूं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो जनतंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति कह कर और संविधान में जो अधिकारी प्रदत्त हैं एक साधारण नागरिकों को एवं खासतौर से सम्मानित विधायकों को, मान्यवर, उस अधिकार का इस सरकार ने जिस तरह से हनन किया है, हमारी समय से इस देश और अन्य देशों में भी मान्यवर, इस तरह से उसके हनन की कहीं दूसरी मिसाल आपको मिलेगी नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो अपने को एक बार नहीं, बार-बार इस बात की दोहाई देती रही कि यह सरकार ट्रांसपरेंट सरकार है, कोई बात यह सरकार छिपाती नहीं है और किसी भी आदमी को अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता में और कहीं पर आने-जाने में कोई रोक नहीं है । मान्यवर, वहीं पर माननीय मुलायम सिंह यादव गये, उनको रोका, अभी माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी, विधायकों के साथ गये, उनको रोका, मान्यवर, वहां पर गृह सचिव से कहा था कि यह कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, मैं नेता विरोधी दल की हैसियत से वहां जाकर जो वस्तु स्थिति है, उसे देखना चाहता हूं ।मैं वहां मंदिर भी देखने जाना चाहता हूं और कसाई बाड़ा में भी जो मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया गया है, उसे भी देखना चाहता हूं । मान्यवर, मुझसे सचिव ने कहा कि आप जा सकते हैं, आपके साथ आपके अलावा एक गाड़ी और जा सकती है और जिसमें 5-6 लोग आपके साथ जा सकते हैं । मान्यवर, मेरे साथ 10-12 लोग थे और उसमें दो सम्मानित विधायक भी थे इस सदन के, माननीय लाल जी वर्मा और माननीय राम खिलाड़ी सिंह यादव और प्रदीप कुमार यादव जी जो हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वह भी साथ थे और अनिल सिंह

महामंत्री हमारी पार्टी के. जो हैं, वह भी साथ में थे, लगभग 12 बजे राम सनेही घाट, बाराबंकी पहुंचे, वहां पर पुलिस का बैरिकेट लगा हुआ था और पुलिस अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप हिरासत में हैं, आप आगे नहीं जा सकते हैं ।

मान्यवर, मैंने कहा कि गृह सचिव को बता दिया है और अगर चाहें तो 5-6 लोग जो हमारे साथ हैं, उनको रोक देंगे और केवल मेरी गाड़ी जायेगी, दूसरी गाड़ी नहीं जायेगी । उन्होंने कहा कि शासन का निर्देश है, अयोध्या कोई नहीं जायेगा । इस पर मैं आश्चर्य चकित रह गया कि मेरी गृह सचिव से इस पर बात हुई और उसके बाद भी इस तरह का अन्याय होने का कोई औचित्य नहीं है । मैंने वहीं पर घोषणा की कि अगर गिरफ्तार करेंगे तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और तब तक बैठूंगा जब अयोध्या या फैजाबाद नहीं जाने देगें । आप ताजुब करेंगे कि हम लोगों को 6 बजे तक बैठाये रखा । मान्यवर, राम सनेही घाट से लखनऊ तक का रास्ता एक घंटे का है, लेकिन वहां से लखनऊ तक आने में साढ़े तीन घंटा लगा । हैंडओवर और टेकओवर में सारा समय गुजार दिया गया, इसी में विवाद होता रहा । दफा 151 में गिरफ्तार किया गया था । हमें यहां से हस्तान्तरित करने के लिए वायरलेस किया गया कि इनको छोड़ा जाये और पुनः गिरफ्तार किया जाये । राज्य गृह मंत्री बैठे हुए हैं, वायरलेस दिखा दें ।

लखनऊ के पुलिस अधिकारी हिरासत में लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोग एस0पी0 की गाड़ी से आये थे, वह हमसे बार-बार यही कहते थे कि आप गाड़ी से उतर जाइये और चले जायें । मैंने कहा कि मैं हिरासत में हूं कैसे जाऊं ? कैसे उतर जायें ? मान्यवर डेढ़ बजे हमें गांधी जी की मूर्ति पर छोड़ा गया । सरकार को फासिस्टवाद की बात कही जाती है, हम लोग डेढ़ बजे से सबेरे तक बैठे रहे और दूसरे दिन आमरण अनशन जारी थी और जब 10 बजे तो कनात लगाने के लिए भेज दिया और इनके पुलिस अधिकारियों ने और पुलिस कर्मियों ने टेंट फेंक दिये और उनको अपने कब्जे में कर दिया और यह कहा कि यह गैर कानूनी है । हम लोगों का बैठना गैर कानूनी नहीं था और टेंट लगाना गैर कानूनी था और गैर कानूनी था तो यह फासिस्टवाद की बात नहीं है और क्या है ? इसलिए मजबूरन सड़क पर धरना देना पड़ा, हम लोग चिलचिलाती धूप में बैठे रहे और उस समय सरकार विचार कर रही थी और समस्या का हल नहीं निकाल पा रही थी । मैं जानना चाहता हूं कि अयोध्या इस प्रदेश में है या इस प्रदेश के बाहर है । फैजाबाद इस प्रदेश में है कि इस प्रदेश के बाहर है और अगर फैजाबाद अयोध्या इस प्रदेश में है तो वहां आज किसी भी नागरिक को किस कानून के तहत रोक सकते हैं और सम्मानित विधायकों को रोकने का आपको कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ है ? विधायकों को जाने से, मेरे जाने से और अन्य दलों के सम्मानित नेताओं को जाने से वहां की कौन सी शान्ति व्यवस्था भंग का खतरा हो रहा था । मान्यवर, अगर वहां शान्ति भंग का खतरा था तो मैं तो वहां गया, वहां शान्ति भंग नहीं हुई, कोई खतरा नहीं

एक विवाद भी नहीं हुआ । लेकिन मान्यवर, यह इनकी सोच, का इनके फासिस्टवाद का, इनकी निरंकुशता का इससे बड़ा दूसरा कोई परिचायक नहीं हो सकता । मान्यवर, यह श्रीनगर तो जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी, दल की मदद से बी0एस0एफ0 का प्लेन लेकर, फौजफाटा लेकर जहां विशेष परिस्थिति हैं लेकिन हम अयोध्या और फैजाबाद नहीं जा सकते । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से, इन्होंने जो हमें 24 घटें से ज्यादा और हमारे साथियों को गिरफ्तार करके रखा, नजरबंद करके रखा और अन्य दल के सम्मानित नेताओं को वहां जाने नहीं दिया इसकी भर्त्सना करता हूं कि इस प्रदेश में इस इस सरकार को जो पूर्ण रूप से निरंकुश हो गयी है, फासिस्टवादी तरीका अपना रही है और अपने विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उनके दायित्व का निर्वहन करने से रोक रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है और इनके खिलाफ विभिन्न तरह की कार्यवाही कर रही है इसका इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उस रोज अयोध्या में मेरे जाने के बाद जब मैं गिरफ्तार किया गया, 3 मंत्री उस रोज अयोध्या में ही थे ? तो क्या मंत्री जा सकते हैं, नेता विरोध दल और सम्मानित विधायक वहां नहीं जा सकते हैं । इससे बड़ा इस सरकार का चरित्र, कोई दोहरा मापदण्ड और दूसरा कोई उदाहरण मिल नहीं सकता । मान्यवर, यह सरकार आज पूरी तरह से असफल हो चुकी है और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए आज अयोध्या नहीं जाने देती । लेकिन मैं गया । मान्यवर, यह इसलिए नहीं जाने देते क्यों कि इन्होंने सभी मंदिरों को जो वहां पर थे उनको ध्वस्त कर दिया है और उनका कोई अवशेष भी बाकी नहीं रह गया है इन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया है आज एन0आई0सी0 के मेम्बर गये थे उनको भी कुछ नहीं दिखाई पड़ा । वहां की जनता ने हमें बताया कि जो इन्होंने वहां नहीं आने दिया उसका एक कारण यह था कि जो मंदिरों को गिराया गया है उनके मलवे को यह बाहर ले जा सकें । मान्यवर, वहां मलवे को फेंक दिया गया जिससे कोई अवशेष वहां नहीं गिल सके । मान्यवर, इससे गम्भीर और कोई विषय इस सदन के समक्ष हो नहीं सकता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कराई जाय और इसका निराकरण किया जाय । इसी तरह से जो इन्होंने निरकुंश आदेश दे रखा है जिससे इस प्रदेश में इस सरकार की वजह से खतरा पैदा हो रहा है न कि विरोध दल के नेताओं के किसी आचरण से ।

श्री अंगद सिंह यादव-

मान्यवर, मेरी बात को सुनें, मेरी सुरक्षा का सवाल है यहां तो रोज मंदिर मस्जिद चलता रहता है ।

श्री अध्यक्ष-

आपके दल को समय देंगे तो आपको बुलवायेगें, आज आपके दल की ओर से आपकी बात आयेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पिछले 10 महीनों के अन्दर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, नाम तो लोकतंत्र का है लेकिन इसने तानाशाही का शिकंजा पूरे उत्तर प्रदेश में कस दिया है । इनके जो कृत्य हैं, अगर नादिरशाह जिन्दा होता तो उसे अपने से बड़ा स्वयं इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखायी पड़ रहा होता । इन्होंने एक अघोषित आपात स्थिति पैदा कर रखी है, अगर आप में साहस है तो आपात स्थिति की घोषणा कर दीजिए । इनके ये कार्य संविधान के विपरीत हैं । मैंने इस संदर्भ में सूचना भी दी है । इस सम्बन्ध में भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 और 19 (1) (ख) भी देख लें । इसमें है कि जाति, धर्म और लिंग भेद के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायगा । अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है । लगता है कि संविधान के निर्माताओं को मालूम था कि कभी ऐसी भी सरकार आयेगी, जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करेगी, इसलिए उसका उल्लेख पहले ही कर दिया है । 19 (1) (ख) में है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाधित संचरण का अधिकार सभी को है यानी भारत के किसी भी हिस्से में जो भारत का रहने वाला है, उसे जाने का अधिकार है ।

इस तथाकथित रामराज्य की सरकार ने, जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनका भी हनन किया है । यह स्थिति नेता विरोधी दल के साथ ही रही हो, ऐसा नहीं है, नेता विरोधी दल के संचरण पर तो बाधा उत्पन्न की ही गयी, साथ ही श्री कैलाश नाथ सिंह यादव के संचरण पर बाधा उत्पन्न की गयी, समाजवादी जनता पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव के संचरण पर बाधा उत्पन्न की गयी, इस प्रकार यह सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य कर रही है । इस सरकार ने ऐसा काम किया है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है । इनके कामों की सूचना दिल्ली पहुंची, तो भारत सरकार ने कहा कि इसका जायजा लेंगे । राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्य किसी दल विशेष के नहीं हैं, इसमें भारत की महान विभूतियां हैं, केन्द्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विभिन्न दलों के नेता हैं । राष्ट्रीय एकता परिषद् के संसदीय दल के सदस्यों ने इच्छा जाहिर की कि स्वयं जायेंगे और देखेंगे कि फैजाबाद और आयोध्या में क्या हो रहा है ? इस सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्यों से लिखित आग्रह कर लिया कि कसाईबाड़ा में न जायं । किसी मुख्य मंत्री को यह अधिकार कहां से हो जाता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्यों को नियंत्रित करें । भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को अवमानना झेलनी पड़ी । इनके अनुरोध को दर किनारे कर दिया । आज राष्ट्रीय एकता परिषद् की टीम फैजाबाद का दौरा कर रही है । मुख्य मंत्री के इस अनुरोध और इस तानाशाही रवैये के कारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है । जो कुछ किया है वह भारतीय संविधान की धारा 19 (1) (ख) के विपरीत आचरण किया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं इस लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार दृढ़ता से कह दें कि अयोध्या प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां कोई जाने नहीं पायेगा या जायेगा तो विशेष अनुमति लेकर ही जायेगा । (आपके मंत्री वहां खड़े हो जायं, आपके सांसद वहां खड़े होकर मंदिरों को तोड़ रहे हैं, आपके विधायक वहां मंदिरों को तोड़ रहे हैं । मस्जिद को तोड़ने की साजिश रची जा रही है ।) मेरा निश्चित आरोप है कि वहां मंदिरों को तोड़ा है और उसी कांस्पेरिसी के तहत मस्जिद तोड़ने का सम्पूर्ण इल्जाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक कहावत सुनी थी चोर की दाढ़ी में तिनका जितने चोर होते हैं उनकी अपनी दाढ़ी में तिनका होता है । जब मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात कही जाती है तो देखिये कैसे उठने लगते हैं इनकी दाढ़ी में तिनका है इन्होंने मंदिर मस्जिद तोड़े हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, यह ग्राह्यता का कोई संदर्भ तो है नहीं ।

अध्योध्या में मंदिर गिराये जाने के प्रकरण पर श्री प्रमोद तिवारी द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने की घोषणा

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, निश्चित तौर पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ यह इल्जाम लगाता हूं और पूरे विश्वास के साथ यह आरोप लगाता हूं कि जो कुछ भी अयोध्या में हुआ है मंदिर टूटे हैं, मस्जिद टूटी है उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है । इन्हें मेरी चुनौती स्वीकार हो, मैंने उस दिन भी दी थी, आज भी देता हूं, मान्यवर इनके राष्ट्रीय नेता मुरली मनोहर जोशी जब (गिड़गिड़ाये) प्राणों की भीख मांगी तब हवाई जहाज से उनको श्रीनगर भेजा गया । अगर इनमें नैतिकता है साहस है तो संपूर्ण सदस्यों को अयोध्या ले जायं । गृह राज्य मंत्री जी आप में नैतिकता हो, संसदीय कार्यमंत्री जी में हो, या भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी मंत्री में नैतिकता हो, तो मैं दावे के साथ चुनौती दे रहा हूं चुनौती स्वीकार करें, मैं अपना त्याग-पत्र दे दूंगा अगर मंदिर टूटे न मिल, अगर मंदिर टूटे मिल जायं तो इनका त्याग-पत्र ले लें । अगर मंदिर वहां टूटे हुए मिल जायं तो इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और त्याग-पत्र दे देना चाहिए और

जनता के सामने जाना चाहिए । वह मेरी चुनौती को स्वीकार करें । मैं अपनी इस चुनौती को आपके माध्यम से फिर दोहराता हूं कि अगर इनमें से किसी में साहस हो तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें । यह अपना त्याग पत्र आपको दे दें मैं अपना त्याग पत्र आपको दे दूंगा अगर मंदिर टूटे मिल जायं तो इनका स्वीकार कीजिये अगर न मिले तो मेरा स्वीकार कीजिए । लेकिन मतुझे मालूम है इन डांडी मारों की सरकार में नैतिकता नहीं है यह चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे ।

*श्री रवीन्द्र प्रताप-

यह ग्राह्यता में चुनौती देना क्या उचित है ?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ख) के अन्तर्गत पूरे देश के नागरिकों को किसी भी जगह जहां सामरिक दृष्टिकोण से प्रतिबंधित क्षेत्र न हो, जाने का अधिकार है । इन्होंने नेता विरोधी दल को वहां न भेजकर उनकी जाने की व्यवस्था न करके निन्दनीय और शर्मनाक काम किया है । इन्होंने कैलाश नाथ सिंह यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी को वहां जाने नहीं दिया । इससे इनकी फासिस्टवादी शक्ल देखने को मिलती है । मान्यवर, नैतिकता के आधार पर इन मंदिर मस्जिद तोड़ने वालों को उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है । मान्यवर, आप सारीकार्यवाही रोक कर इनसे मेरी चुनौती को स्वीकार करायें या इनसे कहें कि त्याग पत्र देकर जनता के बीच फिर जायं और अपने किये की क्षमा मांगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं फिर चुनौती देता हूं यदि किसी में हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार कर ले ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर माननीय मुरली मनोहर जोशी में इतनी ही हिम्मत थी तो कार से जाते, वह क्यों हवाई जहाज से वहां पर गये, क्यों वह झुण्ड के साथ गये ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायें । शोर के कारण कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है । मैंने श्री विजय सिंह राणा को आमंत्रित किया है बोलने के लिए कृपया उन्हें बोलने दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय कल्याण सिंह की सरकार को चुनौती देता हूं कि वह मेरी चुनौती स्वीकार करें ।

(व्यवधान)

अयोध्या में मंदिर गिराये जाने के प्रकरण पर श्री बसंत लाल गुप्ता द्वारा त्याग-पत्र देने की घोषणा

*श्री बसंत लाल गुप्ता-

मान्यवर, मैं इनकी चुनौती स्वीकार करता हूं । मैं अपना त्याग पत्र लिखकर दे रहा हूं यह भी अपना त्याग-पत्र लिखकर दें और फिर चुनाव में इसी बिन्दु पर लड़ लिया जाये ।

(श्री बसंत लाल गुप्ता ने अपना त्या-गंपत्र लिखकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को दिया)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शांत रहे कुछ सुनायी नहीं दे रहा है । कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें ।

(व्यवधान)

मैं सदन को 2.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

अध्योध्या प्रकरण पर श्री प्रमोद तिवारी व श्री बसंत लाल गुप्त द्वारा त्याग-पत्र देने की घोषणा पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

कृपया सदन व्यवस्थित करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने दो बार सदन का स्थगन किया हम लोगों को ऐसा लगा कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, जिस पर आपने दो बार सदन को स्थगित कर दिया । अभी आपने जो सदन को स्थगित किया, वह (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की हुल्लड़बाजी को ध्यान में रखकर किया, वहां से ऐसा शोर किया गया, बोला कि हम इस्तीफा दे रहे हैं । प्रमोद तिवारी जी ने भी चुनौती दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए । मान्यवर, इस्तीफा दे देना कोई साधारण बात नहीं है । यह जन प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर आते हें । इस्तीफा तभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होता है, जब किसी को कोई बड़ी ठेस दिल में लग गयी हो । मान्यवर, प्रमोद जी ने उस दिन कहा था, जिस दिन यहां पर अयोध्या प्रकरण आया था, उस दिन चुनौती दी थी कि माननीय नेता सदन और पूरी सरकार इस्तीफा दे दें, यदि मंदिर टूटे हों और यदि न टूटे हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । आज मान्यवर, उधर से चुनौती दी गयी कि हम इस्तीफा देर हे हें, यह बहुत हल्की बात है । आप यदि इस मसले को गम्भीरता से लेना चाहते हों, तो माननीय प्रमोद तिवारी, जो आपको इस्तीफा दिये हैं, इसी आधार पर माननीय नेता सदन व पूरी सरकार का इस्तीफा गवर्नर या आपको दे दें । मान्यवर, अगर मंदिर टूटना न साबित हो तो पूरे विपक्ष की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रमोद तिवारी का इस्तीफा स्वीकार लीजिए ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने अपना इस्तीफा आपको दे दिया है । अगर इनमें हिम्मत हो तो यह पूरी सरकार सहित आपको इस्तीफा दे दें, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें ।

* वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, अभी मैंने माननीय नेता विरोधी दल और माननीय तिवारी जी का भाषण बड़ी गम्भीरता से सुना । माननीय तिवारी जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19.....

श्री अध्यक्ष-

अभी तो राणा जी बोलने वाले थे, उसके बाद राम गोविन्द चौधरी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने आपको इस्तीफा दे दिया है, अगर इनमें हिम्मत हो तो इनका और इनकी सरकार का इस्तीफा आ जाय ।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी-व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, प्रमोद जी ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं, यह आप स्पष्ट कर दें, अगर दे दिया है तो यह लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरें ।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम गोविन्द चौधरी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । श्री तिवारी का लिखित त्याग-पत्र मेरे पास आया है । इसका उत्तर इस पत्र से स्वयं स्पष्ट हो जाता है । इसको स्वीकार करना निरर्थक हो जायेगा । उस पत्र में आपने जो लिखा है, उसे मैं पढ़ देता हूं:-

"यदि नेता सदन अपने दल सहित अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देवे और एक सर्वदलीय समिति अयोध्या भेज दें और वहां जाकर निरीक्षण कर लें । यदि मन्दिर टूटे हों तो उनका तथा दल के सदस्यों का त्याग-पत्र स्वीकार कर लें । यदि मंदिर न टूटे हों तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मंदिरों में हमारी आस्था है, विश्वास है इसलिए वहां मंदिर नहीं तोड़े गये हैं, नहीं तोड़े गये हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अध्यक्ष आसन तक गये)

श्री अध्यक्ष-

यह त्याग पत्र नियम 279 के अंतर्गत नहीं आता है । आपने दे दूगा के स्थान पर दे देता हू शब्द बढ़ाया है, यह आपने मेरी व्यवस्था देने के बाद बढ़ाया है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हू ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर इनमे हिम्मत है, तो ये इस्तीफा दे ।

नेता विरोधी दल को अयोध्या जाते समय गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

*श्री विजय सिह राणा-

मान्यवर, इस प्रदेश मे एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस सरकार ने आयोध्या जाने के लिए न कोई रोक लगाई है और न रोक लगाने की कोई घोषणा की है । रोक न लगाये जाने के बावजूद भी, जब कोई वहा जाता है तो उसे रोक दिया जाता है । पहले माननीय श्री मुलायम सिह यादव जी को रोका गया । हमारे जनता दल (अ) विधान मण्डल दल, आपको विधिवत् सूचना देकर अयोध्या जा रहा था । मै बताना चाहता हूं कि यह दल केवल एक अध्ययन दल था । वहां पर जो मदिर टूटे है और मस्जिद मे जो विस्फोट हुआ है और उससे जो स्थिति वहा पर उत्पन्न हो गई है, उसके अध्ययन के लिए वह दल वहा जा रहा था फिर भी वहां जाने से रोक दिया गया । मान्यवर, हर सदस्य यह सोचकर चलता है कि आपका हमें संरक्षण प्राप्त है । हमने आपको लिखकर सूचना दी थी, फिर भी जनता दल (अ) विधान मण्डल दल को राम सनेही घाट पर रोक दिया गया और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया । अयोध्या जाने के लिए अगर हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का कोई कार्यक्रम होता और बहुत भीड़ होती तो शायद यह समझा जा सकता था कि इस भीड़ के वहां जाने से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है, तब तो आपका रोकना कुछ समझ में आता । मैं बताना चाहता हूं कि दोनों सदनों-अपर हाउस और इस सदन के माननीय सदस्य वहां जा रहे थे । अब इन सदस्यों को रोकने का क्या कारण था ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या केवल इनकी ही है क्या हमारी कुछ भी नहीं है ? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं प्रदेश में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष से विपक्ष की कुछ कम नहीं है । शांति व्यवस्था को तोड़ने का अगर प्रयास हुआ है तो इनकी तरफ से हुआ है हमारी तरफ से नही । विधान मडल के दोनो सदनो के सदस्यो को राम सनेही घाट पर रोक दिया गया । आप पता लगा ले हम लोगो ने कोई ऐसा काम नही किया जिससे शांति व्यवस्था भग होती हो । वहा पर शासन के अधिकारियो पुलिस और पी0ए0सी0 का हुजूम लगा हुआ था हमने उनसे पूछा कि हमे किस दफा मे बद किया जा रहा है तो हमे बताया गया कि दफा 151 मे बद किया जा रहा है । दफा 151 मे दो पार्टी होती हैं तो दूसरी पार्टी वहा जिलाधिकारी थे तो दूसरी पार्टी को भी बद करना चाहिए था, पुलिस वालो को बंद करना चाहिए था ।

तो मान्यवर, फर्जीरूप से हम लोगो को वहा गिरफ्तार किया गया । आपको हमने स्वय लिख कर दिया था तो आपका उत्तरदायित्व है कि हमारा सरक्षण आप करें । दोनों सदनों के सम्मानित सदस्य वहा जा रहे थे जिनको जनता ने चुनकर भेजा है जिस विश्वास ने जनता ने चुनकर आपको भेजा है उसी विश्वास और आस्था से, उसी निष्ठा और लगन से और उसी भावना से हमको भी जनता ने चुनकर भेजा है इसलिए हमारा उत्तरदायित्व कम नहीं है । हम अपने उत्तरदायित्व को भली-भांति जानते हैं और उसको निभाते हैं । तो उसके बाद हम लोगों को रोक दिया गया । अगर हमने कानून का उल्लंघन किया था तो हमें जेल ले जाते लेकिन हमें डाकबंगले में भेज दिया गया क्या हमने डाकबंगला नहीं देखा है । दिन भर हम वहां रहे और शाम को वहां से छोड़ दिया गया । तो यह एक भयंकर स्थिति है और सदन के सम्मानित सदस्यों को रोकने का कोई औचित्य नहीं है । इससे पूर्व कोई घोषणा भी नहीं की गयी । हमे मालूम हुआ कि घटनास्थल पर उस दिन अयोध्या में न्याय मंत्री मौजूद थे ।

मंत्री इस सदन के सदस्य हैं जैसे हम है उनको छोड़ दीजिए क्योंकि वह हमारी श्रेणी में आते हैं लेकिन अयोध्या में मंदिर तुड़वाने के लिए मस्जिद तुड़वाने के लिए इनके बजरंगदल के, हनुमान दल के, शिव दल की भूतबरात वहां मौजूद थी जो मदिर मस्जिद को तोड़ने में लगे हुए थे । तो इस प्रकार हम लोगो को वहां जाने से रोक देना जनता के सामने एक प्रश्नचिन्ह लगाता है । आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? आज इनके लोग कोई कायदा कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है न कोई संवधिान मानने के लिए तैयार है और न कानून व्यवस्था को मानने के लिए तैयार है । यहा पर भी जब कोई बात आती है तो बराबर उधर से खड़े हो जाते है ।यह चाहते हे कि आयोध्या का मामला बराबर बना रहे । एक नियोजित ढग से अयोध्या के मामले को बनाये रखना चाहते हैं । मैं अर्ज करना चाहता हू कि हम प्रदेश और देश मे शान्ति व्यवस्था के प्रति निष्ठावान है और इस सदन के अंदर जनता की समस्या उजागर होनी चाहिए ।यह स्पष्ट हो गया है कि

यह जनता की समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं और न इनका जनता से कोई लगाव है इनका केवल सत्ता से लगाव है और उसके लिए यह तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा-

इसलिए मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जब हमने लिखित सूचना दी थी, आपके संरक्षण में हम यहां बैठते हैं तो आपको सूचना देने के बाद हमें रोकने का क्या कारण है ?

(समय 2 बजकर 45 मिनट)

मान्यवर, इस समय न केवल हमारी अवमानना हुई है, इस सदन की अवमानना हुई है, आपके पद और प्रतिष्ठा की अवमानना हुई है । इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारा संरक्षण करें और यह बतायें कि हमको रोकने का क्या कारण था ? गलत रोका गया है तो मान्यवर, मैं आपका निर्णय चाहूंगा कि आप इस सरकार को निर्देशित करें कि क्यों रोका गया । यह महत्वपूर्ण मसला है जिस तरह से हम लोगों को रोका गया । हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है ।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, अभी और सदस्य भी कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

कई माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं वे लोग अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, यह अत्यन्त दुःखद स्थिति है कि जब से यह विधान सभा गठित हुई है अयोध्या प्रकरण के अलावा कोई दूसरा प्रकरण इस विधान सभा से उठ ही नहीं पाता है ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से शोर गुल)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें ताकि बात जल्दी समाप्त हो जाय ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, न आर्थिक समस्या रह गई है, न सामाजिक समस्याएं रह गई हैं न किसानों का मसला है न मजदूरों का मसला रह गया है । जब से यह विधान सभा गठित हुई है तब से सदन चलता है तो कोई प्रकरण और नहीं चलता है तब भी सदन के बाहर इसी मसले पर चर्चा होती रहती है । श्रीमन् मैं कोईआरोप प्रत्यारोप के रूप में यह बात नहीं कह रहा हूं श्रीमन् यह इस प्रदेश के लिए बहुत हितकारी नहीं है और जो आज हो रहा है, अयोध्या में जो जांच समिति आई है वह सब लोगों के लिए अपमान की बात है । सरकार के लिए तो पता नहीं लेकिन हम विपक्ष में बैठे लोगों के लिए भी यह अपमान की बात है । उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश आपको मिला है सरकार बनाने के लिए । आप मुख्य मंत्री हैं प्रदेश के, आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश के लिए । केन्द्र सरकार को यह संदेह हो जाय कि कोई प्रदेश की सरकार संविधान के उपबंधों को उल्लंघन कर रही है या नहीं तो इससे ज्यादा शर्म और अपमान की और कोई बात नहीं होनी चाहिए । सरकार गौरव समझती हो, लेकिन प्रदेश की जनता का अपमान है । राष्ट्रीय एकता परिषद् और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त टीम वहां पर अध्ययन करने के लिए आई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान के खिलाफ कोई कार्यवाही वहां कर रही है या नहीं । हमारी जानकारी में उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई जाचं दल किसी भी सरकार के जमाने में नहीं आया है । सरकार इसे इस तरह से हल्केपन से ले रही है जैसे कि अयोध्या में रुटीन कार्य हो रहा है ।

मान्यवर, हम सब जो इधर बैठे हैं हमारा धर्मनिरपेक्षता का नारा रहा है । चंद वोटों के लिए हमने कभी दोनों सम्प्रदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोई बात नहीं की है । वोट हासिल करने के लिए कभी इस तरह के प्रकरण नहीं बनाये हैं । आप की तरह नदी के बहाव में तैरना नहीं सीखा है । हम लोग यह मानकर चलते हैं कि सद्भाव नहीं रहेगा तो हमारे देश का आज जो रूप है, वह भी नहीं रहेगा । इसलिए हम लोग आप लोगों की तरह बहुमत को खुश करके, बहुमत की भावनाओं को उभारकर सत्ता में आने की कोशिश नहीं करते । अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलना चाहिए यह हमारी धारणा रही है भले ही हम सत्ता में न आयें । साम्प्रदायिकता फैलाकर सत्ता में आने से सौ बार हार जाना बेहतर है धर्मनिरपेक्षता को छोड़ दें, यह हमें मंजूर नहीं है । मान्यवर, आपके माध्यम से श्री राजेन्द्र गुप्त जी से कहना चाहूंगा वह वरिष्ठ सदस्य है, मंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं इसे गम्भीरता से लें । राजनीतिक भावनाओं से दूर हटकर लें । राजनीति टकराहट की बात करने से भविष्य के लिए न कोई अच्छे सिद्धान्त प्राप्त होंगे न प्रदेश के लिए अच्छे काम कर पायेगें । हर बात को राजनीतिक टकराहट से नहीं जोड़ना चाहिए । नेता विरोधी दल गए इसमें उन्होंने कौन सा अनैतिक कार्य कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया ? कौन सा असंवैधानिक कार्य किया है ? क्यों उनको रोका गया ? यह तो उनकी भलमनसाहत कहिए कि उन्होंने गृह सचिव को सूचित कर दिया, उनके सूचित करने के बाद भी उनको रोका गया । जब हम लोगों को जाना था तो हमारी डंडों से खातिर की गई क्या हम वहां जाकर मंदिर तोड़ देते ? या मस्जिद तोड़ देते, यह सब कार्य तो आप करते हैं । मंदिर तोड़े गए हैं और उनको देखने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, आप किस अधिकार से रोक लगा रहे हैं इसमें कौन सा असंवैधानिक कार्य हो रहा है ? आप सरकार में बैठे हैं तो कोई तानाशाह नहीं है, आप बादशाह के पेट से पैदा नहीं हुए हैं । आपको जनता ने कुर्सी पर बिठाला है, देश के कानून के प्रति जितना जिम्मेदार देश का नागरिक है, उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं । अगर देश का नागरिक कानून का उल्लंघन करता है, तो उस अपराध की जो सजा उसे मिलेगी, वही सजा, अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको भी मिलेगी ।

हमारी प्रदेश सरकार के ऊपर एक उच्च संस्था "राष्ट्रीय एकीकृत संस्था" बनी । वह यह देखेगी कि प्रदेश की सरकार, कल्याण सिंह जी की सरकार नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है । कोई प्रदेश सरकार पर ऊंगली उठावे यह शर्म की बात है । इसमें हम सबको अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है । यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है यह हम सबके लिए अपमान की बात है । प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि इस्तीफा न दो इस्तीफा देने से काम नहीं चलने वाला है, बहादुरी से लड़ो अगर पार्टी के नेता जो दिल्ली में हैं उनका डर लग रहा है तो उनको समझाओ । इस प्रदेश और देश में साम्प्रदायिकता के आधार पर, हिन्दू मुसलमान के आधार पर एक बार भावना में जो बह गया वह रहने वाला नहीं है । आज अगर चुनाव हो जाएं तो आपकी सरकार रहने वाली

(व्यवधान)

नहीं है ।हम नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार भंग हो । लेकिन तिवारी जी इसको गम्भीरता से ले रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंदिर टूटे हैं तो वह इस सरकार को भंग करें या फिर यह सरकार खुद इस्तीफा दे दे । अगर मंदिर नहीं तोड़े गए हैं तो यह तो अच्छी बात हैं, लेकिन अगर मंदिर तोड़े गये हैं तो नेता विरोधी दल को, हमको, राणा साहब को, प्रमोद तिवारी जी को वहां जाने से रोका क्यों गया ? आपको इस तरह से नहीं रोकना चाहिए था हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे ? आपके पास लोगों की भावनाओं को उभारकर राजनीति करने का, यही एक रास्ता है, लेकिन जो रास्ता है यही धीरे-धीरे लाभों वाला रास्ता हो जायेगा ।

(व्यवधान)

इसलिए मैं इस महत्वपूर्ण मसले पर विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इस मामले पर जो चुनाव से अब तक मुद्दा बना है, इसमें यह उलझाए रखना चाहते हैं । इसमें आज निर्णय हो जाना चाहिए । सरकार से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है । यह हमको जाने से रोक रही है इरादा साफ हो गया है इसलिए मान्यवर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हाईकोट के हैं उनमें इसमें जांच करा ली जाए और उनसे रिपोर्ट मंगा ली जाए मंदिर तोड़े गए हैं या नहीं ? अगर तोड़े गए हैं तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए वरना केन्द्र सरकार इनको बर्खास्त करे ।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है और वह अपने संविधान में चला करता है ।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में अपनी बात कहें ।

*श्री बी0आर0 वर्मा-

डा0 अम्बेदकर के संविधान पर यह चल रहे हैं । भाजपा सरकार इस संविधान का उल्लंघन कर रही है ।

विपक्ष के लोग या जो और माननीय सदस्य हैं जो माननीय नेता विरोधी दल हैं, जो सदन के सदस्य हैं उनके वहां जाने से कौन सा आसमान गिरा जा रहा है, कौन सी सांप्रदायिकता फैली जा रही है और कौन सा मंदिर या मस्जिद टूटा जा रहा है यह लोग कौन से मंदिर या मस्जिद को गिराने जा रहे थे ? प्रदेश में या देश में किसी को कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता है । यह लोग सदन के सदस्य हैं, जनता की इसमें आस्था है, जन प्रतिनिधि हैं यह लोग वहां जा रहे थे, यह जिम्मेदार लोग थे, इनको क्यों रोका जा रहा था ? जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो जैसे इनके हुड़दंगदल के लोग यहां-वहां से जा रहे थे, वैसे तो यह लोग नहीं जा रहे थे जो आप रोक रहे हैं । यह शिष्ट लोग थे, सम्मानित लोग थे जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने जा रहे थे । यह लोग यह देखने जा रहे थे कि आये दिन जो मंत्री लोग. या संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है, एक ईंट नहीं खिसकायी गयी है वह लोग सिर्फ यही चीज देखने जा रहे थे । अगर यह लोग वहां की स्थिति देख लेते तो जो रोज-रोज यहां सदन में अयोध्या की चर्चा चलती है, वह न चलती और यहां का वक्त विकास के कार्यों की चर्चा में लगता और प्रदेश का ज्यादा विकास होता, गरीब का ज्यादा विकास होता । परन्तु भा0ज0पा0 की यह सरकार भारत के संविधान के अनुसार चलकर मनु द्वारा बनाये गये संविधान, मनुस्मृति के अनुसार चलना चाहती है और इसी के तहत व्यवस्था करना चाहती है । जो हमारे देश का संविधान है, आईना है उसके अनुसार सरकार कार्य नहीं कर रही है इससे गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है । वहां पर एक मस्जिद में बम फूटा और मंदिर तोड़े गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 2 बजकर 57 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

इसी को देखने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्य भी आये हुए हैं । यह जो घटनायें हो रहीं है यह क्यों हो रही हैं ? यह मंदिर और मस्जिद का प्रकरण नहीं है बल्कि प्रदेश में जो अल्पसंख्यक के लोग, मुसलमान बिरादरी के लोग हैं उनको डराना चाहते हैं । इनके कार्यकर्ता नारा दिया करते हैं- (× × ×) (शोर) यह लोग आतंक पैदा करना चाहते हैं । (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी एक मिनट रुक जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य को पूरा अधिकार है अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए । लेकिन बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कौन सी बात निकलनी चाहिए । मान्यवर, काल्पनिक ढंग से जिस नारे की बात कही गयी, वह बहुत निंदनीय है । इसको सदन की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

यह नारा विपक्ष के सदस्यों ने नहीं दिया है यह आपके लोगों का नारा है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो वह कार्यवाही से निकाल दी जायगी ।

एक आवाज-

मान्यवर, कार्यवाही से निकलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने कह दिया है कि अगर कोई आपत्तिजनक बात हुयी तो कार्यवाही से निकाल दी जायगी ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस प्रदेश को (× × ×) बनाने की (× × ×) की जा रही है । इनके नापाक इरादे को प्रदेश की जनता और विपक्ष के माननीय सदस्य पूरा नहीं होने देंगे । मान्यवर, पहले नौकरियों में मुसलमान 35 प्रतिशत थे आजादी के पहले से, आज उनको 5 परसेंट में पहुंचाया गया । उनकी नौकरी समाप्त की । उसके बाद वे तालीम से वंचित हुए ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

(व्यवधान).. शिड्यूल कास्ट के लोगों को आतंकित किया जा रहा है । इस तरह की साजिश की जा रही है कि विपक्ष के लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है ..(व्यवधान).. हमारी आपकी पीठ के प्रति पूरी आस्था है । वहां पहले माननीय नेता विरोधी दल गये, मुलायम सिंह यादव जी गये, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप कृपया समाप्त करें ।

*श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 3 तारीख की जो घटना है, वह बहुत ही निंनदनीय है और इस सरकार की फासिस्टवादी होने की द्योतक है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिनांक 3-4-92 को जो अशिष्टता की, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उससे शर्मनाम घटना और नहीं हो सकती । इस सदन के नेता सदन और विपक्ष के नेता विरोधी दल की एक गरिमा होती है । माननीय नेता विरोधी दल अपने साथियों के साथ गये, जब रोका गया तो इन्होंने अकेले गाड़ी से जाना चाहा, लेकिन उनको रोक दिया गया । इस तरह से जो इस सरकार ने गलत कार्य किया है और संविधान का उल्लंघन करके मंदिरों को गिराने का काम किया है या एक साजिश के तहत फैजाबाद में आतंक का माहौल पैदा करने का काम किया है, उसको समझने और देखने से रोकने के लिए माननीय नेता विरोधी दल को रोका गया है । इनको कस्टडी में रखा गया । जब मस्जिद देखने जा रहे थे तो रोका गया । माननीय नेता, विरोधी दल को गिरफ्तार कियागया, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनके साथ-साथ विधान सभा के स्टाफ को भी रोका गया । माननीय नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी और अनशन पर बैठने पर आपके द्वारा दिया गया स्टाफ लखनऊ आ रहा था, जिसको डी0एम0 बाराबंकी द्वारा जबरन रोकने का काम किया गया । यह इस सदन की गरिमा के विपरीत काम किया गया । इससे ज्यादा अलोकतांत्रित काम और कोई नहीं हो सकता । उनको डेढ़ बजे से रात नौ बजे तक रोककर रखा गया । दोपहर में जबर्दस्ती धूप में रखने की व्यवस्था की गयी । हद की भी एक सीमा होती है । इनको ज्यादा अहंकार हो गया है । जब प्रलय करीब आती है, तो रावण को अहंकार हो या तो मारा गया । इनको नकली अहंकार हो गया है । प्रदेश की जनता इनको यों ही नहीं रहने देगी । यह जो घटना घटी है, इससे सदन की अवमानना हुई है । आपकी अवमानना हुई है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आज इस सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री दीना नाथ सिह यादव-

मान्यवर, इस सरकार ने बहुत अजीब स्थिति पैदा कर रखी है । मान्यवर, सविधान मे विधायक और सासदो को छोडिये, एक-एक नागरिक एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकारी है । वह एक ऐसी जगह, पवित्र जगह, जहा हमारे सत्ता पक्ष के लोग कहते है कि राम ने जन्म लिया, वहा एक नही हजारो मदिर है । अयोध्या मे हजारो लोग उन मदिरो को देखने जाते है और दर्शन करने के लिए जाते है । मगर, मान्यवर, मेरी समझ मे नही आ रहा है कि इस सरकार को क्या हो गया है कि विधायक, सासद जा रहे है, देखने जा रहे है, कुछ लोगो के मन मे दर्शन-पूजन करना भी होगा, मगर माननीय विधायकगण को, माननीय सासदगण को वहा पर जाने से रोका जा रहा है । मान्यवर, इस सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नही किया है कि इनको जाने नही दिया जायगा । मान्यवर, यह हमारे सवैधानिक अधिकारो का खुला उल्लघन हो रहा है । हमारे लोकतात्रिक अधिकारो का यह सरकार हनन कर रही है । मान्यवर,ऐसी सूरत मे खासतौर से मुझे कहना है कि अगर कोई खास बात होती,तो रोकते । मगर आपके विधायक और सांसद वहां पर जा रहे हे और भाषण कर रहे है, सो रहे हैं, विश्व परिषद् के लोग वहा पर डेरा डाले हुए हैं, वहां पर घर बनाये हुए है, उनको वहा पर जाने की इजाजत है, उनको वहा पर डेरा डालने की इजाजत है लेकिन हम लोगो को नहीं है । यह सरकार उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझती है और अपने को जागीदार समझती है ।

मान्यवर, वहां पर कोई मामूली आदमी नहीं जा रहा था, हमारे सूबे के भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिह यादव जा रहे थे, उनको वहां पर जाने से रोका गया । मान्यवर, समाजवादी जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी को रोका गया, माननीय कैलाश नाथ सिह यादव जी को रोका गया, माननीय नेता विरोधी दल कुवर रेवती रमण सिह जी को रोका गया और वहा से लाकर यहा पर छोडा गया, उनको यहा पर धूप मे तीन घंटे बैठाया गया था, उनको पसीना आ रहा था । मान्यवर, यह हम लोगो के अधिकारों का, सवैधानिक अधिकारों का यह सरकार खुला उल्लंघन कर रही है । आप तो जो मदिर तोड़ रहे है, उसको तो तोड ही रहे हे, आप मस्जिद तोडवा रहे है, उसको भी हम लोग नहीं रोकने जा रहे है, लोग आपकी करनी देखने जा रहे थे, हम लोग उसको देखकर आते, तो हम लोग अपनी बातो को यहा पर सदन मे रखते । इसलिए मान्यवर, मै जोर देकर कह रहा हू कि यह सविधान का खुला उल्लघन है और लोकतत्र का हनन हो रहा है, इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाय ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आज सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण विभाग का बजट है, यह विषय कब तक चलता रहेगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचना ले रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस पर अभी जबाव देना है ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर-घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इस पर अब किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप लोग कृपया बैठ जायं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

यह सब लोग वहां पर साथ गये थे और इनको व्यक्तिगत रूप से रोका गया था, इनको आप सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

इनको अपने नेता पर विश्वास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष-

राणा जी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं । उनके विचारों के साथ सभी के विचार सन्निहित हैं ।

(व्यवधान)

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप लोग बैठ जाइये ।

(श्री ज्वाला प्रसाद, श्री अंगद सिंह यादव, श्री बी0 आर0 वर्मा आदि कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग पहले अपने स्थान पर जायें । अगर आप लोग वेल में खेड़े रहेंगे, और कहें कि बुलवाया जाये तो ऐसा नहीं होगा । आप लोग पहले अपने स्थान पर जायें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब व्यवस्था बन गयी है ।

* श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

मान्यवर, जिस प्रकार से इस सरकार ने अयोध्या जाने रोका, वह संविधान में प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना है । हम लोगों को वहां पर जाने नहीं दिया

नोट:- वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया और रास्ते में गिरफ्तार किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार मंदिरों को तोड़ रही है और मस्जिद को नुकसान पहुंचा रही है, उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया । हम लोग वहां पर जाकर कुछ करने नहीं जा रहे थे, बल्कि जो चीजें हो रही हैं, उनका अध्ययन करते और अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करते और जनता को सारी जानकारी हो जाती कि असलियत क्या है ? लेकिन हम लोगों को जाने नहीं दिया गिरफ्तार कर लिया गया । इस प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना की गयी है (बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिन्दू परिषद् के लोग वहां पर अपनी मौजूदगी में) मंदिरों को (× × ×) और सुनियोजित ढंग से (× × ×) पहुंचा रहे हैं ..लेकिन क्या भाजपा की इस सरकार को यह जागीरदारी दे दी गयी है कि अयोध्या और फैजाबाद इनकी जागीर है और केवल यही लोग जा सकते हैं, माननीय विपक्ष के लोग नहीं जा सकते हैं । मान्यवर, सजपा के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता जा रहे थे वहां इन्होंने यह कहकर अवरुद्ध किया कि पूरी पार्टी के लोग जा रहे हैं इसलिए अयोध्या के अन्दर शान्ति भंग होने की आशंका है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि केवल विधायक ही अध्ययन दल के रूप में जा रहे थे तो क्या इस सरकार को विधायकों से ही शान्ति भंग की आशंका पैदा हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि राम रोटी और इंसाफ का नारा देकर यह सरकार सत्ता में आई है । मान्यवर, जिस तरह से नादिरशाही रवैया अख्तियार कर भाजपा सरकार विपक्ष के लोगों को अयोध्या और फैजाबाद जाने से रोक रही है, यह एक गम्भीर मसला है । मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

* श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष-

जिस समय एक माननीय सदस्य बोल रहे थे इसी बीच में आप खड़े हुए तो इस बीच कौन सी व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो गया था ? अगर आप इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहें तो करें ।

नोटः- (× ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अभी आपने कहा कि राणा जी जब बोल चुके हैं तो उनके दल का विचार आ गया तो फिर दूसरे माननीय सदस्य को बोलने की मैं आवश्यकता नहीं समझता तो कुंवर रेवती रमण सिंह बोल चुके हैं तो उनकी पार्टी के किसी दूसरे सदस्य को बोलवाने का प्रश्न नहीं उठता । मान्यवर, अभी लाल जी वर्मा बोलें तो लोग यह कहेगें कि आपने किसी दूसरे वर्मा को बुलवा दिया । जिस किसी को मौका नहीं देंगे तो वह वेल में आ जायेगा तो इससे समय बरबाद होता है । अगर आप मुझको मौका देगें तो लोग कहेगें कि अपने शिष्य को बोलवा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है । आप इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हो तो करें ।

एक सदस्य-

मान्यवर, आप समझ नहीं पा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

उठाने वाले समझ गये हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अभी जब चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि आप लोग अयोध्या बहुत जाते हो और कश्मीर क्यों नहीं जाते हो । तो मान्यवर, मैं इस बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था । जब सत्तापक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी कश्मीर गये थे ।

एक सदस्य-

यह कैसे बोलने लगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय दीक्षित जी को मैंने बोलने की अनुमति दी है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, एक वर्मा को बोलवाया है यह दूसरे वर्मा फिर बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह दीक्षित है, वर्मा नहीं हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से यहां पर भाजपा की सरकार है वैसे ही दिल्ली में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है । और उसने कश्मीर के यात्री आदरणीय जोशी जी को सुविधा उपलब्ध कराई थी जहाज की और एस्कोर्ट की तो

उसी तरह से हमारे दल के सबसे बड़े नेता कुंवर रेवती रमण सिंह और इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ चुके माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जनता दल "(अ)" के नेता ये सब लोग जा रहे थे अगर उसी तरह से यह उत्तर प्रदेश सरकार कोई राहत दे दिये होती, एस्कोर्ट दे दिया होता, गाड़ी दे दी होती तो वह भी अयोध्या हो आते लेकिन वह नहीं किया इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जो यह सरकार छिपाना चाहती थी ।

एक सदस्य-

मान्यवर, जोशी जी और इनके नेता की क्या तुलना है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जोशी जी बहुत बड़े नेता है और मुलायमं सिंह जी छोटे नेता हैं । इनसाइक्लोपीडिया आफ पार्लियामेंट में साफ-साफ लिखा है कि नेता, विपक्ष वह व्यक्ति है जो तत्समय विपक्षी दल का नेता होता है और आदरणीय सदन में जो सरकार उस समय काम कर रही है यदि वह जनता का विश्वास खो दे, तो वह सरकार बनाने में सक्षम हो। तो कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री मुलायम सिंह यादव सरकार बनाने की स्थिति में हैं । इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है ।

(घोर व्यवधान)

वहां पर मन्दिर तोडे गये हैं । नेता, विरोधी दल और मुलायम सिंह जी वहां जा रहे थे । वहां के सन्त महन्त हटा दिये गये हैं । अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मंदिर नहीं तोड़े गये हैं, तीन बार कहा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहते हैं, हम लोग कुछ कहते हैं, दोनों बातों में अन्तर्विरोध है । अतः मेरा सुझाव है कि सभी दलों के नेता वहां चले जायं और वहां का निरीक्षण करके जो भी निष्कर्ष हो, लेकर कल यहां वापस आ जायं, उसके आधार पर मंदिर तोड़े जाने की बात का निर्णय किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

इधर के नेता और उधर के विधायक चले जायं । कल अध्ययन हो जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप-

व्यवस्था का प्रश्न है न मन्दिर तोड़ा गया न मस्जिद तोड़ी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

इनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी है,यह स्पष्ट बात है । हमारी पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

(घोर व्यवधान)

ये कहते हैं कि वहां पर कोई मन्दिर नहीं टूटा है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि मन्दिर नहीं टूटा है ।

(घोर व्यवधान)

विरोध पक्ष के सभी नेताओं का कहना है कि मन्दिर टूटा है तो क्यों न इस विधान मण्डल दल की एक समिति बनाकर उसकी जांच करा दें । श्री प्रमोद तिवारी जी ने तो इस्तीफ़ा लिखकर दे दिया था ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

पुरानी बातों को न दोहरायें कोई नयी बात हो तो बतायें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

एक नेता ने कहा कि इस्तीफा दे देता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो विधान मण्डल दल के नेता हैं, जो सदन के नेता हैं, वह भी इस्तीफ़ा दे दें, एक समिति बनाकर जांच कर ली जाय ।

(घोर व्यवधान)

अगर मंदिर नहीं टूटे हैं तो निश्चित रूप से हम भी कहेंगे कि नेता विधान मण्डल दल से आप त्याग पत्र दे दें लेकिन अगर मंदिर टूटे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए । माान्यवर, यहां मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी जब अयोध्या का प्रकरण चला था, तब एक कागज का जिक्र किया था जिसमें था कि "मैं गोपाल मंदिर का राम चन्द्र दास यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने मंदिर के साथ उस मलबे को दान के रूप में इस मंदिर को दे देता हूं "।

मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हाईकोर्ट में श्री राम चन्द्र दास ने एक मुकदमा दायर किया और हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें बैठें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मैं मांग करता हूं कि नियमों को निलम्बित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर अविलम्ब चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, इसके पहले की संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे दें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हमको नोटिस मिली कि अयोध्या में कल रात बम विस्फोट कराये गये आतंक फैलाने के लिए, जो टीम आ रही थी संसदीय दल आ रहा था नारे लगाये गये कि फैजाबाद में यह किन-किन लोगो का कार्य था इसको भी स्पष्ट करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, सूचना में मेरा भी नाम था सुन लें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इतना आतंक क्यों फैलाया जा रहा है, मस्जिद को तोड़ने के लिए बम विस्फोट कराये गये, जब संसदीय टीम आने की बात हुई तो कल जैसा कि अभी वर्मा जी ने कहा कि बम विस्फोट फिर कराये गये मान्यवर क्या यही लोकतंत्र है कि आयोध्या में कोई पैर न रखने पाये यह जो स्थिति बन रही है यह कौन सा लोकतंत्र कायम करना चाहते हैं ? भारतीय संविधान द्वारा स्थापित जो नियम हैं उनके द्वारा लोकतंत्र कायम करना चाहते हैं या फिर अपना लोकतत्र कायम करना चाहते है आज बडी सदेह की स्थिति है कश्मीर मे जो कुछ हो रहा है क्या उसे अयोध्या मे कायम करना चाहते है, अगर वैसी स्थिति बनाना चाहते है तो उसका सारा उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कल्याण सिह सरकार पर होगा । कल जो बम विस्फोट की बात बतायी गयी उसे इनके अधिकारियो ने छिपाने की कोशिश की इस सरकार ने छिपाने की कोशशि की । जब सारी व्यवस्था के बाद केन्द्रीय दल आ रहा है उसके बाद भी अयोध्या फैजाबाद मे बमो का विस्फोट भारतीय जनता पार्टी, बजरग दल, आर0एस0एस0 के लोगों द्वारा किया जा रहा है आज हालत वहा बदतर कर दी गयी है । आज कश्मीर जल रहा है अगर उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद में भी वही हाल करोगे तो यह कल्याण सिह सरकार की देन होगी । एक केन्द्रीय दल आ रहा है, यहा के ऊर्जा मंत्री राजस्व मंत्री जा रहे है लेकिन उसके बाद भी हमारे नेता विरोधी दल नही जा सकते यह कौन सा लोकतंत्र है आप कौन सी सरकार चला रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, बैठें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, अयोध्या की बिगड़ती हालत पर आप चर्चा करायें ।

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामला भारतीय संविधान की दुहाई देकर उठाया गया । माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के भाषण के एक अंश से मैं अपने को पूरी-पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं और अपनी सहमति प्रकट करता हूं । इन्होंने जो कहा कि हम लोग किसी बादशाह के पेट से पैदा होकर नहीं आये हैं हमें जनता ने यहां बिठलाया है जनता ने यहां बिठलाया एक जनादेश देकर और जनादेश क्या है, आप जानते हैं, "राम लला हम आयेंगे मन्दिर वहीं बनायेंगे । यह जनादेश लेकर यह सरकार आयी है ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जनादेश संविधान की हत्या के लिए नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, हमने तो इन्हें इतनी देर तक बड़ी ही धैर्यतापूर्वक सुना, अब यह धैर्यपूर्वक सुनें । मान्यवर, माननीय तिवारी जी कानून के जानकार है, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं । उन्होंने भारतीय संविधान कोट किया और यह बताने की चेष्टा की हमारे देश में वाक्-स्वातंत्र्य और सर्वत्र अबाध संचार का अधिकार है और माननीय नेताओं को अबाध संचरण से रोका गया । उन्होंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (घ) को पढ़ा । मान्यवर, मैं वकील भी नहीं रहा हूं, तो आपने अच्छा किया कि हमें याद दिला दिया । लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा उक्त अनुच्छेद के (5) (घ) की ओर । उसमें यह लिखा है कि "कोई बात उक्त उपखण्डों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।" अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुच्छेद जो माननीय तिवारी जी ने कोट किया है उस समय नहीं था जब माननीय अटल बिहारी बाजपेई हवाई अड्डे से उतर रहे थे तो उन्हें रोका गया, यह उस समय नहीं था जब लालकृष्ण अडवानी जी समस्तीपुर आ रहे थे, उस समय नहीं था जब मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल के नेता की हैसियत से मेरठ वस्तु स्थिति को समझने के लिए जा रहा था तो मुझे हापुड़ में रोका गया तो क्या यह उस समय नहीं बना था ?

(व्यवधान)

तो मेरे कहनें का तात्पर्य यह है कि अबाध सचरण की आजादी है इसमे कोई मतभेद नहीं हैं लेकिन जो माननीय नेतागण अयोध्या जा रहे थे, हमें जानकारी मिली मै यह नहीं कहता कि यह सही है कि नहीं, हो सकता है सही भी हो, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि मदिर तोडे जा रहे हैं यह सही नही है । अगर मैं माननीय लालजी वर्मा की बात का सही मान लूं तो एक व्यवहारिक बात कहना चाहता हूं कि आप कैसे यह जान पायेंगें कि वहां पर मंदिर थे कि नहीं । माननीय लालजी वर्मा हमे यह बताते कि ये मंदिर वहां थे, वह मंदिर वहां थे और वे ध्वस्त कर दिये गये हैं तो आपके तर्क में बल होता, क्योंकि माननीय वर्मा जी वहां पर गये होंगे और वे वहां के हैं भी । पर माननीय नेतागण वहां पर दर्शन करने के लिए गये, समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा था कि वे हनुमान गढ़ी से ही वापस लौट आये तो मैं इनकी बात तो नहीं करता, लेकिन लाल जी वर्मा के बारे में कहना चाहता हूं, मैं उनकी बात के सम्बन्ध में तथ्य रखना चाहता हूं । लाल जी वर्मा ने साक्षी गोपाल मंदिर के बारे में कहा । मैं इस सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश को पढ देना चाहता हूं, यह दिनाक 26-10-91 के आदेश है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

एफीडेविट उसके बाद दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, इसमे लिखा हुआ है 'इट विल बी ओपेन टू दि अपोजिट पार्टीज ड्यूरिग दि पेन्डेन्सी आफ दि राइट पेटीशन टू टेक ओवर पोसेसन आफ दि साक्षी गोपाल टेम्पिल इक्लूडिग आफ इट्स 16 रुम्स, बट दि ड्यूटी इसटेल्ड देयर इन वुड वी प्रीजवर्ड ।" इस प्रकार जहा मूर्ति है, उसको बिल्कुल स्पर्ष नही किया गया है, मूर्ति भी पूर्णत सुरक्षित है, इसके अतिरिक्त एक अन्य कमरे को भी बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है । इस प्रकार हमने विधि से हट कर कोई कार्य नहीं किया ।

(विरोध पक्ष की ओर से कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान

यह तो मान्यवर, साक्षी गोपाल मंदिर की बात मैंने बतायी । यहां पर सुमित्रा भवन की बात कही गयी । मान्यवर, लालजी वर्मा जानते हैं कि सुमित्रा भवन मंदिर नहीं है । विवादित ढांचे की बाहरी दीवार के बाहर की दुकानें हटाई गयीं हैं, यह मंदिर नहीं थे । गोपाल भवन को हटाया गया, यह मंदिर नहीं था, लोमश आश्रम की झोपड़ी हटाई गयी, यह भी मंदिर नहीं था, अभिराम दास मंडप हटा दिया गया, यह भी मंदिर नहीं था, पुलिस कैन्टीन के निर्माण को हटाया गया, यह मंदिर नहीं है । इसके अलावा संकट मोचन मंदिर की बात है, वहां की मूर्ति को

शास्त्रोक्त ढंग से विधिसम्मत धार्मिक तरीके से, परम्परा के साथ वहां से हटाकर चौबुर्जी में स्थापित कर दिया गया है । इस प्रकार जितना भी वहां काम हुआ है, वह सब विधिसम्मत तरीके से हुआ है ।

(पुनः विरोध पक्ष की ओर से टोकाटाकी-व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

वहां जितने भी घर हैं, सब मंदिर हैं, सब में मूर्तियां हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं बोल रहा हूं, बीच में व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ? एक बात और कल के बम विस्फोट के बारे में कही गयी, उसके बारे में भी बता देना चाहता हूं । यह भी आरोप लगाया गया कि आज कुछ माननीय नेतागण जो आज आये हुए हैं, उनको आतंकित करने के लिए ऐसा किया गया । यह बात बिल्कुल निराधार है । फैजाबाद में कल रात 8 बजे के करीब कोतवाली एरिया में एक आवाज सुनाई दी । तहकीकात करने पर पता लगा कि किसी के द्वारा पटाखा छोड़ा गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं था ।

(श्री स्वामी नाथ यादव द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मान्यवर, केवल एक पटाखे की आवाज थी । अब आपका ध्यान एक और तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारे इस आदरणीय सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं, राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक, जो 2 नवम्बर, 1991 को हुई थी, में आमंत्रित किया था कि आप आये और देखें, तो यदि हमें कुछ छिपाना होता, तो हम उन्हें क्यों बुलाते ? एक बात माननीय सदस्यों ने और कही कि उन लोगों ने आने से रोक दिया, यह बात तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाती । जांच दल आया, उसको हम लोग पूरी जानकारी देना चाहते हैं । मान्यवर, अब तक की जो जानकारी है, उसके जांच दल आया और शान्तिपूर्ण तरीके से उस स्थान का निरीक्षण किया सम्भवतः वह इस समय तक चले भी गये होंगे । अगर कोई बात छिपाने का इरादा होता तो हम उन्हें आमंत्रित ही क्यों करते ? जहां तक उस मस्जिद तक जाने वालों का ताल्लुक है, हमारी सरकार ने किसी को मना नहीं किया और न ही रोका । पूरी बात बताने का हमारा दायित्व है । हमने पूरी बात बताई । माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने भारत सरकार के गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है-पूर्ण निर्णय के अनुसार तो एकता परिषद् की स्थायी समिति को ही एक मात्र अयोध्या जाना था, परन्तु केन्द्र सरकार की भावनाओं एवं संसद में चर्चा की पृष्ठ भूमि में सांसदों के प्रतिनिधि मण्डल को भी सम्मिलित किये जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति नहीं की है ।

राज्य सरकार ने सांसदों के प्रतिनिधि मण्डल को भी सम्मिलित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की । उस पत्र में आगे कहा है-अब संशोधित कार्यक्रम में यह सूचना दी गई है कि प्रतिनिधि मण्डल के कुछ सदस्य फैजाबाद की उपरिसंदर्भित मस्जिद को भी देखेंगे । इस प्रकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में अन्य स्थानों को सम्मिलित कर लेना उचित भी नहीं है और एक स्वस्थ परम्परा भी नहीं होगी ।

अब स्वस्थ परम्परा क्यों नहीं है ? इसके लिए हमने पत्र में तर्क भी दिया है । उसे भी मैं पढ़ देता हूं । फैजाबाद की मस्जिद में होने वाला बम विस्फोट मात्र एक अपराधिक घटना है । संविधान के अन्तर्गत कानून एवं व्यवस्था का विषय राज्य सरकार का है । ऐसी अपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः सक्षम है । इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की एक टीम को सौंप दी गई है जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है । विवेचना वर्तमान में एक नाजुक बिन्दु तक पहुंच गयी है और पूरी आशा है कि शीघ्र ही इस विस्फोट के जिम्मेदार अपराधियों का पता लग सकेगा । ऐसी परिस्थितियों में जबकि प्रदेश सरकार स्वयं ही इस मामले में पूरी कार्यवाही कर रही है और प्रयत्नशील है कि ऐसे समाज विरोधी तत्वों का पर्दाफाश शीघ्र संभव हो, ऐसे समय पर राष्ट्रीय एकता परिषद् अथवा किसी संसदीय समिति या उसके कुछ सदस्यों द्वारा मौके पर जाना न तो आवश्यक ही है और न ही वांछनीय ।

अब मान्यवर, मैं कुछ सैद्धान्ति मुद्दों को उठाना चाहता हूं और भी राज्य सरकारें है । वहां इस तरह की घटनाओं के लिए जांच दल को यह स्वीकार करेंगे। हमारा एक संघीय ढांचा है । हमने पत्र में कहा है "अन्तर्राज्जिय" यह संघीय ढांचे, संविधान में व्यवस्था एवं पूर्व स्थापित स्वस्थ संवैधानिक परम्पराओं के अनुकूल भी नहीं होगा" । इस सब के बाद हमने पत्र में लिखा है "अन्तर्राज्जिय परिषद्, जो सरकारिया आयोग की संस्तुतियों पर विचार कर रही है वह इस पर भी गहन चिन्तन करे । हमने एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखा है जिसमें हमने उन्हें मना किया हो । हमने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सहयोगी वहां गये, अगर उन्होंने अपेक्षा की होगी तो सम्भवतः राज्य सरकार ने कोई बाधा नहीं खड़ी की होगी । परन्तु मान्यवर, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, यह दायित्व हमारा है इसके लिए हम पुलिस बल को लगायेंगे, सुरक्षा कर्मियों को लगायेंगे । यह कह देना कि अयोध्या को छावनी बना दी है, मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है अपितु तर्क के भीतर निकला हुआ एक कुतर्क है । यह कहा गया कि माननीय नेतागण को वहां जाने से रोका गया । एक एलान हुआ कि हम वहां जाकर उसको देखेंगे । सत्याग्रह की बात कही गई, आन्दोलन की बात कही गई । वहां एक शान्तिपूर्ण वातावरण है । उस शान्तिपूर्ण वातावरण को बिगड़ने न दिया जाय, इसकी जिम्मेदारी पूरी राज्य सरकार की है । इसलिए हमने कहा कि कृपा करके आप लोग वहां न जायं ।

मैंने अनुच्छेद 19 को पढ़ा और उसके परन्तुक (5) को भी पढ़ा । जनहित हेतु इस तरह का कानून और नियम बनाने का हमें पूरा-पूरा अधिकार है । इसलिए हमने शान्ति व्यवस्था के हित में और जनहित के वृहत्तर हित में हमने यह तय किया कि हम नेतागणों से प्रार्थना करेंगे कि वह वहां न जायें । यहीं रहकर हमारा मार्गदर्शन करें । इसके बावजूद भी, हमारे माननीय नेता विरोधी दल गये और उन्होंने इच्छा भी प्रकट की । उनके साथ थोड़े से लोग थे । नेता विरोधी दल वहां कहां-कहां गये, यह मुझे नहीं मालूम । वहां जाकर उन्होंने स्थिति का अध्ययन भी किया होगा । किसी को भी जाने से रोकने का सवाल ही नहीं है ।

(3 बजकर 45 मिनट)

लेकिन वहां वातावरण बिगाड़ा जाय हम इसके पक्षधर नहीं हैं । हमारा कोई फासिज्म का तरीका नहीं है । हमें सरकार चालने की जिम्मेदारी मिली है, हमें जनता ने निर्देश दिया है कि शान्ति व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश का विकास हो । प्रदेश के विकास के लिए यहां ला-ऐण्ड आर्डर की स्थिति न बिगड़े, फैजाबाद के अन्दर वातावरण न बिगड़ने पाये हमने उसके लिए नेतागणों से प्रार्थना की कि वह वहां न जायं फिर भी जाने की जिद की तो गिरफ्तार करने की बात आई । फिर अगर शान्तिपूर्ण तरीके से उन्होंने जाना चाहा तो वह वहां गये हमने उन्हें रोका नहीं ।

मान्यवर, इस विषय पर अनेकों बार यहां चर्चा हुई है विस्तार में चर्चा हुई बार-बार उसी बात को कहना, क्षमा करें तथ्यों की जानकारी के बिना इस तरह से असंतुलित शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है । यह बात जनता में जायेगी, उसे छुपाने की बात नहीं है लेकिन जनता में वातावरण बिगाड़ना और उससे अगर शान्ति व्यवस्था की कोई बात हुई तो उसकी जिम्मेदारो फिर हमारी होगी । मान्यवर, यह बड़ा संवेदनशील मामला है इस पर गम्भीरता से बात करनी चाहिए । मंदिर पर चर्चा हो रही है हमें इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यहां पर कहा गया कि कश्मीर आप चले गये वहां जाने से किसी ने रोका नहीं । मान्यवर, बड़ी पीड़ा हुई, इनकी मानसिकता को यह प्रकट करता है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय कश्मीर में अनेका-अनेक मंदिर ध्वस्त किये गये किसी राष्ट्रीय नेता ने बयान नहीं दिया (शेम-शेम की आवाज) मुझे याद है यहां पर कहा गया कि अगर बाबरी मस्जिद टूट गयी तो धर्मनिरपेक्षता की जड़ें हिल जायेंगी । यह बात उस समय किसी ने नहीं कही जब बंगला देश में मंदिर तोड़े गये, जम्मू कश्मीर में मंदिर तोड़े गये। उस समय किसी को हिन्दुस्तान की धर्मनिरपेक्षता की जड़ें हिलते हुए नजर नहीं आई । मैं पुछना चाहता हूं हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जब जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में विस्थापित आये उनके दर्शन करने क्यों नहीं गये ? जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग मारे गये, कितने लोग भगाये गये, जिनके जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी । उन शरणार्थियों की जानमाल की व्यवस्था करना

उनकी जिम्मेदारी थी लेकिन उनके सुख-दुख की चिंता किसको है ? हम पर आरोप लगाया जाता है, हमें जनादेश मिला है । हम सर्वधर्म समभाव में सकारात्मक रूप से राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और उसमें मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं जिसके लिए हमें जनादेश मिला है । मेरी विपक्ष से प्रार्थना है हमारा आपस में मतभेद हो सकता है लेकिन प्रदेश में शान्ति व्यवस्था सर्वोपरि है उसके निर्माण में आप सहयोग दें यही हमारी प्रार्थना है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री के तर्क सुन रहा था । मान्यवर, इन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह सत्य से परे है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहा गया है । मैं जानना चाहता हूं मंदिर की बड़ी चिंता है । मंदिर बनाने की बात पर इन्होंने 10 महीने पहले वायदा किया था लेकिन आज तक एक भी ईंट निर्माण के नाम पर नहीं रखी गयी । इन्होंने भगवान राम की प्रतिष्ठा को जिस तरंह से (× × ×) किया है आज तक इस भारत वर्ष के इतिहास में किसी दल ने, किसी व्यक्ति के कभी नहीं किया है । मान्यवर, यह कहते हैं कि सुमित्रा भवन मंदिर नहीं है । सुमित्रा जी मंदिर की कोई पात्र नहीं हैं । यह कहते हैं कि संकट मोचन के मंदिर को हमने हस्तांतरित कर दिया और यह भी कहते हैं कि साक्षी गोपाल के मंदिर की मूर्तियां कायम हैं, बाकी मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है महनत से अनुमति लेकर । मान्यवर, अयोध्या में एक नहीं हजारों मंदिर हैं । अगर आपकी बात मान ली जाय तो आप पूरे आयोध्या के मंदिर ध्वस्त कर देंगे और कह देंगे कि वहां कोई मंदिर था ही नहीं । इस तथ्य से परे कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती । आपने कहा कि नेता विरोधी दल को जाने दिया गया । मान्यवर, दो दिन धरने पर बैठा रहा, अनशन पर बैठा रहा । मान्यवर, यह कहते हैं कि आडवानी जी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था । उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्यों वहां जानेसे पहले उन्होंने कहा था कि वह वहां मस्जिद गिराने जा रहे हैं । इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से शोरगुल)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, इसी तरह की हल्की बातें कह कर प्रदेश में, देश में, विश्व में अशान्ति बनाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह की हल्की बातें न कहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर जो सत्य बात है, उसको सुनिये, आपने कहा, हमने सुना। मान्यवर, दोनों में बड़ा फर्क है । मैं जा रहा था वहां या प्रमोद तिवारी जा रहे थे और भी

(× ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दल के नेता लोग जा रहे थे परन्तु किसी ने यह घोषणा नहीं की थी कि वह मंदिर गिराने जा रहे हैं । सबने कहा था कि वस्तुस्थिति को देखने जा रहे हैं । आज प्रदेश में ऐसी स्थिति बना दी गई है । आप कह रहे थे कि जब कश्मीर में मंदिर गिराये गये, तो मैं आपके भूगोल के ज्ञान को और जनरल नांलेज का ज्ञान का वर्धन करना चाहूंगा कि बंगला देश अलग देश हे, हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है और कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है । मत भूलिये दोनों में बड़ा फर्क है । कश्मीर भारत का एक अंग है और मान्यवर हम लोग ...

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, स्पष्टीकरण की बात थी ।

मान्यवर, यह कहते हैं कि कश्मीर में मंदिर गिराय जा रहे थे तो मैं जानना चाहूंगा कि उस समय आडवानी जी कहां थे, तब आपके नेता मुरली मनोहर जोशी कहां थे ? आपके नेता अटल बिहारी बाजपेई कहां थे ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

उस समय भी हमारी टीम वहां गई थी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

तब तो मान्यवर, कश्मीर नहीं गये न कश्मीर के बारे में रोना रोया । कश्मीर गये तो यह प्रमोद तिवारी जो अगर इनकी मदद न करते, कांग्रेस पार्टी के लोग हवाई जहाज न देते तो मान्यवर न जाते । बी0बी0सी0 के सम्पादक वहां गये, चार-चार करें वहां गई । आपकी हिम्मत न हुई कि बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन लिए हुए आप कश्मीर जाते । कसाईबाड़ा की जो मस्जिद गिरी है । आज पांच-छः दिन हो गये आज तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है । एकता परिषद् को इन्हें कहा कि एकता परिषद् के लोग जो आ रहे हैं उनको नहीं आना चाहिए । एकता परिषद् के लोगों को आने से मना किया, जब संसद में तय हो गया कि एकता परिषद् जाएगी, तो मजबूरन आने देना पड़ा । आप बात करते हैं शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, तो जितनी शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है उतनी हमारी है आपसे कम जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसी भी दशा में विपक्ष के नेता आपसे कम जिम्मेदार नहीं है सब जिम्मेदार लोग हैं । आपकी करनी और कथनी में अन्तर है । आप दोहरे चरित्र के लोग हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक नहीं ग्यारह मंदिर गिराए हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

यह सत्य से परे बयान देते हैं । मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

नियम 3।। के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

श्री राम लखन वर्मा, श्री फागू चौहान, श्री अब्दुल ए0 सलाम, श्री अंगद सिंह यादव, श्री बलराम यादव, श्री सुखदेव राजभर, श्री बी0आर0वर्मा, श्री दुर्गा प्रसाद यादव इनकी सूचना दिनांक ।9 मार्च, ।992 को श्री अंगद सिंह यादव, सदस्य विधान सभा के अंग रक्षक तथा रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है । इस विषय पर ग्राह्यता पर सुन चुका हूं । मैं इस मामले में शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अगली सूचना दीना नाथ सिंह यादव की है, इन्होंने प्रदेश की प्रौढ़ शिक्षा परियोजना बंद कर देने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थितियों के सम्बन्ध में, इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

अगली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री अकबर हुसैन की है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप ऊपर तो नजर करें आप नीचे नजर करके पढ़े जा रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

इनकी सूचना विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, ब्लाक नगरा के ग्राम पल्लप हरसेनापुर, जनपद बलिया के थाना नगरा में दो पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 3 मार्च, ।992 को एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है । इस मामले में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री बरखू राम वर्मा-

मान्यवर आजमगढ़ की सूचना पर किसी सदस्य को नहीं सुना गया है ।

(श्री नसीमुउद्दीन, श्री बरखू राम वर्मा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद आदि कई माननीय सदस्य सदन के वैल में आ गए ।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप क्या समझते हैं कि वैल में आकर आप दबाव डाल लेंगे । यह प्रक्रिया गलत है आप अपने स्थान पर वापस जाएं ।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य-

मान्यवर, दो माइक तोड़ दिए गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

इसको मैंने अपने संज्ञान में ले लिया है ।

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गये)

अयोध्या प्रकरण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन का यह निश्चित मत है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है । एक मंत्री या मुख्य मंत्री जो बयान देता है उसको समूहिक जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है । इस समय एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । पहली अप्रैल को मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मंदिर तोड़े नहीं गये हैं बल्कि मंदिर हटाये गये हैं । आज संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि न मंदिर तोड़े गये हैं, न मंदिर हटाये गये हैं, मंदिर थे ही नहीं । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि क्या मंदिर की परिभाषा में यह नहीं है कि किसी स्थान पर पूजाअर्चना विधिवत् प्रारम्भ हो जाय तो वह मंदिर हो जाता है ।

(सत्ता पक्ष की नहीं नहीं की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी बात जब तक सुनेंगे नहीं तब तक नहीं बैठूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ कहा है, दोनों लोगों के कथन में विरोधाभास है । तीसरी बात, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, 19 (1) (ख) का हवाला देते हुए कि हमको भी दूसरी सरकार ने रोका था इसलिए हमने रोक दिया । मान्यवर, अगर एक सरकार संविधान विरोधी कार्य करती है तो क्या दूसरी सरकार को भी संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । जहां तक मेरी जानकारी है, राजेन्द्र गुप्त जी जा रहे थे और इनके दल के लोग जा रहे थे विवादित स्थल को तोड़ने, इनके मन में पाप था इसलिए इनको रोका गया था ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पसंद न आये तो निकाल दीजियेगा लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी बात तो आ गयी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मंदिर हटाये गये हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मंदिर थे ही नहीं तो यह जो संवैधानिक संकट आ गया है इसको हल करने के लिए एक सर्वदलीय समिति भेजने की घोषणा करेंगे या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, दिक्कत यह है कि माननीय तिवारी जी कुछ ज्यादा समझ जाते हैं। मान्यवर, मैंने तो एक डाकूमेंट बताया कि मंदिर का नाम लेकर कि मूर्ति को विधिवत् शास्त्रोक्त तरह से स्थानान्तरित किया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी-

(× × ×) किस विधि के अनुसार, किस सर्वसम्मत संविधान के अनुसार (× × ×) राजेन्द्र गुप्ता जी की सरकार ने तोड़ी बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैंने जानकारी दी । जिनका हवाला दिया जाता है, वे मकान थे । मैंने पढ़कर बताया । मेरे और माननीय नेता सदन के विचारों में मतभेद नहीं है । इनको बहिर्गमन करने के लिए पृष्ठभूमि बनानी है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए कि उत्तर के बाद स्पष्टीकरण जानने की तो परिपाटी रही है, लेकिन क्या उत्तर

नोटः-(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आने के बाद पूरे-पूरे भाषण की परिपाटी रही है । इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

चूंकि इन्होंने मंदिर तोड़ा है, टांग तोड़ी है, इसलिए ऐसी पापी सरकार के विरुद्ध मैं और मेरा दल बहिर्गमन करता है ।

(घोर व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से उठकर चले गये)

सदस्यों द्वारा माइक्रोफोन तोड़े जाने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया शांत रहें । अभी संज्ञान में पूरे सदन के है कि दो माइक्रोफोन किसी माननीय सदस्य ने तोड़े हैं और माइक्रोफोन पड़े हुए हैं । मुझे इसके बारे में इसलिए जल्दी कहना पड़ा क्योंकि ये शार्टसर्किटिंग हो सकती है इसलिए इस तरह का आचरण अत्यन्त अशोभनीय और निन्दनीय है । माननीय सदस्य अपनी जगह बात कह सकते हैं, बात कहने के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस तरह का अभद्र आचरण सदन के समक्ष हो । इसलिए इसको अत्यन्त अशोभनीय और निंदनीय मानता हूं । माइक्रोफोन हटा दिये जायें ।

अयोध्या प्रकरण पर मुख्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री के कथन में भिन्नता होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य लोगों ने अपने भाषण में अलग बात कही । मान्यवर, मैंने जो स्थिति रखी है, मुझे दुःख है कि हमारी स्थिति पर माननीय मंत्री जी का एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला । मान्यवर, स्थिति यह है कि "मुंह है एक, जीभ हैं दो-दो, यही बहुत खलता है, यही डबल थिंकिंग चलती है ।" इनकी हर बात के दो अर्थ हैं । हर शब्द के दो अर्थ हैं । इसलिए मैंने जो स्थिति रखी है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया । हमारा कहना यह है कि हमारा तो संसदीय अध्ययन दल था । हमारे विधान सभा के सदस्य अध्ययन दल के रूप में अयोध्या जायं, वहां उन्होंने कहीं किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, आप स्वयं उस घटना का विवरण ले लें । पता लगा ले कि क्या किसी तरह से नियम, कायदा, कानून तोड़ने का प्रयास किया गया । हमारा अध्ययन दल था, किसी नियम कानून को तोड़ा नहीं । विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना दी, फिर

हमको रोकने का क्या कारण था ? मान्यवर, इससे हमारा ही नहीं, इस सदन का अपमान हुआ है । हम जनता के उस विश्वास और आस्था के अभिमत को लेकर आए हैं जिसको लेकर आप आए हैं । इस प्रदेश की शांति व्यवस्था कितनी जागरूक और सतर्क है इसकी जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है जितनी आपकी । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि हमको रोकने का क्या कारण है बता दें क्यों हमको रोका था ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखे हैं, सही बात नहीं कहे और मंदिर को तोड़ा है, इसलिए हम और हमारा दल इनके गलत तथ्यों को उजागर करने तथा गलत बयानी करने के कारण इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ उठ कर चले गये)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । अब इस पर कुछ भी सुनने के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप दबाव नहीं डाल सकते । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा-

(वेल की तरफ हाथ दिखाकर) मान्यवर, मैं यहां पर आ रहा हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री पूरन प्रकाश, श्री श्याद अली, श्री किशोरी लाल, श्री कटार सिंह, श्री राज नारायण बिन्द, श्री राम ललित चौधरी, श्री चरन सिंह, श्री महक सिंह, श्री ज्वाला प्रसाद, श्री महेन्द्र जैन आदि कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही साढ़े 4 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापत्तिव में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर जायें और वहीं से अपनी बात कहें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, हमारी स्थिति दूसरे लोगों से भिन्न है । हमारा अध्ययन दल वहां पर गया । मुझे वहां पर आना पड़ा, इसके लिए मुझे दुख है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी लम्बी चौड़ी बात कह दी, हमारा पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, हमारा अध्ययन दल था और हम वहां पर कोई शान्ति व्यवस्था नहीं भंग कर रहे थे, अधिकारियों ने रोका हम रुक गये, उन्होंने कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, हमने कहा कि हम गिरफ्तार मानते हैं, जहां पर रोक दिया गया, वहीं पर रुक गये । हम वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमको वहां पर जाने नहीं दिया गया । हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, तो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया गया ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, हम किसी की नीयत पर शंका नहीं करते हैं, मैं उन पर अविश्वास नहीं करता हूं । हमारी सूचना यह थी कि वहां जाने से कदाचित शांति व्यवस्था के लिए कुछ बाधा पैदा हो सकती थी, इसलिए हमको ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ा ।

श्री विजय सिंह राणा-

अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से पूर्णतः सहमत हूं । अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके पास यह सूचना दी गयी थी और यह गलत थी इसके लिए मैं स्वयं कहना चाहता हूं कि गलत सूचना दी, भ्रामक सूचना दी तो वह गलत सूचना किसने दी, क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, कार्यवाही करने के बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि हमारे अधिकारी, हमारा शासन तंत्र हमें बहुत तरह से सूचना देता है अब आप तो वहां गये नहीं जाते तो क्या हुआ होता जब उसके परिणाम की जानकारी होती तब किसी निर्णय पर पहुंचते । अब आपने कोई बात कही, मैंने उस पर विश्वास कर लिया ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह न्याय नहीं है इसलिए संसदीय कार्य मंत्री के निर्णय के विरुद्ध हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री विजय सिंह राणा एवं कुछ अन्य विधायक सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मेरा मान्यवर, 311 में है ।

श्री उपाध्यक्ष-

31। में जो सूचना दी गयी थी उनको अग्राह्य कर दिया गया । आज दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत (व्यवधान)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं क्रमागत

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री किसी काम में रुचि नहीं ले रहे हैं और ये अखबार पढ़ रहे हैं, इनको आप प्रताड़ित कीजिए, दंडित कीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी का नाम है या नहीं मैं यह देख रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि अखबार पढ़ रहे थे, इनको आप दंडित करिये ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपके हितों के साथ जुड़े हुए हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपको सबकी सूचनाओं को पढ़ना चाहिए और यह बताना चाहिए कि किस पर सुनेगें किस पर नहीं सुनेगें? मैंने नियम 311 की एक सूचना दी है । मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वह नियमों के अन्तर्गत है और जब नियमों के अन्तर्गत है तो नियमों के अन्तर्गत दी गई सूचना को आप अग्राह्य नहीं कर सकते आप मेरी बात सुन लीजिए और अपनी अग्राह्य की बात कह दीजिए

मैं कहता हूं कि मैंने नियम 311 में जो सूचना दी है वह सभी शर्तों को पूरा करती है । आपने बिना मुझे उसकी ग्राह्यता पर सुने उसको अग्राह्य कर दिया । पहले आप सुनें अगर ग्राह्यता के अन्दर नहीं आती है तभी तो अग्राह्य करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी, आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है, आप न स्वीकार करें तो बात अलग की है, जो निर्णय लिया गया है वह बता दिया है । इन सूचनाओं को मैंने पहले ही अग्राह्य कर दिया है ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी एवं कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

आप कृपया सहयोग दे चौधरी जी ताकि कार्यवाही आगे बढ़े । सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया गया है तो उनको सुनने के अनुमति कैसे दी जाय ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपने अग्राह्य क्यों किया, आप नियमावली निकालें और ग्राह्यता की शर्तों को पढ़ दें, किस नियम के अन्तर्गत आपने अग्राह्य कर दिया है आपको ही सुनना चाहता हूं कि आपने किन नियम के अन्तर्गत इसे अग्राह्य किया है? मान्यवर, इसे अग्राह्य न करें यह शासन के खिलाफ तो है ही तो शासन के खिलाफ में शासन का ध्यान आकृष्ट कैसे करेंगे ? या तो आप बता दें कि किस नियम के अन्तर्गत अग्राह्य किया है या तो फिर इसे स्थगित रखें किसी दूसरे दिन दें देंगे ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, आपने इनकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कियाहै उस पर प्रभावी कार्यवाही कर दी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 31। में माननीय सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायगा । माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी

माननीय अध्यक्ष नहीं, आप इस पर अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैंने नियम 301 ले लिया है ।

(इसी मध्य दर्शक दीर्घा से पर्चे फेके जाने और नारे लगाये जाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं:-

(सदन में सदस्यों द्वारा खड़े होकर दर्शक दीर्घा की ओर देखने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्यों को दीर्घाओं के क्रिया-कलापों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

आप कह रहे हैं कि ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन कान से तो सुनायी पड़ेगा । वे कल्याण सिंह मुर्दाबाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नकल विरोधी अध्यादेश, वापस लो ।

श्री उपाध्यक्ष-

पहली सूचना श्री राम सेवक सिंह की बांदा जनपद के ग्राम गोविन्दपुर (ब्लाक महुआ) व ग्राम कहला (ब्लाक बड़ोखर खुर्द) में पम्प नहर निकालने के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री हरीचरण यादव की आलमपुर माइनर (सुल्तानपुर) के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत की जनपद गढ़वाल के थल नदी पाली टेक्निक स्वीकृत स्थान पर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री कृष्ण किंकर सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत प्रमुख अभियन्ता, उद्यान अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनियमित रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति की जांच कराने एवं स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में है ।

पांचवी सूचना श्री किशन गोपाल की आगरा में भीषण विद्युत समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

छठी सूचना श्री शिव लाल मित्तल की सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र के लखनापार बांध का गैप भराकर अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने के सम्बन्ध में है ।

सावतीं सूचना श्री बची सिंह रावत की अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेड़ा में सहकारी औषधि निर्माण शाला को औषधि निर्माण के कायदिश में नीतिगत निर्णय लेने के सम्बन्ध में है ।

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राम सेवक सिंह का नाम पुकारा गया)

(इसी मध्य श्री सुखदेव राज, श्री बी0आर0 वर्मा आदि अनेक सदस्य सदन के "वेल" में आ गये)

श्री सुखदेव-

जनपद आजमगढ़ के सभी विधायकों ने दस्तखत किया था । हमारी भी सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष-

पहले अपने नेता अंगद यादव जी से बात करें । अपने स्थानों पर जायं । "वेल" में आकर कोई बात कहना अनुचित है ।

(माननीय सदस्यों के सदन के "वैल" में खड़े रहने पर)

आप कृपया अपनी सीट पर जायं ।

(4 बजकर 45 मिनट पर)

(व्यवधान)

श्री सुखदेव-

मान्यवर, हम लोग की बात को नहीं सुना जा रहा है इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सुख देव सदन का परित्याग कर जाने लगे परन्तु मध्य में सदस्यों के कहने पर वापस आकर बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री राम सेवक सिंह उपस्थिति नहीं है । श्री हरीचरण यादव उपस्थित हैं। श्री भारत सिंह रावत उपस्थित नहीं हैं । श्री कृष्ण किंकर सिंह उपस्थित नहीं है । श्री किशन गोपाल उपस्थित हैं । श्री शिव लाल मित्तल उपस्थित नहीं हैं । श्री बच्ची सिंह रावत उपस्थित हैं । अब मैं प्रतीक्षा सूची लेता हूं । श्री भागवत पाल उपस्थित नहीं हैं । श्री राम ललित चौधरी उपस्थित हैं । यदि सदन सहमत हो तो इन चार उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से निम्न सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

आलमपुर माइनर, सुल्तानपुर के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरीचरण यादव-

(मान्यवर, आलमपुर माइनर को खुदे लगभग 15 वर्ष हो रहा है किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी और सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़ द्वारा इस माइनर की खुदाई का कार्य हुआ था छोटे-छोटे किसान भूमिहीन हो गये हैं अनेकों बार मैंने स्वयं संबंधित अधिकारियों से देय मुआवजा के सम्बन्ध में बात की लेकिन अधिकारियों का बराबर एक ही उत्तर होता है कि मुआवजा देने हेतु पैसा नहीं है प्रभावित किसान किंकर्तव्यविमूढ़ होकर अपने भाग्य पर पछतावा कर रहे हैं । 15 वर्षों तक किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न देना उनके साथ मजाक है किसान भुखमरी के कगार पर है ।

अतएव अनुरोध है कि नियम 301 की महत्वपूर्ण सूचना को स्वीकार कर शासन को सख्त निर्देश प्रभावित किसानों को मुआवजा के भुगतान कराने हेतु देने का कष्ट करें ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा जनपद में भीषण विद्युत समस्या उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशन गोपाल-

(मान्यवर, आगरा में विद्युत की भीषण व ज्वलंत समस्या है । प्रतिदिन प्रति घंटे सुबह, दोपहर, शाम रात बिजली जाती रहती है । जनता अत्यधिक परेशान है, अस्पताल में मरीज भी कार्यालय में अधिकारी काम नहीं कर पाते व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते, सरकारी कार्यालयों में अंधेरे में कार्य नहीं हो पाता, जनता को पीने तक का पानी बिना बिजली नहीं मिलता दुकानदार या व्यापारी स्थलों पर जनरेटर चलाते हैं प्रदूषण विभाग बंद कराने व धन्धा करने जाते हैं । बिजली की परेशानी से व्यापारी कुछ समय देरी से दुकान बंद करता है तो लेवर इन्सपेक्टर चालान करने या महीनादारी बांधने आ जाते हैं ।

बिजली विभाग के अधिकारी प्रार्थना पत्र व टेलीफोन की ओर ध्यान तक नहीं देते, जब जनता सड़क जाम करती है, तोड़फोड़ करती है तब सुनते हैं । तार जर्जर हालत में हैं जिससे आये दिन टूटते हैं ।

आपसे अनुरोध है कि विद्युत समस्या विकराल रूपधारण तो कर चुकी है कोई अप्रिय घटना न घटे इसको रोकने हेतु तुरन्त आगरा की विद्युत समस्या का समाधान कराने की कृपा करें ।)

अल्मोड़ा विकास खण्ड ताड़ीखेत में औषधि निर्माणशाला को औषधि के क्रयादेश में नीतिगत निर्णय लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बच्ची सिंह रावत-

(मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में सन् 1954 में पर्वतीय क्षेत्र के विकास को दुष्टिगत रखते हुए आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु एक सहकारी औषधि निर्माणशाला स्थापित की गई, जिसमें राज्य सरकार का 97 प्रतिशत अंश है, इस निर्माणशाला को औषधि निर्माण का कार्यदिश देने की निश्चित नीति तय करने हेतु दिनांक 6 जून, 91 को सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई तथा इस बैठक में निदेशक, आयुर्वेद ने प्रदेश की कुल आयुर्वेदिक खरीद में 20 प्रतिशत खरीद इस निर्माणशाला से करने हेतु नीतिगत निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में बार-बार निवेदन करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है और कार्यदेश के अभाव में उद्योग को निरन्तर घाटा हो रहा है तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित उद्योग के सामने अस्तित्व का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । निवेदन है कि जनहित में इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेकर पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला बस्ती की नवसृजित तहसील सोनाहा भानपुर की प्रमुख सड़कों का निर्माण राज्य सेक्टर द्वारा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 301 के अंतर्गत बस्ती जिला की नव सृजित तहसील सोनहा भानपुर की महत्वपूर्ण सड़के जैसे महनुआ, दरिया, नरखोरियर पिरैला, नरायनपुर-नगैचा की तरफ दिलाना चाहता हूं यह सड़कें बड़ी ही महत्वपूर्ण सड़के हैं इनका निर्माण जिला प्लान से किसी कीमत पर सम्भव नहीं है । महनुआ-दसिया मार्ग लगभग 60 गांवों को तहसील तक जोड़ती है यह मार्ग इतना खराब हो गया है कि सायकिल, ट्राली, डनलप आदि चलाने लायक नहीं रह गया है । लोगों का तहसील तक पहुंचना असम्भव हो जाता है । इसी प्रकार उपरोक्त दो सड़के भी हैं इन तीनों मार्गों का प्राक्कलन राज्य सेक्टर द्वारा मंगाया गया है ।

अतः मैं लोक महत्व के उपरोक्त विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इन मार्गों को राज्य सेक्टर द्वारा अविलम्ब निर्माण कराये जाने का अनुरोध करता हूं ।)

कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी सुरक्षा व्यवस्था विषयक सूचना के संबंध में जानकारी

*श्री बलराम यादव-

मान्यवर, दो तारीख को आजमगढ़ के समस्त विधायकों ने अपनी सुरक्षा के संबंध में एक नोटिस दिया था । इस प्रकरण पर माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया था कि कल जब 311, 56, 300 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायेंगी तो इस सूचना को प्रमुख से लिया जायेगा । आज उस सूचना को कार्यालय में दिया ताकि उस पर प्रमुखता से सुन लेंगे लेकिन आपने व्यवस्था दे दी कि पहले इस पर चर्चा हो चुकी है । अंगद सिंह यादव जी जब मिलने गये थे तो कहा कि कल दे दीजिए । मान्यवर, पीठ से माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का कभी-कभी आप कार्यान्वयन कराते हैं अध्यक्ष जी द्वारा दिये गये निर्देशों का आज पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष-

जो इस प्रश्न के बारे में निर्णय माननीय अध्यक्ष ने दिया था, निर्णय यह था सदस्य कृपया सुन लें दिनांक 23 मार्च, 1992 को इस विषय पर ग्राह्यता हेतु सूचना जा चुकी है मैं इस मामले में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, नहीं सुना गया ।

मान्यवर, एक भी विधायक आजमगढ़ में आज सुरक्षित नहीं है ।

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप कोई ऐसा अलग विषय उठा रहे हैं तो मैं यह चाहूंगा कि आप कल उसको दे दें सदन की कार्यवाही आगे चलने दें ।

श्री बलराम यादव-

ठीक है, कल दे दूंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरा भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे कल ले लीजिएगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप सूचना दे दीजियेगा ।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय श्री प्रमोद तिवारी, माननीय श्री स्वामी नाथ यादव, माननीय श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, मा0 श्री पवन कुमार पाण्डेय, मा0 श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी व मा0 श्री हृदय नारायण दीक्षित की सूचना प्राप्त हुई हैं । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिए अग्राह्य की जाती हैं। इसमें जो श्री हृदय नारायण की सूचना है 10 मार्च, 1992 की कार्यसूची की नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या । एवं दिनांक 31 मार्च, 1992 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में- इस मामले का परीक्षण कराया जा रहा है । इसमें माननीय अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1989 का प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1989 का प्रतिवेदन संख्या-5 (सिविल)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या 5 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे 1988-89 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे 1988-89 उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे 1988-89 उत्तर प्रदेश सरकार एवं विनियोग लेखे 1988-89 उत्तर प्रदेश को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 7,8,9,10 कुछ नहीं है । अब मैं मद संख्या 11 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय विशारद जी, पहले यह पुरःस्थापित हो जायें उसके बाद जो आप कहना चाहते हैं वह कह दीजियेगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं ।

भूतपूर्व विधायकों की सुविधाओं से संबंधित बिल को प्रस्तुत करने की मांग

श्री भगवती सिंह विशारद-

मान्यवर, मैं तो इसे पुरः स्थापित करने से पूर्व ही इस पर कुछ कहना चाहता था । मगर आपने सुना ही नहीं । मान्यवर, आप तो जानते ही हैं कि विधायक और सांसद ऐसे वर्ग के हैं जो अपने आप अपनी उपलब्धियों को पाने के

लिए जो पेंशन, वेतन भत्ते तय करता है वह स्वयं तय करता है । इसके लिए सरकार की तरफ से कोई बिल आता है या असरकारी बिल पेश होता है, या अध्यक्ष जी की तरफ से कोई घोषणा होती है । आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा, माननीय अध्यक्ष जी ने विधायकों की जो वर्तमान कठिनाइयां हैं उसको ध्यान में रखते हुए समाचार-पत्रों में अपने विचार प्रकट किये थे और इसके साथ ही साथ जो भूतपूर्व विधायक हैं, उनकी संस्था उत्तर प्रदेश संसदीय शोध संस्थान के पदाधिकारियों ने सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां रखी हैं तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जो बिल आप प्रस्तुत कर रहे हैं इसके अतिरिक्त कोई दूसरा बिल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर ला रहे हैं या इसका संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं तो इस पर पुरः स्थापित करने से पूर्व ही बोलना चाहता था लेकिन आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया । अब तो इस पर आपत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर हम सिर्फ दो-तीन बातें निवेदन करना चाहते हैं, मुख्य रूप से बात भूतपूर्व विधायकों की है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय चौधरी जी, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, इस पर जब विचार और पारण का प्रकरण हो, उस समय उठाते, तो ठीक होता ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जो इस सदन के भूतपूर्व विधायक हैं, वह माननीय नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मिले थे, अपनी कठिनाईयों के संबंध में और उन लोगों ने इनसे कुछ सुविधा की मांग की थी जैसे बस में पास की सुविधा और एक सहवर्ती की सुविधा हो गयी है । इसी तरह संसदीय शोध संस्थान जिसे कृष्णानन्द राय व श्री बंशीधर पान्डे जी चलाते हैं, वह भी माननीय नेता सदन तथा संसदीय कार्य मंत्री जी से मिले थे और इन्होंने उन लोगों को आश्वासन भी दिया था कि जब हम उपलब्धियों के लिये बिल लायेंगे तो आपके विषय में भी बिल ले आयेंगे । मान्यवर, वर्तमान सदस्यों के लिए तो यह बिल ले आये, लेकिन भूतपूर्व विधायक जो हैं, जिनको इन्होंने आश्वासन भी दिया था, उनकी बात रह गयी । हम तो चाहेंगे कि दोनों बिलों को एक साथ, एक ही दिन प्रस्तुत करें, क्योंकि यह भूतपूर्व सदस्यों की गरिमा की बात है, उन्हें अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिए इस समय इस विधेयक को वापस ले लें और भूतपूर्व विधायकों से संबंधित बिल के साथ ही इसको भी प्रस्तुत करें तो हम लोग विचार करने को तैयार हैं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, वैसे तो आप सक्षम हैं, प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन करने के लिए, लेकिन जहां तक मुझे नियमों की जानकारी है, जिस समय कोई भी विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है, उस पुरः स्थापन का विरोध नियमों में किये जाने का प्राविधान है, लेकिन उस समय विरोध सिर्फ इस बात पर होगा कि क्या वह विधेयक, जिसे भारसाधक सदस्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, विधायनी क्षमता के बाहर है । मैंने जो आज विधेयक प्रस्तुत किया है, वह सदन की विधायनी क्षमता के बाहर नहीं है । चौधरी जी ने भूतपूर्व विधायकों की बात कही । मैं एक मंत्री होने के नाते अनेक माननीय सदस्यों, जनता के लोगों आदि से मिलता रहता हूं, अनेक भूतपूर्व सदस्य भी मुझसे मिले, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने किसी को, किसी भी प्रकार का अभी तक उपलब्धियों को बढ़ाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है । यह जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है, यह बहुत छोटा सा है और सदस्य इसका विरोध करना चाहें, तो करें, मुझे आपत्ति नहीं होगी । मान्यवर, आप जानते हैं, रेल किराये की सुविधा माननीय सदस्यों को दी गयी है और रेल का किराया जब बढ़ जाता है, उसी के अनुरूप कूपन में वृद्धि करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है । जब इस पर चर्चा होगी, उस समय प्रतिपक्ष को पूरा अधिकार है, इसका विरोध करने का । वह उस समय यह भी कह सकते हैं कि यह सुविधा दी जाय, वह सुविधा दी जाय, ऐसे में वित्तीय स्थिति जैसी होगी, उसके अनुरूप विचार करेंगे, किन्तु उसी समय इन सब बातों का उत्तर देना ठीक होगा । इस समय इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, जो आपत्ति उठाई गयी है, उसे आप अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपत्तियों को मैं अग्राह्य करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आपत्तियों को मैं अग्राह्य करता हूं । आज दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से निदेश संख्या-15 के अनुसार निम्नलिखित 8 सूचनायें चयनित की गयीं । पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उ0प्र0 बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के समय सम्पूर्ण प्रदेश में विद्युत वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था एवं मिट्टी के तेल की समुचित आपूर्ति न होने से छात्रों को हो रही भयंकर असुविधा के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री पवन कुमार पान्डेय की प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों एवं महिलाओं के अपहरण की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा तीसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव व श्री राम गोविन्द चौधरी की जनपद देवरिया के जिला परिषद् अध्यक्ष, श्री गोकरन सिंह की द्वेषपूर्ण

गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है चौथी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल को संज्ञेय अपराध का दर्जा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । पांचवी सूचना श्री लीला राम शर्मा जी की प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधि के लेवल पर नशीली दवाओं की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । छठी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित व श्री श्याम लाल रावत की जनपद लखनऊ के थाना इंटौजा के अन्तर्गत ग्राम इंदौरा में स्थापित डा0 भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बागपत मेरठ में कार्यरत फार्मेसिस्टों को वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । आठवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के थाना कूड़ेभार के थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम चरथई में श्री श्याम लाल तथा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को कथित रूप से क्षति पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री प्रमोद तिवारी जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए श्री पवन कुमार पाण्डेय जी अपनी सूचना पर संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली लोगों द्वारा अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने की सीमा अब टूट गई है । श्रीमन् (× × ×) और अभियुक्तों को दल बल के साथ थाने से छुड़ा लाते हैं । एक मामले में कहा गया कि 3-4 दिन में लड़की आ जायेगी । यह अत्यन्त निन्दनीय है । इस बात के प्रमाण भी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

इसी तरीके से देवरिया, बहराइच, सुलतानपुर, बदायूं, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती में आये दिन ऐसी घटनायें घट रही हैं । उदाहरण के तौर पर बाराबंकी में विगत दिनांक 23 नाबालिगों का अपहरण हो गया और उसमें केवल 15 की रिपोर्ट दर्ज की गयी । एक नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ताओं को जब पकड़ा गया तो (× × ×) और यह कहा गया कि 3-4 दिन में लड़की आ जायेगी । इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वित्त, संस्थागत नियोजन एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैंने बड़े गौर से माननीय सदस्यों की बातों को सुना और उनकी सूचना को पढ़ने का प्रयास किया । मान्यवर, मुझे अभी तक किसी भी दल का और किसी भी ज़िले से इस आशय की कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई सांसद अपने दल-बल के साथ थाने से अभियुक्तों को छुड़ा ले आया । हालांकि माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उस पर तो स्वयं अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे । माननीय सदस्य ने किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया और न किसी परिवार की सूचना दी है । लेकिन भी यह एक गम्भीर बात है । माननीय सदस्य इसकी जानकारी दे देंगे तो हम उसे दिखवा लेंगे । यह कहना कि ऐसी घटनाओं में पार्टी विशेष के लोग जुड़े हुए हैं, मैं इसका खंडन करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी के सदन में आने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

श्री तिवारी जी मैं आपकी सूचना को बाद में लूंगा । जिस समय मैंने आपको पुकारा, उस समय आप सदन में नहीं थे ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, आये दिन एक तरह से हमारे जनपद की स्थिति कुछ न कुछ बिगड़ती जा रही है । एक क्रम चल रहा है कि विरोध पक्ष के लोगों को किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाय और उन्हें आतंकित किया जाय । इससे पहले श्री बालेश्वर यादव जी के साथ हुआ, इसे आप जानते हैं । 22/23 की रात में हमारे जनपद के जिला परिषद् के अध्यक्ष, जो जनपद के प्रमुख नागरिक होते हैं, उन्हें 120 (बी) आई0पी0सी0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया । मैं आपसे कहूंगा कि विश्वनाथ सिंह की एफ0आई0आर0 लिखाने पर उसकी जांच की जाती लेकिन बिना जांच किये गौकरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया । वहां के एस0पी0 के रहते किसी भी जन प्रतिनिधि का सम्मान नहीं रहने वाला है, कोई भी उसके वहां रहते बचने वाला नहीं है । हर जन प्रतिनिधि को अपमानित होना पड़ेगा । जनपद की स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं । जिला परिषद् के अध्यक्ष के गिरफ्तार होने के बाद 23-3-92 को जन प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल मिला । जिला परिषद् का अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है तो बिना जांच किये पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया यह बहुत बड़ी घटना है. इससे पूरा जिला आंदोलित हो गया है वहां इसके विरोध में 24 तारीख को प्रदर्शन हुआ, 25 तारीख को प्रदर्श हुआ, 26 तारीख को संपूर्ण कर्मचारियों ने आंदोलन किया । वहां पुलिस प्रशासन इस तरह से तानाशही कहिये कि नादिरशाही कर रहा है । इस मामले की जांच पहले पुलिस को करनी चाहिये थी । गृह राज्य मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कहेंगे कि उनका एक लम्बा इतिहास रहा है इसको भी देखना चाहिए था जिसके विरुद्ध हर हफ्ते एफ0आई0आर0 दर्ज होती है । तो जिला परिषद् अध्यक्ष को इस तरह से साधारण रूप से गिरफ्तार कर लिया

यह गम्भीर मामला है । मैं पक्ष या विपक्ष की बात न कर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ बगावत करेंगे । आज हमारे जनपद का कोई माननीय सदस्य सुरक्षित नहीं है । एक कार्यक्रम चला है प्रतिपक्ष के लोगों के ऊपर, बाद में सत्ता पक्ष के लोगों पर यह होगा । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए ग्राह्यता पर कहना चाहता हूं कि पुलिस के इस कुकर्म के विरोध में नियम 56 के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव आज नियम 56 के अंतर्गत दिया है यह नियमों के अंतर्गत है और ग्राह्य योग्य है । इसलिए ग्राह्य करने योग्य है कि जिला परिषद् अध्यक्ष, कांग्रेस (आई) के एक वरिष्ठ नेता हैं । श्री गोकरन सिंह के विरुद्ध एक आदमी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखवाई और उसमें कहा कि हमें आशंका है कि जिन लोगों ने हमें मारा है वह इनके इशारे पर किया । जिला परिषद् अध्यक्ष जिले का प्रथम विशिष्ट नागरिक होता है तो उस पर इस प्रकार के हल्के आरोप लगाकर गिरफ्तार करना कहां तक उचित है इस पर आप स्वयं विचार करावें।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कांग्रेस का नेता है जिला परिषद् का चेयरमैन है तो उसके विरुद्ध जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई उसकी जांच तो कर लेनी चाहिए थी । तो श्री गोकरन सिंह के विरुद्ध कार्यवाही करना लगता है जानबूझ कर षडयंत्र रचा गया है जिस व्यक्ति ने एफ0आई0आर0 कराई उसकी जांच पड़ताल किये बिना उसके घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर कर पुलिस छावनी बना दी और उसे जेल में डाल दिया गया । जिले के सारे लोग चाहे किसी पार्टी के हों उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं । इस पर पुलिस को मजबूर होकर उन्हें हास्पिटल में भर्ती करना पड़ा । प्रशासन के दबाव में आकर पुलिस अधीक्षक ने इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को हास्पिटल से निकलवाने की कार्यवाही कर दी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी हजरतगंज थाने में जाये और आपके ऊपर एफ0आई0आर0 करा दें कि आप ने उसे मारा-पीटा है और उसकी घड़ी छीन ली है तो जैसे शासन के निर्देश हैं कि कोई भी आदमी प्रथम सूचना अंकित करायेगा तो उसकी सूचना अंकित की जायेगी । मान्यवर, प्रथम सूचना के अनुसार पुलिस आयेगी और आपको गिरफ्तार करके ले जायेगी । मान्यवर, जब कोई आदमी एफ0आई0आर0 कराता है तो पुलिस तहकीकात करती है कि सूचना सही है कि नहीं । अगर इसी तरह से बिना तहकीकात किये गिरफ्तारियां होने लगीं तो कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं बच सकता । प्रतिष्ठित आदमी की प्रतिष्ठा तो इस तरह से धूल मिट्टी हो जायेगी । मान्यवर, इस मामले को लेकर देवरिया जनपद की जनता उद्वेलित है, वहां जनता में आक्रोश है प्रशासन के इस रवैये से । मान्यवर, यह नियमों में आता है और ग्राह्यता योग्य है । मैं

आपसे आग्रह करूंगा कि इससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने कोई दूसरा नहीं है । जिला परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष का मामला है अतः आप सदन की शेष कार्यवाही को रोकते हुए इस पर चर्चा करायें । मान्यवर, इस तरह से तो न आप सुरक्षित रह पायेंगे, न हम और न ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप ही सुरक्षित रह पायेंगे । अभी मैं हजरतगंज थाने में जाकर रिपोर्ट कर दूं कि शाही जी आये और दो विधायकों को थप्पड़ मार दिया । पुलिस आयेगी और आपको बिना किसी तहकीकात के गिरफ्तार कर लेगी । मान्यवर, इस तरह से झूठे आरोप में बिना किसी जानकारी किये हुए प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा खराब करने की नियति हो गई है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा करायें । यह महत्वपूर्ण मसला है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है । उसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है । यह मान्यवर, एक मकान का विवाद था जिसमें कांग्रेस (आई) की एक सेवा दल नाम की संस्था है । उसके पूर्व अध्यक्ष नर्मदेश्वर मणि उस मकान में निवास करते थे । उस मकान को श्री गोकरन सिंह तथा एक चकबंदी अधिकारी श्री के0एन0 सिंह ने लिखवा लिया है और उसको खाली कराये जाने का विवाद था। इसी प्रकरण को लेकर 18मार्च, 1992 को रात्रि में इन लोगो ने नर्मदेश्वर मणि पर चाकुओं से हमला करके घायल कर दिया । उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती करवाना पड़ा । नर्मदेश्वर मणि जी के भाई श्री अमर नाथ मणि ने इस लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई है । 307, 120 (बी) के अन्तर्गत नामजद रिपोर्ट लिखाई है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

एफ0आई0आर0 पढ़ दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, डाई डिक्लियरेशन भी हुआ । जिसमें नर्मदेश्वर मणि जी ने घायल हालत में इन लोगों का नाम बताया । मान्यवर, गोकरन सिंह को नामजद एफ0आई0आर0 के कारण गिरफ्तार किया गया । देवरिया जनपद में इससे न तो आक्रोश है न क्षोभ है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

एफ0आई0आर0 पढ़वा दें तो पता चल जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मैंने कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया है और न मैं उसको रखना चाहता हूं । वह तो माननीय सदस्य स्वयं बता रहे हैं कि उनका अपराधिक इतिहास है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

आपके एस0पी0 ने बयान दिया है । अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जो सजा हो मुझे मंजूर है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अपराधिक इतिहास पर न जायं नहीं तो शाही जो की स्थिति खराब हो जायेगी । सदन का सामना करना मुश्किल हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

जो सजा आप देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है आप मेरी चुनौती को स्वीकार कर लें ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मकानों पर कब्जे कराने की राजनीति है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने एक बार कहा कि 307 की एफ0आई0आर0, एक बार आपने कहा 120 में हुआ, आप दो तरह की बात कह रहे हैं । मान्यवर, उन लोगों के साथ ज्यादती हुई है आप हम लोगों के संरक्षक हैं । आप इस पर चर्चा करायें चर्चा हो जाएगी तो सब बातें साफ हो जाएंगी ।

(व्यवधान)

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

जो हमने सुना और देखा पत्रावली में, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों पर हमला हुआ है और उन्हीं के द्वारा हुआ है । प्रमोद तिवारी जी जांच कर लें और मौके पर जाकर देख लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने देख लिया है और जांच भी कर ली है अब इस प्रकरण को ख़त्म करें।

(व्यवधान)

*श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, जो नकल विरोधी विधेयक लाया गया है इसको लागू करके प्रदेश के बालकों के लिए इन्होंने एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता इण्टर कालेज के वरेवा मिर्जापुर में श्रीमन् एक छात्रा ने जेल में जाने के डर से छत से कूदकर आत्महत्या कर ली ।

(शेम-शेम की आवाजें)

गाजीपुर में हारसानागर में सगड़ा क्षेत्र में एक छात्रा ने दम तोड दिया छात्र-छात्राओं को दुतरफा नकल विरोध विधेयक के तहत परेशान किया जा रहा है । नकल हो रही होती है तो जब नकल करते लड़के को पकड़ा जाता है तो उसको रिस्टीकेट किया जाता है और उसको जेल में अपराधी के रूप में बंद कर दिया जाता है । आज प्रदेश में स्थिति बहुत भयावह हो गई है । छात्र-छात्रायें आत्म हत्या कर रहे हैं । लड़कों की कई बार चेकिंग की जाती है । एक बार गेट में प्रवेश करने पर चेकिंग होती है सीट पर बैठते हैं तो चेकिंग होती है उसके बाद फिर चेकिंग होती है इस तरह से सात बार चेकिंग होती है, तो जो लड़का परीक्षा दे रहा है और जो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है अगर इतनी बार चेकिंग की जाएगी तो क्या वह अच्छे नम्बर ला पाएगा ? इतनी दफा चेकिंग होने पर छात्र परीक्षा कैसे दे पाएगा । कुछ छात्र ऐसी जगह चिट रखते हैं कि चेक नहीं हो पाती है । मेरा विद्यालय है वहां मैं अध्यापकों से मिला । वह कहते हैं कि पांच सौ के लगभग लड़कियां हैं और परीक्षा लेने वाले अध्यापक हैं तो लड़कियों को किस तरह चेक करें और अगर उड़नदस्ता चेक करने आ जाता है तो प्रधानाचार्य और अध्यापक दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे यह प्रदेश स्तर पर हो रहा है । मान्यवर, मैंने जेलों में देखा कि नौनिहालों की, छोटे-छोटे बच्चों की बड़ी बुरी हालत है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

किस जेल में. आप गये थे ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, जब यह छोटे-छोटे छात्र जेलों में बंद होगें तो इनका भविष्य क्या होगा । लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अम समस्या यह है कि इनकी शादी नहीं हो पायेगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करना चाहते हैं । आप जांच करा लीजिए किसी भी विद्यालय पर, रख-रखाव के लिए आपने एक पैसे की व्यवस्था नहीं की है दूसरी तरफ आप कहते हैं कि व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करेंगे । आप छात्रों-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । यह गम्भीर प्रश्न है मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, नकल करते हुए लड़कियां जो पकड़ी जाती हैं इनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दें कि थाने से ही इनकी जमानत हो जाय, इनको जेल न जाना पड़े ।

श्री शयाद अली-

मान्यवर, पुलिस के दरोगा पैसा लेकर छात्रों को छोड़ रहे हैं कहते है कि हमको सरकार को पैसा देना पड़ता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, बड़ी कठिनाई हमारी यह है कि अगर कोई बात इनसे सीखना चाहते हैं तो भी हमारी आलोचना होती है । मैं बड़ी नम्रता के साथ माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस अच्छे काम को करने के लिए आपकी पार्टी की सरकार जो महाराष्ट्र में है, हमने उससे सीखा है । हमने जो प्राविधान किये हैं वह महाराष्ट्र सरकार से पूछकर किये हैं । मान्यवर, मैं समझता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सभी लोग नकल के कलंक को समाप्त करना चाहते हैं । इसमें कोई मतभेद नहीं है । हमने यह भी कहा है कि मात्र सत्ता परिवर्तन से समाज को लाभ नहीं पहुंचेगा जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा । अगर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है तो हमें यह मानना होगा कि जिस विद्यार्थी में प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने का मौका दें । गरीब लड़के, जिनको कोई ट्यूशन आदि का सहारा नहीं है वह आगे बढ़े तो आवश्यकता है कि नकल को दूर करें । आप देखेंगे कि हमने नौकरियों में एडहाक नियुक्ति को समाप्त किया है । आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम इन्टरव्यू की प्रणाली को करीब-करीब समाप्त करने के बारे में चिंतन कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके । जो मेरिट पर आयेगा वह लिया जायेगा । एक तरफ तो नकल करके कुछ छात्र बढ़िया नम्बर पा जाते हैं दूसरी तरफ जो नकल नहीं करते हैं वह अच्छा परिणाम नहीं ला पाते । अगर आपने गम्भीरता से विचार किया होता तो ऐसी बातें न कहते । आपने देखा होगा कि इस नकल अध्यादेश की दहशत का क्या परिणाम निकला है ? इस साल 24-25 लाख लड़के हाईस्कूल-इण्टर मीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं । पिछले साल 26 लाख 22 हजार 460 हुए थे । पिछली बार 22 हजार छात्र नकल करते हुए पकड़े गये इस प्रश्न पर जो हमारे पास आंकड़े थोड़े दिनों के हैं, उनके अनुसार कुल 3392 परीक्षार्थी पकड़े गये, नगण्य हैं लाखों की संख्या में । अनेक परीक्षा से ड्राप कर गये, प्रवेश ही नहीं करने गये, दहशत थी, नकल के सहारे पास होना चाहते थे, उन्होंने परीक्षा में इसलिए प्रवेश नहीं किया कि पास नहीं हो पाएंगे तो परीक्षा में समय बर्बाद क्यों करें ? आंकड़ों से जानकारी मिली है 2-3 पेपर्स में परीक्षार्थी ड्राप कर गये । ये वे लोग हैं जो नकल विरोधी अध्यादेश की दहशत से अलग हो गये । अब एक बात महत्वपूर्ण कही गयी, अनेक माननीय सदस्य लड़कियों के बारे में कह रहे थे, हमारी जानकारी के अनुसार 267 लड़कियों के खिलाफ प्रथम सूचना अंकित की गयी और सब लड़कियों को मुचलके पर छोड़ दिया गया...(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

पहले माननीय मंत्री जी की बात पूरी होने दें । आप सब कृपया बैठें । माननीय मंत्री जी की बात पूरी सुनें । मैं बीच में बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

आप कृपया बैठ जायं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय मंत्री जीं की बात सुनने के बाद ही दूसरी बात सुनी जायगी, उसके पहले नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं जानकारी दे रहा हूं, मात्र 3392 परीक्षार्थी पकड़े गये, जिनमें से 267 लड़कियां थीं । लड़कों को जेल में परीक्षा की अनुमति दे रहे हैं । जिसने अनुमति मांगी, या भविष्य में मांगेगें, अनुमति देंगे । माननीय तिवारी जी ने एक बात कहीं, वे एक पार्टी के नेता हैं,. मैं उनकी बात को गम्भीरता से लेता हूं । उन्होंने कहा कि लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं । यह जानकारी गलत तो हो सकती है क्योंकि हर चीज में हमेशा सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जो सब जिलों से जानकारी प्राप्त की गयी, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर के बारे में सदन में कहा गया, हमें किसी भी लड़की की आत्महत्या या मृत्यु की जानकारी नहीं मिली ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, गाजीपुर में माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र के निर्वाचन क्षेत्र में सात लड़किया बंद हैं । जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, महुआबारी की बंद हैं, जेल में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय स्वामी नाथ यादव जी, पहले मंत्री जी की बात सुनें जब तक मंत्री जी बोल रहे हैं, बीच में टोकना नहीं चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, एक लड़की की जानकारी गाजीपुर में है, हमने दस्ता भेजकर जांच करवाई । जांच से पुष्टि हुई कि वह काफी दिनों से बीमार थी और बीमारी के कारण मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद भी मैं माननीय सदस्यों की सूचना का आदर करूंगा और कोई जानकारी देंगे कि अमुक लड़की या लड़के ने आत्म हत्या की तो मैं फिर उसकी जांच कराकर, जिस जिले की जानकारी देंगे, उस जिले के माननीय विधायकों के माध्यम से जांच कराकर उसके बारे में सदन में जानकारी दूंगा । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि समाज सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने यह पवित्र कार्य किया है । इसमें हमारा आपका विरोध हो सकता है कि किस प्रकार सुधार किया जाना चाहिए । मैं मान्यवर, आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस बार सदन में बहस होनी चाहिए, मुझे आपत्ति नहीं है । सदन के भीतर और बाहर अगर कोई व्यवहारिक सुझाव इस अध्यादेश अर्थात इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए देंगे तो स्वागत करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं कि इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । मेरी जानकारी के अनुसार इस पर सदन में बहस होनी है ।कोई सुझाव आयेगा तो स्वागत करूंगा और जो बात कहीं गयी, उसमें उस जिले के विधायकों से जाचं कराऊंगा और कोई माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उसको दिखला लूंगा । इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि इस सूचना को अग्राह्य किया जाना चाहिए ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर-घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

इस पर कोई चर्चा नहीं हों रही है, ग्राह्यता पर बोलने के लिए पुकारा जा रहा है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पर किसी को भी न बोलवायें, आप इस पर वक्तव्य स्वीकार कर लें, उस समय सब लोग बोल लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष-

इस पर मैं बाद में निर्णय करूंगा ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, एक मिनट मेरी भी बात सुन लें ।

श्री श्याद अली-

जो बच्चा पकड़ा जायगा, क्या उसको अगली कक्षा में भर्ती किया जायगा ? उसका भविष्य क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, दो लड़कियों को हथकड़ी लगाई गयी हैं । माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, चर्चा में हथकड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, आत्म हत्या के बारे में कहा गया है । अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, तो मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री लीला राम शर्मा-

मान्यवर, सन् 78 में जब जनता पार्टी का राज्य था, तो शराब बंदी कानून सारे पर्वतीय क्षेत्र में लागू कर दिया गया था और तब तक हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बहुत कम लोग आयुर्वेदिक औषधि के सिलसिले में जानते थे । मान्यवर, उस समय एक तरफ तो शराब बन्दी लागू हुई थी और दूसरी तरफ लेबिल तो वहीं रहा, लेकिन उसके अन्दर जो कंटेन्ट्स थे, जो दवा थी, उसकी जगह पर शराब बिकनी शुरू हो गयी, वह आयुर्वेदिक तौर पर नहीं, बल्कि वह शराब के तौर पर, लोग उसका सेवन करने लगे । मान्यवर, उसका सेवन पर्वतीय क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रान्त और देश के लिए घातक है । मान्यवर, आयुर्वेदिक लेबिल पर शराब

धड़ल्ले से बिकती चली आ रही है । मान्यवर, आयुर्वेदिक औषधि में 7 से 12 प्रतिशत तक ही अल्कोहल होनी चाहिए, लेकिन मान्यवर, धड़ल्ले के साथ यह मृत संजीवनी सुरा, जिसमें 24 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अल्कोहल है, अशोका लिक्यूइड, जिसमें 28 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक व पुदीनहरा में 78.8 प्रतिशत अल्कोहल मौजूद है और डाबर द्वारा जो पुदीन हरा बनाया जाता है, उसमें 78 परसेंट अल्कोहल होता है । इसको दवा के तौर पर नहीं बल्कि शराब के तौर पर प्रयोग किया जाता है शराब बंदी लागू होने के बाद आयुर्वेदिक दुकानें खोल ली गयी हैं और उनको बड़े धड़ल्ले के साथ लाइसेंस दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधि में अल्कोहल की क्या आवश्यकता है ।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि इसी सरकार के समय करनाल फार्मेसी का मामला सामने आया है, जिसमें हजारों लोग मारे गये ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय शर्मा जी आप समाप्त करें ।

श्री लीला राम शर्मा-

मानयवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, यह प्रदेश का ही नहीं बल्कि सारे देश के लोगों का सम्बन्ध है । इसी औषधि के सिलसिले में गत दीवाली के सभय में सैकड़ों लोगों की जाने चली गयीं । करनाल फार्मेसी को 3000 लीटर मिथाइल अल्कोहल का परमिट दिया गया और वह किस आधार पर दिया गया, मुझे पता नहीं है ।

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में थोड़ा कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

क्या आप उत्तर देंगे ?

डा0 दिनेश जौहरी-

इस विषय में एक सुझाव है ।

श्री लीला राम शर्मा-

मान्यवर, आयुर्वेदिक औषधियां जड़ी बूटी से बनायी जाती हैं । कपूराशव के 3 सैम्पिल अल्मोड़ा से लखनऊ आये और इंदिरा नगर में उनकी जांच करायी गयी, तो पता चला कि उनमें कपूरा नाम मात्र के लिए भी नहीं है, वह बड़ी घातक दवा है, लेकिन फिर भी उसको बंद नहीं किया गया । करनाल फार्मेसी के डाइरेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह अहम मसला है, इसलिए इस पर चर्चा करा दें ।

डा0 दिनेश जौहरी-

एक बात बड़ी महत्व की है कि पर्वतीय क्षेत्र में शराब बंदी है और घटिया किस्म की शराब बिक रही है । टिंचर, आसव की आड़ में शराब बिक रहीं है । और लोग बना रहे हैं मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिए जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े । इस शराब बंदी के कारण, टिंचर के कारण पर्वतीय क्षेत्र में कितना अच्छा होगा कि शराब खोल दी जाय और लोग अच्छी शराब पियें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इस कार्यस्थगन के माध्यम से बड़ी मूल्यवान जानकारी दी । मान्यवर, इनको इस बात की स्वयं जानकारी होगी कि मेसर्स करनाल फार्मेसी गाजियाबाद को यह लाइसेंस 13-3-1985 से मिला हुआ है । मैं इस बहस में नहीं जाता कि लाइसेंस देने वाले कौन थे क्या थे ? लेकिन यह पाया गया कि दिनांक 6-11-91 को पीकर गये कुछ लोग मृत पाये गये । शासन ने इस बात को गम्भीरता से लिया और 2-3 आदेश तत्काल हमने जारी कर दिये । पहला आदेश यह हुआ कि उस बोतल पर करनाल फार्मेसी का लेबल लगा था इसलिए उस फर्मेसी के हिस्सेदार को गिरफ्तार किया जा चुका है । यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस घटना के बाद समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को मेसर्स करनाल फार्मेसी गाजियाबाद द्वारा कपूर्रासव की बिक्री रोकने एवं जहां भी उक्त आसव पाया जाय उसे प्राप्त किये जाने तथा उक्त औषधि का सेवन न किये जाने हेतु दिनांक 9-11-91 को निर्देश दिये गये हैं । इसके साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निर्णय ले लिया गया है कि एल्कोहलिक औषधियों का निर्माण अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जाय । इसी तरह से यह भी आदेश दे दिये गये हैं और इसमें जो 5 अधिकारी इनवाल्व थे उनको निलम्बित किया जा चुका है जिसमें अधीनस्थ कार्यालय के 4 अधिकारी तथा मुख्यालय स्तर के एक सहायक औषधि नियंत्रक हैं । दिल्ली प्रशासन द्वारा भी जस्टिस जे0चंद्रा कमीशन आफ इन्क्वायरी को इन्क्वायरी का काम सौंपा गया है और वह इन्क्वायरी कर रहे हैं ।

मैं माननीय सदस्य की इस भावना से पूरी तरह से सहमत हूं । हम इस आयुर्वेदिक औषधियों के आवरण में यदि एल्कोहलिक औषधियां बेची जा रही है तो इसको रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए । सरकार की यह नीति है कि वह इसको रोकने का प्रयास करें । कई माननीय सदस्यों ने और भी जानकारी दी है जो नोटिस में कही गयी थी । मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी और मूल्यवान सुझाव हों दें मैं उस पर सरकार की ओर से कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देता हूं और उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और सरकार ने कार्यवाही किया है लेकिन

मान्यवर, यह कार्यस्थगन का विषय नहीं बनता ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि अन्ततः आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान कर ही दिया, मान्यवर, आसव की चर्चा पहले प्रारम्भ हो जाती तो पहले अवसर दे देते ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपका नाम कई बार पुकारा लेकिन आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर दिल से पुकारा होता तो मैं जरूर हाजिर हो जाता ।

मान्यवर, मैं बहुत गम्भीर विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । नियम 56 के कार्यस्थगन के लिए 2 चीजे आवश्यक होती हैं एक तो लोकमहत्व का होना चाहिए और दूसरे अविलम्बनीयता होनी चाहिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो हाईस्कूल इण्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड, और बहुत ही यूनिवर्सिटियों की परीक्षायें हो रही हैं, सीनियर कैम्ब्रिज जूनियर कैम्ब्रिज की परीक्षाएं चल रहीं हैं तो इसमें 30 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठ रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है चाहे लोग स्वीकारकरें या न करें, असलियत यह है कि विद्युत आपूर्ति बडे कस्बों में 4 से 10 घंटे रहती है । आज इस समय जब छात्रों के पढ़ने का समय होता है तो उस समय ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति बाधित है, कस्बों में विद्युत आपूर्ति बाधित है । मान्यवर, पिछले 4 सत्रों से लगातार मुझे इस सम्मानित सदनका सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि सदन की बिजली चली जाय लेकिन इस सदन की 4 घंटे तक बिजली गायब रही इससे सरकार की गम्भीरता का अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

(समय 5 बजकर 45 मिनट)

एक विकल्प यह भी हो सकता था कि जहां विद्युत आपूर्ति नहीं है वहां मिट्टी के तेल का उचित वितरण सुनिश्चित किया जाता, स्पेशन कोटा दिया जाता, लेकिन इस सरकार के सहयोग से चोर बाजारिए और काला बाजारिए देहातों में कृत्रिम अभाव पैदा किए हुए हैं । मासूम छात्र छात्राओं के लिए इनके पास केवल हथकड़ियां और जेल रह गयी हैं । महाराष्ट्र में चूंकि नकल विरोधी अध्यादेश आया, इसलिए आप यहां भी ले आए । आपको मालूम है कि वहां का प्लाण्ट लोड फैक्टर 70 से 72 प्रतिशत तक है । उसका भी नकल कर लेते । विद्युत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके यहां प्लाण्ट लोड फैक्टर कितना है, बता दें । 30 लाख से ज्यादा छात्र आज परीक्षार्थी के रूप में हैं, विद्युत आपूर्ति बाधित है, परीक्षायें चल रही हैं । मैं यह नहीं कहता कि तत्काल सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन मैं यह कहना हूं कि चर्चा करा लीजिए । इनको शर्म लग रही हो तो

सदन की कार्यवाही भी न रोकें, वक्तव्य निर्धारित कर दें, चर्चा का समय निर्धारित कर दें । आज 30 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में है । मिट्टी के तेल का स्पेशल कोटा भी नहीं दिया जा रहा है । ऐसी स्थिति में मेरी मांग है कि इस पर तत्काल चर्चा करायी जाय ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)-

माान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी ने बोर्ड के परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में जो चिन्ता प्रकट की है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि विद्युत की आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित रूप से की जा रही है । नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति पूरे प्रदेश में सभी कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार हो रही है । माननीय तिवारी जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं । वह अच्छी तरह से जानते है कि विद्युत का उत्पादन, विद्युत की मांग से काफी कम है । विभिन्न क्षेत्रों को मानकों के अनुसार बांटा जाता रहा है । पूर्व से यह व्यवस्था रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो समूहों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है । निश्चित रूप से उसके अनुसार आपूर्ति की जा रही है । बोर्ड की परीक्षा के अवरोध के विषय में कोई ऐसा समाचार प्राप्त नहीं हुआ है । छात्र-छात्राओं के लिए मिट्टी के तेल के आवंटन की सुविधा सरकार के द्वारा की जा रही है ।

(व्यवधान)

परीक्षाओं के शुरू होने से पहले ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर विद्युत उपलब्ध नहीं है वहां पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल का वितरण कराया जाय । सभी जनपदों में मिट्टी का तेल उपब्ध है ।

(विपक्ष की ओर से "चर्चा करा दें, चर्चा करा दें" की आवाज आने पर)

जल आपूर्ति पर चर्चा भी लगी हुई है । जिस दिन बजट पारित हुआ था, उस दिन भी व्यापक चर्चा हो चुकी है । ऐसी स्थिति में माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा कही गयी बात सही नहीं है, इसको अग्राह्य किया जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर आप विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में यह सिद्ध कर दें कि वह, मल्लावां, हरदोई, जहां से श्री राम आसरे वर्मा जी चुनकर आते हैं, जो कि इस समय माननीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनके यहां पूरी तरह से है, तो इसे निरस्त कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने अपनी सूचना में इसका जिक्र नहीं किया है ।

(हंसी)

इन सूचनाओं को कार्य स्थगन की सूचना के रूप में अग्राह्य किया जाता है, शेष 3 सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

पहले न्याय विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं जिस पर विवाद नहीं होना है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

जब उस पर विवाद नहीं होना है तो बस पैसे बता दीजिए और बजट पास करा लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

इस पर विवाद तो होना नहीं है वोटिंग करा दीजिए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 61,02,99, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61, 02, 99,000 रुपये से अनाधेक धनराशि स्वीकत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर मांगों के लिए मतदान-अनुदान संख्या 93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,16,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,06,51,74, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग और इसकी महत्ता सर्वविदित है इसलिए कि सिंचाई उन्नति का मुख्य आधार है । कृषि की उन्नति इस उत्तर प्रदेश की उन्नति का मुख्य आधार है । सिंचाई इस प्रदेश की उननति और किसानों की समृद्धि का मूल है । यह इस बात से सिद्ध होता है कि अगर प्रदेश में सिंचन क्षमता को देखें क्षेत्रवार देखें तो जितनी, जैसी सिंचन क्षमता है, सृजित है और जितनी पुरानी हैं वहां उतने ही अधिक किसानों की समृद्धि है । पूर्वी यमुना नहर, गंगा नहर यह सब ब्रिटिश और मुगल काल की नहरें हैं ।

इनसे प्रभावित जिलों को देखें, प्रदेश के जो सबसे समृद्ध कृषकों के जिले हैं, जैसे बुन्देलखण्ड को देखें वहां 20 प्रतिशत सिंचन की क्षमता है लेकिन फिर भी गरीबी है पूरब में 40 प्रतिशत सिंचन की क्षमता है लेकिन वहां पर भी गरीबी है और मध्य की 45 प्रतिशत सिंचन क्षमता है लेकिन वहां पर भी गरीबी है, पहाड़ों की 20 प्रतिशत है, तो यह जो विषमता है इससे यह सिद्ध होता है कि क्या स्थिति है ? मान्यवर, इस सिंचाई विभाग को जब इस शासन ने संभाला तो मिला क्या एक तरफ तो पुरानी नहरें जिनका सुधार होना चाहिए था मगर नहीं हो रहा था और दूसरा जो योजनाएं मिली वह अधूरी थीं जिसमें प्राथमिकता की कमी थी, नियोजन की कमी थी जिसके कारण वह पूरी नहीं हो पा रही थीं तो यह विषमता मिली । दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय सिंचन की क्षमता है वह यह है कि परियोजनाओं का नियोजन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण कई योजनाएं ऐसी थी जिनमें करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च हो गया लेकिन वह पूरी नहीं हो पायीं थीं इतना ही नहीं प्रदेश को अन्तर्राज्जीय जल विवाद भी मिला, जो कई वर्षों से लम्बित है ।

मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा का समाधान नहीं हुआ, अव्यवस्थित प्रशासन मिला जिसके कारण असंतोष व्यापत था, ड्रेन की समस्या, सीपेज की समस्या इस तरह से अनेक समस्याएं हमको मिली । इन सबके समाधान के लिए एक नियोजन की आवश्यकता थी, एक नीति की आवश्यकता थी, एक योजना को बनाने की आवश्यकता थी और हमने उस योजना को बनाया और उसे गरीबों के मसीहा दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर समर्पित कर दिया । इस योजना के अंतर्गत हमने इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बनाकर नीति निर्धारित की । लेकिन सारी योजनाएं तंत्र पर आधारित हैं और इनको चलाने के लिए सरकारी तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है । यदि तंत्र ठीक हो तो मंत्र भी ठीक होगा । इसलिए प्रशासनिक सुधार की ओर ध्यान दिया गया । मान्यवर, यह प्रशासनिक अधिकारी कुण्ठित थे, दिशाहीन थे, अव्यवस्थित थे और उसका कारण स्थानान्तरण राजनीति से प्रभावित था । जो पहुंच वाले लोग थे वह अपने सोर्स के द्वारा

अच्छे-अच्छे स्थानों पर सदैव बने रहते थे और जिनकी पहुंच नहीं थी वह बेचारे उपेक्षित रहते थे, जिसके कारण उनमें कुण्ठा व्याप्त थी और यह कुण्ठा व्याप्त होना स्वाभाविक भी है । जहां कुण्ठा होगी, वहां प्रेरणा नहीं होगी, समर्पण की भावना नहीं होगी, सक्रियता नहीं होगी इसलिए हमने सबसे पहले इसको दुरुस्त किया और इसके लिए एक स्थानान्तरण की नीति बनायी और उसको कड़ाई से लागू किया गया । मान्यवर, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 102 अभियन्ताओं को निलम्बित किया, क्यों किया, क्योंकि वह अनुशासित नहीं थे और आप इतिहास उठाकर देख लें कभी भी इस तरह का कार्य नहीं हुआ । यही नहीं, इस विभाग में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिसके कारण इस विभाग की छवि बिगड़ी हुई थी । वह कार्य थे नहरों की सफाई का न होना, बाढ़ में बोल्डरों की खरीद का न होना, यह दो ऐसे कार्य थे जिनके कारण विभाग की छवि बिगड़ी हुई थी ....

(इस समय 6 बजे सांय अधिष्ठाता, श्रीमती उर्मिला राजपूत पीठासीन हुईं)

कहीं दिखाई नहीं देता था कि सिल्ट की सफाई होती कहां हैं और उसका कारण था गलत अधिकारी और ठेकेदारों की सांठ-गांठ । हमने पहला काम यह किया कि सिल्ट की सफाई के क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया । जिनके क्षेत्रों में नहरें गुजरती थीं, उन गांवों के मुखिया के माध्यम से हमने सफाई का काम शुरू करवाया और उसी का आज यह परिणाम है कि पिछले वर्षों की तुलना में आज विधायक भी कहते हैं, सांसद भी कहते हैं, जनप्रतिनिधि भी कहते हैं और लोगों ने भी सफाई को देखा है, सभी कहते हैं कि सफाई हुयी है । इस प्रकार मान्यवर पहले बोल्डर की खरीद केवल कागजों पर होती थी और बाढ़ आने से पहले और इसके लिए पौने दो लाख रुपया स्वीकृत किया और कहा है कि मई से पहले बोल्डर खरीदकर उन स्थानों पर भेज दियें जायें, जहां बाढ़ आती है और उसे सत्यापित कर दिया जाय, जिससे समय आने पर कागजी नहीं, वास्तविक बोल्डर डाले जायें, ऐसा इसलिए किया गया जिससे धांधली बंद हो और विभाग की स्थिति सुधरे ।

मान्यवर, अनुशासनहीनता का एक और कारण था, उनकी जांच हो गयी, शिकायतें आ रही हैं, जांच रिपोर्ट आ गयी, सतर्कता ने जांच दे दिया, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो रही है, कार्यवाही नहीं हो रही है । इसके लिए हमने एक अभियान चलाया, जांच रिपोर्टों के निस्तारण का और इस अभियान के परिणामस्वरूप जो लोग दोषी पाये गये, उनको दंडित किया गया । आपको यह जानकार खुशी होगी कि जो लोग जिम्मेदार पाये गये, ऐसे 91 अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया, कदाचार के मामले में और 17 अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गयीं, इससे एक व्यवस्था बनी प्रशासन में और अनुशासन की ओर बढ़ने की सोच विकसित हुई । इसी अनुशासन का परिणाम है कि आज लोग महसूस कर रहे हैं, एक परिवर्तन की दिशा । मैं यह नहीं कहता कि सब परिवर्तन हो गये हैं, सब बुराइयां दूर हो गयीं हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा को लोगों ने पहली बार महसूस किया । इसी के साथ मान्यवर, वित्तीय अनुशासन स्थापित करने

का भी प्रयास किया गया । वित्तीय अनुशासन की स्थिति पहले यह थी कि कई करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ दी गयीं और जो स्वीकृत भी थी नहीं था, वह भी खर्च कर दिया गया । अब इसकी जांच हो रही हैऔर अब हमने यह किया है कि जितना पैसा स्वीकृत हुआ हे, उससे एक भी पैसा ज्यादा अगर कोई खर्च करेगा, तो वह दंडनीय होगा. और इसी के चलते 1991-1992 में कोई भी–देनदारी सृजित नहीं हो रही है । इसी परिवर्तन का परिणाम है कि 10 महीने के कार्यकाल मे जो कार्य हुए हैं, उससे संबंधित अभी तक कहीं कोई गम्भीर प्रमाण सहित शिकायत नहीं मिली । मान्यवर, यह भी सही है कि सबके सब अधिकारी खराब नहीं हैं, अधिकांश अधिकारी अच्छे हैं, वह नियमों से काम करना चाहते हैं, निष्ठा से काम करना चाहते हैं, वह चाहते हैं, नियम के अनुसार प्रशासन, उनको समय से हक मिले, प्रोत्साहन और प्रेरणा मिले । इसलिए मान्यवर, हमने उन्हें प्रोत्साहित भी किया है । विभाग में प्रोन्नति के मामले कई कारणों से उलझे हुये थे । हमने लोगों से बातें की उनकी समस्याओं का समाधान करके कई वर्षों से लम्बित प्रोन्नति मामलों का समाधान किया । इसका परिणाम यह है कि 17 मुख्य अभियन्ता, 14 अधीक्षण अभियन्ता और 8 अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति विभाग में हुयी है । लोगों का अपना हक मिला । मान्यवर, यह स्पष्ट है कि बुराई ऊपर से चलती है और अच्छाई भी ऊपर से चलती है, इसलिए हमने ऊपर से ही बुराई को हटाने का काम शुरू किया । मान्यवर, साढ़े तीन सौ सहायक अभियन्ताओं का विनियमितीकरण किया है । जहां हमने प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया है, वही हमने सिंचाई विभाग को जनता के द्वार तक पहुंचाने का भी काम किया । इस सरकार का मत है कि हर एक को, चाहे वह जन-प्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसे जनता के बीच में आना पड़ेगा । क्योंकि शासन की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं, उनका लाभ जनता को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जनता के द्वार तक प्रशासन नहीं पहुंचेगा । आम शिकायत यह थी कि अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं । हमने यह प्रयास किया है कि अधिकारी मिलें । अभी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो फील्ड में नहीं जाना चाहते हें उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा । अगर नौकरी में रहना है तो फील्ड में उन्हें जाना ही होगा यदि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नौकरी छोड़कर घर पर बैठें ।

इसके साथ श्रीमन्, हमने सिंचाई बन्धु की भी स्थापना की है । यह एक ऐसा केन्द्र है, जहां पर, सांसद, विधायक और ब्लाक प्रमुख, अधिकारियों के साथ बैठकर सभी कार्यों का क्रियान्वयन और उनका अनुश्रवण करें । उस समिति को अधिकार है कि सिंचाई विभाग के जो कार्य हैं, [illegible] । अधिकारियों को उनके बारे में बताना होगा । हम इसे एक सशक्त केन्द्र बनाना चाहते हैं । इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है । अगर कोई अधिकारी किसी जन प्रतिनिध को अपेक्षित सूचना नहीं देता है तो उसके बारे में वह सूचना दें । हम निश्चित रूप से उस मामले को देखेंगे । महीने के दूसरे मंगलवार को इसकी बैठक होगी, जिसमें अधिकरी व जनप्रतिनिधि उपलब्ध हों । इसकी निश्चित व्यवस्था हमने शासनादेश में ही कर दी है । मैं जनवरी के महीने से हर जिले की रिपोर्ट इस संबंध में मंगवाता हूं और साथ ही यह भी देखता हूं कि कौन-कौन जन-प्रतिनिधि इसमें आये, कौन-कौन मुद्दे उठाये गये तथा किन-किन पर निर्णय लिये गये । हो सकता है धनाभाव के कारण हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हों । यह सम्भव है कि कुछ जन-प्रतिनिधि अपनी व्यस्थता के कारण इसमें उपस्थित नहीं हो पा रहे हों । फिर भी मेरा आग्रह है कि इसे एक सशक्त केन्द्र बनाने में अपना सहयोग वह अवश्य दें । तहसील केन्द्रों पर भी चौथे मंगलवार को अधिकारी जाकर किसानों की समस्याओं को सुनेंगे । शासनादेश के अंतर्गत ही हमने इसे अनिवार्य कर दिया है । मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता अपने ग्रामीण दौरों को बढ़ायें, इसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है । हम यह मानते हैं कि जब ऊपर से ठीक चलेगा, तब नीचे ठीक होगा अन्यथा निर्देश व आदेश से कोई भी चीज ठीक होने वाली नहीं है । अगर किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है तो हम सुपरवाइजरी एथोरिटी को भी पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं ।

श्रीमन्, हमने सिंचाई सप्ताह मनाने का प्रयास किया है । इसको किसी तिथि से नहीं जोड़ा है । बल्कि गांव की संस्कृति से जोड़ा है ज़ोकि बहुत ही सामयिक है । यह सप्ताह बसंत पंचमी से मनाया जायेगा । चाहे वह जिस तिथि को पड़े । भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना हमारा फर्ज है । श्रीमन्, किसान बन्धुओं को जल प्रबन्ध के बारे में जानकारी नहीं है, उसके रख-रखाव के बारे में जानकारी नहीं है।

इस प्रकार जो पानी मिलने वाला है रोस्टरिंग के अनुसार जिसकी जानकारी किसान को नहीं रहती है उसकी जानकारी देने के लिए हर वर्ष एक सप्ताह मनायेंगे । इस वर्ष जल्दी में मनाया लेकिन अगले वर्ष से संशक्त रूप से मनायेंगे जिसका परिणाम है कि जो पहले शिकायतें होती थी अधिकारियों की अनुपलब्धता की उतनी शिकायतें आज नहीं हैं आज लोग कहने लगे हैं कि अधिकारी दिखाई देते हैं । तो इन सारी व्यवस्थाओं का परिणाम है कि अवर्षण की स्थिति रहने के बावजूद, खेतों में पानी पहुंचाया गया आप ईमानदारी से महसूस करेंगे, इस वर्ष लगातार अवर्षण रहा । तो हमने नहरों और जलाशयों से कम पानी होने के बावजूद नहरों से पानी पहुंचाया और अधिक अवधि तक पहुंचाया । मैं दावा नहीं करता हूं लेकिन पिछले वर्षों से अधिक पहुंचाया है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं । आप तुलना भी कर सकते हैं खरीफ में 1990-91 में 25.11 लाख हैक्टेयर में पानी दिया इस वर्ष 26.74 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हुई । इस प्रकार 93 हजार हैक्टेयर में अधिक सिंचाई हुई । रवी में 1990-91 में 32.89 लाख हैक्टेयर में हुआ लेकिन फरवरी, 92 तक यह बढ़कर 34.24 लाख हैक्टेयर हो गया है । तो फरवरी माह तक 90 की तुलना में 1.35 लाख हैक्टेयर अधिक क्षेत्र में सिंचाई हुई और यह अवर्षण की स्थिति में हुआ तो यह प्रशासनिक सुधार के कारण ही हुआ, शासन की नीतियों के कारण अधिक समय तक नहरों से पानी दिया गया ।

इतना ही नहीं बहुत हम दम भरते थे निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए तो कोई बतला सकता है कि निर्बल वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की कृषि की उन्नति के लिए उन्होंने सीधा कितना लाभ पहुंचाया है ? तो यह पहली सरकार है स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति के किसानों के खेतों तक सीधा पानी पहुंचाने की योजना बनाई है । हमने निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव जहां उनकी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी है अगर उनके पास खेत है तो उन अनुसूचित वर्ग के लोगों के खेतों के बीच नलकूप लगायेंगे । ऐसा नहीं कि उनके नाम से नलकूप लग गया और दूसरे लोग उसका पानी लें और नाली काट कर उनके खेत तक पानी न पहुंचे । हमने कहा कि उनके खेत के बीच में या खेत के पास लगायेंगे । इसके प्रथम चरण में 100 नलकूप लगाये गये हैं, यह अंतिम नहीं है यह शुरुआत है हम उस समय तक लगाते रहेंगे जब तक अनुसूचित जाति के अधिकांश लोगों को यदि उनके पास कृषि योग्य जमीन है तो यह सुविधा उपलब्ध होती रहेगी । जितने गांव सर्वेक्षण के बाद मिलते रहेंगे उनको यह सुविधा मिलती रहेगी ।

इतना ही नहीं महिलाओं का भी ध्यान दिया है (व्यवधान) हमें तरस नहीं आ रहा है । इनको यही पता नहीं है कि महिलाओं के खेतों की सिंचाई में क्या दिक्कतें हैं तो यह महिलाओं की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा-

यह बता दें कि कितनी महिलाओं के लिए सिंचाई की व्यवस्था की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

मान्यवर, सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी निराश्रित विधवाओं, जिनकी पांच एकड़ से कम खेती हो, हम उनको नि:शुल्क सिंचाई सुविधा प्रदान करेंगे । यह निर्णय ले चके हैं । इस तरह से निर्बल वर्ग की, चाहे वह अनुसूचित जाति की हो चाहे निर्बल निराश्रित विधवाओं की रूप में हो, उनके भविष्य की सुरक्षा ही नहीं की है प्रत्येक को समृद्धि के साधन भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ।

एक समस्या और है, अन्तर्राजीय जल विवाद । इसलिए कि यह विवाद राज्य की समृद्धि मतें बाधक है । अनेक नदियों का पानी बहता चला जा रहाहै । अनेक योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं । पानी का जो दो राज्यों बीच विवाद है, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है । मध्य प्रदेश के साथ आधे दर्जन योजनाओं पर विवाद चल रहा है । इन विवादों को सुलझाने का पिछली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया इससे ही लगता है कि सिंचाई सुविधा बढ़ाने में पिछली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया इससे ही लगता है कि सिंचाई सुविधा बढ़ाने में पिछली सरकार कितनी जागरूक थी ? मध्य प्रदेश के साथ जनवरी, 1977 में वार्ता हुई थी तब जब माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे । उसके बाद से आज तक जो भी सरकारें आईं उनहोंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । लेकिनहमने यह समझा कि इस विवाद का हल निकालने के लिए वार्ता करनी चाहिए । सो हमने वार्ता की । इन विवादों का हल करना प्रदेश के हित में है, किसानों के हित में है । बुन्देलखण्ड की समस्या पर हमने वार्ता की क्योंकि मध्य प्रदेश की योजना का ज्यादा लाभ बुन्देलखण्ड को मिलता है । जो विवाद कई वर्षों से लम्बित थे । 1977 से पहले तक लम्बित थे उन विवादों को 2 दिन भोपाल में बैठकर निस्तारित कर दिया । यह है सरकार की कार्य में रुचि । यह इस सरकार की कार्य रुचि है जो वह लम्बित विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रही है । पिछली सरकारें इन विवादों को सुलझाने के लिए जागरूक होतीं तो 1977 के बाद से अब 1992 में वार्ता न होती । इसके बीच कितनी सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी ने भी वार्ता नहीं की । वार्ता का हल हो न हो लेकिन मंत्री स्तरीय वार्ता का प्रयास भी नहीं हुआ ।

हरियाणा के साथ विवाद है और यह विवाद काफी पुराना है जबकि उत्तर प्रदेश में भी वही सरकार थी जो सरकार हरियाणा में थी । उसी पार्टी को सरकार थी । हमने मध्य प्रदेश के साथ समझौता करके यह सिद्ध कर दिया है कि राज्यों के हित और राज्यों की समृद्धि के बीच आने वाले विवाद को निर्मूल किया जायेगा। हरियाणा के साथ यहां की कांग्रेस सरकार यमुना विवाद हल नहीं कर पाई । यमुना विवाद के कारण मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के किसान प्रभावित हैं । हमारे दोस्त राणा जी के क्षेत्र की आगरा नहर है उसके चारों तरफ फैले किसान पानी के लिए तरसते हैं । हरियाणा विवाद पर हमने वार्ता की लेकिन इसमें एक शिकायत है कि वार्ता केन्द्र की मध्यस्था में हो रही है और केन्द्र का नर्म रुख हरियाणा के साथ है । बैठकों में दबाव डाला जा रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा-

हरियाणा के साथ जो समझौते की बात है । वचनबद्ध उपयोगिता है, उसके आंकड़े बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह -

बता देंगे । बहुत बातें कही जा चुकी हैं । आंकड़ों को देना आवश्यक होगा तो हम दे देंगे । हरियाणा के साथ वचनबद्ध उपयोगिता नहीं है । आगरा कैनाल से पानी पहुंचाने का भी सवाल है ।

इसके साथ हथनीकुंड बैराज का भी मामला है । पीने के पानी का मामला है इसमें भी दबाव डालने का प्रयास किया गया । केन्द्र सरकार के मंत्री आते हैं वह दबाव डालते हैं लेकिन हमने किसी भी दबाव को न मानकर यह सिद्ध कर दिया है कि चाहे आप जितना दबाव डाल लें हम उत्तर प्रदेश का रत्ती भर हित आपके सुपुर्द करने वाले नहीं हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

हमने सबसे कह दिया अखबारों में कह दिया हथनीकुण्ड बैराज के बारे में तालीवाला से आगरा कैनाल को उत्तर प्रदेश के हित में पानी मिल इसलिए हमने दोनों मसलों को साथ-साथ रखा है । यह प्रश्न लम्बित है । ताजीवाला से आगरा के हिस्सों में पानी नहीं पहुंच रहा है । दूसरी समस्या वृहद सिंचाई योजना के बारे में हैं । वृहद् सिंचाई योजनाएं बननी चाहिए । पिछले कुछ वर्षों से इन योजनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है । अब हमने वृहद् सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी है । उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा सरजू नहर 1977-78 में शुरू हुई । 299 करोड़ की योजना थी 322 करोड़ खर्च हो गए हैं, लेकिन नगण्य सिंचाई मिली है । एक लाख से ऊपर हैक्टेयर सिंचाई की जो योजना थी वह हजार हेक्टेयर की सिंचाई कर रही हैं । 322 करोड़ रुपया खर्च हो गया और आज की तिथि में 12 करोड़ और खर्च होंगे । गंडक 1960-61 में शुरू हुई 32 साल हो गये पूरी नहीं हुई । पिछले साल दो या तीन करोड़ रुपये प्राविधान था हमने बैठक की, हमने कहा कि गंडक कितने दिन में पूरी हो सकती है । हमारे अधिकारियों ने कहा कि 12 करोड़ रुपया मिल जाए तो जून, 1992 तक पूरा कर देंगे । हमने कहा रुपया मिलेगा इस गंडक परियोजना को हम इसी वर्ष पूरा कर रहे हैं । सरजू को हमने तीन फेस में डाला है । सरजू के बारे में पता चलेगा कि 33 करोड़ खर्च करके 25 हजार हैक्टेयर सिंचन क्षमता एक वर्ष में करने जा रहे हैं जिसमें 32 करोड़ रुपया खर्च किया गया है । इसी तरह से सुहैली परियोजना है । 1977 में शुरू हुई । 7.64 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गये । दो सौ हैक्टेयर सिंचाई हुई । 1988 से पानी बंद हो गया 6-7 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद

दो सौ हैक्टोयर की सिंचाई हो रही है । इतनी सिंचाई तो दो-तीन नलकूप लगवाकर कर सकते हैं । यह गलत नियोजन का परिणाम है ।अयोध्या में एक पम्प नहर बन रही है । मैं वहां सरप्राइज विजिट पर गया । मैंने देखा कि जो पम्प हाउस है उससे दो-ढाई किलोमीटर नदी दूर है । तो पानी कैसे आयेगा । यह नियोजन के गलत होने का परिणाम है । मान्यवर, इस समय 38 वृहद् तथा लघु सिंचाई परियोजनायें चल रही हैं जिसमें से 6 ऐसी हैं जिन पर 50 प्रतिशत से कम काम हुआ है । 9 ऐसी हैं जिनमें 30 प्रतिशत से कम काम हुआ है । कुछ ऐसी हैं जिनमें 4-0 प्रतिशत काम हुआ है । यह योजनायें एक लम्बे समय से चल रही हैं। इस सम्बन्ध में हमने एक नीति निर्धारित किया है और इनके नियोजन की दिशा को तया किया है, प्राथमिकताओं को तय किया है । योजना के सही रूप में क्रियान्वयन के लिए कदम उठाये हैं ताकि प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचे और उनको पानी मिल सके । सरयू नहर जैसा हाल न हो कि सालों हो गये पानी नहीं मिल रहा है । हमारे नियोजन का परिणाम यह है कि 1992-93 में 5 परियोजनाओं को हम पूरा करेंगे और 10 परियोजनाओं को आर्थिक रूप से पूरा करेंगे । जिससे 92 हजार हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जो पुरानी नहरें हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए ताकि वह पूरी क्षमता से कार्य कर सकें । पुरानी नहरों के जीर्णोद्धार के लिए समय-समय पर जो काम होने चाहिए थे वह नहीं हुए । आज पैसे की कमी है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि कम पैसे से अधिक परिणाम प्राप्त हो । इसीलिए गंगा नहर का आधुनिकीकरण किया जायेगा । निचली गंगा नहर का आधुनिकीकरण किया जायेगा विश्व बैंक की सहायता से यह कार्य शुरू हो गया है । सरयू नहर का भी आधुनिकीकरण किया जायगा । विश्वबैंक की सहायता से इन तीनों नहरों का आधुनिकीकरण शुरू हो गया है ताकि इनकी जो क्षमता कम हो गयी थी उसको रेस्टोर किया जा सके । मान्यवर, इसी तरह से बुन्देलखण्ड के लिए नयी योजनायें शुरू की हैं । नदी के पानी और भूगर्भ पानी पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता है । इसलिए बुन्देलखण्ड, सोनभद्र और बहराइच के वह इलाके जो पथरीले हैं और जहां नलकूप या नहर से सिंचाई नहीं हो सकती वहां पर चेक डैम्स बनाने का अभियान शुरू करने वाले हैं जिसके लिए योजनायें बना रहे हैं । बरसात के पानी को चेक डैम्स में इकट्ठा करने, उसका उपयोग सिंचाई के काम में किया जायगा ताकि किसान समृद्ध हो सकें । इतना पानी नहीं हैं नदियों में और भूगर्भ जल से पूरे प्रदेश की सिंचाई नहीं की जा सकती, इसलिए चेक डैम्स की योजना हम बना रहे हैं । मान्यवर, इसके अलावा उत्तरांचल के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था

की गयी हैं जिससे वहां की नहरों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जायगा । मान्यवर, इसके साथ ही शासन ने पानी के वितरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किया है । कृषि के क्षेत्र में पानी ही पूजा है । जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी अर्थ को पूंजी माना जाता है उसी प्रकार से कृषि क्षेत्र में पानी ही पूंजी है इसलिए पानी का समान वितरण होना चाहिए । यह पानी के वितरण में ऐसी नीति शासन की है, जिसके कारण किसानों की उपलब्धता में विषमता है और जहां पानी की उपलब्धि में विषमता होगी, मैंने प्रारम्भ में बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति का मुख्य सम्बन्ध इसी विषमता से है । पश्चिम में किसानों की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण है कि 35 वर्ष पहले गंगा नहर निकली और किसानों ने 2-3 का फसल लेने का स्वतंत्रता से पहले सबक सीखा, पाठ सीखा, लेकिन पूरा बुन्देलखण्ड जहां उस समय सिंचाई के साधन नहीं थे, आज गरीब हैं । इसलिए पानी के वितरण में विषमता होगी तो प्रदेश के किसानों की विपन्नता दूर नहीं की जा सकती है । इसीलिए हमने निश्चय किया है कि पानी का समान वितरण होना चाहिए । शासन की यही सबसे अच्छी नीति है और इस वितरण का हमारा निश्चय है । जहां तक नहरें हैं, इस वर्ष के अन्त तक हर टेल तक पानी पहुंचाना है और किसान को पानी देना है ।

मान्यवर, इसको बदल सकते हैं । पूरे प्रदेश में कुल 11241 टेल हैं, 9681 टेल तक पानी पहुंचा दिया है, कम हो सकती हैं, अब 1560 टेलों में पानी पहुंचाना है । इसको भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान).. यह गलत है या सही है, हमने संकल्प लिया है कि वर्ष के अंत तक हर टेल तक पानी पहुंचाएंगे । उस समय आपसे बात करेंगे । उस समय असफल रहें तो स्वीकार करेंगे कि असफल रहें । टेल तक पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि जो हेड रीजन के किसान मन-माने ढंग से नहर कटिंग करके पानी ले लेते हैं, उसको रोकना पड़ेगा । हमने संकल्प लिया है कि इस कटिंग को रोकेंगे और अवैध कटान को भी रोका जायगा, ताकि हर किसान को दो पानी दिया जा सके । शासन की नीति है, आप महसूस करेंगे कि पानी के वितरण में विषमता का कार्य कभी नहीं होने दिया जायगा । मान्यवर, मैंने शुरू में कहा कि सारे परिवर्तन 10 महीने में नहीं हो रहे हैं । एक दिशा शुरू की गयी है । पूरे उत्तर प्रदेश की तुलना में परिवर्तन आप भी महसूस करेंगे । मैंने इसीलिए नहीं कहा कि सारी बुराई आपकी है । मैं स्वयं कह रहा हूं कि बलिया में नहीं हुआ है । उसका कारण यह है कि सारे अधिकारी/कर्मचारी धीरे-धीरे हटा रहे हैं, उसके कारण वहां नहीं हो रहा है । मान्यवर, आज की चर्चा नलकूप के बिना पूरी नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया शांत रहे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमने इसीलिए नलकूप के लिए कहा कि नलकूपों से कुल राज्य की केवल 5 परसेंट सिंचाई होती है ।

श्री विजय सिह राणा-

इतना भी (× × ×) है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जितने नलकूप लगे है उसके हिसाब से 5 परसेंट आता है । जिस तरह से नलकूपों की चर्चा की, उससे समझ सकते है । सिचाई विभाग की शिकायत 95 परसेट नलकूप के कारण से है, इसलिए चर्चा कर रहा हूं । यह सही है कि नलकूपो की जो स्थिति है, उससे हम खुद संतुष्ट नहीं है । कुल 27642 नलकूप हैं, जिसमें 800 फेल हैं, लगभग 10 हजार नलकूपों की नालियों को ठीक करने के लिए 80 करोड़ रुपया चाहिए । अगर सदन तय कर दें कि इस साल एक भी नया नलकूप न लगे तो जो पैसा नलकूप निर्माण के लिए देते रहें हैं, उससे नालियां ठीक करवा दें तो सुधार हो जायगा । गांव-गांव तक फैले हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमे हम बहुत दावा नहीं करते हैं लेकिन जो नलकूप की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है, वह भी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक घंटे चले हैं । लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं । इनको ठीक करने के लिए मैं दो प्रयोग करने जा रहा हूं । नलकूप के क्षेत्र में एक तो नलकूपों का संचालन, जो लाभार्थी किसान हैं, उनकी पंचायत बनाकर हम उन्हें देने का एक प्रयोग करने जा रहे हैं, 100 नलकूपों को इस वर्ष हम देंगे जो हम देंगे शायद वह अच्छा संचालन करेंगे । अगर लाभार्थी अपने लाभ के लिए चिंतित नहीं होगा, तो दूसरा क्यों चिंतित होगा ? इसी तरह से एक प्रयोग इसका भी किया है । जो अंशकालिक नलकूप चालक हैं, उनको हम इन्सेंटिव के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक देने जा रहे हैं । यदि वे न्यूनतम घटो से जितना अधिक नलकूप चालायेंगे, उनको हम अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप मे देंगे । इसको हम प्रयोग के रूप मे करने जा रहे हैं । हम सुधार करने जा रहे है ।

मान्यवर, आठवी पंचवर्षीय योजना का हम जो स्वरूप दे रहे है, उसमे जो सिंचाई को हम लोगो ने प्रस्तावित किया है, अभी वह स्वीकृत होना शेष है, हम चाहते है कि वह सेंट्रल गवनमेंट स्वीकृत कर ले, उतना पैसा दे दे । 1992 से 97 तक यह आठवीं पच वर्षीय योजना जो चलेगी, उसमे 11.75 लाख हैक्टेयर क्षमता सिंचित करने की योजना प्रस्तुत की गयी है । इस पर जो प्रस्तावित खर्च होगा, वह 3,251 करोड़ रुपया है । यह 11.75 लाख हेक्टेयर जो सिंचित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, यह पूरी प्रथम पंचवर्षीय योजना में से लेकर आज तक सबसे अधिक होगा, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में केवल 11.18 है । यह आठवी पंचवर्षीय योजना का हमने इसलिए कहा कि इस सरकार का लक्ष्य क्या है, किसानों की समृद्धि के लिए कौन सी चीज आवश्यक है, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं । हम

नोः-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चाहते हैं कि सदन के सहयोग से यह आठवीं पंचवर्षीय योजना स्वीकार की जाय । मैंने कहा कि सुधार के लिए एक लक्ष्य है, जिसे इच्छाशक्ति कह लीजिए, एक संकल्प इस शासन ने लिया है कि पहले की तरह अब लूट नहीं होने दी जायगी । एक-एक बूंद पानी खेत तक पहुंचायेंगे । यह एक संकल्प है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हर टेल तक पानी पहुंचायेंगे । इस वर्ष 92 हेक्टेयर सिंचन का सिंचाई विभाग का लक्ष्य है । आप सुझाव दें, आपका सहयोग चाहिए । मैं यह नहीं मानता कि जो इधर बैठ गये हैं, वहीं सब परिवर्तन कर सकते हैं । यह सदन पूरे प्रदेश का है । आपका सुझाव हमारी पूंजी होगी । इस पूंजी के बल पर हम इसमें सुधार करने जा रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तुत करता हूं ।

* श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के बजट भाषण से यह उम्मीद थी कि वह कोई न कोई ऐसी घोषणा सदन में करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा भला होगा और सिंचाई की सुविधाओं के लिए घोषणायें होंगी, जिससे किसान प्रफुल्लित होगा, लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बहुत ही विद्वान मंत्री है, कोई भी घोषणा नहीं की है और वह केवल संकल्प, विकल्प, अधिकारियों का प्रोत्साहन और नियोजन में ही पूरा चक्कर काट गये और प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई नयी योजना नहीं प्रस्तुत की है । मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश उसका हृदय है । उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है । इन सारी चीजों को बजट में अभाव है । इन सारी चीजों को बजट में आना चाहिये और उनकी विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन माननीय मंत्री जी ने पिछली सरकारों की बड़ी आलोचना की है । आज सभी लोग सोंच रहे थे कि सिंचाई में परिवर्तन के लिए कोई योजना की घोषणा होगी । माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि निराश्रित महिलाओं के लिए 5 एकड़ से कम भूमि पर नि:शुल्क सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी, यह बहुत अच्छी बात है और वह इसके लिए वह सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस तरह की कितनी महिलायें हैं, कोई एक प्रतिशत होगी, तो आपने इनको लाभ दिया है । कोई बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित नहीं होगा । मान्यवर, आपको पता है सिंचाई विभाग का मुख्य वाक्य क्या है; वह यह है कि-

सिंचनेहि समृद्धि भवति ।

सिंचाई का यह मूल सूत्र है, लेकिन अगर इसको केवल आदर्श माना जाये और उस पर अमल न किया जाये, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । स्वतंत्रता के बाद आज तक जितने भी बजट रखे गये हैं, उनमें सबसे कम बजट इस सरकार का है । मुझे खेद है कि पूरे उत्तर प्रदेश के परिव्यय के आंकड़े मौजूदा बजट में सबसे कम है ।

(6 बजकर 45 मिनट)

मान्यवर, देखें सन् 78-79 में जब हम उधर और इधर के सभी लोग एक साथ थे, तो प्रदेश के कुल परिव्यय का 20 प्रतिशत धन सिंचाई विभाग पर खर्च किया गया है, व्यय किया गया है लेकिन आज मुझे कहने में संकोच होता है और झिझक भी लगती है कि हमारे इतने विद्वान सिंचाई मंत्री जी जिनको बिना विश्वास में लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने ।। प्रतिशत धन सिंचाई विभाग को आवंटित किया है, यह बहुत ही अफसोस और लज्जा की बात है । मान्यवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे इन विद्वान सिंचाई मंत्री की परवाह नहीं करते, अगर परवाह किये होते तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत सुधारने के लिए बजट में कुछ धन बढ़ाकर आवंटित करते । मुझे तो ऐसा लगता है कि न तो इनकी राय ली गयी है और इनके सुझावों को सम्मिलिति किया गया है ।

माननीय मुख्य मंत्री चले गये, जब खड़े होते हैं अपनी सीट पर तो कहते हैं कि हमारी पारदर्शी सरकार है, ट्रान्सपेरेन्ट सरकार है, संवेदशनशील सरकार है, ममतामयी सरकार है, यह सारी चीजें कहा करते हैं लेकिन मान्यवर, अगर यह ममतामयी सिरकारी होती, ट्रान्सपेरेन्ट सरकार होती, संवेदनशील सरकार होती तो जो उत्तर प्रदेश के 70 फीसदी मेहनतकश किसान हैं, उनकी तरफ भी इनका ध्यान गया होता और उसकी हालत भी सरकार में परिलक्षित होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हमारे विद्वान सिंचाई मंत्री की परवाह नहीं की । वैसे आलोचना का यह विषय नहीं है हमें माननीय सिंचाई मंत्री ने जिस संकल्प और विकल्प में उलझा दिया, कोई नई घोषणा नहीं की तो मैं बहकूंगा नही।

एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा सद्भावना बनी रहे एक दूसरे का सम्मान का रहे लेकिन जिस तरह से वह मंत्रियों की परवाह नहीं करते उसी तरह से वह सारे सदन के माननीय सदस्यों की परवाह नहीं करते । मैंने कई मुख्य मंत्री के साथ काम किया है । तिवारी जी विपक्षी माननीय सदस्यों के साथ बैठते थे उनकी समस्याएं सुनते थे । उसके बाद वीर बहादुर सिंह जी आये उनकी भी हालत यही रही विपक्ष के तमाम लोगों के घर, राम बख्श सिंह जी के भी घर जाते थे इस तरह से जब मुलायम सिंह जी हुए तो उनको भी माननीय कल्याण सिंह जी के घर जाते देखा है, चाय पीते देखा है ।

श्री देवेन्द्र सिंह -

मान्यवर, सिंचाई विभाग पर चर्चा चल रही है और यह क्या बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव -

माननीय अधिष्ठात्री जी, मै कहना चाहता हू कि सद्भावना होनी चाहिए, कटुता नही होनी चाहिए, हम लोग जनता से चुनकर आये हैं, आपस में सद्भावना से प्रेम से अपने का कर्तव्यो निर्वहन करें, यह उत्तम बात है । मै कहना चाहता हू कि माननीय मुलायम सिह यादव जी अपने कार्यकाल मे माननीय कल्याण सिंह के घर जाते थे और उनको मैंने माननीय कलराज मिश्र के घर जाते देखा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तीनों नेताओं को साथ बैठे देखा, इतनी सद्भावना थी । आज हालत यह है कि इधर के बड़े से बड़ा नेता या छोटे सदस्य, वैसे तो सभी सदस्य सम्मानित हैं, जब खड़े होकर बोलते हैं तो गलत आवाजें आती है । कभी-कभी इधर से भी गलत आवाज आती है इस प्रकार की एक परिपाटी बन गयी है । नेता सदन कल्याण सिंह जी का बहुत ही सम्मानित और गरिमा का पद है । सारे लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए । आज स्थिति यह है कि विपक्ष के 20 प्रतिशत लोग उनसे मिलने तक नहीं जाते हैं, अपना अपमान समझते हैं । अगर सद्भावना होती तो सारे के सारे लोग उनका उतना ही आदर करते जितनी उनकी गरिमा है ।

श्री अधिष्ठाता -

माननीय बाबू राम यादव जी, आप बजट पर बोलिये ।

श्री बाबू राम यादव -

सदन की परवाह उन्होंने नहीं की तो सिंचाई मंत्री के विचारों की भी परवाह नही की । जब तक सिंचाई मंत्री को विश्वास में लेकर बजट नहीं बनाया जायगा तब तक किसानों का हित नहीं हो सकता है । जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है ऐसा लगता है कि पूर्व बजट इन्होंने नहीं पढ़ा । यह कह दिया कि अतिरिक्त

सिंचन क्षमा का सृजन करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई नयी योजना प्रस्तुत नहीं की है । क्या जादू की सरकार हो गयी ? अगर राम की सरकार है तो ऐसा तो नहीं है कि बिना योजना के सिंचन क्षमता में वृद्धि हो जाय । सम्पूर्ण बजट में कहा गया है कि 50 प्रतिशत रुपया गांवों में खर्च करेंगे । प्रदेश में कोई नया उद्योग नहीं लग रहा है । प्रदेश में ग्राम्य विकास के बजट में अतिरिक्त बजट नहीं दिया गया है । यह खेती पर आधारित अर्थ व्यवस्था है । उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं और बिजली के दाम बढ़ गये, सिंचाई पर किया गया व्यय घटा है । कैसे अर्थ व्यवस्था सुधरेगी ? इस तरह से बात कहकर इस सदन को गुमराह करना कोई अच्छी बात नहीं है । प्रकृति ने जो जल सम्पदा हमें दी है, जैसा सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि नदियों में जल की कमी है, यह बात किस आधार पर कही है ? प्रदेश की नदियों से जो जल संसाधन उपलब्ध हैं, उससे 125 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित कर सकते हैं, लेकिन उस क्षमता का सृजन करने के लिए किसी योजना को इंगित नहीं किया गया है । 125 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 66.53 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित की है । दूसरे प्रदेशों से तुलना करें तो तमिलनाडु ने 96 प्रतिशत, पंजाब ने 33 प्रतिशत, हरियाणा ने 69 प्रतिशत और आन्ध्र प्रदेश ने 62 प्रतिशत सिंचन क्षमता का सृजन किया है । हम बहुत पीछे हैं जो संसाधन हमारे उपलबध हैं, सबका उपयोग कर रहे हैं । वर्षा से पानी का सवाल आया कि जो पानी वर्षा का मिलता है जिससे भूगर्भ जल की बढ़ोत्तरी होती है, उसे कैसे रोंके ? उसके लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है । सम्पूर्ण प्रदेश में जिसमें खेती होती है । क्षेत्रफल का 48.9 प्रतिशत सिंचित है उत्तर प्रदेश, पंजाब में चल जाइये यह प्रतिशत है 90.5 । इसके लिए कोई नयी योजना का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है । पंजाब 90.5 प्रतिशत, हरियाणा 63.57 प्रतिशत, महाराष्ट्र 55.42 प्रतिशत, तामिलनाडु 49.9 प्रतिशत है । हम बहुत पीछे हैं । हमको विचार करना चाहिए कि हमारी जब सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था खेती पर निर्भर है और खेती की जान प्राण सिंचाई है तो सिंचाई के साधनों को हम इतना उपलब्ध करा दें इतना विस्तृत कर दें इतना बढ़ावा दें कि किस तरह से हमारे किसानों को उसके खेतों तक पानी मिले ? अगर यह नहीं होगा, करोड़ों-करोड़ों किसान जो आप देखें एक वक्त रोटी खाकर सोते हैं उनका विश्वास उठ जायेगा उनका धीरज टूटेगा उसके बाद इस प्रदेश का क्या होग इसको न हम बता सकते हैं और न आप बता सकते हैं । प्रदेश में सिंचन क्षमता के क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही गयी । प्रदेश में सिंचन क्षमता के क्षेत्रीय असंतुलन का अगर सुधार नहीं होगा तो आपके दल की जो वचनबद्धता है वह टूट जायेगी । विभिन्न क्षेत्रों में सिंचन क्षेत्रफल का प्रतिशत आप देखे तो पर्वतीय क्षेत्र में 30 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है । बुन्देलखण्ड 23 प्रतिशत सिंचित है आपके दल को सबसे ज्यादा शक्ति सहारा पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड क्षेत्र ने दिया है । जो माननीय सदस्य पर्वतीय क्षेत्र से बुन्देलखण्ड क्षेत्र से चुनकर आये हैं आपके दल के उनके मन में एक हसरत एक उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्रों

को माननीय सिंचाई मंत्री जी कुछ न कुछ अवश्य उपलब्ध करायेंगे लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे आज जब सोचेंगे बजट पढ़ेंगे तो क्या दिया है इसका कोई उत्तर नहीं है ।

आप यह घोषणा करते कि पर्वतीय क्षेत्र में जो 30 प्रतिशत सिंचित भूमि है उसे बढ़ाकर पूरे प्रदेश की भांति 50 प्रतिशत कर रहे हैं तो उनको खुशी होती । इसी तरह से बुन्देलखण्ड से आपके दल को सबसे ज्यादा सहारा मिला सबसे ज्यादा सदस्य वहां से आपके चुनकर आये आज उनको निराशा निश्चित हुई होगी । अगर वे सदन में नौकरी करने आये हैं तो बात दूसरी है लेकिन अगर जनप्रतिनिधित्व करने आये हैं तो कुंठा होगी और उस कुंठा को मिटाने के लिए आप किसी तरह से सक्षम नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जब आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो एक बार यह रिश्ता टूट भी जाता है । पिछली सरकार ने कई नयी योजनाएं स्वीकृत की थीं, आप विद्वान हैं आपकी सज्जनता पर कोई शक नहीं है, लेकिन यह जो आपने नीति परिवर्तन की है यह अच्छी परम्परा नहीं डाली है, जो पिछली सरकार ने स्वीकृतयां प्रदान की थीं उनको चालाकी से आपने रोक लिया उनका धन वापस ले लिया तो यह अच्छी परम्परा नहीं है । आपने जो स्वीकृति प्रदान करें जो योजनाएं स्वीकृति करें, सरकार यदि बदल जाये तो अगली सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह उसे पूरी करें । लेकिन अगर यही चला तो सरकार एक दूसरे के काम को पलटने में लगी रहेगी और जनता के विश्वास को धक्का लगेगा, और जो कल्याण प्रदेश का होने वाला होगा वह भी नहीं हो पायेगा । मान्यवर, इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि मैंने करैरजवा को चौड़ा करके और गहरा करके पानी बढ़ाने का प्रस्ताव किया था किन्तु आपने उसे रोक दिया और आज वह काम बंद है । इटावा जिले में इटहरी में थनैया नदी के पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और उसका शिलान्यास हो गया उसके खम्भे बनने शुरू हो गये मगर आज वहां पर मशीनें पड़ी हुई हैं, वह बंद पड़ी हैं, मजदूर वहां पर बेकार पड़े हुए हैं क्योंकि आपने वहां पर काम रोक दिया है और जनता में यह भ्रम पैदा हो गया है कि पुल का निर्माण होने वाला नहीं है और वह पुल इतना महत्वपूर्ण पुल था कि बरसात के दिनों में वह काम आता । मान्यवर, इसी तरह से बलिया में कुछ पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी ।

आपको पता है कि बलिया एक ऐसा जिला है जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है वहां पुलों के निर्माण की आवश्यकता है । आपको पता है कि वहेरा नाले पर गौरी-प्रसादपुर के बीच, वहेरा नाले पर चकवाउद्दीन एवं सिधौली के बीच, लकड़ा नाले पर रघुनाथपुर-गोपालपुर के बीच, लकड़ा नाले पर मठिया-उचेड़ा के बीच गरा नाले पर गोठवा एवं पलानी के बीच निर्माण होना था तथा तीन टयूबवैल

कोठऊपुर (ब्रह्मण पुरवा) सोनापाली, खडसरा में निर्माण होना था जिसकी स्वीकृति सरकार ने दी थी यह जनहित का कार्य था किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता के लिए, आपने उसे रोक दिया, आपका अपना विवेक है, आपका अधिकार है । हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहते हैं लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि इस तरह से अगर हम दल के दलदल में फंस गये तो इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है । मान्यवर, जहां तक पुराने कामों का सवाल है जो कार्य किये गये थे वह उसकी समीक्षा करके किये गये थे । जहां तक सिंचाई परियोजना की बात है आपने नहीं कहा, मैं इस आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इस समय 38 बड़ी सिंचाई परियोजनायें निर्माणाधीन हैं और यह परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं और वह इसलिए पूरी नहीं हो पायी क्योंकि आपकी जो सोच है वह उसे पूरा करने की नहीं है । आपको पता है कि इन सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए आज भी चार हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है और चार हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता को यदि पूरा कर देते और यह 38 बड़ी परियोजना पूरी हो जाती तो मैं समझता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के किसानों का उद्धार सही मायनों में कर पाते और माननीय ओम प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के किसान आपका चित्र अपने कमरे में टांगते और उसकी पूजा करते । लेकिन मान्यवर, आज आप कहां फंस गये, किसके चक्कर में फंस गये, चार हजार करोड़ की जगह आपने इन योजनाओं के लिए 322.55 करोड़ ही आवंटित किया अगर इस तरह से धीरे-धीरे धन फेंकते गये, तो कीमतें बढ़ती जायेंगी और काम पूरा नहीं होगा । इसका नतीजा यह होगा कि जो रुपया लग गया है, वह बेकार चला जायेगा । यदि इसी रफ्तार से काम होता रहा, तो यह योजनायें 12 वर्ष में भी पूरी नहीं होगीं, और 12 वर्ष बाद पता नहीं हम कहां होंगे, आप कहां होंगे । मैं चाहता था और मुझे ऐसा विश्वास था कि जो विद्वान लोग होते हैं, वह किसी की कभी परवाह नहीं करते हैं और हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी इन 38 परियोजनाओं के लिए निश्चित रूप से शासन पर दबाव डालेंगे और 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके ही छोड़ेंगे ताकि किसानों का उद्धार हो जाय । मुझे ऐसा लगता है कि सिंचाई मंत्री जी डर गये, पता नहीं क्यों डर गये । मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि यह पता नहीं, कितने दिन की कुर्सी है:-

निन्दन्तु नीति निपुणा यदिवास्तुवन्तु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ठम
अदयेव वा मरणमस्त्त युगांतरेवा,
न्यायातपथः बिचलन्तु पंद धीराः

आप धीर हैं, गम्भीर हैं, आप विद्वान हैं और आपको यह करके छोड़ना चाहिए था, यदि आप इसे पूरा करके दिखाते तो जनता इस प्रदेश की आपको फूलों से तौलती । आपने जो रणनीति अपनाई है, जो य पद्धति अपनाई है, उस हिसाब से इस क्षेत्र के किसानों का बंटाधार ही होना है और कुछ नहीं रामगंगा परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए लाभकारी है और इसके लिए बड़े जोर शोर से आप कह रहे थे, मैंने फैसला कर लिया, फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन आपके फैसले से हमको क्या मिला ? रामगंगा परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समझौते के बाद तय हुयी थी, अगर आप इसको पूरा नहीं करते तो बुन्देलखण्ड के जिन 5 जिलों को इसका लाभ मिलंना था, वह नहीं मिल पायेगा । मान्यवर, इसी तरह से बाणसागर परियोजना से जो जिले लाभान्वित होते, उसमें मिर्जापुर, सोनभद्र इलाहाबाद आदि थे लेकिन इस परियोजना का भी आपने कहीं इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया । आपको पता नहीं कहा कौन सी योजना है ? आप तो अधिकारियों के अनुशासन में पूरे फंसते चले गये, विकल्प और संकल्प में चले गये । ठीक है, कोई भी अध्यापक सबसे पहले अनुशासन रहता है, यह आपका पहला गुण हैं, मैं इसकी सराहना करता हूं । मैं चाहता हूं कि विभाग में अनुशासन रहे, सारे लोग जिस जगह पर हैं, सम्मानित रहें, इसी में हमारा आपका और जनता का भला है । मान्यवर, इसी तरह ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना है, जिसका निर्माण हो रहा है, यह अभी तक रुड़की से हरिद्वार तक पूरी नहीं हो पायी, मैं चाहता हूं कि इस योजना को आप किसी तरह पूरा करें । इसके लिए दो चीफ हो गये, मुख्यालय रुड़की में कर दिया गया, मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पता लगा है कि दो चीफ होने के बाद भी इसके काम में कोई सुधार नहीं आया । इसमें श्री आर0सी0 गोयल की प्रतिस्थापना की गयी, लेकिन मुझे बताया गया है कि उनके आने के बाद भी कोई कार्य में प्रगति नहीं हुयी, इसका कारण यह बताया गया कि अब तक कोई इस परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिससे कोई काम आगे बढ़ सके । मान्यवर, जिन अधिकारियों की ड्यूटी केवल इसीलिए लगाई जाती है कि उनकी देख-रेख में काम आगे बढ़े, अगर वहां इस तरह काम रुका है, तो मंत्री जी आप इसको व्यक्तिगत रूप से देखे और जो जानकारी मुझे इस सम्बन्ध में उपलब्ध है, वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

उदाहरण के तौर पर एक नदी पर एक पुल बनना था, सोलाली इक्वेडक्ट के जल से, इसकी लागत 14 करोड़, 62 लाख थी इसको 30 अप्रैल, 1992 को पूरा होना था, परन्तु पता चला है कि इस मुख्य अभियन्ता की वजह से इस योजना को पूरा होने में पांच साल लगेंगे । आज इसका कार्य रुका पड़ा है । इसका कारण यह है कि कोई सही निर्णय व सही दिशा उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है । जब उच्च अधिकारी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो निश्चित रूप से कार्य

की क्षमता पर उसका असर पड़ता है । जिस योजना की लागत 14 करोड़ 62 लाख थी, इस मुख्य अभियन्ता की वजह से उसकी लागत 28 करोड़ हो जायेगी । सिंचाई की सुविधायें जो किसानों के लिए जीवन दायिनी हैं, उनमें आज सिंचाई के अधिकारी रुकावट डाल रहे हैं । इसे आपको गम्भीरता से देखना होगा ।

श्रीमन्, सरयू नहर परियोजना का कार्य भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 20 वर्षों में यह योजना पूरी हो पायेगी । यह एक बहुत ही लाभकारी योना है । अगर सरयू नहर की परियोजना पूरी हो जाये तो पूर्वांचल के लोग इतने सुखी हो जायेंगे, कि आपको दुवायें देंगे । इसी तरह से, उदाहरण के तौर पर लखवाड़-व्यासी योजना है । इसे आपने जितना धन आवंटित करना चाहिए था, वह नहीं किया और भी योजनाएं हैं, जिनमें आपने धन कम दिया है । इस वर्ष विभिन्न योजनाओं में आपने जो धन आवंटित किया है, उसे आपको बताना चाहिये था । ताकि मुझे आलोचना का अवसर नहीं मिल पाता । लखवाड़-व्यासी योजना पर 1990-91 में 15 करोड़ 53 लाख रुपये का आवंटन किया गया था परन्तु इस बजट में आपने मात्र 9 करोड़ 94 लाख रुपये दिया है । अब सिंचाई कैसे होगी और सिंचन क्षमता कैसे बढ़ेगी ? राजघाट परियोजना में पिछले साल 12 करोड़ 90 लाख रुपये दिये गये थे, परन्तु इस वर्ष आपने 10 करोड़ 30 लाख रुपये दिये हैं । गंगा नहर की आधुनिकीकरण की योजना पर 1990-91 में 58 करोड़ 45 लाख रुपये दिये गये थे, इस वर्ष उस पर केवल 49 करोड़ 8 लाख रुपए दिया है । सारी योजनाओं में आपने कटौती की है । कटौती करने की आपकी मानसिकता नहीं थी परन्तु आपके वित्त मंत्री जी ने व माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपसे बिना पूछे सारी योजनाओं में कटौती कर दी ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप अपनीबात संक्षेप में कहें । और भी माननीय सदस्यों को बोलना है । आपको तो बाद में भी समय मिलेगा ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, अभी तो शुरू ही किया है । सभी योजनाओं के बारे में सदन जानना चाहता है । पूर्वी गंगा नहर पर पिछले बजट में 11 करोड़ 59 लाख रुपये रखे गये थे, परन्तु इस वर्ष आपने 7 करोड़ 95 लाख रुपये रखा है । यही हालत अन्य योजनाओं की है । टेहरी बांध देख लीजिए । टेहरी बांध का आपने नाम तक नहीं लिया । जब वह पूरा होगा तो पूरे वर्ष उससे किसानों को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी उससे खेती बढ़ेगी । किसानों की पैदावार बढ़ेगी तो उससे प्रदेश खुशहाल होगा । टेहरी बांध पर हमारी गाढ़ी कमाई का 7 सौ करोड़ रुपया खर्च हो गया और अब काम बंद हो गया है तो इस पर आपको विचार करना चाहिए ।

आपको प्रयास करना चाहिए भारत सरकार से बैठक करनी चाहिए थी ताकि इसमें जल्दी से काम हो । अगर यह काम होता तो आपके कार्यों की सराहना होती, सारे लोग आपका साथ देते । लेकिन उसक़ा जिक्र नहीं किया गया कि टेहरी बांध को कितनी धनराशि आवंटित की है । अभी पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि योजना आयोग ने निर्माण की मंजूरी दे दी है । अगर यह योजना बन गयी तो प्रदेश की तरक्की होगी । यह हमारे देश की सबसे बड़ी परियोजना है इससे बिजली और पानी मिलेगा । जो आज आप कहते हैं कि हमारे जलाशयों में पानी नहीं है तो टेहरी बांध के बन जाने पर आपको यह नहीं कहना पड़ेगा । चाहे कोई सिंचाई मंत्री होगा उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इस सम्बन्ध में कुछ पर्यावरण वालों ने कह दिया कि इससे भूकम्प आयेंगे तो उन मित्रों से कहें कि जहां भूकम्प आते हैं क्या वहां बांध नहीं बनाये जाते हैं । हमारे देश और प्रदेश के इंजीनियर इतने जागरूक हैं कि उसका ध्यान रखते हुए बांध का निर्माण कर देंगे । इसलिए जहां तक हो सके टेहरी बांध के निर्माण के लिए जी जान, प्राण प्रण से संकल्प करना चाहिए । इस तरह से हमारे बांधों को पूरा होने पर हमारी सिंचन क्षमता बढ़ेगी और उससे प्रदेश में खुशहाली आयेगी । पंजाब हमसे पीछे रह जायेगा क्योंकि हमारी भूमि उपजाऊ है ।

इसके अतिरिक्त पम्प नहर हैं, मैं उसमें कम जानकारी की बात नहीं करता हूं लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है कि पम्प नहर होती क्या है ? (व्यवधान) मैं बता रहा हूं कि पम्प नहरों पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन आज तक उन पम्प नहरों की क्षमता को हम पूरा नहीं कर पाये हैं उसका कारण यह है कि कुछ तो अधूरी पड़ी हैं और कुछ ठीक ढंग से चल रही पा रही हैं । आपको पता है नारायणपुर पम्न नहर, जमनियां पम्प नहर, बानो पम्प नहर, टांडा पम्प नगर, दोहरीघाट पम्प नहर और देवकली पम्प नहर यह सब पूर्वी क्षेत्र में हैं जो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहीं हैं । और इसलिए नहीं कर पा रही हैं कि मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी, आपके नियोजन की कमी है, आपके प्रबन्ध की कमी है, आपके कन्ट्रोल की कमी है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस दिशा में ध्यान दें और यह छोटे-छोटे पम्प नहर छोटे-छोटे किसानों के लिये वरदान हैं । जिन पम्प नहरों के लिए धन की जरूरत हो, जिसके लिए प्रबन्ध की जरूरत हो, जिसके लिए सामान की जरूरत हो,उसे वह मुहैया करायें जिससे अगले वर्ष यह पूरी क्षमता से चलें । खेतों में अधिक धन पैदा हो । मान्यवर, इसके अतिरिक्त भी और भी नहरें हैं परन्तु जैसा कि अधिष्ठात्री जी कह रही हैं, समय कम है । इसलिए सदन के सामने पूरी तरह से आ नहीं पाईं अगर आप रख देते तो बढ़िया होता । पम्प नहर की बात छोड़कर थोड़ी जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं, उनकी बात कर रहा हूं । दिलचस्प कहानी है, लघु सिंचाई योजनाओं की ।

नलकूपों के बारे में दो तरह के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं । विभाग द्वारा दिये गये आंकड़े कुछ हैं और सरकार द्वारा दिये गये आंकड़े कुछ और हैं । इसलिए मैं यह नहीं समझ सकता कि कौन से आंकड़े सही हैं और कौन से आंकड़े गलत हैं

जो माननीय मंत्री जी कह देंगे उन्हीं को मैं सही मान लूंगा । हो सकता है विभाग द्वारा गलती से यह आंकड़े गलत दे दिये गये होंगे । विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 150 नये नलकूपों का निर्माण और सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार 350-नये नलकूपों का निर्माण अब पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है । दोनों के लिखित आंकड़े हमारे पास आये अब माननीय मंत्री जी देख लें कि कौन से सही हैं आपके पास भी तो दोनों प्रकार के आंकड़े नहीं भेज दिये गये । हो सकता है भेजदिये गये होंगे । उत्तर प्रदेश में 27642 नलकूपों की संख्या है जो कि पूरे हिन्दुस्तान के नलकूपों की आधी संख्या है हिन्दुस्तान के आधे नलकूप हमारे उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन इनकी दुर्गति इनकी कार्य क्षमता, इनकी व्यवस्था, इनकी सिंचाई प्रणाली, इन सब पर दृष्टिपात करें तो बड़ी तकलीफ होगी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, 27,642 नलकूप, जो सारे भारत के नलकूपों की संख्या के आधे हैं, जिनकी लागत 1840 करोड़ रुपये है, जिनकी सिंचाई क्षमता 33 लाख, 49 हजार 520 हेक्टेयर है । दु:खद पहलू है कि 13,84,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचन कर पाते हैं । 41 प्रतिशत सींचते हैं । मान्यवर, आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं कि एक नलकूप पर सरकार एक वर्ष में 70 हजार रुपये व्यय करती है और सिंचाई का राजस्व केवल पांच हजार रुपये मिलता है ।

कितनी विडम्बना है, और यह विडम्बना इसलिए है कि यह नलकूप विभाग के लोगों की चरागाह बन गये हैं । एक नलकूप जो काश्तकार अपने खेत में लगाता है, हजारों रुपये राजस्व प्राप्त करता है लेकिन हमारे विभाग के लोग, जिनके लिए नलकूप चरागाह बन गये हैं । उनकी यह दुर्गति है कि 70 हजार रुपये साल में उन पर खर्च होता है । यह खर्च बनवाने का नहीं है । 70 हजार में से 12 हजार 500 विद्युत खर्च, 15 हजार रुपये वेतन, 7500 रुपये अनुरक्षण, 35 हजार रुपये अवमूल्यन पर खर्च होता है और राजस्व 5 हजार रुपये प्राप्त होता है । मान्यवर, इस प्रकार से प्रति वर्ष 178 करोड़, 75 लाख रुपये हानि हो रही है और अगर ब्याज शामिल कर लिया जाय तो 300 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है प्रति वर्ष । इसको कैसे रोका जाय । मैं समझता हूं कि इसको रोकने के लिए बहुत गम्भीर और कटु कदम उठाने पड़ेंगे । आपने जो किसानों को देने की बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यह नलकूप बनवाकर किसानों को दे दिये जायं और जिन लोगों के खेत उनकी सिंचाई में आते हैं उनके सुपुर्द कर दिये जायं । यह सब ठीक है लेकिन मैं इसमें एक संशोधन चाहता हूं । उस

टयूबवैल के रख-रखाव के लिए बजट होना चाहिए उसकी देख-रेख के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए साझे का काम कभी फलित नहीं होता है । परीक्षण के तौर पर 50 सौ नलकूपों को एक वर्ष के लिए देकर देख लें । अगर कार्यक्षमता थोड़ी बहुत बढ़ती हो, तो दें दे । किसानों को लाभ होना चाहिए । मान्यवर, 1975-76 में एक नलकूप एक हजार से तीन हजार घंटे चलता था । भाजपा सरकार के दो तरह के आंकड़े आएयेंगे । नलकूप विभाग कहता है कि एक नलकूप 24 घंटे औसत चलता है सरकारी कहती है कि एक नलकूप 24 घंटे में चार घंटे औसत चलता है पता नहीं क्या सही है । दोनों तरह के आंकड़े मेरे पास हैं । आप देखें 1975-76 में एक नलकूप तीन जार से चार हजार घंटे एक वर्ष से चलता था । अब एक वर्ष में 700 घंटे आप चलाते हैं । कैसे चलाते हैं महाराज आप धन्य हैं ? कैसे आप सिंचाई करेंगे ? कैसी ममतामयी यह सरकार है, कैसी यह ट्रांसपेरेन्ट सरकार है इसमें जैसा परदर्शीपन अपनाया है तो सिंचाई आप करा रहे हैं वह नलकूप अपने में निगल जाएंगे । मान्यवर, माननीय सदस्य शंकित हैं कि बिजली नहीं है नलकूप चलेंगे कैसे ? मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बिजली की आपूर्ति प्रति वर्ष 35 सौ घंटे हो रही है ।

(व्यवधान)

कर्मचारियों की उदासीनता के कारण किसान 20 प्रतिशत से ज्यादा इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है । जो उपयोग हो रहा है उससे 20 प्रतिशत ही लाभ हो रहा है । यह स्थिति इसलिए है कि नलकूपों का न अनुरक्षण हो रहा है न देखभाल हो रही है, न कन्ट्रोल हो रहा है । हमारे अधिकारी गांव में जाते हैं, अधिकारी गांव में जाते तो हें हम यह नहीं कहते कि गांव में नहीं जाते हैं, लेकिन गांव में कोई कार्य नहीं हो पाता है । किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पाता है । नलकूप कम हो रहे हैं । आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा के लिए जाते हैं । सन् 1977 में पहले एम0डी होते थे ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री बाबूराम यादव-

अरे मान्यवर, नलकूप बंद करा देंगे तो पानी कैसे मिलेगा । दो मुख्य अभियन्ता थे तो 34.4 प्रतिशत सिंचाई होती थी अब सात मुख्य अभियन्ता कन्ट्रोल के लिए हैं, अच्छे संचालन के लिए कर दिए गए हैं तो सिंचाई का प्रतिशत घटकर रह गया है 20.6 प्रतिशत । यह स्थिति है आपने नये नलकूप प्रस्तावित किए हैं। टेण्ट बनाने हैं । वर्ल्ड बैंक की जो टच स्कीम बनाने जा रहे हैं उसमें 18 फीट और पानी ऊंचा उठायेंगे और जब यह 18 फुट ऊंचा पानी उठायेंगे तो आप किसी अधिकारी से पूंछिये कि कितनी बिजली अधिक खर्च होगी । मैं संज्ञान में लाना

चाहता हूं कि 6594 मेगावाट बिजली प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होगी । आप हिसाब लगाकर देखें और अपने अधिकारियों के साथ बैठक करें कि इसका क्या परिणाम होगा। इतनी बिजली से 2 हजार घंटे तक नलकूप चलाये जा सकते हैं जो बेकार जा रही है । आप ओवर हेड टैंक जहां नहीं बनाते हैं वहां 4-5 लाख रुपया नलकूप पर खर्च होता है और इसकी लागत 7-8 लाख रुपये है । कभी आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बड़ी तेजी से नलकूप फेल होते जा रहे हैं । इसका कारण यह है कि नलकूप के स्थान का चयन मानक के अनुसार नहीं किया जाता है । पिछले साल 1750 नलकूप फेल हुए हैं । यदि नलकूप लगाया जाता है और फेल हो जाता है तो जिस अधिकारी ने वह स्थल चयन किया है उसका उत्तरदायित्व फिकस होना चाहिए । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपके नलकूप के गोदाम हैं उसमें लगभग 35 करोड़ रुपये का समान फालतू पड़ा है । इसी तरह से 25 करोड़ रुपये का सामान फालतू पड़ा है । इसी तरह से 25 करोड़ रुपये की गाड़ियां और मशीनें खराब पड़ी हैं जिनका नीलाम नहीं हो रहा है । एक तरफ आप कहते हैं कि संशाधनों की कमी है, आप इस फालतू सामानों को नीलाम करिये और उस पैसे का उपयोग सिंचाई में लगायें.तो अच्छी बात होगी । मान्यवर, सी0 सी0ए0 की धनराशि है, इसके अंतर्गत जो पद सृजित किये गये हैं जूनियर इंजीनियर्स के वह भर नहीं पाये हैं । अधिकारियों ने लाखों रुपयों को वापस नहीं किया है । मेरे पास 11-12 लोगों की सूची है । इस धनराशि के फर्जी वाउचर बना लिये गये हैं और यह धनराशि वह लोग भुना लेगें और अपने उपयोग में लायेंगे । आप इसकी जांच करा लीजिए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इसको लिखकर भेज दीजियेगा ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, सबसे बड़ी विभीषिका बाढ़ की है । आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पूर्वांचल बाढ़ से प्रभावित होता है । मध्य क्षेत्र बाढ़ से कम प्रभावित होता है । मंत्री जी ने बाढ़ के बारे में कुछ नहीं कहा, बहुत सी चीजों को छिपाया है। बरसात में नदियों के पानी से गांव के गांव कट जाते हैं । जो माननीय सदस्य पूर्वांचल से आते हैं वह जानते होंगे । गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, गोंडा, बहराइच आदि जिले नदियों की चपेट में है । जब नदियों में बाढ़ आती है तो गांव के गांव पानी से कट जाते हैं ।

जो पत्थर के बोल्डर की बात कही, हल्की बात कह दी, किस अधिकारी ने लिख कर दिया है । बहुत हल्का भाषण लिखकर दिया । मई में आदेश ये तो शुरू से आदेश हैं कि बाढ़ के लिए पत्थर मई में खरीदे जाने चाहिए, अगर नहीं खरीदे गये तो सजा दी जायगी । पहले से आदेश हैं, हमसे भी पहले से आदेश हैं । मैं आपसे बाढ़ के लिए कहना चाहूंगा कि जिन नदियों में कटान होती है, गांव नदी के किनारे हैं, उपजाऊ जमीन को नदी काटती है, पूरा सर्वे पूर्वांचल का करावें और उसके बाद नदियों के पानी को जोड़ा जा सकता है और उनके किनारे के गांवों में स्थायी व्यवस्था की जा सकती है कि नदियां न काटें । यह तभी सम्भव है जबकि एक दूसरे से पानी को जोड़कर सारा सर्वे करके, जल निकासी की व्यवस्था करके कटान के स्थान को मजबूत पत्थर से रोका जायगा, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है । अधिकारी करते यह हैं कि इस साल इधर कटान हुई तो इधर बांध देंगे और दूसरे साल उधर कटा तो उधर बांध देंगे ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय यादव जी समाप्त कीजिए ।

श्री बाबू राम यादव-

माननीय, मैं तो गुप्ता को बधाई दूंगा कि आपको खूब बैठा दिया है । माननीय गुप्ता जी को बधाई दूंगा कि सही समय पर बैठा दिया ।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त कीजिए ।

श्री बाबू राम यादव-

मैं केवल यही कहूंगा कि बाढ़ की समस्या नहीं है । उसमें जन, धन और सम्पत्ति का सारा विनाश होता है । उसके लिए राहत कार्य पर सरकार का पैसा खर्च होता है और उसमें तमाम खामियां होती हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि निश्चित प्लान बनावें । आप प्लान की बात कह रहे थे, बाढ़ के लिए बनावें ? पूर्वांचल के लिए ऐसा प्लान बनावें कि कटान वाली नदियों को जोड़ा जाय जो होशियार अभियन्तागण हैं, उनको भेजें । जहां कटान की संभावना, उनको मजबूत पत्थर से जोड़ दें ताकि गांव के गांव बच जायं और इसके साथ-साथ आपके बाद फिर थोड़ा सा समय मिलेगा । मैं यह बात कह कर समाप्त करता हूं, मुझे उम्मीद है कि जो भी विश्वास आपने व्यक्त किया है कि आप निश्चित रूप से इस से इस विभाग की अच्छे ढंग से चलाकर किसानों का हित करने में पूरी तरह से लगेंगे और नयी योजनाएं प्रारम्भ करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी से कह कर सिंचाई में और धन लेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। आगे फिर कहूंगा ।

श्री नन्द किशोर मिश्रा-

श्रीमन्, आपने मुझे इस आदरणीय सदन में बोलने और अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से प्रदेश के 80 फीसदी किसानों के लिए जन कल्याणकारी और प्रदेश में कृषि सिंचन क्षमता को सृजित करने के उद्देश्य से और साथ ही बाढ़ और सूखे जैसी विभीषिका से प्रदेश को उबारने में और जो विभाग में बहुत पहले से व्याप्त भ्रष्टाचार जो हुआ करता था, उसमें कमी लाने के लिए जो प्रशासनिक सुधार नियोजित किया है, वह सराहनीय और स्वागत योग्य है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन के समक्ष पिछले 45 वर्षों के अन्दर जो इस विशाल प्रदेश की कृषि योग्य भूमि को सिंचित क्षमता सृजित करने का काम 69,150 किलोमीटर लम्बी नहरों और 27,642 नलकूपों एवं निजी साधनों के माध्यम से जो मात्र इन 45 वर्षों में किसी तरह से 50 प्रतिशत सिंचाई की क्षमता किया गया है, वह और अधिक होनी चाहिए थी । माननीय मंत्री जी ने जो इस बजट में प्राविधान किया है कि 92 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त की भूमि इस वर्ष भी उनकी सिंचित क्षमता सृजित की जायगी, यह निश्चित ही एक सराहनीय कदम है । स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए जो जिले की सिंचाई बंधों की समितियां गठित की गयी हैं, दीन दयाल सिंचाई योजना, निराश्रित विधवाओं के लिए 5 एकड़ नि:शुल्क सिंचाई की सुविधा यह निश्चित ही कल्याणकारी कदम हैं और सराहनीय कदम हैं ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, जनपद देवरिया जो प्रदेश की सबसे पिछड़ा जिला है, बाढ़ की विभीषिका से हमेशा त्रस्त रहा करता है । आज भी जनपद देवरिया का 22 प्रतिशत ऐसा भू भाग है जो बाढ़ की विभिीषिका से त्रस्त रहा करता है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जनपद देवरिया की बाढ़ विभीषिका से बचाने के लिए निश्चित रूप से कोई मास्टर प्लान बनाई जाय । मान्यवर, जनपद देवरिया गण्डक नदी के ऊपर 16 किलोमीटर लम्बा ए0पी0 तटबंध जो विगत अगस्त माह में टूट गया था, उसका शीघ्रातिशीघ्र निर्माण होना चाहिए, वरना जनपद के 70 गांव नदी के चपेट में आ जायेंगे । 30 मई तक नदी में पानी आ जाता है, उसके पूर्व इसका निर्माण हो जाना चाहिए । यह बांध 1100 मीटर यह टूटा हुआ है पूरा नदी का पेटा, इस 1100 मीटर के अन्दर आ गया है । मान्यवर, जल रसाव एवं नहरों के सीपेज के कारण प्रदेश की लगभग 40 हेक्टेयर भूमि की फसल प्रभावित हुआ करती है, इसके लिए कच्ची नहरों को पक्की नहरों में परिवर्तित करना चाहिए तथा रख-रखाव की व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिए । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चखनी ताल के जल रसाव से 10 हजार एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो जाय करती है, एक

ड्रेन निकाल कर इस जल रसाव को बचाया जा सकता है । मान्यवर, विगत 7 वर्षों से विभाग अप्रोच रोड देदही अमवां खाश धन के अभाव से अधूरी पड़ी हुई है, उक्त सड़क पर ।।.58 लाख रुपये विभाग का खर्च भी हो चुका है, एक पुल जिसका नीचे का पिलर भी बनचुका है, धनाभाव के कारण कार्य रुका हुआ है । उक्त सड़क बाढ़ नियंत्रण और गण्डक के तटबंधों के रख-रखाव तथा जंगल पार्टी के अपराधिक गिरोहों के आतंक से लगभग एक लाख जनता को बचाने और उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय बाबू राम यादव जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, बड़े ध्यान से मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी के भाषण को सुना । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से सिंचाई में सुधार की बात कही और उन्होंने 92 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करने

(7 बजकर 45 मिनट)

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने सिंचाई विभाग के बजट को कम कर दिया है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह सिंचाई क्षमता का सृजन करेंगे तो यह कैसे संभव है, मेरी समझ में नहीं आता है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा और अनुशासन का कड़ाई के साथ पालन किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऊपर के सुधार हो, तो नीचे सुधार अपने आप हो जायेगा । मैं बताना चाहता हूं कि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी सिंचाई विभाग इस तरह का है कि उसको जाकर देखें तो मालूम हो जायेगा कि उनके प्रयास सफल नहीं हुए हैं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सिंचाई बन्धुओं की बात कही है मान्यवर मैं उनकी दो तीन मीटिंग में गया हूं वहां पर क्या होता है, जो सुझाव किसानों द्वारा रखे जाते हैं उन पर अमन नहीं किया जाता है, जिससे कोई भी किसान उस मीटिंग में नहीं जाता है और वह अपने आप समाप्त हो गयी हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पौसरा, हरगंवा और जहांगीरगंज रजबहे हैं म मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौसरा रजबहा के किनारे मेरा गांव पड़ता है, वह टेल पर पड़ता है, वहां पर कभी नहर का पानी गया ही नहीं है और इस कारण सिंचाई के लिए लोगों को अपना निजी साधन बनाना पड़ा है ओर दोहरा खर्च करना पड़ा है । हरगंवा रजबहा में पानी की ही नहीं जाता है और जहांगीरगंज रजबहे में भी पानी नहीं जाता है । मान्यवर, टांडा पम्प कैनाल है । यहां पर जो जे0ई0 है वह 60 किलोमीटर दूर फैजाबाद में रहता है । अभी तक आप यहां के लिए कोई पूर्ण कालिक जे0ई0 नहीं नियुक्त कर पाये हैं, जिसके कारण मशीनों का रख-रखाव ठीक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्रकार से नहीं हो रहा है । मान्यवर, टांडा पम्प कैनाल से लगा हुआ लड़नपुर माइनर है, उसकी पटरी 15 दिनों से टूटी पड़ी है काफी लिखने के बाद भी वह ठीक नहीं हुई है । जब वह टूट गयी, तो पानी बंद नहीं किया गया, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो गया है । इसी तरह से महरीपुर कैनाल है वह साल में दो बार टूट गयी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसमें सुधार लाने की आश्यकता है । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं बरेली जनपद से चुनकर आया हूं । मेरे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं है । मेरे क्षेत्र में बल्ली रेगुलेटर है, जो 40 वर्ष पहले टूट गया था लेकिन उसका पुनः निर्माण नहीं कराया गया था जिसका निर्माण कार्य जनहित में परम आवश्यक है । जिसका निर्माण कार्य कराया जाना परमावश्यक है । मेरे कांवर निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी की बाढ़ से मीरगंज ब्लाक के काफी गांव प्रभावित होते हैं-तातारपुर, गोरालोकनाथपुर, मोहम्मदगंज, अम्बरपुर, नटखेड़ा, गूला ववाकौली तथा इटौवा मुख्य रूप से हैं । मेरा निवेदन है कि बाढ़ की विभीषिका से बचने हेतु नदी के मख्य-मुख्य स्थानों पर बोल्डर की ठोकरें, बनवाने की व्यवसथा की जाय ।

उक्त बिन्दुओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत विकासोन्मुखी तथा जनसामान्य के लिए नयी दिशा देने वाले बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं । जय श्री राम ।

श्री हरिशंकर तिवारी-

माननीय उपाध्यक्ष, आज सिंचाई के बजट पर मैं माननीय मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था । मान्यवर, जल ही जीवन है और वह जीवन हमारे किसान के बेटे सिंचाई मंत्री के हाथों में केन्द्रित है । लेकिन यह देखकर निराशा हुई कि जब उसका परिव्यय देखा गया । मान्यवर, प्रत्येक वर्ष से घटाकर इस बार सिंचाई विभाग का परिव्यय लक्षित किया गया । जहां ग्रामोन्मुखी बजट बनाया गया किसान जिसका पानी के बिना जीवन असम्भव है उस विभाग के बजट को कम कर दिया है । मैं सिर्फ पूर्वांचल के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के द्वारा पूर्वांचल के सिंचाई विकास का

अध्ययन कराया गया था उन बिन्दुओं की तरफ आप ध्यान दें और अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि पूर्वांचल की सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में वरीयता दें । मान्यवर, जो अध्ययन कराया गया था उसमें यह पाया गया कि पूर्वांचल की 13.8. प्रतिशत भूमि ऊसर है । यदि इन योजनाओं को दलित निराश्रित महिलाओं को भूमि सींचने की बात की गयी उसको न कह करके आम लोगों की बात कही जाती तो इससे निराश्रित दलित और सभी लोग लाभान्वित होते । और इतने ही पैसे में सभी लोग लाभान्वित होते और इससे अधिक उपज भी प्रापत कर सकते थे तथा कृषि योग्य भूमि अधिक उपलब्ध होगी ।

इसी तरह से मान्यवर, मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पूर्वांचल में वाटर लागिंग सबसे अधिक होता है जिसकी वजह से 38 प्रतिशत उत्पादन क्षमता कम हो जाती है । अगर निजी क्षेत्रों में नलकूप लगायें जायं तो उसकी लागत भी कम आयेगी और उसका लाभ भी किसानों को ज्यादा मिलेगा जिससे धान और गेहूं की पैदावार बढ़ेगी । अगर सारी सुविधाएं मिल जायं तो अकेले पूर्वांचल ही देश को खाद्यन्न समस्य से मुक्त करा सकता है । मानयवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में राप्ती, घाघरा नदी में बहती है जिससे प्रत्येक वर्ष दर्जनों गांव नदी के जल में विलीन हो जाते हैं । मान्यवर, इसका सिंचाई लाभ तो पश्मिाचंल को मिलता है और अन्य सूबों को मिलता है और नुकसान पूर्वांचल का होता है । मान्यवर, इसमें मुझे द्वेश नहीं है लेकिन इसे आप देखें कि पूर्वांचल के इन नदियों का सिर्फ अभिरूप ही न मिले । माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात है कि इस विभाग में धनाभाव है और में यह जानकारी देना चाहता हूं कि डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग होती है, उसमें हर विभाग के अधिकारी होते हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं उनका चयन किया जाता है । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ जनहित के काम चयनित किये गये और धन आवंटित किया गया लेकिन आपके विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने टी0ए0सी0 का बहाना लगाकर व्यवधान पैदा किया और वे काम रोक दिये गये । इसलिए मेरी मांग है कि सेमरानवलपुर, आछीडीह, मोहनपैहरिया बांध को जनहित में तत्काल पूरा कराया जाय । ग्राम नरहरपुर, जैतपुर ठोकर नं0 मोहनपैहरिया, आछीडीह, नवलपुर, खुटभापुर, असुवनापार गरियाकोल, कोलकेशव, भेड़ी, कोठा में बाढ़ से सुरक्षा का काम तत्काल लिया जाय । जो धन आवंटित है डी0आर0डी0ए0 के द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का पत्र भी गया है, उस पर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे जनहित में तत्काल इस काम को पूरा करें ।

वर्षा के पहले अगर यह काम नहीं शुरू किया गया तो दर्जनों गांव बाढ़ में विलीन हो जायेंगे । हमारे विधान सभा क्षेत्र के दिस्तौलिया, मोनपैहरिया, आछीडीह, बल्थर, सरयापुर, भेड़ी, नेवादा आदि गांव नदी की धार में विलीन हो गये । उनका अस्तित्व समाप्त हो जायगा । इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन योजनाओं के ऊपर धन आवंटित है, उनको वरीयता के आधार पर करायें । कोली की जो पम्प कैनाल बन रही है, जो हमारे क्षेत्र से होकर जाती है, वह अव्यवहारिक योजना है, उससे कम धन में निजी नलकूप लगाये जायं तो उससे अधिक सुविधा मिल सकती है । पूर्वांचल में छोटी-छोटी जोते हैं परिव्यय अधिक होता है, प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है, लाभ कम होता है । अगर निजी नलकूपों को वरीयता दें तो वहां के लोगों को अधिक लाभ हो सकता है । पूर्वांचल धान और गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर देश की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर सकता है । इसी के साथ मैं श्री बाबू राम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बोलने का मौका दिया । मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी के भाषण को सुना । ऐसा लगा कि बजट में एक नयी दिशा एक नयी सोच मिली और सुधार के कार्यक्रम को महत्व दिया गया । दीन दयाल सिंचाई योजना के अन्तर्गत अनेक ठोस कार्यक्रम रखे गये । जिस जनपद में सिंचाई की योजना रखी गयी, प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को अधिकारी जनप्रतिनिधि बैठते हैं और समस्याओं का समाधान करते हें । जिन महिलाओं के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उनको नि:शुल्क सिंचाई की सुविधा दी गयी, हरिजन बाहुल्य ग्राम में टयूबवैल लगाने की सुविधा दी गयी । सौ ब्लाकों को चुना गया, जिनमें पानी की व्यवस्था की गयी । क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं । उत्तरांचल में अनेक नदियां बहती हैं, लेकिन हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं । वहां पर एशिया का सबसे बड़ा टिहरी बांध बन रहा है । टिहरी बांध का निर्माण होना चाहिए बसारवायां तथा राय परियोजना टिहरी बांध का निर्माण तुरन्त होना चाहिए । उत्तरांचल में पाइपों द्वारा नहीं बनाना लाभदायक है । श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का कार्य पूरा किया जाना चाहिए । ठीक उसी तरह से श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का कार्य चल रहा है मगर धनाभाव के कारण श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का कार्य सुचारु गति से नहीं हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय ताकि कार्य जल्दी पूरा किया जा सके और बिजली व सिंचाई की सुविधा लोगों को मिल सके । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राय परियोजना लस्कर वायां यह दो महत्वपूर्ण सिंचाई नहरें हैं इनका निर्माण होना चाहिए । मान्यवर, हमारे यहां वन संरक्षण अधिनियम के कारण हमारे उत्तरांचल में नहरों का निर्माण नहीं हो पाता है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मेरा अनुरोध है कि इस वन संरक्षण अधिनियम में ढील देनी चाहिए और उत्तरांचल में वृहद् सिंचाई की योजनायें बनायी जानी चाहिए ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मंत्री जी ने जब बजट भाषण प्रस्तुत किया तो ऐसा लगता था कि कोई तंत्र-मंत्र की बात वह कर रहे थे । मैं उनकी पूरी बात सुन नहीं पाया लेकिन जो उनका अभिप्राय था वह शायद यह था कि इस तंत्र के पास कोई मंत्र है, मंत्र पढ़ा नहीं कि समस्या का समाधान हुआ नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों में चले जाइयेगा तो बंदगोभी के पत्ते-पत्ते ही निकलते जायेंगे किसी मंत्र के पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि समस्याओं का समाधान हो जाय । तंत्र यह बैठा हुआ है मंत्रावह बैठा हुआ है । तत्र-मंत्र यह कभी भी एक जगह नहीं आने वाले हैं, बड़ी भ्रांति है आपके मन । आपने कहा कि फलों की सिंचाई बढ़ गयी क्षेत्रफल बढ़ गया आपने आंकड़े देकर बताया कि 1.35 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई बढ़ गयी । उधर बैठा हुआ जो मंत्री है इस मंत्री के पास ऐसी शक्ति है कि एक बीघा जमीन को एक हजार बीघा दिखा सकता है जो भ्रांति पैदा की जाती है सींच दिखाकर कि इतने हेक्टेयर में इतनी शक्ति इस प्रदेश में है अगर है और अगर सिंचाई बढ़ गयी तो उसका कारण इस साल नहरों में पानी अधिक आ गया और उसका एक कारण यह भी था कि पूरे प्रदेश के अंदर गेहूं की बुवाई बहुत कम हुई, तीन चौथाई भूमि में सरसों बोया गया । एक बीघा गेहूं का मतलब तीन बीघा सरसों होता है । तो यह एक ही जगह तीन हो गया । तो यह जिंस परिवर्तन कहा जाता है ।इसलिए यह जो 1.35 लाख हैक्टेयर सींच की बात करते हैं वह फर्जी है । दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, मैं केवल मोटी-मोटी बातों को आपके सामने रखूंगा, वह कटिंग की बात है । मेरे क्षेत्र में रजबाहों में 10 किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर में 65 कटिंग मुझे मिली । सिंचाई बन्धुओं की मीटिंग हुई तो मैंने आंकड़े देकर पूछा कि कटिंग की क्या स्थिति रही तो बताया गया कि पूरे जिले में दो कटिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई और वह भी बाइचांस तो कौन रोक रहा है कटिंग को ? मैं कहना चाहता हूं कि यह एक नियोजित ढंग से करायी जाती है । एक पुरानी कहावत है कि नहरों के दो दुश्मन होते हैं एक भैंस और एक पतरौल । भैंस पानी में लोटकर पानी का बहाव परिवर्तित कर देती है और वही काम पतरौल भी करता है । इन दोनों में कोई नियंत्रण नहीं है । मान्यवर, हमारे जिले में सिंचाई बन्धुओं की दो बैठकें हुई हैं जब दूसरी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो पहले हुई बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर विचार करना प्रारम्भ किया गया तो मालूम हुआ कि सब कुछ शून्य था और इसके मिनट्स भी फर्जी ढंग से लिखे

गये गये थे । मान्यवर, आपने एक बात कही कि दीन दयाल योजना के नाम से एक योजना चलायी जा रही है ...

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यदि (× × ×) मेरे बोलने से चिढ़ है तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अभी और माननीय सदस्यों को भी बोलना है इसलिए जल्दी समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, इस योजना के बारे में हमने मालूम किया, इसके आंकड़े देखें पहले ठेकेदार इंजीनियर के पास मांगने के लिए आते थे लेकिन अब तो यह है कि ये चुपचाप वहां जाकर पैसा ले आते हैं और उसके बाद और लाते हैं तो इसकी जांच करवा लें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जिंस की बात कही, हम आभारी हैं उस इंजीयिर के जिसने आगरा नहर की योजना दी है उसे इस रूप में किया है कि आज तक उसके अन्दर एक भी खराबी नहीं लगी और आज भी वैसे ही वह काम कर रही है । मान्यवर, आज आप पुलिया बनाते, पुल बनाते, पुलावा बनाते लेकिन आज आप इनको बनाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं । दूसरी बात इन्होंने नियोजन की कही मान्यवर, मैंने कहा था कि तंत्र इधर बैठा है और मंत्री उधर बैठा है तो जब तक नियोजन से पैसा नहीं प्राप्त होगा कैसे यह पूरा हो सकता है ? मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक योजना है तो 1985 में पूरी होनी थी उसमें जो ईंट आयी तो कोयला आया, वह खा लिया गया, आज तक वहां कोई इंजीनियर देखने नहीं आया, जो योजना 1985 में पूरी होनी थी, वह आज 1992 तक केवल 30 प्रतिशत ही पूरी हो पाई तोइस प्रकार इन सारी योजनाओं की स्थिति है, मैं अन्तिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, (× × ×) तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप समय भी ज्यादा लेते जा रहे हैं और लांछन भी लगाते जा रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पानी के बंटवारे का

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मामला है । मान्यवर, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के पानी का बहुत बड़ा भाग हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को जा रहा है, अगर आपने हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इससे मुक्ति नहीं दिलाई तो फिर कोई लाभ नहीं मिल पायेगा । इसी तरह से लखवाड़ बांध का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपका समय काफी हो गया है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप लखवाड़ बांध के लिए ध्यान केन्द्रित करें और जो खारे पानी की परियोजना है उसके उस बांध के बनने से पहले पूरा कर लें, तभी आपको सही लाभ मिल सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

राणा जी, अब समाप्त करें, समय काफी हो गया है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप दिखवा लें । मान्यवर, अब नलकूपों की बात आती है, नलकूपों की यह स्थिति है कि गांवों में नलकूपों का चलाने वाला लठैतों को चाभी देकर सोता है, यदि आप इसे पंचों को सौंप देगें तो गांव का जो आदमी ताकतवर है, वह उसको अपना प्राइवेट बना लेगा । इसलिए आप निर्णय चाहे जो लेने जा रहे हों, लेकिन मेरा परामर्श है, कि आप इस तरह का फैसला मत लें और यदि आप ऐसा करते हैं तो नलकूप एक आदमी बनकर रह जायेगा, प्राइवेट प्रापर्टी हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा-

अच्छा मान्यवर, समाप्त करता हूं, अन्त में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप (देवरिया)-

मान्यवर, पिछले 44 वर्षों से बिगड़ी व्यवस्था को हमारे कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में गठित सरकार ने कल्याणकारी करने का संकल्प लिया है और इसी के तहत हमारे माननीय सिंचाई मंत्री ने 402.90 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट प्रस्तुत किया है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा रखे गये कुल बजट का 12 प्रतिशत है, मैं इस पर बल देता हूं, स्वागत करता हूं और जो नारा दिया गया था गांव-गरीब किसान, झुग्गी-झोपड़ी के इंसान, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के अनुरूप यह बजट है । सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है अवश्य ही वह स्वागत करने योग्य है । आप जानते हैं कि इसके पहले जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री सिंचाई मंत्री थे, वह इस विभाग को जबरदस्ती अपने पास रखा करते थे और जो

इतने कम समय में मुझे जानकारी प्राप्त हुयी, उसके अनुसार वह सिंचाई विभाग के पैसे का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए किया करते थे और इस तरह से विभाग के बजट का दुरुपयोग करने की छूट दी जाती थी आज वह दुरुपयोग कम हुआ है। उस जमाने का 72 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के 12 प्रतिशत के बराबर है। नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का जो संकल्प लिया है, उसमें काफी सुधार हुआ है। गोरखपुर कमिशनरी के बारे में मैंने भी एक शिकायत माननीय मंत्री जी से की थी। मुख्य अभियन्ता, गंडक के बारे में मैंने शिकायत की थी कि इसमें 5 करोड़, रुपये का घोटाला हुआ है इसके लिए मैंने तमाम प्रामण भी दिये थे। जिसके कारण काफी संख्या में लोग निलम्बित भी हुए हैं। इसलिए जिन नहरों का दौरा पतरौल नहीं करता था, आज उन नहरों का दौरा अधिशासी अभियन्ता कर रहा है। कुछ बिन्दु ऐसे हैं, जिनकी तरफ मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन् देवरिया, बलिया, आजमगढ़, बस्ती आदि ऐसे कई जनपर हैं, जो राप्ती ग्वाना, छोटी गंडक, बड़ी गण्डक, बूढ़ी गंडक आदि नदियों से घिरी रहती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है।

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने गण्डक परियोजना के कार्य को जून, 1992 तक समाप्त करने के लिए कहा है। उसके लिए 8 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। हमने भी देवरिया में इस बात का प्रयास किया कि गण्डक परियोजना के तहत जो विभिन्न कार्यालय वहां चल रहे हैं, उसमें कौन-कौन सी योजनायें शामिल हैं। परन्तु हमें इसका पता नहीं चल पाया। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस योजना की अवधि को बढ़ाये और कुछ बजट भी इसका बढ़ा दें ताकि जो छोटी-छोटी नहरें हैं, जहां पानी नहीं जा रहा है, उनकी सफाई करके उसमें पानी जा सके। इसलिए मंत्री जी इस योजना को इस ढंग से समाप्त करें ताकि 10 वर्षों तक उसमें कोई पैसा व्यय न करना पड़े। गांवों और सड़कों की सुरक्षा की बात है। आज 65 गांव ऐसे हैं, जो छोटी गण्डक के कारण टूटकर बाढ़ से प्रभावित हैं।

एक व्यवस्था सरकार ने की है कि जो गांव कटान की स्थिति में हैं, उन्हें अलग से बसा दिया जाय। मान्यवर, यह बड़ा विवादित मसला है। वहां घर बनाने को तो जमीन नहीं है तो गांव कैसे बसायें जा सकेंगे इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे गांव जो नदी के कटान के कगार पर हैं वहां पर ठोकरें बनाने की व्यवस्था की जाय।

श्रीमन् ट्यूबवेलों की स्थिति बहुत ही खराब है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर नये ट्यूबवेल न लगा पाये तो जो टयूबवेलों की नालियां ध्वस्त हो गई हैं, उनकी मरम्मत करा दी जाय और उनके लिए कुछ अधिक बजट स्वीकृत किया जाय। नलकूप निगम द्वारा जो नलकूप प्रस्तावित हैं, उनमें कटौती न की जाय

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री भरत सिंह -

मान्यवर, अभी कुछ देर पहले माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई । मैंने इस बजट की पुस्तक को पूरा पढ़ा परन्तु पूर्वांचल जो कि सबसे पिछड़ा है और उसमें भी बलिया जो सबसे पिछड़ा है, उसके उत्थान के बारे में कोई जिक्र नहीं है । बलिया जनपद गंगा और सरयू दो नदियों के बीच में घिरा हुआ है । इस इलाके को सिंचाई की ज्यादा जरूरत है । उस इलाके के रहने वाले लोग बाढ़ से घिरे रहते हैं और साथ ही गंगा और सरयू के कटान से उन्हें बचाने के लिए माननीय मंत्री जी ने कोई उल्लेख इसमें नहीं किया है । केवल द्वाबा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है, जहां गंगा के कटान से हर साल हजारों मकान गिर जाते हैं । हजारों एकड़ जमीन हर साल कट जाती है तो माननीय मंत्री जी ने गंगा कटान से बलिया जनपद के बचाव का कोई जिक्र नहीं किया ।

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक तरफ बलिया देश की आजादी में सबसे अगुआ रहा है और माननीय जय प्रकाश नारायण जी ने पूरे हिन्दुस्तार के नौजवानों को नयी दिशा देने का काम किया और समग्र क्रान्ति की । तो ऐसे लोक नायक जय प्रकाश जी की तपोभूमि गंगा के कटान से खतरा पैदा हो गया है । मैंने पहले भी सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि जय प्रकाश नगर और उससे लगने वाले गांव गंगा के कटान से कट रहे हैं । इस वर्ष बरसात में टिपरी गांव संसारटोला गांव कट जायेंगे और जहां पर जय प्रकाश जी का स्मारक बना हुआ है, वह एक दर्शनीय स्थल है वह कट जायेगा । 31 अगस्त को माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बनारस में पूर्वांचल के सारे इंजीनियरों की मीटिंग की थी और सिंचाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि लोक नायक जय प्रकाश जी की तपोभूमि को बचाया जायेगा । पिछली सरकार ने इसके लिए जय प्रकाश नगर और संसारटोला, भवन टोला, टिपरी गांव के लिए । करोड़ 20 लाख का प्रोजैक्ट बनाया था उसके लिए कोई रिंग बांध बनेगा और लगभग डेढ़ करोड़ का प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने विशेष रुचि लेकर बनाया है लेकिन उसका इस बजट में उल्लेख नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष -

अब आप समाप्त करें ।

श्री भरत सिंह -

मान्यवर, दो मिनट धैर्य से सुनने की कृपा करें । बलिया जनपद के किसानों के विकास के लिए एक विकास गोष्ठी हुई थी जिसमें हिन्दुस्तान के अनुभवी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इंजीनियर आये थे उन्होंने कहा था कि बाढ़ से बचाने के लिए जो बांध है और उसके अंदर जो बाढ़ आती है उसका कारण यह है कि बांध का नहाना बंद कर दिया जाता है जिससे किसानों की भूमि पानी में डूब जाती है और फसल तबाह हो जाती है । उसके लिए एक योजना बनी थी ड्रेनेज से जोड़कर पम्प लगाय जायं । लेकिन उसके बारे में भी कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री भरत सिंह-

पानी के सही बंटवारे की बात है । मेरा द्वाबा क्षेत्र जो गंगा सरजू से घिरा हुआ है वहां कोई नहर नहीं है जिससे किसानों के जमीन की सुरक्षा हो सके । इस पर भी सिंचाई मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला है । मेरा आग्रह है कि वहां कलस्टर टयूबवैल योजना चलाई जाय । इन शब्दों के साथ मैं बाबू राम यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । एक शब्द में और कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब हो गया, समर्थन हो गया है ।

*श्री श्रीराम-

मान्यवर, सिंचाई बजट पर माननीय बाबू राम यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, चाहे समूचे प्रदेश का बजट रहा हो या यह सिंचाई बजट । बुन्देलखण्ड के पांच जिलों की जिस तरह से विगत सरकारें उपेक्षा करती रहीं हैं इसी तरह से इस सरकार ने भी रवैया नहीं बदला है । बुन्देलखण्ड के जनपद जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर इन जिलों में सिंचाई की स्थिति बहुत खराब है । अगर इसका निदान यह सरकार थोड़ा ही खोज ले तो यह पांच जिले प्रदेश में बहुत ही आगे विकास के कार्य में गिने जायेंगे । बुन्देलखण्ड में सिंचाई के लिए एक मात्र माताटीला बांध है जो लगभग 100 वर्ष पुराना बना हुआ है । साल दर साल मिट्टी की परत जमा होते जाने के कारण सिंचाई की क्षमता भी कम हो गयी है और इसी के द्वारा बबीना मिलटरी के लिए पेयजल दिया जाता है सिंचाई क्षमता कम होने के कारण और पेयजल की आपूर्ति भी इससे होने के कारण यह हालत हुई है कि सिंचाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है । अभी मंत्री जी बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि पूरी नहरों को पानी दिया है । आपकी बात सही है। जनपद जालौन कुटौर, महोबा, हमीरपुर के करारा ब्लाक में पलेवा के बाद इन विकास खण्डों में जो भी पानी आया नहरों और कूलों में आया । खेतों में नहीं आया। आपने तो कहा कि हमने सिंचाई व्यवस्था करवाई, नहरों में पानी दिया लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पलेवा के बाद इन जमीनों को पानी नहीं मिला । अगर मेरी बात गलत हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे सकता हूं । इसको मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप दिखवा लें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन चाहता हूं कि इन ब्लाक खण्डों में जहां पलेवा के बाद पानी नहीं पहुंचा है, जहां सिंचाई की व्यवस्था करनी है, वहां ध्यान दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

मेजर जे0पी0 सिंह -

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपने मुझे वर्ष 1992-1993 के सिंचाई विभाग के बजट पर चर्चा हेतु आमंत्रित किया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक दोनों तरफ से हम लोगों की बजट पर चर्चा सुनी । सबसे पहले मैं अपने सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट रखा है और बजट में उन्होंने जो किसानों के लिए प्राविधान, विधवाओं के लिए प्राविधान और हमारे देहाती क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्राविधान किया है, यह बजट वास्तव में सराहनीय है और जनहित में है ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो प्राविधान किया है कि गांवों में सिंचाई बन्धुओं की मीटिंग हुआ करेगी तो पहले ऐसा हुआ करता था । किसान अधिकारियों से मिलने से वंचित रह जाता था, परन्तु अब सिंचाई बन्धुओं की मीटिंग में हर स्तर का व्यक्ति पहुंचता है । ब्लाक प्रमुख, सांसद और जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारी होते हैं । सारी समस्याओं के निराकरण के लिए हर महीने के चौथे मंगलवार को तय करते हैं । देहात में किसान अधिकारियों से मिलने से वंचित रह जाता था, लेकिन अब किसान समय पर अधिकारी से मिलने जाता है और अपनी समस्या का समाधान करता है । मान्यवर, पहले नहरों के बीच में कटान हो जाता था जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पाती थी । अब नहरों की सफाई हो गई है पूरी लाइन चालू मिलती है । जो नहरें पहले बीच में कट जाती थीं, कटान हो जाती थी अब वह नहीं होती हैं । मान्यवर, आबपासी के बारे में कहना चाहूंगा पहले किसानों ने जल लिया हो या न लिया हो, आबपासी की वसूली होती थी । मान्यवर, मैं आपको एक बात अवगत करा देना चाहता हूं । मुरादाबाद जनपद में चार ट्यूबवैल इन्होंने दिए हैं मेरा सुझाव है इसको बढ़ाकर 6-7 कर दिया जाए ताकि सिंचाई के साधन अच्छे हो सकें । मान्यवर सिंचाई में नलकूप पुनर्निमाण के लिए 14 ट्यूबवेल दिए गये हैं वह पुनर्निमाण हो चुका है तो यह जो 14 ट्यूबवेल हैं इनको 22 ट्यूबवेल होने चाहिए । इसी तरह से पांच ट्यूबवैल मेरे क्षेत्र में दिए हैं दो ट्यूबवेल लग चुके हैं तीन ट्यूबवेल और लगेंगे लेकिन वहां पर नौ ट्यूबवैल की आवश्यकता है ।

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार जितने प्रोग्राम है वह ठीक प्रकार से हमारे क्षेत्र मे लागू किए जा रहे और सिचाई हो रही है इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू और माननीय सिचाई मत्री के बजट का हार्दिक समर्थन करता हू ।

*श्री विक्रमाजीत मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय बाबू राम यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मै उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हू । अभी हमारे माननीय मत्री जी ने जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि लच्छेदार भाषण दिया है, विशेष रूप से कर्मचारियो/अधिकारियो के लिए कहा है कर्मचारी अधिकारी सब ठीक-ठाक काम करे, जो गडबड़ काम करेगे उन्हे बख्शा नही जाएगा । मै आपसे कहना चाहता हू कि दस महीनो की सरकार कोई भी अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता से लेकर अधिशासी अभियन्ता तक कोई क्षेत्र मे नही जाते है । मान्यवर, मै कहना चाहता हू कि मेरे फूलपुर क्षेत्र मे एक कालोनी है जहा एस0डी0ओ0 रैंक के अधिकारी होने चाहिए । दस महीनो के अन्दर हम देख रहे है कि एस0डी0ओ0 रैंक का कोई अधिकारी वहा नही रहता है । मान्यवर, मै जिले के अधिकारियो से मिला मेरे क्षेत्र के अधिकाश ट्यूबवेल खराब पड़े है । मिस्त्रियो से कहा जाता है, अधिकारियो से कहा जाता है लेकिन ट्यूबवेल ठीक नही होते है । आपके मिस्त्री किसानो से पैसा लेकर ट्येबवेल ठीक करते है । कोई ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे है । किसान चन्दा करते है और ट्यूबवेल के सामान को ट्रैक्टर मे लादकर ले जाते है महीनों आपके कार्यालय में पड़ा रहा है लेकिन सामान ठीक नही होते है उच्च अधिकारी भ्रष्ट हो चुके है । सिचाई के बारे मे कहना चाहूगा । मेरे क्षेत्र मे वरुना नदी है, मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है कमिश्नर साहब से कहा वह मौके पर गए नियम-301 में भी सूचना दिया है । हमने निवेदन भी किया है, हमारे यहा वरुना नदी से पूरा का पूरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है । मान्यवर, मेलहन, बरना, पिड़ौना, बीबीपुर, रस्तीपुर, ठटा, सोरों, कटेहरी, पतान्या, जघई खन्त्रेचा आदि गाव ऐसे है जो जलमग्न रहते है । बाढ़ के दिनो मे इन गावो की हालत खराब रहती है साथ ही साथ गर्मियों मे जो वहा की नहरें है उनको खोदकर छोड़ देने से नहरो का पानी इन गावों के लिए समस्या बन जाता है । हमारे यहा की नहरें न तो किसी नाले से सम्बद्ध की गयीं हैं और न किसी नदी से जिससे पूरे का पूरा पानी भर जाता है । हमारे यहा आलू की फसल सड़ गयी है । गेहू की फसल सड़ गयी है । यह समस्या आज से नहीं बल्कि बीसियो सालो से चली आ रही है जिससे सारे किसान भुखमरी के कगार पर पहुच चुके है । हमारे यहा के किसान परेशान है और जानवर परेशान है । जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है । मै कहना चाहता हू कि हमारे वरुना नदी की खुदाई करवाई जाय जिससे बाढ़ की समस्या का समाधान हो सके । इसी तरह से हमारे यहा एक नाला है जिससे अजेहरा, मलेथुआ, भरौरी व आस-पास का पूरा क्षेत्र पानी से ग्रसित रहता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इसी तरह से सादाबाद का जो दक्षिणी हिस्सा है वह पानी के अभाव से ग्रसित रहता है । वहां पानी नहीं पहुंचता है और ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की ट्यूबवेल व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाय । जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके बारे में मैंने कहा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और आदेश किया जाय कि जो कालोनी बनी है वहां पर एस0डी0ओ0 रहें । घरूना नदी की खुदाई अविलम्ब कराई जाय । इसी के साथ मैं बाबू राम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री हरी चरन यादव-

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई बजट पर माननीय बाबू राम यादव जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । वास्तव में यह जो सिंचाई का बजट है यह कोई नयी दिशा नहीं दे रहा है । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो तमाम सिंचाई योजनाओं के नाम लिये यह सारी योजनायें कांग्रेस के शासनकाल की है । सरकार ने नयी कोई योजना शुरू नहीं की है । जो काम पहले की सरकार ने रोक दिया था उनको सिंचाई मंत्री ने शुरू किया है । मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो प्रगति के काम कांग्रेस सरकार के जमाने में शुरू किये गये हैं, उनको आगे बढ़ायेंगे । फैजाबाद में सिंचाई मंत्री जी ने एक मीटिंग की थी जिसमें मैंने पुल के सम्बन्ध में शिकायत की थी । आपने जांच कराने को कहा था । 12 लाख रुपयों से टेंडरिया का पुल बनाया था और पूर्ण होते ही टूट गया । आपने आदेश दिया था लेकिन इसकी लायबलटी आज तक किसी पर फिक्स नहीं की गयी है । 10 महीने हो गये हैं जांच नहीं हो पायी है कि अधिशासी अभियन्ता दोषी हैं या अधीक्षण अभियन्ता दोषी है । आपने इस पर पानी पहुंचाने की बात कही है । इससे बहुत बड़ी मुश्किल हो गयी है । नहरों की सफाई का काम नहीं हुआ है । जिसका नतीजा यह हुआ कि जायस रजबहे में पानी से ओवरफ्लो हो गया और 10 गांवों की रबी-खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है । कोहटा, मझपुर आदि तमाम गांवों की फसल नष्ट हो गयी । आपने प्रयास किया कि टैल तक पानी पहुंच जाय लेकिन बीच में पटरियां पड़ी हैं, वे टूटी हैं, उनकी मरम्मत न की जाय तो मुश्किल से पानी पहुंचता है । एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितने नलकूप हैं , उनका चलवा दें । सत्ता परिवर्तन

नोट: - वक्तान ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के बाद 60 फीसदी नलकूप बेकार पड़े हैं और पानी नहीं पहुंच पा रहा है । इसी प्रकार अठमरी रजबहा में पानी नहीं पहुंच रहा है । मैं चाहता हूं कि अमेठी में जितने नलकूप चल रहे हैं, जिनकी नालियां टूटी हैं, उनको बनवा दें, नये न लगावें और सभी माइनर और रजबहे दुरुस्त कर दें और पानी पहुंचा दें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय बाबू राम जी यादव के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री तीरथ राज-

मान्यवर, आपने सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक जितने भी सिंचाई बजट प्रस्तुत हुए हैं, उन सबसे उपयुक्त और यथार्थ पर आधारित बजट है । इसके लिए प्रशंसा करता हूं । पूज्य बापू के राम राज्य की कल्पना को यह बजट साकार करता है । यह बजट पीड़ित एवं दुखी किसानों के लिए वरदान है । इसकी प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, हमारे सोनभद्र में सिंचाई की व्यवस्था अपर्याप्त है और पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है । सिंचाई के लिए जो बांध बने हैं जैसे नगवां, बनजरिया, धंधरौल या सोनभद्र नहर ये योजनाएं हमारे जनपद की सिंचाई व्यवस्था के हिसाब से नहीं बनी हैं बल्कि मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद की सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई गयी हैं । मान्यवर, हमारे यहां जो सिंचाई होती है उससे केवल खरीफ की सिंचाई होती है । धंधरौल बांध से संबंधित शाहगंज एवं चोपन रजबहा में पानी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए । इंजीनियरी कमियों के कारण सोनभद्र पम्प नहर पूरी तरह से असफल है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान दें और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सोनभद्र नलकूप योजना के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है । सोनभद्र में भूगर्भ जल की बहुत संभावना है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक सर्वेक्षण कराकर इसको नलकूप श्रेणी में रखें । दो तीन योजनाएं और बड़ी महत्वपूर्ण हैं । कनहर परियोजना, बाण सागर परियोजना इनके लिए अनुरोध करूंगा कि इसको पूरा कराने का प्रयास करें । अन्त में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, माननीय बाबू राम यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना धन पिछले वर्षों में सिंचाई विभाग को दिया गया है, उस अनुपात में इस वर्ष नहीं दिया गया है । केवल बीस योजनागत मात्र ।। परसेंट दिया गया तो जब धन को कम दिया है तो विभाग में जो छोटी योजनाएं हैं, उन पर धन घटेगा और पिछले वर्ष की अपेक्षा विकास भी घटेगा । इसके साथ ही मैं 4-5 सुझाव देना चाहता हूं । एक तो यह नहरें चाहे जितनी भी बना लें, गूल नहीं बनाएंगे तो किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचेगा । यह सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है कि 100 मीटर पर गूल बननी चाहिए । उसके बाद बड़ा किसान पानी रोककर रखता है और आगे पानी नहीं जा पाता । सिंचाई विभाग को 500 मीटर पर गूल बनवानी चाहिए ताकि छोटे किसान को पानी मिले जिला प्लान में जो सड़कें बनती हैं उससे पुल बनते हैं । इससे दूसरी ओर पानी नहीं जाता है और अवरोध होता है । तीसरे सुझाव यह है कि सिंचाई की दरों में भिन्नता है, उसमें एकरूपता होनी चाहिए । इसमें निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए सिंचाई की दरों में एकरूपता होनी चाहिए ।

(8 बजकर 45 मिनट)

नहर की पटरियां आवागमन का साधन हो सकती हैं, अगर इनको पक्की कर दी जाय तो आग से जमीन की बचत होगी, सड़क निकालने की जरूरत नहीं होगी, पटरियों से काम चल जायगा । नहरों पर तीन-तीन किलोमीटर पर एक-एक पुलिया दी गयी है, जिससे आवागमन के लिए काफी दिक्कत होती है, इसलिए नहरों की क्षमता को देखते हुए एक-एक किलोमीटर पर नहरों पर पुलिया दी जाय। मान्यवर, सीपेज की दो प्रकार की समस्यायें हैं, एक वाटर लागिंग अर्थात् जल स्तर के ऊपर आ जाने के कारण और दूसरी नहर से पानी का रिसाव के कारण, वाटर लागिंग की समस्या छोटी-छोटी नालियां बनाकर दूर की जा सकती हैं और ट्यूबवेल लगाकर जल स्तर नीचा किया जा सकता है । दूसरे जहां नहर से रिसाव होता है, वहां नहरों को पक्की कराई जाय । मान्यवर, दो हजार रुपये जो प्रति नलकूप की मरम्मत के लिए दिया गया है, वह बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाय, कुल मिलाकर जिसमें 3 नलकूप दिया गया है एक जिले में 6 नलकूप भी नहीं पड़ता है कम से कम एक विधान सभा क्षेत्र में एक नलकूप तो अवश्य होना चाहिए । मान्यवर, सीपेज के बारे में जो आंकड़ों की जालसाजी की गयी है, प्रमुख योजनायें पेज नं0 12 पर 150 नलकूप जिला योजना में और 160 राज्य सेक्टर में और 100 नलकूप अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की बात कही गयी है और यह कहा गया है कि कुल मिलाकर 350 नलकूप 1992-93 में निर्मित होंगे, जबकि इसके अनुसार 160,150 और 100 कुल मिलाकर 410 होता है । इससे स्पष्ट है कि यह आंकड़े फर्जी हैं और फर्जी आंकड़ों से सिंचाई का विकास नहीं होगा इन शब्दों के साथ मैं माननीय बाबू राम यादव द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री बलराम यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपन मझे श्री बाब राम यादव द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह आजादी के बाद मेरा जहां तक समझदारी है, पूर्वांचल से तो बहुत सिंचाई मंत्री आत रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल के खेतों या किसानों की सिंचाई क्षमता किसी हद तक आज तक नहीं बढ़ पाई है । कुछ लोगों ने अगर प्रयास भी किया सिंचन क्षमता बढ़ाने का तो वह अपने क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गया । मान्यवर, बाढ़ की विभीषिका और जल भराव से पूर्वांचल प्रति वर्ष तबाह होता रहता है, इसके निदान का कोई भी सुझाव माननीय मंत्री जी के बजट वक्तव्य में नहीं आया है । मान्यवर, प्रदेश की एक तिहाई जिलों की सिंचाई की योजना का परिकल्प शारदा नहर परियोजना द्वारा होना था परन्तु वह लक्ष्य प्राप्ति कौन कहे, उसके दुष्परिणाम से आजमगढ़ जनपद का सिंचाई कार्य विशेष रूप से प्रभावित हुआ है ।

मान्यवर, सिंचाई हेतु आजमगढ़ जनपद का जो शारदा नहर द्वारा पानी का आवंटन है, पिछले खरीफ की फसल में तथा रबी की फसल में नहीं मिल पाया है जिसके कारण खरीफ और रबी की फसल में किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है शारदा नहर परियोजना से जहां किसान उत्साहित हुआ था, वहीं काफी निराश हो गया है, क्योंकि इसके पूर्व टाण्डा पम्प कैनाल द्वारा सिंचाई क्षेत्र में इससे अधिक पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध हो जाता था । जल निकासी हेतु इन्होंने बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है । यदि इनके विभाग से मिलियन्स वेल स्कीम के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से सिंचाई विभाग को, जिलों में धन उपलब्ध कराया जाता है, तो यह कार्य ही नहीं कराते हैं, जैसे कि आजमगढ़ की जिला विकास अभिकरण द्वारा मिलियन्स वेल स्कीम के अन्तर्गत आजमगढ़ के विभिन्न सिंचाई खण्डों को धन देकर जल निकासी हेतु नालियों के निर्माण हेतु धन दिया गया था, उन्होंने पैसा लौटा दिया और काम नहीं कराया । मैं माननीय मंत्री मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप धन नहीं दे पा रहे हैं, तो उपलब्ध धन से अपने विभाग को इस जनहित के कार्य में जनहित का कार्य कराने का निर्देश जारी करें । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश की अधिकांश नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का बहुत अहंकारी दावा कर रहे थे, परन्तु मुझे खेद है कि हमारे जनपद आजमगढ़ के नहरों में टेल तक मुख्य नहरों में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच पाया है । मैं एक नाम नहीं दर्जनों नाम गिना सकता है । इनके साथी वहां पर जाते नहीं हैं, इसलिए वहां पर पानी नहीं दिया जा रहा है और किसान पानी के लिए तरस रहा है । इन्होंने वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है । इनके यहां पर कोई भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री बलराम यादव-

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, हमारे आगरा का पानी दूषित हो गया है और जो पानी आ रहा है वह दिल्ली के लोगों का पेशाब आ रहा है, बड़ा गंदा पानी आ रहा है । जमुना का जो शुद्ध जल है, वह दिल्ली वाले पी गये मान्यवर श्रमिक मुखियाओं ने इस वर्ष बड़ा काम किया है । मैंने इनके माध्यम से 4-5 माइनरें खुदवाई हैं और जिन माइनरों में 20 साल से पानी नहीं आया, उनमें इस साल पानी आया है और खेतों की सिंचाई हुई है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान हूं और अपने हाथ हल चलाया है । यहां पर सभी लोग अपने को किसान कहते हैं, लेकिन वह सदैव विद्यार्थी रहे होंगे या वकील रहे होंगे, अपने हाथ से किसानी नहीं किया होगा । मैंने भोका डाला है और अब भोंका का जमाना चला गया है, उसके स्थान पर ट्रैक्टर आ गये हैं । भोंका से तो 4 इंच की गूल में पानी चला जाता था, परन्तु ट्रैक्टर से जो पानी जाता है, वह उस कुलाबे में नहीं निकल पाता है । मान्यवर, इसलिए हुए शामिल बरहा की बात मैं कहना चाहता हूं । जब किसी किसान के नलकूप का पानी उस गूल से निकल जाती है जिससे रजबहों का पानी जाता है, तो किसान को महसूल देना पड़ता है । उनका कहना है कि दूसरी गूल बनायें, तो दूसरी गूलें कहां तक बनायी जायें । इस प्रकार से तो खेती की जमीन ही गूलों में चली जायेगी । इस प्रथा को को समाप्त किया जाये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियर इतना कमीशन लेते हैं, कि उनके यहां पर 4-4 और 6-6 हजार रुपये की कुर्सियां पड़ी हैं, तो वह मूढ़ा पर कैसे बैठ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

किशोरी श्याम जी, अब आप समाप्त करें । मैंने माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

(श्री किशोरी श्यमा एवं श्री दिनेश चन्द्र सोनकर के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, विशम्भरा माइनर अधूरी पड़ी है उसमें पहले जो इस्टीमेंट बना होगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह अब बढ़ गया होगा और जो कुछ था उसमें सब खा-पी गये । मैं माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि उसको पूरा करायें । इसके अलावा हमारे क्षेत्र में 2-3 और इस्टीमेट बन रहे हैं, मेरे क्षेत्र में जल खारा है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने अपना भाषण प्रारम्भ कर दिया है, अब आप समाप्त करें।

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, इन सारी बातों को कहकर जो सिंचाई मंत्री ने बजट पेश किया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय उपाध्यक्ष जी सिंचाई विभाग के संबंध में जो बजट पेश हुआ है वह किसानों के हित में कितना है यह हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य मेजर जे0पी0 सिंह ने स्वयं कहा है कि बजट का भाषण अच्छा है, बिल्कुल उसके अनुरूप ही उन्होंने कहा कि उन्होंने सराहनीय भाषण किया । मैं पूरे बजट पर अपनी बात को न रखते हुए इलाहाबाद जनपद के उस पिछड़े हुए दोवाबा क्षेत्र जिसे तहसील चायल कहा जाता है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक किशनपुर पम्प नहर चलती है । सन् 1975 में 300 क्यूसेक पानी की सिंचाई की आपूर्ति करने के लिए उसकी क्षमता बनाई गयी थी जहां पर 7 पम्प लगाये गये थे । मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं आज तक वहां पर मात्र 5 पम्प लगाये गये हैं । वहां पर 5 एम0बी0ए0 का विद्युत लोड दिया गया है, 7 एम0बी0ए0 का नहीं दिया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चहता हूं कि वहां पर 7 पम्प सन् 1975 से लगे हुए हैं, उनको चलाने की व्यवस्था करें । मान्यवर, मैं यह भी सिल्ट सफाई के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि सिल्ट सफाई की बात कही गयी है । किशनपुर पम्प नहर में 1991 से लेकर अभी तक सफाई नहीं की गयी है नहर में अभी भी काफी घास पतवार लगा हुआ है जिससे पानी के जाने में रुकावटें आती हैं । मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम नलकूपों को भी अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में लगाने का अभियान चला रहे हैं । मान्यवर, हमारे चायल क्षेत्र में तीन ब्लाक हैं चायल, नेवादा और मूरतगंज । इन तीनों ब्लाकों में नलकूपों की संख्या इतनी नहीं कि पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दें ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि अनुसंधान एवं नियोजन जल संस्थान विभाग जो सिंचाई विभाग के तहत आता है उसका खण्ड मिर्जापुर का जो मुख्यालय है उसको मिर्जापुर में ही बना रखा है जब कि क्षेत्रफल के हिसाब से उसका केन्द्र इलाहाबाद में आता है । इसके बारे में प्रयास हुए हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि अनुसंधान एवं जल नियोजन संस्थान विभाग का मुख्यालय केन्द्र इलाहाबाद में करें क्योंकि बांदा जैसा क्षेत्र इसी में आता है इसको जानबूझकर वहां रखा गया है क्योंकि मंत्री जी का अपना हित है वह बनारस के पास पड़ता है, उसे वहां से स्थानान्तरित नहीं करना चाहते हैं । उसका मुख्यालय इलाहाबाद या केन्द्र में कहीं स्थापित करें जिससे उसका लाभ प्राप्त हो सके । इसी के साथ माननीय बाबू राम यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उस पर भरपूर बल देते हुए, उसका समर्थन करता हू ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, मैं बाबू राम यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं, समय देने के लिए आपका आभारी हू ।

अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । गोकड़ी कोल माइनर 17 किलोमीटर लम्बाई की है । इस पर मैंने प्रश्न भी किया था । अभी तक 10 वर्षों से यह निर्माण के लिए लम्बित पड़ी है । करीब 3 किलोमीटर तक काम हुआ है, शेष उसके आगे उसे जहां से होकर गुजरना है, वहां की जमीन किसानों से ले ली गयी है लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुआ है । मैं चाहूंगा कि या तो उसका निर्माण करा दिया जाय या जमीन किसानों को वापस कर दी जाय ।

इधर के माननीय सदस्यों और उधर के माननीय सदस्यों ने नलकूपों की खराबी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 90 प्रतिशत नलकूप या तो मोटर की खराबी के कारण या नाली की खराबी और अभाव के कारण खराब हैं बोल्डर की बात कही गयी । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव घाघरा नदी के आक्रोश से प्रभावित रहते हैं । कई गांव घाघरा नदी में विलीन हो चुके हैं । परसिया गांव में पिछले साल कटान हुआ था । इस साल पूर्ण रूप से कटने की स्थिति में गांव है । अगर वह गांव कटा तो उसके साथ 20 गांव और कट जायेंगे । 26 फरवरी, 1992 को नियम 301 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी । यहां बहुत बड़ा ताल है फतेहपुर रतोय ताल, जिसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से मुख्य अभियन्ता का पत्र संलग्न कर दिया, 15 ड्रेन्स उसमें आकर गिरती हैं । वहां पर 2358 हैक्टेयर जमीन खरीफ में और 1255 हेक्टेयर जमीन रबी में बोयी नहीं जाती है । यह वहां की सबसे बड़ी समस्या है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

घाघरा नदी की सतह ऊपर हो गयी है ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

इसी के साथ श्री बाबू राम यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री ज्ञान चन्द्र-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । मान्यवर, मैं ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हूं, जहां पर इस समय भूकम्प आया था । मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से सिंचाई व्यवस्था को जो सुचारु रूप से चलाने का प्रयास किया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे उत्तरांचल में भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से भिन्न है । यहां अधिकारी दीर्घा में विभाग के अधिकारी लोग, इंजीनियर लोग मौजूद हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहां पर जो योजनायें लागू की गयी हैं, उनको सुचारु रूप से चलाया जाना चाहिए । उसे सुचारु रूप से क्यों नहीं चलाया जा रहा है, उससे किसानों को कितना लाभ हुआ है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सी ऐसी योजनायें हैं, जो मंजूर हैं, जिनका कार्य टेल से प्रारम्भ किया जा चुका है, लेकिन अभी तक हेड से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, उसका एक कारण है वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए काला कानून बना हुआ है । पूरे पर्वतीय क्षेत्र में सरकार विकास के कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाती है । माना एक योजना स्वीकृत कर ली, लेकिन उस योजना के बीच में पेड़ आ गये तो वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उन पेड़ों को काटा नहीं जा सकता है वह योजना लागू नहीं हो पाती, इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा भूमि है, ऐसी जगह पर पानी पहुंचाने के लिए उपयुक्त होगा कि एक नयी तकनीकी के माध्यम से पाईप योजना शुरू की जाय । मान्यवर, वहां भूस्खलन की वजह से नहरें डेमेज होती जाती हैं जिस पर लाखों रुपये व्यर्थ व्यय करने पड़ते हैं, उसको रोकने के लिए, सही समय पर सिंचाई करवाने के लिए, पाईप लाइन के द्वारा वहां सिंचाई हो ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अब बैठें, समाप्त करें ।

श्री ज्ञान चन्द्र-

इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री महक सिंह-

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर जो पूर्वी यमुना नहर है वह मुगल काल में बनायी गयी थी, अंग्रेजों के काल में उसकी मरम्मत हुई थी । लेकिन अभी तक कोई भी सरकार आयी हो किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । हरियाणा के साथ जो पानी का समझौता हुआ था उसके अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है । जो हैड लाने वाले बैराज बने हैं उसकी सफाई नहीं की जाती है और जो योजनाएं हैं लखवाड़ा न्यासी परियोजना न हथनी कुंड उसमें कम धन दिया जाता रहा है अगर यही चलता रहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, सहारनपुर, मेरठ मुजफ्फरनगर उसकी सिंचाई स्थिति खराब हो जायेगी उसकी पैदावार पर असर पड़ेगा और वह पिछड़ते चल जायेंगे । तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया इस पर ध्यान दें । मान्यवर, वरनाव विधान सभा क्षेत्र में पानी 80-90 फुट नीचे चला गया है अगर यही रहा तो पानी की बड़ी किल्लत हो जायेगी । मान्यवर, मेरे जिले में आपने हिंडनकुठनी योजनाएं स्थगित कर दी हैं अगर आपने उसे धन आवंटित नहीं किया तो पानी नीचे चला जायेगा और वहां रेगिस्तान हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री महक सिंह-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । सरधना और उधीना दो तहसील हैं वह पानी के अभाव में रेगिस्तान होने जा रही हैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से यमुना नदी पर जो बांध बना दिया गया है जो पानी का बहाव आता है उससे कटाव होता है उससे उत्तर प्रदेश की भूमि हरियाणा में जा रही है सीमा के झगड़े बढ़ गये हैं अतः उत्तर प्रदेश की सीमा में भी बांध बनाया जाय । नहरों की सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है नहरों के सिरे पर पानी नहीं पहुंचता, सिंचाई बंधु की मीटिंग पर कोई कार्यवाही नहीं होती वह निरर्थक होकर रह गई है । पूर्वी जमुना नहर के अधिकारी मुजफ्फरनगर में रहते हैं जिन्हें नहर के अन्त में रहना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री बाबू राम यादव के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें । मैं श्री भागवत पाल जी का नाम पुकार रहा हूं ।

श्री भागवत पाल-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माननीय बाबू राम जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, मैं प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपद से चुनकर आया हूं । यह क्षेत्र सूखा क्षेत्र है । श्रीमन्, मिर्जापुर जनपद में एक सबसे बड़ा जलाशय है वह है सिरसी का जलाशय इसके बारे में मिर्जापुर के अधिकारियों ने कई बार प्रस्ताव दिया था कि सिरसी का जलाशय का पानी मिर्जापुर की सिंचाई के काम में नहीं आता है वह दूसरे जनपदों में चला जाता है और एक मात्र मांग वहां की जनता की रही कि उसका पानी मिर्जापुर में दिया जाये । मान्यवर, पिछली सरकार ने सिरसी से लिफ्ट निकालने हेतु 21 लाख रुपया खर्च किया लेकिन मौजूदा सरकार, यह बिल्कुल निश्चित है कि वह विरोध के सदस्यों के साथ भेदभाव बरत रही है विपक्ष के लोगों के क्षेत्रों में

काम नहीं होने देना चाहती है । 20 लाख रुपया खर्च किया गया, 22। लाख रुपये की यह योजना है लेकिन इस पर कई बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने की बात बड़े जोर-शोर से कही...

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री भागवत पाल-

अभी तो मेरी बात शुरू ही हुई है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मड़ियाहू में एक अभियन्ता ने 20 हजार रुपये के शीशम के पेड़ को काट लिया है लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । ट्यूबवैल के बारे में बताना चाहता हूं सिंचाई बन्धुओं की मीटिंग के बारे में अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि दिनांक 27-7-9। को मीटिंग हुई । सारे जनप्रतिनिधियों और सारे अधिकारियों के बीच में यह तय हुआ कि ट्यूबवैल गढ़ौली में लगाये जायेंगे ।

बड़े दुर्भाग्य की बात है । मान्यवर, अधिकारियों ने जवाब दिया कि माननीय सिंचाई मंत्री जी के निजी चक में उक्त ट्यूबवैल लगाया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, आप बोलने का एक मिनट और समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

नहीं आप समाप्त करें, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है ।

(बीच में कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता, आप समय नहीं दे रहे हैं, अंत में मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री राम किशन ददाजू-

मान्यवर, मेरे जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत नारखी ब्लाक है, वहां का पानी बिल्कुल खारा है, जिससे वहां बच्चे कुबड़े पैदा होते हैं, पीने की पानी की भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अत्यन्त समस्या है, वहां एक मिल्क गांव है, यदि वहां एक छोटी सी माइनर निकलवा दी जाय, तो उससे जल स्तर ऊंचा हो जायेगा, कुओं में पानी आ जायेगा, इससे वहां पानी उपलब्ध हो जायेगा तथा कुबड़ेपन की समस्या दूर हो सकेगी । इसी प्रकार मान्यवर, मेरे क्षेत्र में नदियों के किनारे जो नहरें हैं, उनकी पटरी को लोग काट लेते हैं, उनकी पटरी को पक्का करा दिया जाय, तो नहरें कटना बंद हो जायेंगी जिससे लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा । मान्यवर, फिरोजाबाद में लोअर गंगा नहर है, उससे ऊंटी रजबहा निकलता है, इससे एक छोटी 50 क्यूसेक क्षमता की ।5 किमी0 लम्बी माइनर निकलवा दी जाय, तो इससे हमारे क्षेत्र की समस्या काफी दूर हो सकती है, मैं इसकी मांग करता हूं, इसके अलावा नलकूपों की व्यवस्था की मांग करता हूं और अन्त में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम औतार शाक्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री बाबू राम यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जब भाषण दे रहे थे, तो ऐसा महसूस होता था कि वह घुटन महसूस कर रहे थे । उनका जो भाषण था, वह किसी सिंचाई मंत्री का नहीं, बल्कि किसी धार्मिक नेता का भाषण मालूम हो रहा था । उसमें कोई अर्थ के नियोजन की बात नहीं थी, परियोजनाओं पर परिव्यय की कोई बात नही थी, खंडी जो कटती है, उसको रोकने की कोई बात नहीं थी छोटी-छोटी माइनरें निकाले जाने की कोई बात नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्म शान्ति के लिए भाषण दे रहे थे । मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी उधर घुटन महसूस कर रहे हों, तो स्वच्छ वातावरण में आयें, और सही बात रखें । मैं नहीं समझता, वह ऐसे वातावरण में क्यों फंसे हुए हैं ? उन्होंने कहा कि वह व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि क्या व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो सरकार छुआछूत, वर्णभेद पर आधारित है, वह क्या व्यवस्था परिवर्तन करेगी ?

(सत्ता पक्ष की ओर अनेक से सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर-घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्तय-

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आप विषय से अलग बोल रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, आप समय नहीं दे रहे हैं, मैं बाबू राम जी यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री विजय पाल सिंह तोमर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री बाबू राम यादव जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया । माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे मुझे बहुत निराशा हुई । मान्यवर, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया था । 1977 से पहले नहरों की पटरियों पर अगर कोई बैलगाड़ी लेकर चला जाता था तो उसका चालान हो जाता था, परन्तु 1977 में उन नहर की पटरियों को खोल दिया गया और उन पर पक्की सड़क बना दी गई । परन्तु माननीय मंत्री जी ने उन सड़कों के रख-रखाव हेतु कोई भी बात अपने बजट में नहीं कही है । तमाम जो रजवाहे हैं, उनके टेल तक पानी नहीं पहुंचता है । नहरों व टेलों की फर्जी सफाई दिखा दी जाती है । जहां तक सिंचाई बन्धु की मीटिंगों का सवाल है, उसमें जो भी प्रस्ताव पास किये जाते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता है । रजबहों की पिचिंग नहीं होती है । मेरे क्षेत्र में दफतवा, अटेरना व बड़कली में पिचिंग के प्रस्ताव हुए थे, परन्तु सात महीने बीत जाने के बाद भी पिचिंग का कार्य नहीं हुआ । गंगा नहर की सफाई का कार्य भी फर्जी दिखा दिया गया । कुराली गांव में मैं गया था । वहां पर रजबहों की सफाई नहीं हुई है । अनुसूचित जाति की बस्तियों में 100 नलकूप लगाये जाने के बारे में मंत्री जी ने कहा । पता नहीं मंत्री जी ने वे नलकूप कहां लगाये हैं । एक भी नलकूप नहीं लगा है । सरकारी नलकूप ठप्प पड़े हुए हैं । नलकूपों को फर्जी तौर पर चालू दिखा दिया जाता है पतरौल लोग महीनों तक नहीं जाते हैं । पांच एकड़ जमीन से नीचे की निराश्रित विधवाओं को मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने की बात मंत्री जी ने कही । पता नहीं वह योजना कहां है और कितनी सिंचाई उससे हो रही है कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ है । मेरे क्षेत्र के गांव दलहेड़ा, कटोर व टांडा में किसी भी नहर की सफाई नहीं हुई है । सब फर्जी सफाई दिखाई गई है । एक-एक जनपद में एक-एक ट्यूबवेल भी नहीं लगा हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री बाबू राम यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री बिजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, कृषि के लिए उत्तम बीज, उत्तम खाद व उत्तम उपकरण उपलब्ध हो जायं, परन्तु यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध न हों तो वह सब बेकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो जाते हैं । पिछली सरकारें जो रही, उन्होंने किसानों के लिए और कृषि के लिए केवल घड़ियाली आंसू बहाये और कुछ भी नहीं किया । अभी-अभी कुछ जोग कह रहे थे कि अभियन्ता, एस0डी0ओ0 व जे0ई0 कमीशन खाते हैं, झूठे मस्टरोल बनाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति किसने पैदा की ? आज मेरे पास इसके पक्के सबूत हैं । गत वर्ष में जो सरकार रही, उन्होंने अपने परिवार वालों को, अपने शुभ चिन्तकों को नहरों की सफाई का ठेका दिया । इंजीनियर पर दबाव डालकर उनसे झूठे बिलों के द्वारा भुगतान करा लिया गया ऐसी स्थिति में बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोता ? इसलिए उन्होंने भी वहीं काम शुरू कर दिया ।मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत हाथरस व मांट ब्रांच हैं । हाथरस ब्रांच ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई नाला खड़ा है, उसके दोनों ओर कांस खड़ा है, झाड़ियां खड़ी हैं और बीच में छोटी सी जगह है, जहां से पानी निकलता है । साढ़े आठ सौ क्यूसेक्स पानी लेने की उसकी क्षमता है । लेकिन आज वह 4 सौ क्यूसैक पानी नहीं ले पा रहा है । इसकी बाढ़ से कई बार हजारों एकड़ फसल बरबाद हो चुकी है । गत वर्ष सरकारों ने अनेक योजना बनाई थी, इस तरह की अधूरी योजनायें बनाई और अरबों रुपया खर्च किया लेकिन वह कार्यरूप में परिणित नहीं हो पाई जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है । सिंचाई मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह ठीक है, यह सही है कि उसमें लम्बे चौड़े वायदे नहीं हैं लेकिन एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाया गया है । 100 ब्लाकों को शतप्रतिशत सिंचित करने की बात कही गयी है वह सराहनीय है। निश्चित ही इससे किसानों का हित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री बिजेन्द्र सिंह-

इससे अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होगी ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुधीर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया । मेरा क्षेत्र गंगा की बाढ़ की विभीषिका में रहता है जिससे हमारा तमाम क्षेत्र कटान के कगार पर है कोई ऐसा गांव नहीं है । जो गंगा के कटान से प्रभावित न हो । जहां बाढ़ की विभीषिका आती है वहां के गांव वालों को बसाने की कोई योजना नहीं है । मेरा क्षेत्र जहां बाढ़ आती है वहां दूसरी तरफ सिंचाई की सुविधाओं से अछूता है । कांग्रेस के जमाने में हमारे क्षेत्र में 5 लिफ्ट कैनाल योजनाओं में से दो लिफ्ट कैनाल इस सरकार के आने के बाद बंद हो गयी हैं । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय सिंचाई मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर भी यह बात कही थी । जब बनारस में मीटिंग हुई थी उसमें यह सवाल उठाया गया था

लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया । सिंचाई के बारे में 92 हजार एकड़ सिंचाई क्षेत्र की घोषणा की है लेकिन मैं नहीं समझता कि यह कहां है ? मैं जहां से चुनकर आता हूं वहां सिंचाई के नाम पर दो लिफ्ट कैनाल को बंद कर दिया ।

इसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कुलहड़िया और सहपुर ग्राम सभा हैं जो गंगा के कटान से ग्रस्त हैं । मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम 56 के अन्तर्गत आकर्षित किया था लेकिन कुलहाड़िया गांव के लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । मैं निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम खिलाड़ी-

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं सिंचाई मंत्री से कहना चाहता हूं कि बदायूं जनपद सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है । हमारे यहां बदायूं और मुरादाबाद सीमा में एक नलकूप है वह पिछले 5 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है । बदायूं वाले कहते हैं कि यह मुरादाबाद में आता है और मुरादाबाद के अधिकारी कहते हैं कि बदायूं में आता है । यह बात हमने सिंचाई समिति की बैठक में भी कही थी उन्होंने भी ऐसे ही कहा था । उसमें विद्युत सप्लाई चंदौसी से होती है उसके मोटर और ट्रांसफारमर खराब हैं । मेरे क्षेत्र के लहरपुर गुन्नौर के लोगों की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । और जो ट्यूबवैल 5 साल से खराब पड़े हैं, उनकी तरफ भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । मैं आपके माध्यम से माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन टयूबवैलों को शीघ्र ही ठीक करवाने का काम करें और मैं श्री बाबू राम यादव जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी बिल्कुल शान्त उदास बैठे हैं । किसी के भी सुझाव को माननीय मंत्री जी नोट नहीं कर रहे हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे पास करा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण वीर सिंह-

मान्यवर, जब आप किसी सदस्य को सुनें तो उसे कम से कम दस मिनट जरूर दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

इतना समय नहीं दिया जा सकता है । समय कम है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरि नारायण सिंह -

मान्यवर, मैं विधान सभा क्षेत्र सीयर, बलिया से विधायक चुनकर आया हूं । मान्यवर, आपने मुझे समय देकर बहुत एहसान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मेरा कहना है कि माननीस सिंचाई मंत्री के बजट पर बहुत से लोगों ने, हमारे मित्रों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की । अब कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में टंगुनिया घाघरा नदी से संबंधित है, जिस जगह एक परसिया है जिसमें पूर्व नत्थूपुर के श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय ने प्रकाश डाला यह दोनों गांव कटाव से कटते हैं अगर इस वर्ष भी इसे रोकने की व्यवस्था नहीं की गई तो यह पुल नदी में विलीन हो जायेगा । दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था है वह आजमगढ़ दोहरीघाट परियोजना से संबंधित है । मेरे क्षेत्र में सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाई है न ही नहरों का पानी वहां तक जा पाता है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर सिचाई सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद भी पैसा वसूला जा रहा है तो मान्यवर, इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाय और मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बजट रखा गया है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री भारत सिंह रावत-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री बाबू राम यादव जी द्वारा प्रस्तावित कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूर्वांचल प्रदेश की उपेक्षा की है और पूर्वांचल के लिए मात्र 10 करोड़ की बात कह कर टाल दिया है । यह विडम्बना ही है कि पूर्वांचल क्षेत्र से जहां से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां निकलती हैं और गंगा यमुना के दोआब को सींचती है उसकी उपेक्षा की गई है । पूर्वांचल क्षेत्र में जो कूले हैं उन्हें नहरे नहीं कहा जा सकता है । यह छोटी-छोटी होती है और इनका भी ठीक से रख-रखाव न होने के कारण यह तथाकथित नहरे बंद पड़ी हैं । उसका मूल कारण यह है कि इनका बजट प्लान बहुत कम है । इसकी वजह से विभागीय अधिकारियों से बातचीत करते हैं । वह कहते हैं पैसा नहीं है इस तरह से सिंचाई का काम नहीं हो रहा है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मात्र 6 टयूबवैल हैं, जिससे सिंचाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो अधिक भू-भाग सिंचित करने के लिए पांच ट्यूबवैल की और व्यवस्था की जाए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री भारत सिंह रावत-

एक बात और कहना चाहता हूं कामागढ़ टैण्ट बने हैं वहां करोड़ों रुपये के मकान बने हैं वह किराए पर दिये गये हैं उनको नष्ट किया जा रहा है हमारे सिंचाई विभाग की सम्पत्ति नष्ट हो रही है । इसको आप दिखवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

रावत जी बैठें ।

श्री भारत सिंह रावत-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, माननीय बाबू राम यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का देवरिया जनपद की दो-एक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । छोटी नदी गंडक परियोजना 1977 में लागू हुई थी उस परियोजना को समाप्त न करें । सलीमपुर तहसील में कोई नहर नहीं है वह केवल राजकीय नलकूपों पर निर्भर है तो जहां नहर नहीं है वहां नलकूपों की और व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सिंचाई क्षमता बढ़े जैसा कि इन्होंने नारा दिया था-हर हाथ को काम हर खेत को पानी, तो मैं कहना चाहता हूं कि सलीमपुर तहसील है वहां पानी देने की व्यवस्था करें । मान्यवर, कटान के बारे में कहना चाहता हूं कटान से देवरिया का अचंल डूबा, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, मैंने प्रश्न किया तो भी आपका ध्यान इधर नहीं गया । आप भी जानते हैं कि एक किलोमीटर में बंधा टूटा गया तो इसमें कौन अधिकारी दोषी हैं यह कहते हैं कि दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे लेकिन देवरिया जनपद डूबा और किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई कोई दंड नहीं दिया गया । मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं छोटी नदी गंडक को कटाने से सलीमपुर के दो दर्जन गांव समाप्त हो जाएंगे आपकी नीति है गांव को स्थानान्तरित करने की तो या तो गांव को स्थानान्तरित कर दें छोटी गंडक का कटान हल्का होता है, बड़ी गंडक का कटान बड़ा होता है तो छोटी गंडक के कटान को रोकने की व्यवस्था करें । छोटी गंडक का पानी रोक सकते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं देवरिया जनपद के विधान सभा का कछार क्षेत्र है यहां सैकड़ों गांव राप्ती के बंधे टूट जाने से बाढ़ की चपेट में आ गये हैं । इसी बंधे के किनारे कई स्थानों पर पिछले वर्ष नदी की कटान से नुकसान हुआ था । यदि वहां पर पीचिंग नहीं की जायगी तो यह बंधा खुद जायगा और गांव पानी से डूब जायेंगे । मेरा रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र है जो कछार का क्षेत्र हैं । वहां के गांव जल भराव से ग्रस्त हैं जिससे खरीफ की फसलें नहीं हो पाती हैं । रबी की फसल की सिंचाई नहीं हो सकी है । वहां लोग 40-50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पानी लेते हैं । इस कारण से पूरी तरह से फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती हैं । इसलिए इस क्षेत्र में कम से कम 3-4 नलकूप लगवायें जायं जिससे फसलों को पानी दिया जा सके । मेरे यहां राप्ती नदी का क्षेत्र दोआबा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है । कटान की वजह से वहां बंधे क्षतिग्रस्त हो गये हैं । बंधों की मरम्मत करवायी जाय और जो बंधे कट गये हैं उनकी पीचिंग की व्यवस्था करवायी जाय । इन शब्दों के साथ, जो बजट पेश किया गया । वह सराहनीय है, जनहितकारी है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, माननीय बाबू राम यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह निराशाजनक बजट है उसमें पूर्वांचल के जिलों की उपेक्षा की गयी है प्रतापगढ़ जनपद की उपेक्षा की गयी है । अभी कुछ दिनों पहले सिंचाई मंत्री जी ने इलाहाबाद में सिंचाई बंधु की बैठक बुलायी थी जिसमें समस्त अधिकारी और प्रतापगढ़ के जनप्रतिनिधि आये थे । हमारे बीरापुर क्षेत्र से जहां से मैं जनप्रतिनिधि हूं, वहां की बाढ़ और जलभराव से स्थिति खराब है । गौरा ब्लाक जल भराव से ग्रस्त रहता है जिससे खरीफ की फसल नहीं हो पाती है और रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पायी है । वहां पर उमरन तथा घोसिया ड्रेन की खुदाई नहीं हो पायी है जिससे हमारा पूरा क्षेत्र जल भराव से पूरी तरह प्रभावित हैं । अपने नलकूपों के बारे में कहा है मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में जितने नलकूप लगे हैं उनमें से 99 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नालियां बनी हुयी हैं वह नलकूप ध्वस्त हो गये हैं । इनके जो इंजीनियर हैं वह जांच पड़ताल नहीं करते हैं । आपने गरीबों की सिंचाई की बात कही है । गांवों में पतरौल जाकर जो गरीब लोग हैं उनको डरा-धमका कर फर्जी सिंचाई लिखते हैं और उनको परेशान करते हैं । इसी के साथ मैं यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसकी निंदा करता हूं ।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाबू राम यादव जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मान्यवर, इस सरकार ने प्रदेश के लोगों को रोटी देने का नारा दिया था लेकिन अब जब यह सत्ता में आ गये हैं तो उससे मुकर रहे हैं । खाद पर छूट का मामला केन्द्र और प्रदेश के झगड़े में उलझकर रह गया । किसान बड़ी आशा भरी निगाह से बजट प्रस्तावों को देख रहा था और आशा करता था कि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रबंध होंगे ताकि हमारे उत्पादन पर प्रभाव न पड़े मगर इस बजट से किसानों को निराशा हुई है । इतना बड़ा प्रदेश है और केवल साढ़े तीन सौ नलकूप सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित हैं । आप खुद गौर करें कि इतने नलकूपों से प्रदेश की सिंचन क्षमता कैसे बढ़ायी जा सकती है ? मैंने सिंचाई मंत्री का बजट देखा है सिंचाई मंत्री का बजट सूखा बजट है इस बजट से सिंचाई क्षमता बढ़ाने की बात व्यर्थ है । पूर्वांचल में हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से किसानों की लहलहाती फसलें बर्बाद हैं । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बाढ़ की विभीषिका से बचाव हेतु बचाव हेतु बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मीपुर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए रोहिन एवं डांडा नदियों पर बांध बंधाने की मांग करता हूं ।

(9 बजकर 45 मिनट)

इसी तरह से नहरों के द्वारा सिंचन क्षमता बढ़ाने की बात कही । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि विगत समय में जो क्षमता रही है, वह आज नहीं है । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है । नेपाल से निकली नदियां रोहिन और डांडा नहर प्रणाली की दो नहरें हैं । उनकी सिंचन क्षमता दिखवा लें । नगण्य है। मेरा अनुरोध है कि घाघरा एवं रोहिन नदी पर बांध बनाकर वैकल्पिक नहर बनाकर उपरोक्त नहरों को हेडों में मिला दिया जाय तो सिंचन क्षमता बढ़ जायगी । एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं बहुत पाए जाते हैं । उनकी पानी की क्षमता समाप्त हो चुकी है । मैं आग्रह करूंगा कि उन पर नये विद्युत मीटर बैठाकर सिंचन क्षमता बढ़ाई जाय। इसके साथ ही माननीय बाबू राम यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाज कृष्ण गांधी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सिंचाई मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उस उक्ति को पूरी तरह से चरितार्थ किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता के द्वारा नहरों की सफाई क्षेत्र के लोगों से करवा कर और ठेकेदारों से न करवा कर उसमें व्याप्त अत्यंत भ्रष्टाचार और स्थानान्तरण की नीति को बदलते हुए जो साहसिक कदम उठाए हैं, वे धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं । मैं सहारनपुर जनपद के खाड़ क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां के खेत उपजाऊ हैं मगर वहां सिंचाई व्यवस्था की कमी है । निजी नलकूपों पर विशेष ध्यान देकर सुविधाएं दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और वे बधाई के पात्र हैं ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह -

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने सिंचाई के बजट पर जो माननीय बाबू राम यादव जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं। मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी से उम्मीद है, इसके परिव्यय को देने के बाद ऐसा लगता है कि अगले वर्ष 1992-93 में जो सिंचाई क्षमता बढ़ाने के बारे में कहा, कैसे बढ़ायेंगे 3 अगस्त, 1991 को बनारस में सिंचाई बंधु की मीटिंग थी । उसमें मंत्री जी ने काफी आश्वासन दिया, उम्मीद भी है । लेकिन जिले में जो बैठकें हुई, वे सार्थक नहीं है इस पर ध्यान दें । आप चुनार के रहने वाले हैं, हमारे गाजीपुर जनपद में देवकली में 32 नहरें हैं एक हजार क्यूसेक क्षमता के, लेकिन वह बढ़ नहीं पा रही है । गत खरीफ की फसल में 350 क्यूसेक पानी मिला ..(व्यवधान).. पृथ्वीपुर माइनर और अन्य माइनरों की क्षमता बढ़वा दें तो ठीक रहेगा । हमारे यहां 62 फीसदी किसान 1/2 हेक्टेयर के नीचे का है । नतीजा यह है कि सिंचाई के लिए किसी पर आधारित हैं । रामगढ़ कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, उसकी व्यवस्था करें । ड्रेनेज की व्यवस्था करें । मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने शुरू के भाषण में बाढ़ की विभीषिका का जिक्र नहीं किया, लेकिन माननीय बाबू राम यादव जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए इसका जिक्र किया । मान्यवर, हमारे गाजीपुर में बाढ़ से प्रतिवर्ष गंगा कर्मनाशा और टौंस की बाढ़ किसानों का फसल, खेत, जान और पशु और मकान की हानि होती है। अभी इस साल की 1991 की सितम्बर की बाढ़ में टौंस के किनारे सिधागर गांव का समाजवाद ब्लाक में काफी क्षतिग्रस्त हो गया, अगर इसका ठोकर बनवाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो इस गांव को बहुत बड़ी क्षति होगी । नहरों में देवकली पम्प नहर के बिरनों राजबाहा और दलपपुर माइनर मरदा राजबाहा के टेल पर पानी

नहीं पहुंचता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विकास खण्ड बाराचवर में ग्राम मुबारकपुर जुगुन, सेमरी, अहपटी, गोसलपुर, बंधे के पश्चिम तथा विकास खण्ड कासमावाद के रेना फतेसराय, बेयरूकही तथा मरदह के बासवारी ग्राम में राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था कराई जाय । इसी तरह से रामगढ़ लिफ्ट नहर बहुत जर्जर हो चुकी है, इसका जीर्णोद्धार कराने की व्यवस्था करें, जिससे कि वह नहर पूरी क्षमता से पानी दे सके । तथा कम से कम 40 किलोमीटर तक पक्का कराने की व्यवस्था करें, जिससे किसानों को पानी मिल सके। नहरों के टूटने के कारण किसानों की रबी की फसल का बहुत नुकसान हुआ, तहसील मोहम्मदावाद के बिरनो राजबहा एवं दलपतपुर माइनर के किसानों को बहुत क्षति हुई है, भविष्य में ऐसी घटनायों से बचने के लिए नहरों को मजबूत बनायें, उसकी मरम्मत करायें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय बाबू राम यादव द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं ।

* श्री नन्द राम-

मान्यवर, हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उस पर बल देने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं, क्यों कि पूरी कसरत करने के बाद आपने समय दिया है । मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन शाखायें शारदा कैनाल नलकूप और रुहेलखण्ड नहर, इन तीनों के बारे में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वर्ष 80 से मैं कई बार विधान सभा में उठा चुका हूं कि शारदा कैनाल का राजबाहा ग्राम अटकोना के निकट से ग्राम सरवापुर के लिए राजबहा खुदने के लिए मोआजा बंट गया, लेकिन उसमें अभी तक फावड़ा नहीं लगा है, जबकि मोआव्जा बंट गया है, तो उसको खोदने में क्या परेशानी आ रही है इस रुहेलखण्ड पर ज्यादा ध्यान दें । दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि पटना माइनर इसी शाखा में से बार-बार नाले में कटती है, उसको पक्का कराया जाय या साइफन बनाई जाय, जिससे कि 40 लाख की क्षति शासन की बचाई जा सके । दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में दो लिफ्ट कैनाल लगे हैं, ग्राम मड़ोरा के निकट और ग्राम टिसुआ के निकट, इनमें जब पानी चलता है, तो एक किलोमीटर तक पहुंचेगा, तभी बिजली चली जाती है, तो यह पानी नहर का नहर में ही सूख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाता है । मैं बल देता हूं कि या तो किसानों की परेशानी को देखते हुए बिजली की क्षमता बढ़ाई जाय, ताकि किसानों का भला हो सके । दूसरा मेरे क्षेत्र में नलकूप 50 प्रतिशत खराब पड़े हैं और किसानों की सारी फसलें सूख गयी हैं । मैं मांग करता हूं कि इनको तुरन्त ठीक कराया जाय और जो पानी, जो नदी में नहरों का अपसरया नदी में आ रहा है, उससे ग्राम में कटिंग हो रही है, उसमें बंधा लगाकर रोकने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

* श्री लीला राम शर्मा-

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि 20 प्रतिशत काम वहा पर कराया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर 10 प्रतिशत से ज्यादा वहां पर काम नहीं हुआ है । इस बजट में पर्वतीय क्षेत्र की बड़ी उपेक्षा की गयी है । पर्वतीय क्षेत्र में तो कार्य किया जा रहा है, वह बहुत कम है । पर्वतीय क्षेत्र में 45 जल विद्युत परियोजनायें चल रही हैं, अगर उनको कार्यान्वित कर दिया जाता है तो सारी समस्यायें दूर हो जायेगी । पहाड़ी अंचलों में बहुत सी नदियां बहती हैं उनका पानी अगर किसानों तक पहुंचा दिया जाये, तो सिंचाई की सारी समस्यायें दूर हो जायें । मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों की जो नदियां हैं, उनका जो पानी है अगर उसको लिफ्ट करके ऊपर पहुंचा दिया जाये तो सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है । मान्यवर, धार चूल्हा में बलमरा गांव है वहां पर हरिजन बस्ती है, वहां पर लिफ्ट पम्प का शेड बना हुआ है, लेकिन लिफ्ट पम्प नहीं लगायी गयी । इसको लागू किया जाये इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री शिव पूजन राम-

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मेरा दिल आइना है,

आपकी सूरत नजर आयेगी ।

मान्यवर, जितनी भी सरकारें हैं, उन सब में यही सरकार है जो अनुसूचितों के लिए भलाई के काम कर रही है और योजनायें लागू कर रही हैं । सिंचाई बन्धुओं की बात कही गयी और निराश्रित महिलाओं को जो छूट दी गयी है, यह बड़ी अच्छी चीजें हैं । सरकार ने बहुत से अच्छे काम किये हैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई बजट पर जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव अपने क्षेत्र के बारे में देना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं, और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उन पर कार्यवाही करने की कृपा करें टिहरी बांध परियोजना से जो लोग विस्थापित हैं, उनको देहरादून के पास बसाया गया है, वहां पर उनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सिंचाई की जो योजनाएं बहुत साल से प्रस्तावित हैं पिछली सरकारों ने उनकी बड़ी उपेक्षा की है । मैं अपनी कल्याणकारी सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि टिहरी बांध के विस्थापित लोगों को जो भंनियावाला और ज्योलीग्रांट में बसे हैं उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायें । इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पुनर्वासित क्षेत्र में उनको जो जमीन मिली है वह ऊसर है । सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उनके रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी है । इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें ।

मान्यवर, गैर सिंचाई नहर और भटगांव नहर कई वर्षों से निर्माणाधीन है उनको शीघ्र पूरा कराया जाय । एक झकोगी नहर है उसमें पानी नहीं चला है, उसको संचालित करने की कार्यवाही करें । इसके अलावा रौशाल नहर में टेल से काम शुरु किया गया । इंजीनियरों ने इसमें काफी भ्रष्टाचार किया इसके लिए मैंने सिंचाई मंत्री और सिंचाई सचिव से निवेदन किया था जिस पर टेक्निकल आडिट सेल गया था लेकिन उसके परिणाम अभी नहीं आये हैं । इस पर शीघ्र परिणाम मंगाकर कार्यवाही की जाय इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बाबू राम यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी जब बोल रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया अच्छे और उपेक्षित दो तरह के स्थानों का कि जो अधिकारी हैं किसी को उपेक्षित स्थान पर कर दिया गया और किसी को अच्छे स्थान पर कर दिया लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं की । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सा स्थान उपेक्षित है और कौन सा स्थान अच्छा है और इसका मानक क्या है आपकी निगाह में, कृपया इसको स्पष्ट करें । बोल्डर के बारे में बता चुका हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा है तो यह तो पहले से व्यवस्था है इसमें कोई नई बात नहीं है । प्रोन्नतियां आपने की हैं तो अधिकारियों को उनका हक मिलना चाहिए । यह मानना है कि जिसका जो हक है वह उसको मिलेगा तो उससे उसका सम्मान बढ़ेगा और काम करने की रुचि बढ़ेगी । जब काम करने की रुचि बढ़ेगी तो कार्यक्षमता बढ़ेगी । मेरा मानना है कि जो प्रोन्नति पाने के योग्य है उनको प्रोन्नतियां दी जानी चाहिए, आपने दिया है अच्छी बात है। इसके लिए बहुत घमंड की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह काम मैं कर चुका था आप बाद में पहुंचे और जूठन बटोर लिया है । सिंचाई बंधु की बात बड़े जोर के साथ कही गयी तो यह पहले से व्यवस्था थी । पहले यह सिंचाई

सलाहकार समिति थी इसमें थोड़ा सा हेर-फेर करके वही काम किया गया उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक सरकार जागरूक होकर उस व्यवस्था पर पूरे तौर से कंट्रोल न करे तब तक उस सिंचाई सलाहकार समिति या कुछ भी कहिये, को लाभ होने वाला नहीं है । जो हरिजन बाहुल्य ग्राम थे वहां नलकूप पहले भी लगते थे और आज भी लग रहे हैं कोई नई बात नहीं है । मान्यवर, जो निराश्रित विधवाएं हैं, उनको जो छूट दी गयी है 5 एकड़ सिंचाई की उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को जो विधवा पेन है उससे परिलक्षित होता है । अभी तो माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष दोनों के बोले जो नहरों में टेल तक पानी पहुंचने की बात कही गयी है तो इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने 4-5 जिले हैं एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर है इनमें गेहूं की बुवाई के 20-25 दिन बाद नहरों में पानी बंद हो गया, नहरे नहीं चली जिससे गेहूं की 80 प्रतिशत फसल का विकास रुक गया । माननीय राणा जी ने कह दिया कि गेहूं की बुवाई कम हुई । मान्यवर, अब जब गेहूं में दाने भरने को थे तब पानी आया है 20-25 दिनों से पानी नहीं था और अब पानी पहुंचा है जब धान और गेहूं की बाली आ गयी है ।

(इस समय रात्रि के 10 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पैदावार आधी हो गयी है । जब दाना मोटा होता है, उस समय पानी मिलना चाहिए। तमाम गेहूं की खेती सूख गयी है । हमारे अधिकारी मंत्री जी से कह देते होंगे कि रोस्टर के हिसाब से नहरें चल रही हैं जबकि मतलब इस बात से होना चाहिए कि किसान को पानी की आवश्यकता कब है ? उनकी आवश्यकता के अनुसार रोस्टर बनाना चाहिए । जो माननीय सदस्य उधर के बोले उन्होंने अपनी केवल शिकायत ही की है भले ही अपनी नौकरी बचाने के लिए बजट का समर्थन किया हो । इसका मतलब यह हुआ कि व्यवस्था में कमियां हैं । इस बजट की तारीफ तभी होगी जब किसान और आम लोग उसकी तारीफ करेंगे । मैंने निवेदन किया है कि माननीय मंत्री जी कुछ न कुछ घोषणा अवश्य करेंगे, इसमें परिव्यय बढ़ायेंगे । अगर नहीं बढ़ाते हैं तो बजट निराशाजनक होगा । जिन लोगों ने आपको बड़े हीं उत्साह से और आकांक्षाओं से ऊंची कुर्सियों पर बिठाया है, उनका दिल टूट जायगा। जिन लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक यहां बैठे हैं उनका मन टूटेगा और इसलिए टूटेगा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से और कठिनाई से आपको यहां पर भेजा है । उसमें किसान का सबसे बड़ा हिस्सा है । इस बजट को किसान परक बनाइये, किसान के लिए लाभदायक बजट बनाइए । अगर यह नहीं हुआ और कोई और घोषणा नहीं की तो जब कल लोग अखबार पढ़ेगे तो यही करेंगे कि-

सख्तियां लाखों सहीं, जुल्मों सितम जिसके लिये,
वाहरी किस्मत वही कातिल बने खंजर लिये ।

वे लोग यही कहेंगे कि हमारे सपने टूट गये और इसलिए कि सिंचाई के साधनों में

बढ़ोत्तरी नहीं हुई । इतने भ्रामक आंकड़े आये हैं । इतने भ्रामक आंकड़े दिए गये हैं । नलकूपों के चालित घंटे जो बजट में दिए हैं उसमें बताया गया है कि ।।39 घंटे 90-9। में थे, अब 9।-92 में ।250 घंटे कर दिए हैं । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारे अधिकारियों के द्वारा कर दिये गये हैं । जो सिंचित क्षेत्र है, वह उस अनुपात से नहीं बढ़ा । इस हिसाब से 4 लाख हैक्टेयर जमीन अधिक सिंचित होनी चाहिए थी जबकि ।.08 लाख हेक्टेयर बढ़ी । इसका मतलब कहीं न कहीं खामी है । माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि गहराई से बजट का अध्ययन करें । कार्य करने के घंटे जब बढ़ गये तो सिंचन क्षमता क्यों नहीं बढ़ी ? इसी तरह से नहरों की बात है, नहरों की कटिंग अधिकतर बड़े किसान करते हैं, कटिंग की बातों को सख्ती से रोका जाना चाहिए । यह शिकायत उधर के माननीय सदस्यों को भी थी । माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिकारी पटरियों पर निरीक्षण करते रहते हैं, तो अधिकारी पटरियों पर घूमते रहे और कटिंग होती रही । मान्यवर, जो अपने जमीने लीं है जिन पर आपने रजवाहों का निर्माण किया है, बाराबंकी में जिठौती, निवाजपुर, सफेदाबाद, जुग्गौर, डरगरिया, बरान ताजपुर, इतमपुर, कुटवा तिपहिया, में नहरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन किसानों को साल से मुआवजा नहीं मिला है । मैं कहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उस पर आप शीघ्र से शीघ्र भुगतान करा दें । इसी तरह से मैनपुरी में परसापुर, मलिखानपुर में माइनर निर्माण के सम्बन्ध में मुआवजा नहीं मिला है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा जो कार्य अधूरे रह गये हैं उनको शीघ्र पूरा करा दें मान्यवर हमारे यहां करहल में गढ़िया और बूरामई के मध्य सैंगर नदी पर पुल बन रहा है, आधे से अधिक काम हो चुका है उसको शीघ्र पूरा करायें, एप्रोच रोड बनाये ताकि इटावा और मैनपुरी का सम्पर्क बढ़ जाये और क्षेत्र की जनता को लाभ हो । बाढ़ पर विशेष बल देना चाहता हूं बाढ़ को रोकने के लिए अभी से तैयार नहीं होंगे तो जब बाढ़ आ जायेगी तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे । इसको आप आश्वस्त करें कि बाढ़ को रोकने के लिए जो कार्य हो रहे हैं, खसतौर से पूर्वांचल में उसको पूरी तरह से रोका जाय । मान्यवर, अभी नलकूपों के पुनर्निर्माण जल वितरण प्रणाली और उपकरणों के प्रतिस्थापन की जो बात कही गई-इस पूरे कार्य पर ।।5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । आपने इसमें ।6 करोड़ रुपये का प्राविधान किया जो यह 99 करोड़ रुपये कहां से आयेंगे । इस तरह से कार्य अधूरे रह जायेगें । मैं कहना चाहूंगा कि जिन कामों में आपने कटौती कर दी है और जो तुरन्त पूरे होने वाले हैं उनको शीघ्र पूरा करा दिया जाये । इन

शब्दों के साथ इस आशा के साथ और आपके माध्यम से इस अनुरोध के साथ कि इस बजट में धन बढ़ाने की घोषणा इस सदन में की जायगी । धन्यवाद ।

श्री ओम प्रकाश सिंह -

मान्यवर, जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आभारी हूं, विशेष रूप से उनके सुझावों के लिए आभारी हूं, उनके द्वारा चाहें वह अपने क्षेत्र की जानकारी देने के लिए ही क्यों न दिया गया हो ? बाकी जो विषय उठाये गये हैं उसमें से कुछ प्रमुख बिन्दुओं का मैं जवाब देना चाहूंगा । अभी माननीय बाबू राम यादव जी ने एक बात कही कि कल अखबारों में जब पढ़ेगे तो दिल टूट जायेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने दिल को तोड़ने और टूटने से कुछ बाकी रखा है। एक बात और है अगर उनका दिल न टूटा होता तो आज हम इधर न बैठे होते और यह आज उधर न बेठे होते । मान्यवर, हम दिल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसमें मलहम लगाने के लिए, घावों को भरने के लिए एक संकल्प लेकर एक इच्छा के साथ उसका समाधान निकालने के लिए आये हैं ....

श्री बाबू राम यादव -

मान्यवर, यह जो कह रहे है दिल तोड़ने वाली बात, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इनको तो जनता ने नकार दिया था यह तो बैक डोर से आये हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जब मैं इधर की बात कर रहा हूं तो सरकार की बात कर रहा हूं । यह सरकार की सोच है, बहुमत की सोच है । मान्यवर, आम बजट की चर्चा के समय, इस प्रदेश की मुख्य मंत्री की कुर्सी को सुशोभित करने वाले माननीय तिवारी जी ने कुछ बातें कहीं थी । उन्होंने कहा कि राजघाट परियोजना के परिव्यय में कमी कर दी गयी मध्य प्रदेश के साथ विवाद के कारण उनका एक हिस्सा पिछले डेढ़ सालों से नहीं मिल रहा है और जब उसमें समझौता की बात चली तो समझौता हुआ तो उन्होंने अपना हिस्सा देने के लिए सहमति दी और सहमति ही नहीं दी बल्कि छः करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया और जो यह छः करोड़ हमें मिला है इससे कार्य की प्रगति रुकने वाली नहीं है । दुसरी बात बाढ़ के बारे में कही गयी वह भी वार्ता में हल हो चुकी है इतना ही नहीं बल्कि और जो मसले थे वह भी हल हो चुके हैं । जो मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ था जो तीन नहरे हैं बेतवा, केन और भसान वह अन्तर्राज्यीय हैं इसके पानी को कैसे दोनों राज्य मिलकर अधिकाधिक उपयोग कर लें इस पर परियोजना संयुक्त रूप में बनाने का कार्यक्रम भी शुरू कर

दिया गया है और इसमें दो मुख्य अभियन्ता, मध्य प्रदेश के और दो उत्तर प्रदेश के रखे गये हैं यह दोनों मिलकर इसकी रूप रेखा तैयार करेंगे कि कैसे दोनों राज्यों को अधिकाधिक पानी मिल सके ? एक बात और कही गयी कि ऊपरी गंगा आधुनिकीकरण में पैसा कम कर दिया गया । विश्व बैंक के साथ सहमत होकर ऊपर गंगा परियोजना और मध्य गंगा परियोजना को सम्मिलित कर दिया है और सदन की जानकारी के लिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1992-93 में बनी संयुक्त आधुनिकीकरण में 100 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि वर्ष 1991-92 में 88 करोड़ रुपये थे । माननीय तिवारी जी इस विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और वरिष्ठ होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं उन्हें अवगत कराऊं । एक बात और कही गयी कि ब्लाकवार 82 बांध के लिए धन कम कर दिया गया । मान्यवर, यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह जो बहुउद्देशीय परियोजनायें हैं, वह कोई 10-20 करोड़ की परियोजनायें नहीं हैं, इसलिए उसमें थोड़ी-बहुत कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मान्यवर, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जिससे इन पर काम चलता रहे, हम प्रयत्नशील हैं कि कैसे हम इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चलायें, क्योंकि इनके बगैर पूरी हुए प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता । लेकिन बड़ी दुखद स्थिति है कि 1985 से लेकर 1992 तक प्रदेश में एक भी बहुउद्देशीय परियोजना पूरी नहीं हुयी है, इसके लिए क्या हम 10 महीने में जिम्मेदार है ? मान्यवर, अभी हमारे पूरब के साथी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, और कह रहे थे कि पूरब की उपेक्षा हो रही है, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है । हमने अपने भाषण में कहा था कि हम 92 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन कर रहे हैं । मैं समय की कमी के कारण ज्यादा विस्तार के साथ अपनी बात नहीं रख सका था ।

मान्यवर जिन योजनाओं को हम पूरा कर रहे हैं, वह कहां से पूरी हो रही हैं, कहां से कितने हेक्टेयर हम बढ़ायेंगे, यह हम बताना चाहते हैं जैसे मध्य गंगा नहर परियोजना में 8 हजार हेक्टेयर, उर्मिल बांध परियोजना में एक हजार हेक्टेयर, पूर्वीगंगा नहर परियोजना में 5 हजार हेक्टेयर, नरायनपुर पम्प नहर में 3 हजार हेक्टेयर, मौदहा बांध परियोजना में 10 हजार हेक्टेयर, ज्ञानपुर पम्प नहर में 4 हजार हेक्टेयर, गूटानाला बांध में एक हजार हेक्टेयर, किशनपुर पम्प नहर में 3 हजार हेक्टेयर, शारदा सहायक में 20 हजार हेक्टेयर और सरयू नहर परियोजना में 25 हजार हेक्टेयर बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा और भी छोटी-मोटी योजनायें हैं, जिनसे भी हम कुछ हेक्टेयर सिंचन क्षमता प्राप्त करेंगे । मान्यवर, शारदा सहायक परियोजना आजमगढ़ तक जाती है, इसके अतिरिक्त कई

परियोजनाओं के आंशिक निर्माण कार्य पूर्ण कर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का भी हमारा प्रयास है जैसे मध्य गंगा नहर परियोजना में हम 25 करोड़ का परिव्यय करने जा रहे हैं, उर्मिल बांध में 3 करोड़ पूर्वी गंगा नहर में 12 करोड़, शारदा सहायक में 39 करोड़, सरयू में 33 करोड़, गंडक में 8 करोड़, नरायनपुर पम्प नहर में 5 करोड़, मौदहा बांध में 9.50 करोड़, ज्ञानपुर पम्प नहर में 5 करोड़, गुंटानाला बांध में 3 करोड़ तथा किशनपुर पम्प नहर में 1.05 करोड़ हम लगायेंगे । इस प्रकार लगभग 83 हजार हेक्टेयर इस प्रकार सिंचित करेंगे । मान्यवर, एक बात और माननीय बाबू राम ने कहीं, मुख्य मंत्री जी उस समय अनुपस्थित थे, उसका जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन यह बात उन्होंने कही कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी उपेक्षा करके, हमको नेगलेक्ट करके बिना परामर्श के यह सिंचाई के परिव्यय का प्राविधान किया है, जिसके कारण यह कमी रही । यह केवल मुख्य मंत्री की सरकार नहीं है यह उस मुख्य मंत्री की सरकार नहीं है यह उस मुख्य मंत्री की सरकार है जो सर्वानुमति से कार्य करते हैं और जिसकी मीटिंगों में लोग थके रहते हैं । उस मुख्य मंत्री की सरकार में अनावश्यक भेद खोजने से कोई फायदा नहीं है । आपका यह प्रयास निरर्थक जायेगा । श्रीमन्, यह भी कहा गया कि यह सबसे कम प्रतिशत है । निश्चित रूप से 1990-91 की तुलना में कम है परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि 1991-92 की तुलना में, जिससे वह संबंधित है, से अधिक है । 1990-91 में यह 13.64 प्रतिशत था, 1991-92 में यह 10.3. प्रतिशत है और 1992-93 में यह 12 प्रतिशत है । ऐसा नहीं है पिछले वर्ष की तुलना में कम है । अब मान्यवर, सिंचाई की जो मदें थी वह कई भागों में बंट गई लघु सिंचाई अलग हो गया, फ्री बोरिंग अलग हो गया और पहाड़ों का जो 10 करोड़ होता था, वह पहाड़ को अलग से चला गया । हां, आप यह कह सकते हैं कि जितनी आवश्यकता थी, उतना नहीं है । यह तो पूरी सरकार के लिए है । जिस दुर्दशा में प्रदेश को पिछली सरकारों ने पहुंचाया है, उसमें से उबारने का काम हमने किया है । हमारा एक ही उद्देश्य है-कम पैसे में अधिक परिणाम ।

इसलिए हमने नई योजनाओं को नहीं लिया है । 38 परियोजनायें ऐसी थी, जिन पर 3 प्रतिशत, कहीं पर 4 प्रतिशत काम हुआ है । परन्तु हम सस्ती लोकप्रियता हासिल करना नहीं चाहते हैं । हम पत्थर लगाने पर विश्वास नहीं करते । हम परिणाम पर विश्वास करते हैं । यह कोई आश्वासनों की सरकार नहीं है, यह सरकार कार्य की सरकार है । हमारा उद्देश्य है सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना । जिन योजनाओं पर 50 प्रतिशत या इससे अधिक कार्य हो चुका है ऐसी 10 परियोजनाओं को हमने चुना है । उन पर पैसा लगाकर 92 हजार हैक्टेयर की सिंचन क्षमता को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है । आपने यह भी कहा कि नई

योजनायें आप शुरू कर नहीं रहे हैं तो फिर कैसे सिंचन क्षमता को बढ़ायेंगे ? मैंने पहले की बता दिया कि जिन योजनाओं पर 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है, उनको पहले पूरा कर हम सिंचन क्षमता को बढ़ायेंगे । आपने यह भी कहा कि सरकार ने बहुत सी योजनाओं को निरस्त कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि हमने किसी भी योजना को निरस्त नहीं किया है । जो प्रस्ताव प्रदेश हित में नहीं थे, जनता के हित में नहीं थे, जो परिणामदायी नहीं थे, उनको अभी हमने छुआ नहीं है । कुछ सदस्यों ने कहा कि नहरों की सफाई नहीं हो रही है और कुछ जगहों पर दूसरे भ्रष्टाचार का नाम लिया । श्रीमन्, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा हितैषी वह है और जनता का सबसे बड़ा हितैषी मैं हूं जो तथ्यों के आधार पर सिंचाई विभाग का कोई उदारण दे दें । मैं फिर कहना चाहता हूं कि तंत्र ठीक होना चाहिए । शायद श्री राणा जी इस पर विश्वास नहीं करेंगे । हम एक इच्छा शक्ति के साथ और एक संकल्प शक्ति के साथ सत्ता में बैठे हैं । हम सुधार करके दिखायेंगे । 10 महीने में हमने सुधार भी किया है । यह भी कहा गया है कि नलकूपों पर खर्चा अधिक और आय कम होती है । यह तो पूरे सिंचाई विभाग का है । यह कोई व्यवसायिक विभाग तो है नहीं । यह तो सिंचाई देने का साधन है । यह तो जनहित वाले विभागों में से एक विभाग है । नलकूप के कार्य को उसके आय-व्यय के हिसाब से उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता को नहीं देखा जा सकता है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि नलकूपों में जितना पैसा लग रहा है, उसमें सुधार की आवश्यकता है । मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि जो लोग भी इस बारे में अनुभव करते हैं, मैं खुले दिल से सुधार करना चाहता हूं, इसमें सबके सुझावों को महत्व मिलेगा और हम उनको कार्यान्वित करेंगे क्योंकि इसमें जनता की पूंजी लगी है । किसानों और जनता के हित के लिए यह है । तो जो बातें यहां पर आईं उनका जबाव मैंने दे दिया । मैं यह नहीं कहता कि मैंने समस्याओं का हल कर दिया यह तो मैं भूले से भी नहीं कर सकता लेकिन विश्वास करने और गर्व करने में कुछ लोगों ने दम्भ शब्द का प्रयोग किया अगर आत्मविश्वास को दम्भ की संज्ञा दी जायेगी तो कहीं न कही विश्लेषण में भूल है । बिना विश्वास के आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, बिना संकल्प के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना इच्छाशक्ति के सुधारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं । मैं एक सेवक के नाते समग्र भाव से आप सबके छोटे-छोटे सुझाव लेकर विभाग को सुधारना चाहता हूं, इसे जनहितकारी बनाना चाहता हूं जिससे पानी की एक-एक बूंद किसान के खेत तक पहुंच सके । किसान के घर समृद्धि आयेगी

तो प्रदेश में खुशहाली आयेगी । इसी आकांक्षा से मैंने यह बजट रखा है और मुझे विश्वास है कि यह सदन इसे पास करेगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री तीनों एक साथ सदन में बैठे हैं । इनको याद होगा मैंने हमेशा यह बात कही है । आगरा बैराज की सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गयी है तो उसमें बैराज और बीयर दोनों को एक साथ बनाने की बात कही गयी है जिसको मैं भी बराबर कहते आया हूं । जो आपने बजट प्रस्तुत किया है इसके पृष्ठ 10 में उसका उल्लेख है लेकिन बीयर बनाने का उल्लेख नहीं है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस संबंध में विचार जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सिंचाई मंत्री जी कुछ कह सकते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जिस बियर की बात कह रहे हैं उसका परीक्षण हो रहा है, उसको हम दिखवालेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, हमारे यहां किसनपुर पम्प नहर में 7 पम्प लगे हुए हैं उनमें से दो पम्प . . .

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अलग से मंत्री जी से मिल लीजिए ।

क्या आप बाबू राम जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बाबू राम यादव-

मैं अपने कटोती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,02,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,16,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,06,51,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन की दर्शक दीर्घा नं0 1 से पर्चे फेंकने व नारे लगाने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा उनको कल प्रश्न काल तक के लिए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 लेने से पहले मैं माननीय सदन को सूचना देना चाहता हूं कि मार्शल, विधान सभा से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को लगभग 4 बजकर 38 मिनट पर जब माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा उठाये गये विषयों पर अपनी व्यवस्था दे रहे थे, विधान सभा के दर्शक दीर्घा नं0-1 में बैठे हुए कतिपय दर्शक (जिनकी कुल संख्या-4 है । अपने स्थान से उठकर खड़े हो गये और दीर्घा की रेलिंग के पास आकर सदन में कुछ पर्चे तथा एक कपड़ा (जो बाद में फटी हुई बनियान पाया गया और जिस पर कुछ नारे तथा एक प्रार्थना पत्र जैसा नोट लिखा हुआ है) सदन में फेंकने तथा नारे लगारे का प्रयास किया । दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें उक्त दीर्घा से बाहर ले आये । दीर्घा में नारे लगाने और पर्चा फेंकने से

रोकने का प्रयास करने के कारण उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम बाद में बबलू ज्ञात हुआ, ने उक्त दीर्घा में प्रथम पंक्ति में बैठी हुई महिला सुरक्षा कर्मचारी सुश्री पुष्पा मिश्रा के साथ हाथापाई की एवं उसके कपड़े भी फाड़ दिये । इन व्यक्तियों में पूछतांछ करने द्वारा उनके पर उनके द्वारा बताया गया विवरण एवं उनसे प्राप्त प्रेवश पत्र निम्नवत् है:-

1-श्री एस0पी0 इंसान पुत्र श्री राम कृपाल, निवासी अतरसण्ड, थाना कोन्हडौर, जनपद प्रतापगढ़, प्रवेश पत्र संख्या 3।10 ।

2-श्री बजरंग बहादुर सिंह पुत्र श्री राम सरन सिंह, निवासी अतरसण्ड, थाना कोन्हडौर, जनपद प्रतापगढ़, प्रवेश पत्र संख्या-3।11

3-श्री रमाकान्त पुत्र श्री राम दुलार, निवासी, कोन्हडौर बाजार, जनपद प्रतापगढ़, प्रवेश सपत्र संख्या 3।14

4-श्री बबलू पुत्र श्री सुरेश चन्द्र, निवासी कोन्हडौर बाजार, जनपद प्रतापगढ़, प्रवेश पत्र संख्या-3।48

उर्पयुक्त सभी प्रवेश पत्र दर्शक दीर्घा की 3.00 बजे अपराह्न से उपवेशन की समाप्ति तक के लिए श्री एस0पी0 इंसान के लिए माननीय सदस्य, रमेश बहादुर सिंह (प्रतापगढ़), श्री बजरंग बहादुर सिंह तथा श्री रमाकान्त के लिए माननीय सदस्य श्री शिवाकान्त ओझा (प्रतापगढ़) तथा श्री बबलू के लिए माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद (कानपुर) के नाम से संस्तुति पत्रों के आधार पर जारी किये गये पाये गये । इन चारों व्यक्तियों के पास से पाये गये दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र संबंधित पत्र मूल रूप में इस टिप्पणी के साथ संलग्न हैं ।

उक्त संदर्भ में यह उल्लेखीय है कि माननीय सदस्य श्री रमेश बहादुर सिंह (प्रतापगढ़) ने अपने से संबंधित संस्तुति पत्र सं0-346670 जिसके आधार पर श्री एस0पी0 इंसान को दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र संख्या 3।10 जारी किया गया को देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर होने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा यह बताया कि उन्होंने आज किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पाली में कोई भी प्रवेश पत्र जारी करने हेतु कोई भी संस्तुति नहीं की है तथा उक्त संस्तुति पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवेश पत्र धारक ने अथवा किसी व्यक्ति ने उनके नाम से हस्ताक्षर कर दिये हैं । इसी प्रकार प्रवेश-पत्र संख्या-3।11 एवं 3।14 से संबंधित संस्तुति पत्र पर माननीय सदस्य, श्री शिवाकान्त ओझा (प्रतापगढ़) के हस्ताक्षर है, किन्तु जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना के समय तक माननीय सदस्य श्री शिवाकान्त न तो आज लखनऊ में हैं और न

ही सदन में आये ।

इससे स्पष्ट है कि माननीय सदस्य,श्री शिवाकांत के नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने संस्तुति पत्र संख्या-346682 जारी किये हैं । चौथे प्रवेश पत्र से संबंधित माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद पाल द्वारा आज दर्शक दीर्घा के 3.00 बजे से 5.00 बजे की पाली के लिए अन्य 3 प्रवेश पत्र भी क्रमशः 3।58 (श्री आर0आर0सिंह) 3।59 श्री नवाब सिंह तथा 3।60 श्री बालेश्वर सिंह के नाम से जारी कराये गये हैं उक्त तीनों संस्तुति पत्रों पर माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद पाल के हस्ताक्षर एक जैसे हैं, परन्तु प्रवेश पत्र संख्या-3।48 जो श्री कि बबलू के पास पाया गया, से संबंधित संस्तुति पत्र पर श्री मथुरा प्रसाद पाल के हस्ताक्षर उनके पूर्व संस्तुति पत्रों पर हस्ताक्षरों से सर्वथा भिन्न हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री बबलू को जारी किये गये प्रवेश पत्र से संबंधित संस्तुति पत्र पर भी माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद पाल के हस्ताक्षर उनसे भिन्न किसी व्यक्ति ने बनाये हैं । इन चारों व्यक्तियों ने अपने प्रवेश पत्रें से संबंधित संस्तुति पत्र कहां से और किससे प्राप्त किया, बताने से इन्कार कर दिया है ।

उक्त से स्पष्ट है कि उपर्युक्त चारों व्यक्तियों ने जालसाजी कर कपटपूर्ण तरीके से संस्तुति पत्रों के आधार पर दर्शक दीर्घा का प्रवेश पत्र प्राप्त किया और दीर्घा में प्रवेश करने के उपरान्त पर्चे फेंकने और नारे लगाने का प्रयास कर सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न किया है तथा इस प्रकार के आचरण से रोकने का प्रयास करने पर दीर्घा में तैनात महिला सुरक्षा कर्मचारी के साथ अशिष्टतापूर्ण व्यवहार तथा हाथापाई भी किया है । उक्त चारों व्यक्ति सम्प्रति सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उक्त घटना के बाद से दीर्घा में से हटाये जाने के बाद से ही मार्शल की अभिरक्षा में हैं ।

चूंकि उपर्युक्त श्री एस0पी0 इंसान पुत्र श्री राम कृपाल, निवासी अतरसण्ड, थाना कोन्हडौर, जनपद प्रतापगढ़, श्री बजरंग बहादुर सिंह पुत्र श्री राम सरन सिंह, निवासी अतरसण्ड, थाना कोन्हडौर, जनपद प्रतापगढ़, श्री रमाकान्त पुत्र श्री राम दुलार निवासी अतरसण्ड, थाना कोन्हडौर, जनपद प्रतापगढ़ तथा श्री बबलू पुत्र श्री सुरेश चन्द्र निवासी कोन्हडौर बाजार, जनपद प्रतापगढ़ ने जालसाजी से संस्तुति पत्रों के आधार पर दर्शक दीर्घा का प्रवेश पत्र प्राप्त कर पर्चे फेंकने और नारे लगाने का प्रयास कर सदन की कार्यवाही में बांधा उत्पन्न करने का प्रयास किया तथा इस प्रकार के आचरण करने से रोकने का प्रयास करने पर दीर्घा में महिला सुरक्षा कर्मचारी के साथ अशिष्टतापूर्ण व्यवहार तथा हाथापाई भी किया अतः उनका यह आचरण सदन की अवमानना का आधार बनता है ।

अभी मैंने आपको यह सूचना दी है कि चार व्यक्तियों ने जालसाजी करके सदन की दीर्घा के प्रवेश पत्र प्राप्त किये । उसके पश्चात् उन्होंने विधान सभा की दीर्घा में नारे बाजी करने एवं पर्चा फेंकने का प्रयास किया और दीर्घा में तैनात महिला सुरक्षा कर्मी के साथ हाथापाई की तथा उसके कपड़े फाड़ दिये । प्रश्न यह है कि इनके मामले में क्या कार्यवाही की जाय ? मेरा विचार है कि उक्त चारों व्यक्तियों ने अनेक अपराध किए हैं । जो सदन के समक्ष हुए हैं । अतः ऐसे मामले में दोषी व्यक्तियों को बिना कोई दण्ड दिये छोड़ देना उचित नहीं होगा । आप लोग यदि सहमत हों तो उक्त चारों व्यक्तियों को आज ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की सुपुर्दगी में दे दिया जाए और कल प्रश्नकाल के उपरान्त उनके मामले पर सदन में विचार हो ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

माननीय अध्यक्ष ने जो सुझाव दिया है आदरणीय सदन सहमत हे ।

(सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर सदन ने सहमति व्यक्त की)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं आज उक्त चारों व्यक्तियों को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की सुपुर्दगी में दिए दे रहा हूं । कल उनको उपस्थित होने के निर्देश दे दिए हैं ।

नियम 5। के अन्तर्गत सूचनाएं

(10 बजकर 45 मिनट)

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को नियम-5। के अन्तर्गत कुल आठ सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । पहली सूचना श्री बची सिंह रावत की है यह माध्यमिक शिक्षा परिषद्, कुमायूं मण्डल से कार्यालय को बरेली से स्थानान्तरित कर अल्मोड़ा जनपद के चौपटिया विकास खण्ड में स्थगित किये जाने के संबंध में है, इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । दूसरी सूचना श्री सुरेश चन्द्र की है यह जनपद मुजफ्फरनगर में जानसठ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैलापुर जसमौर ग्राम में प्रस्तावित हड्डी मिल की स्थापना को लेकर उभरे जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की है । तीसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है यह जनपद देवरिया में अग्निकाण्ड से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राजकीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है । चौथी सूचना पवन कुमार पाण्डेय की है यह जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल, सार्वजनिक प्रकाश एवं सफाई आदि की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है । बाकी श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री राम ललित चौधरी, श्री सुरेन्द्र सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह की सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

जनपद उन्नाव में पुलिस पर किये जा रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति विषयक वक्तव्य को निरस्त किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से, जो प्राप्त हुआ है उससे श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की समस्या का समाधान हो गया है इसमें वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना पीरपुर के ग्राम डिंगरपुर मजरा रतापुर में कथित रूप से अग्निकाण्ड विषयक वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसको माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित कर दिया है ।

आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 में चार-चार घंटे चर्चा हो सकती है तो इस पर क्यों चर्चा टाली जा रही है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा को स्थगित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा दो बार स्थगित हो चुकी है ।

श्री श्याद अली-

मान्यवर, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर चर्चा के आपने मुझे समय दिया है उसी के सम्बन्ध में आज सदन में पर्चे फेंके गये हैं वह ए0टी0एल0 से संबंधित पर्चे थे । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जनपद पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा जनपद है । प्रतापगढ़ जनपद के विकास के लिए सन् 1976 में आटो ट्रैक्टस लिमिटेड की स्थापना की बात कही गयी थी 1976 के बजाय 1979 में ए0टी0एल0 का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 152 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गयी । इसमें से 98 एकड़ पर कारखाना बना और 54 एकड़ पर आवासीय कालोनी बनी । बड़ी उम्मीद से इसकी स्थापना हुई थी । लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको चलाने के लिए जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी उन आई0ए0एस0

को नियुक्त किया गया और उन्होंने शराब और शबाव के चक्कर में इसको पुरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसका परिणाम वहां के मजदूरों और छोटे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है । पिछली सरकार ने कौड़ियों के भाव, केवल 50 लाख में डकैत सिपानी के हाथ में दे दिया जिसका एक इतिहास रहा है कि उसने जब भी किसी उद्योग को चलाया है तो वह हमेशा फेल हुआ है । ए0टी0एल0 में जो अधिकारी कार्यरत थे उनकी सिपानी की मिलीभगत से यह कारखाना फेल कर दिया गया और सरकार ने बाध्य होकर इसको बेच दिया ।

सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री लाज कृष्ण गांधी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

घंटी बजायी जाय ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री श्याम अली-

मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट प्रतीक्षा कर लें । घंटी बज जाने दें ।

(गणपूर्ति की घण्टी बजना समाप्त होने पर)

कोरम के अभाव में मैं सदन स्थगित कर रहा हूं । अब हम उठ रहे हैं, कल ।।.00 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 10 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के ।। बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
दिनांक 7 अप्रैल, 1992

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

संलग्नक

1-अभियन्ता अजय सिंह पुत्र श्री राजकुमार सिंह निवासी झण्डावाला चौराहा पोनी, थाना गंगा घाट, जनपद उन्नाव का अपराधिक इतिहास -

1	मु0अ0सं0	198/89	धारा 307 भा0दं0वि	(न्यायालय में विचाराधीन)
2	मु0अ0सं0	291/90	धारा 302 भा0दं0वि0	" "
3	मु0अ0सं0	269/91	धारा 302 भा0दं0वि0	" "
4	मु0अ0सं0	12/92	धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	(विवेचनाधीन एस0आई0एस0)

2-अभियुक्त श्याम उर्फ कमलेश पुत्र चन्द्र दत्त तिवारी निवासी बसनोहा, थाना पुरवा का अपराधिक इतिहास -

1	मु0अ0सं0	135/81	धारा 302 भा0दं0वि0 थाना पुरवा	रिहा
2	मु0अ0सं0	95/82	धारा 395/397 भा0दं0वि	" 169 में रिहा
3	मु0अ0सं0	100/82	धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	" विचाराधीन न्यायालय
4	मु0अ0सं0	164/82	धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	" न्यायालय में विचाराधीन
5	मु0अ0सं0	140/85	धारा 3 यू0पी0 गण्डा ऐक्ट	" सजा
6	मु0अ0सं0	120/85	धारा 25/27 ए0 ऐक्ट	" न्यायालय विचाराधीन
7	मु0अ0सं0	75/85	धारा 399/402 भा0दं0वि0	" रिहा
8	मु0अ0सं0	76/85	धारा 25 आर्म्स ऐक्ट	" न्यायालय विचाराधीन
9	मु0अ0सं0	165/85	धारा 25/27 ए0 ऐक्ट	" न्यायालय में विचाराधीन
10	मु0अ0सं0	185/85	धारा 25 आर्म्स ऐकट	" "
11	मु0अ0सं0	158/88	धारा 307 भा0दं0वि0	" "
12	मु0अ0सं0	34/89	धारा 504/506 भा0दं0वि0	" "
13	मु0अ0सं0	35/89	धारा 307/504/506 भा0दं0वि0	" "
14	मु0अ0सं0	36/89	धारा 3 यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट	" "
15	मु0अ0सं0	1/82	धारा 504/506 भा0दं0वि0	" "
		एवं 3 (1) (10)	एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट	" "
16	मु0अ0सं0	175/82	धारा 395/397 भा0दं0वि0 थाना मौरावां	"
17	मु0अ0सं0	230/86	धारा 394/397 भा0दं0वि0	" बरी
18	मु0अ0सं0	181/90	धारा 302/504 भा0दं0वि0	" रिहा
19	मु0अ0सं0	124/81	धारा 394/397 भा0दं0वि0	थाना अजगैन न्यायालय विचाराधीन
20	मु0अ0सं0	233/86	धारा 394/397 भा0दं0वि0	" "
21	मु0अ0सं0	61/84	धारा 395/397 भा0दं0वि0	थाना असोहा रिहा
22	मु0अ0सं0	576/82	धारा 399/402 भा0दं0वि0	थाना वजीरगंज, लखनऊ
23	मु0अ0सं0	300/88	धारा 4/25 ए0 ऐकट	थाना आलमबाग, लखनऊ न्यायालय विचाराधीन।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

अपराधिक इतिहास अभियुक्त श्यामू उर्फ कमलेश पुत्र चन्द्र दत्त शुक्ला निवासी वसनोहा, थाना पुरवा:-

क्र0सं0	अपराध संख्या	थाना		परिणाम
1	155/81	302 आई0पी0सी0,	पुरवा	रिहा
2	95/82	395/397 आई0पी0सी0,	"	रिहा 169
3	100/82	25 आर्म्स ऐक्ट,	"	पी0टी0
4	146/82	25 आर्म्स ऐक्ट,	"	रिहा 6 माह के लिए
5	140/85	3 उ0प्र0 गुण्डा ऐक्ट,	"	सजा
6	120/85	25/27 आर्म्स ऐक्ट,	"	पी0टी0
7	75/85	399/402 आई0पी0सी0	"	रिहा
8	76/85	25 आर्म्स ऐक्ट,	"	पी0टी0
9	165/85	25/27 आर्म्स ऐक्ट,	"	पी0टी0
10	185/85	25 आर्म्स ऐक्ट,	"	पी0टी0
11	58/88	307 आई0पी0सी0	"	पी0टी0
12	34/89	504/506 आई0पी0सी0	"	पी0टी0
13	35/89	307/504/506,	"	पी0टी0
14	36/89	3 उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट,	"	पी0टी0
15	1/92	504/506 आई0पी0सी0 व 3 (1)× एस सी/एस0टी0 ऐक्ट	"	पी0टी0
16	124/81	394/397 आई0पी0सी0,	अजगैन	पी0टी0
17	233/86	" "	"	पी0टी0
18	175/82	395/397 आई0पी0सी0,	मौरावां	पी0टी0
19	230/86	394/397 आई0पी0सी0,	"	वरी
20	181/90	302/304 आई0पी0सी0,	"	रिहा
21	61/84	395/397 आई0पी0सी0,	असोहा	रिहा
22	576/82	399/402 आई0पी0सी0	वजीरगंज, लखनऊ ।	रिहा
23	300/88	4/25 आर्म्स ऐक्ट	आलमबाग, लखनऊ ।	पी0टी0

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 89 पर)

दिनांक 16/17 जून, 1987 को हुए साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

1-सर्वश्री विशन दत्त जोशी,
2- पानं सिंह,
3- गन्नू लाल (अनु0जाति),
4- सोहन प्रसाद (अनु0जाति),
5- अरुण कुमार,
6- माता प्रसाद तिवारी,
7- कैलाश प्रसाद (अनु0जाति),
8- आशा राम (पिछड़ी जाति),
9- राज कुमार (पिछड़ी जाति),
10- कुंज बिहारी,
11- कुशहर प्रसाद (अनु0जाति),
12- ओम प्रकाश शुक्ला,
13- सुनिर्मल चक्रवर्ती,
14- अनिल कुमार कन्नौजिया (अनु0जाति)
15- अरविन्द सिंह,
16- भुवन चन्द्र जोशी,
17- बनवारी लाल (पिछड़ी जाति),
18- छोटे लाल (अनु0जाति),
19- राम लखन (पिछड़ी जाति),
20- राम विलास (पिछड़ी जाति),
21- रामहित मौर्य (पिछड़ी जाति),
22- सुनील कुमार,
23- भैरव प्रसाद पाण्डे,
24- फूल बदन (अनु0 जाति),
25- राधेश्याम,
26- अम्बिका शुक्ल,
27- विजय सिंह
28- हरीकृष्ण
29- सभाजीत (पिछड़ी जाति)
30- चन्द्र मोहन अग्निहोत्री।

दिनांक 10/12 मई, 1991 को हुए साक्षात्कार से चयनित अभ्यर्थियों की सूची:-

1-सर्वश्री नसीर अहमद,
2- रूप चन्द्र यादव,
3- भगवत प्रसाद रवानी,
4- शिशिल हैनियल,
5- सुनील कुमार (अनु0जाति),
6- घनश्याम सिंह रौतेला,
7- राजेश कुमार रावत (अनु0 जाति),
8- शंकर प्रसाद (अनु0 जाति),
9- घुरऊ प्रसाद,
10- हरि कृष्ण,
11- रईश अहमद,
12- सियाराम यादव,
13- राम मिलन गुप्ता,
14- फूल बदन (अनुसूचित जाति)
15- सुशील कुमार,
16- भैंरो कुमार पाण्डे,
17- शिव शंकर,
18- विजय कुमार,
19- महेन्द्र सिंह (अनु0जाति),
20- जगदीश सिंह,
21- तुलसी राम,
22- नारायण प्रसाद,
23- राधेश्याम,
24- छोटे लाल श्रीवास्तव,
25- कमलेश कुमार,
26- आरिफ जमाल ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 119 पर)

ग्राम चौबारी थाना कैन्ट जनपद बरेली में प्रचलित तथा बदनाम शुदा हिस्ट्रीशीटर का विवरण निम्नवत् है:-

प्रचलित हिस्ट्रीशीटर

1-एच0एस0 नं0 189-ए, राजपाल सिंह पुत्र महादेव सिंह नि0 ग्राम चौबारी थाना कैन्ट बरेली । उपस्थित है ।

2-एच0एस0 नं0-188-ए, कड़े पुत्र होरी कहार निवासी ग्राम चौबारी, बरेली उपस्थित है ।

3-एच0एस0 नं0-225 ए बलवन्त पुत्र हीरा लाल कहार, नि0 ग्राम चौबारी, बरेली लापता है ।

4-एच0एस0 नं0-179 ए चन्द्र पाल उर्फ चन्दू पुत्र इतवारी भुर्जी, नि0 ग्राम चौबारी बरेली उपस्थित है ।

5-एच0एस0 नं0-248 ए अशोक कुमार पुत्र नौबत सिंह नि0 ग्राम चौबारी बरेली उपस्थित है ।

6-एच0एस0 नं0-262 ए महेन्द्र पुत्र राम चरन भुर्जी ग्राम चौबारी, बरेली उपस्थित है ।

7-एच0एस0 नं0-222 ए अनौखे पुत्र हरदयाल नि0 ग्राम चौबारी, थाना कैन्ट बरेली ।

बदनाम शुदा हिस्ट्रीशीटर

1-एच0एस0 नं0-195 ए चहेती नट (तवायफ) चौबारी, बरेली लापता है ।

2-एच0एस0 नं0-194 ए हरभान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, नि0 ग्राम चौबारी, बरेली उपस्थित हैं ।

3-एच0एस0 नं0-191 ए जगदीश पुत्र कंवर सिंह नि0 ग्राम चौबारी, थाना कैन्ट बरेली उपस्थित हैं ।

4-एच0 एस0 नं0-190 ए रज्जू सिंह पुत्र राम दयाल सिंह नि0 ग्राम चौबारी, थाना कैन्ट, बरेली ।

पी0एस0 यू0पी0-एल0-179 वि0 सभा (284)-1992-572 (ई0टी0) ।